

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट



अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी
अल्पसंख्यक आयोग
की रिपोर्ट

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

विषय-सूची

	पृष्ठ
अध्याय I प्रस्तावना	1
अध्याय II अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में संवैधानिक तथा विधायी उपबंध	3
अध्याय III धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग और उनकी स्थिति	12
अध्याय IV भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग और उनकी स्थिति	33
अध्याय V अल्पसंख्यक वर्गों में महिलाओं की स्थिति	43
अध्याय VI धार्मिक अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों का पता लगाने का मापदंड	58
अध्याय VII अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण एवं विकास से संबंधित उपाय	73
अध्याय VIII आरक्षण — एक कल्याणकारी उपाय	114
अध्याय IX संवैधानिक (अनुज्ञाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने संबंधी मांगें	139
अध्याय X सिफारिशें और कार्यान्वयन की रीतियां	144
सदस्य-सचिव द्वारा विसम्मति टिप्पणी विसम्मति टिप्पणी के संबंध में दी गई टिप्पणी	156
(सदस्य डा० ताहिर महमूद द्वारा लिखित तथा अध्यक्ष एवं अन्य दो सदस्यों द्वारा समर्थित)	169
परिशिष्ट	171
1. सरकार द्वारा जारी संकल्पों और अधिसूचनाओं के पाठ	172
2. आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यशालाओं की सूची	179
3. आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययनों की सूची	180
4. उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जहां आयोग द्वारा दोरा किया गया है	181
5. खंड II की विषय-सूची	182
6. जनसंख्या में महिला/पुरुष का अनुपात: 1991 तथा 2001 और 0-6 वर्ष: 2001	183
7. सामाजिक-आर्थिक पैरामीटरों की अनुसूची	184

न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र
(भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति)
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग
(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

आमुख

भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

यद्यपि भारत सरकार द्वारा इस आयोग को स्थापित करने का निर्णय अक्टूबर, 2004 में अधिसूचित कर दिया गया था लेकिन इसके गठन में विलंब होने के कारण हमने मार्च 2005 में जाकर कार्य ग्रहण किया। हमारे मूल विचारार्थ विषयों में, जो अपने आप में बहुत थे, बाद में और विस्तार किया गया। जिससे कि इनमें उच्चतम न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित ज्वलंत मुद्दे को शामिल किया जा सके। अतः इन सब मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए हमें निर्धारित अवधि से ज्यादा समय की आवश्यकता थी और ऐसा करने के लिए हम सरकार के आभारी हैं।

यह रिपोर्ट दो खंडों में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत खंड में हमारे कार्य का सारभूत भाग प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावना के बाद दूसरे अध्याय से लेकर नौवें अध्याय तक हमने अपने निष्कर्ष और विचार, डाया तथा सांख्यिकी, तथ्य और आंकड़े प्रेक्षण तथा मूल्यांकन और विश्लेषण तथा निष्कर्ष और दूसरों के दृष्टिकोणों तथा इनके साथ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी प्रस्तुत की है। इस खंड के अंतिम अध्याय में हमारे प्रत्येक विचारार्थ विषय के संबंध में हमारी सिफारिशों का मदवार प्रस्तुतीकरण है।

अध्याय X में शामिल किए गए हमारे अतिरिक्त विचारार्थ विषय [संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 से संबंधित] में प्रस्तुत सिफारिशों के अंतर्गत सदस्य-सचिव श्रीमती आशा दास की सिफारिशें शामिल नहीं की गयी हैं। उन्होंने विशेष विसम्मति टिप्पणी दी है जिसे अध्याय X के बाद प्रस्तुत किया गया है इसके बाद कमीशन सदस्य डा० ताहिर महमूद द्वारा लिखी गई एक अन्य विशेष टिप्पणी प्रस्तुत की गई है, जिसका अध्यक्ष तथा अन्य दो सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया है। यह टिप्पणी विसम्मति टिप्पणी के प्रत्युत्तर के रूप में है।

इस खंड के परिशिष्टों में हमने आयोग और इसके कार्य से संबंधित मूल दस्तावेजों को शामिल किया है। रिपोर्ट से संबंधित शेष दस्तावेज खंड II में दिए गए हैं, जिनकी विषय सूची इस खंड में संलग्न की गई है।

हम उन सबके प्रति हार्दिक रूप से आभारी हैं जिन्होंने इस कार्य के निष्पादन में तथा उसे पूरा करने में हर तरह से हमें सहायता एवं सहयोग प्रदान किया है। इस कार्य में योगदान करने वालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है जिसमें केन्द्रीय और राज्य मंत्री; राज्यपाल तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक; केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सचिव तथा अन्य अधिकारी; समग्र देश की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारी, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा कॉरपोरेशनों के प्रतिनिधि; सामुदायिक नेता और प्रवक्ता; धार्मिक विद्वान तथा अन्य विषय-विशेषज्ञ; प्रोफेसर तथा अन्य अकादमिक इत्यादि शामिल हैं हम प्रत्येक के नाम का अलग से उल्लेख नहीं कर सकते लेकिन हम उन सबके प्रति अत्यधिक आभारी हैं। हम उन संगठनों, संस्थाओं, एजेंसियों और व्यक्तियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें बाहर से जानकारी मुहैया करा कर हमारे कार्यों में अपना सराहनीय योगदान दिया है।

सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने का वृहत्त कार्य हमें सौंपा गया था तथा इस दायित्व का यथासंभव बेहतर रूप से निर्वहन करने के लिए हम सरकार और भारत के लोगों दोनों के प्रति आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी रिपोर्ट दोनों के लिए सहायक सिद्ध होगी।

नई दिल्ली;

10 मई, 2007

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

(न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र)

अध्यक्ष

प्रस्तावना

आयोग और उसका कार्य

29 अक्टूबर, 2004 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का संकल्प लिया था जिसके अंतर्गत (i) एक अध्यक्ष (ii) तीन सदस्य—जिनमें से एक संविधान एवं कानून विशेषज्ञ और (iii) प्रशासनिक अनुभव प्राप्त एक सदस्य सचिव शामिल किए जाएंगे तथा जिसे निम्नलिखित विषय विचारार्थ सौंपे जाएंगे:—

- (क) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंडों का सुझाव देना;
- (ख) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उपायों की सिफारिश करना जिसमें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण शामिल हैं;
- (ग) इनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए यथा अपेक्षित आवश्यक संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक तौर-तरीकों का सुझाव देना;

आयोग से अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छः माह की अवधि के अंदर अपने विमर्शों तथा सिफारिशों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

2. लगभग पांच माह बाद केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मार्च, 2005 में आयोग का वास्तविक गठन अधिसूचित किया गया।

3. 21 मार्च, 2005 को आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में निम्नलिखित ने कार्यभार संभाला:

- (क) न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र:—भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा पूर्वाध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (अध्यक्ष);

- (ख) प्रोफेसर डा० ताहिर महमूद:—पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा पूर्व डीन, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय;
- (ग) डा० अनिल विल्सन:—प्रधानाचार्य, सेंट स्टीफंस कॉलेज; दिल्ली;
- (घ) डा० मोहिन्दर सिंह:—निदेशक, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पंजाब स्टडीज, दिल्ली।

4. आयोग द्वारा उसकी पहली बैठक केन्द्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में कार्यकारी सचिव के रूप में अपर सचिव डा० संदीप खना के साथ उसी तारीख को आयोजित की गई। इस बैठक में आयोग ने अपने लिए संक्षेपाक्षर एन सी आर एल एम (रा० धा०भा०अ०आ०)—राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग को अपनाया तथा अपनी भावी कार्ययोजना तैयार की।

5. आयोग को दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यालय आवंटित किया गया तथा विभिन्न कॉडरों में 40 पदों के सचिवालय की मंजूरी प्रदान की गई (बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 44 कर दी गई), जिन्हें आगामी मास में क्रमिक रूप से भरा गया।

6. बाद में भारत सरकार की पूर्व सचिव श्रीमती आशा दास को आयोग की सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किया गया तथा उन्होंने 10 मई, 2005 को अपने कार्यालय का पद भार संभाला था।

7. कार्य करने के लगभग पांच माह बाद आयोग के विचारार्थ विषयों में परिवर्तन किया गया ताकि आयोग के मूल विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सके:—

आरक्षणों के संबंध में 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तथा साथ ही अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की

रीतियों के संदर्भ में संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के पैरा 3 से संबंधित उच्चतम न्यायालय तथा कतिपय उच्च न्यायालयों में दायर की गई रिट याचिकाएं 180/04 तथा 94/05 में उठाए गए मुद्दों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना।

8. आयोग विभिन्न विचारार्थ विषयों, मूल तथा विस्तारित दोनों का उत्तर देने के लिए उसके द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित विस्तृत कार्य को देखते हुए आयोग की अवधि अंततः 15 मई, 2007 तक बढ़ा दी गई।

अपनाई गई प्रक्रिया

1. चूंकि सरकार द्वारा आयोग को स्वयं अपनी प्रक्रिया अपनाने के लिए प्राधिकृत किया गया था अतः क्रमिक रूप से कार्य-योजना का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं—

- (क) जनगणना रिपोर्टों, एनएसएसओ सर्वेक्षण रिपोर्टों तथा एनएफएचएस और अन्य विशेष एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त डाटा का निर्धारण करना।
- (ख) बहु-भाषायी प्रैस अधिसूचना जारी करके अपने प्रत्येक विचारार्थ विषय पर लोगों के विचार तथा लोकमत प्राप्त करना।
- (ग) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निजी बैठकें और प्रश्नावलियां आयोजित करके अनिवार्य सूचना एकत्रित करना।
- (घ) केन्द्रीय तथा राज्य स्तर के सरकारी और 'पैरास्टेटल' आयोगों, निगमों, संघों, बोर्डों तथा संगठनों आदि विशेष रूप से वे जो अल्पसंख्यकों के लिए कार्य कर रहे हैं जैसे कि केन्द्रीय तथा राज्य अल्पयंत्रिक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम तथा उसकी राज्य के माध्यम से संचालित एजेंसियां, केन्द्रीय वक्फ परिषद तथा राज्य वक्फ बोर्ड आदि के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करना तथा उनसे उपयुक्त जानकारी एकत्रित करना।
- (ङ) प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय की प्रमुख ईकाईयों, संगठनों, एसोसिएशनों तथा संस्थाओं से उनके संबंध में अनिवार्य जानकारी एकत्रित करना।

- (च) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं, प्रमुख बैंकों तथा प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों से विचार-विमर्श करना तथा संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना।
- (छ) स्थानीय शासनों के सदस्यों और अधिकारियों से तथा स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करना।
- (ज) आयोग के कार्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों के अनुसंधानकर्ताओं, विषय-विशेषज्ञों, अकादमिकों और प्रतिनिधियों तथा प्रवक्ताओं को आमंत्रित करना।
- (झ) काका केलकर आयोग, मंडल आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, गोपाल सिंह पैनल आदि जैसे निकायों और पैनलों की पुरानी तथा नई रिपोर्टें का परीक्षण करना।
- (ञ) ऐसे मुद्दों पर संगोष्ठियों, परिसंवादों तथा कार्यशालाओं को प्रायोजित करना जिन्हें बाह्य संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जाना हो तथा इनमें चर्चा के लिए विषय-विशेषज्ञों, अकादमिकों, अनुसंधानकर्ताओं और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं आदि को शामिल करना।
- (ट) आयोग के कार्य से संबंधित प्रमुख विषयों को अलग-अलग विषय-विशेषज्ञों तथा अनुसंधानकर्ताओं को सौंपना तथा उनका विशिष्ट अध्ययन करना।
- 2. आयोग तथा उसके विचारार्थ विषयों से संबंधित सरकारी संकल्प और अधिसूचनाओं के पाठ रिपोर्ट के इस खंड में संलग्न हैं। (परिशिष्ट 1.1-1.5)
- 3. आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यशालाओं और अध्ययनों की सूची, आयोग द्वारा दौरा किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उस प्रैस विज्ञप्ति की प्रति जिसमें आयोग के विचारार्थ विषयों पर गैर-सरकारी संगठनों तथा लोक-सदस्यों के विचार मांगे गए हैं तथा खंड-II की विषय-सूची रिपोर्ट के इस खंड में संलग्न हैं (परिशिष्ट-2-5)
- 4. आयोग द्वारा उसके कार्य के संबंध में जारी की गई प्रमुख अधिसूचनाओं और प्रश्नावलियों के पाठ, आयोग द्वारा राज्यों में किए गए दौरों तथा आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययनों और कार्यशालाओं के निष्कर्षों और सिफारिशों से संबंधित रिपोर्टों के सार इस रिपोर्ट के खंड-II में शामिल किए गए हैं।

अल्पसंख्यकों के संबंध में संवैधानिक और विधायी उपबंध

'अल्पसंख्यक' से अभिप्राय

1. भारत के संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द या उसके बहुवचन का कुछ अनुच्छेदों— 29 से 30, तथा 350क से 350ख में प्रयोग किया गया है—लेकिन कहीं भी इसे परिभाषित नहीं किया गया। अनुच्छेद 29 में 'अल्पसंख्यक' शब्द उसके पाश्व शीर्षक में दिया तो गया है लेकिन इसके बारे में कहा गया है कि “नागरिकों का कोई वर्ग... जिसकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हों” यह संपूर्ण समुदाय हो सकता है जिसे सामन्यतः बहुसंख्यक समुदाय में अल्पसंख्यक समुदाय या समूह के रूप में देखा जाए। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की विशिष्ट रूप से दो श्रेणियां बताई गई हैं—धार्मिक और भाषायी। शेष दो अनुच्छेदों—350क तथा 350ख केवल भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं।

2. बोलचाल की भाषा में “अल्पसंख्यक” शब्द से तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसकी जनसंख्या संपूर्ण जनसंख्या के आधी से भी कम हो और जो अन्यों से भिन्न हो, तथा जो विशेष रूप से जाति, धर्म, परंपराओं तथा संस्कृति, भाषा आदि की दृष्टि से प्रधान वर्ग रहा हो। आक्सफोर्ड शब्दकोश में “अल्पसंख्यक” को एक छोटी संख्या या भाग के रूप में परिभाषित किया गया है; एक संख्या या भाग जो संपूर्ण के आधे से भी कम को व्यक्ति करता हो; लोगों का अपेक्षाकृत छोटा समूह जो जाति, धर्म, भाषा या राजनीतिक संदर्भ की दृष्टि से दूसरों से भिन्न हो।” 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के संरक्षण पर एक विशेष उप-समिति नियुक्त की गई थी जिसने “अल्पसंख्यक” को जनसंख्या के उन गैर प्रभावी समूहों के रूप में परिभाषित किया था जो अपनी उन स्थिर जातीय, धार्मिक तथा भाषायी परंपराओं या विशिष्टताओं को बनाए रखना चाहते हैं जो शेष जनसंख्या की जातीय, धार्मिक तथा भाषायी परंपराओं से पूर्णतः भिन्न हैं।”

3. भारत में राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में वे सभी समुदाय जो हिन्दू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानते हैं, उन्हें 'अल्पसंख्यक' माना जाता है क्योंकि देश की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी हिन्दू धर्म को मानती है। राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा 'अल्पसंख्यक समुदाय' है। अन्य अल्पसंख्यक समुदाय संख्या की दृष्टि से काफी कम हैं। मुस्लिम समुदाय के बाद ईसाई समुदाय (2.34 प्रतिशत) का स्थान हैं और उसके बाद सिख समुदाय (1.9 प्रतिशत) का स्थान आता है। जबकि अन्य सभी धार्मिक समूह इनसे भी छोटे हैं। भाषायी अल्पसंख्यकों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुसंख्यक समुदाय नहीं है तथा अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति मूलतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निर्धारित की जानी चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर—जोकि हमारे जैसे संघीय ढांचे में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं—जम्मू तथा कश्मीर राज्य तथा लक्ष्मीपुर संघ राज्य क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक समुदाय है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड राज्यों में ईसाई बहुसंख्यक समुदाय है। पंजाब में सिख समुदाय बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक वर्गों में कोई अन्य धार्मिक समुदाय किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बहुसंख्यक नहीं है।

4. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुसार “अधिनियम के प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक से अभिप्रेत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन से अधिसूचित समुदाय से है”—धारा 2(7) इस उपबंध के तहत कार्य करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 23-10-1993 को यह अधिसूचित किया कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी समुदायों को “अल्पसंख्यक वर्ग” के रूप में माना जाएगा।

5. टीएमए पाई फाउंडेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और ओर्स (2002) मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि अनुच्छेद 30 के प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक वर्ग चाहे वह भाषायी हो या धार्मिक, का निर्धारण संपूर्ण देश की जनसंख्या को ध्यान में

रखते हुए नहीं बल्कि राज्य के संदर्भ में किया जाएगा। संयोगवश, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर ‘अनुसूचित जातियों’ तथा ‘अनुसूचित जनजातियों’ को भी निर्धारित किया जाना है। संविधान के अनुच्छेद 341 से 342 के संदर्भ में जातियों, मूलवंश या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंश या जनजातियों के भाग या उनके अंतर्गत समूहों को, यथास्थिति राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

6. राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियमों के अंतर्गत सामान्यतः अल्पसंख्यक वर्गों को अधिसूचित करने के लिए स्थानीय शासनों को अधिकृत किया गया है जैसे कि बिहार अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991, धारा 2(ग); कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994, धारा 2(घ); उप्र० अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994, धारा 2(घ); पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996, धारा 2(घ) आंध्र प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1998। लेकिन इसी प्रकार के मप्र० (1996) और दिल्ली (1999) के अधिनियमों के अनुसार इस संबंध में रा०अ०आ० अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी सरकारी अधिसूचना लागू होगी—मप्र० अधिनियम, 1996, धारा 2(ग); दिल्ली अधिनियम 1999, धारा 2(छ); धारा 2(घ)। कई राज्यों में (जैसे कि हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उप्र० तथा उत्तराखण्ड) जैनियों को ‘अल्पसंख्यक’ के रूप में मान्यता प्रदान की गई। जैन समुदाय ने राष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निदेश देने के लिए उच्चतम न्यायालय से अपील की। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने वांछित निदेश जारी नहीं किए और इस बात का निर्णय केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया (बाल पाटिल मामला, 2005) लेकिन परवर्ती निर्णय में उच्चतम न्यायालय की अन्य न्यायपीठ ने उप्र० विधि की मर्यादा बनाए रखते हुए जैनियों को ‘अल्पसंख्यक’ के रूप में मान्यता प्रदान की (बाल विद्या मामला, 2006)

अल्पसंख्यकों के अधिकार

7. मानवाधिकारों की विश्व व्यापी घोषणा, 1948 तथा उसकी दो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं (1966), के अंतर्गत यह घोषणा की गई है कि ‘गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं तथा इसमें हर प्रकार के भेदभाव—जातीय, धार्मिक आदि का निषेध है। हर प्रकार के धार्मिक भेदभाव तथा असहिष्णुता के लिए संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, 1981 में हर प्रकार के धर्म-आधारित भेदभाव को बहिष्कृत किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, 1992 के अंतर्गत राज्यों को

यह आदेश दिया गया है कि वे अपने सम्बद्ध राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के अस्तित्व तथा उनकी पहचान को संरक्षण प्रदान करें तथा उस पहचान को बढ़ाने की स्थितियों को प्रोत्साहित करें; और सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित लोग पूर्ण समानता तथा बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रता का पूर्ण एवं प्रभावी रूप से प्रयोग करते हैं; उनके लिए अनुकूल परिवेश कायम करना जिससे कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी विशिष्टताओं को अभिव्यक्त कर सकें और अपनी संस्कृति, भाषा, परंपराओं तथा रिवाओं का विकास कर सकें, अल्पसंख्यकों के उचित हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों की योजना तैयार करें और उन्हें कार्यान्वित करें।

8. भारत में, संविधान के अनुच्छेद 15 तथा 16 राज्य को सामान्य रूप से अर्थात् नागरिकों के संबंध में राज्य द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्रवाई के संबंध में (अनुच्छेद 15) या राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में (अनुच्छेद 16) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद करने से प्रतिषिद्ध करता है। लेकिन इन दो अनुच्छेदों के उपबंधों में इस तथ्य का पर्याप्त संज्ञान रखा गया है कि अधिकांशतः जाति-आधारित, परंपराबद्ध समाज, जहां व्यापक स्तर पर गरीबी और निरक्षरता है, के अलग-अलग वर्गों के सामाजिक और शैक्षिक स्तर में व्यापक असमानता रही है। निःसंदेह विशिष्ट असुविधाओं पर विचार किए बिना जनता के सभी वर्गों के बीच पूर्ण समता बनाए रखने से वे सुविधाएं भी बनी रहेंगी। समता केवल समान वर्गों के बीच हो सकती है। समता से आशय सापेक्ष समता है न कि पूर्ण समता। अतः संविधान कमजोर, वंचित तथा पिछड़े वर्गों के पक्ष में सकारात्मक विभेद की अनुमति देता है। यह सकारण विभेद को स्वीकार करता है लेकिन बिना कारण विभेद का निषेध करता है। सकारण विभेद का अर्थ है उन विषयों का युक्तिसंगत वर्गीकरण जिनका संबंध संवैधानिक रूप से अनुमेय विषयों से हो। अनु० 15 राज्य को “स्त्रियों तथा बच्चों, नागरिकों के सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े किसी वर्ग” तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने की अनुमति देता है। हाल ही में संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है जिससे कि राज्य को अधिकृत किया जा सके कि वह विधि के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों या अनुसूचित जातियों/जनजातियों को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक

संस्थाओं जिनमें प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं भी शामिल हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त में प्रवेशार्थी, विशेष प्रावधान कर सके। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भी समर्थकारी उपबंध किया गया है जो राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में, जिसे राज्य के विचार में; राज्य के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, पदों की नियुक्तियों में आरक्षण करने संबंधी उपबंध करने की अनुमति प्रदान करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि अनुच्छेद 15 में “सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों” तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को सामाजिक और शैक्षिक विशिष्टताओं से आंके बिना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई विशेष संदर्भ दिए बिना बात कही गई है जबकि अनुच्छेद 16 में नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग की बात कही गई है।

9. ‘वर्ग’ तथा ‘जाति’ शब्द समानार्थक अभिव्यक्तियां नहीं हैं तथा इनका अर्थ समान नहीं हैं। यद्यपि अनुच्छेद 15 तथा 16 राज्य को पिछड़े “वर्गों” के लिए विशेष उपबंध करने के लिए अधिकृत करता है लेकिन इन दोनों अनुच्छेदों में केवल ‘जाति’ या ‘धर्म’ के आधार पर भेदभाव करना प्रतिषिद्ध है। दूसरे शब्दों में अन्य आधारों जैसे कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन सहित जाति या धर्म के आधार पर सकारात्मक विभेद करना संवैधानिक रूप से अनुमेय है तथा इसलिए इन परिस्थितियों में जाति या धार्मिक समूह को “वर्ग” के रूप में माना जा सकता है। अतः यद्यपि अनुच्छेद 15 में ‘अल्पसंख्यकों का उल्लेख विशिष्ट संदर्भ में नहीं किया गया लेकिन वे अल्पसंख्यक वर्ग जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं, स्पष्ट तौर पर अनुच्छेद 15 में “सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों” तथा अनुच्छेद 16 में “पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग” के दायरे के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने पिछड़े वर्गों की सूची में धार्मिक अल्पसंख्यकों के वर्गों को शामिल किया है तथा उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संपूर्ण समुदाय को उसके सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर ‘वर्ग’ के रूप में माना जा सकता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी दी कि कर्नाटक सरकार ने उनके द्वारा किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर उस राज्य में रहे समग्र मुस्लिम समुदाय को पिछड़े वर्ग के रूप में अभिनिर्धारित किया था और उन्हें आरक्षण की सुविधा प्रदान की। ‘पिछड़े वर्ग’ शब्द धर्म-तटस्थ हैं तथा किसी जाति से सम्बद्ध नहीं है और इसमें किसी

भी जाति या धर्म को शामिल किया जा सकता है जो एक वर्ग के रूप में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से ग्रस्त हो।

10. यद्यपि किसी वर्ग के सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण—या संभवतः एक मात्र अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण उस वर्ग का आर्थिक पिछड़ापन होता है लेकिन संविधान के अनुच्छेद 15 तथा 16 में इसे विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया है। इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी दी थी कि—

“अतः यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अपने आप में आर्थिक मापदंड से पिछड़े वर्गों का अभिनिर्धारण नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण उनका सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ापन होगा। अतः संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (1) के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत मात्र आर्थिक मापदंड के आधार पर सेवाओं में पदों का आरक्षण किया जाना विधिमान्य नहीं होगा”।

11. लेकिन यह उल्लेखनीय है कि संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित अध्याय में अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि, “राज्य जनता के कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा..... और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। इस अनुच्छेद में “विशिष्ट रूप में” अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट किया गया है लेकिन उन्हें “समाज के कमज़ोर वर्गों की परिधि तक सीमित नहीं करता।

12. संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है कि वे “सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं का पता लगाने के लिए” एक आयोग नियुक्त कर सकेंगे लेकिन इसे अधिदेशात्मक नहीं किया गया।

अन्य संवैधानिक सुरक्षापाय

13. अल्पसंख्यकों की स्थिति और अधिकारों के संबंध में संविधान के भाग III या अन्यत्र में उपबंधित संरक्षण संबंधी अन्य उपाय निम्न रूप से हैं:—

- (i) अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)

- (ii) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)
- (iii) किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)
- (iv) कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)
- (v) किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विशेष भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध (अनुच्छेद 347)
- (vi) व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा (अनुच्छेद 350)
- (vii) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं (अनुच्छेद 350 क)
- (viii) भाषायी अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी (अनुच्छेद 350 ख)

अनुच्छेद 29

14. अनुच्छेद 29 तथा 30 अल्पसंख्यक-वर्गों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत उपबंधित है कि:—

- (1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है बनाए रखने का अधिकार होगा। तथा
- (2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

15. अनुच्छेद 30 के विपरीत, अनुच्छेद 29 के पाठ में विशिष्ट रूप से 'अल्पसंख्यकों' को निर्दिष्ट नहीं किया गया है यद्यपि यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अनुच्छेद अल्पसंख्यक-वर्गों की सांस्कृतिक एवं भाषायी अस्तित्व को संरक्षण प्रदान करने और उसे बनाए रखने के लिए आशयित है। लेकिन इसका विस्तार अनिवार्यतः अल्पसंख्यक वर्गों तक सीमित नहीं है।

अनुच्छेद 29 का संरक्षण “भारत के राज्य क्षेत्र के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग” को उपलब्ध है तथा इसके अंतर्गत बहुसंख्यक वर्ग भी आ सकते हैं। तथापि, भारत अधिसंख्य मूलवंशों, धर्मों संप्रदायों, भाषाओं, लिपियों, संस्कृतियों और परम्पराओं के मेल का जीताजागता उदाहरण है। अल्पसंख्यक वर्गों का, चाहे वे धर्म आधारित हों या भाषा आधारित अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अस्तित्व तथा विरासत को बनाए रखने और उसका विस्तार करने के प्रति उत्सुक रहना स्वाभाविक है। अनुच्छेद 29 ठीक इसकी गारंटी देता है। हो सकता है कि अनुच्छेद 15(1) तथा 29(2) में प्रयुक्त भाषा और अभिव्यक्तियों में कुछ अतिव्यापन प्रतीत हो लेकिन अनुच्छेद 15 (1) के अंतर्गत राज्य द्वारा किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है; जबकि अनुच्छेद 29 (2) राज्य द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के कार्य अर्थात् राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है।

अनुच्छेद 30

16. अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक-विशिष्ट उपबंध किया गया है जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के संबंध में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उपबंधित है कि, “धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा अंतःस्थापित किए गए अनुच्छेद 30 के खंड (1-क) में उपबंधित किया गया है कि, “खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए”। अनुच्छेद 30 में आगे यह भी उपबंधित है कि “शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है”।

17. ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 15(4) की परिधि से बाहर रखा गया है जो राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं भी शामिल हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त, में प्रवेश के संबंध में अधिकृत करता है।

18. अनुच्छेद 29 तथा 30 को एक साथ सामान्य शीर्षक “संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार” के अंतर्गत समूहित किया गया है। ये दोनों अनुच्छेद अल्पसंख्यकों से संबंधित चार विशेष अधिकार प्रदत्त करते हैं। इनके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं—

- (क) नागरिकों के किसी को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार;
- (ख) सभी धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा;
- (ग) शिक्षा संस्थाओं को राज्य द्वारा सहायता देने के मामले में राज्य द्वारा विभेद के विरुद्ध (इस आधार पर विभेद कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है) शिक्षा संस्थाओं का अधिकार
- (घ) राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में प्रवेश से वंचित किए जाने के विरुद्ध नागरिक का अधिकार।

19. अनुच्छेद 29, विशेषतः उसके खंड (1) में साधारण रूप से बात कही गई है जबकि अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार पर केन्द्रित है। इस तथ्य के बावजूद कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार को अनुच्छेद 19 (1) (छ) का संरक्षण प्राप्त होगा, संविधान निर्माताओं ने संविधान में इस स्पष्ट आशय से अनुच्छेद 30 शामिल किया जिससे कि वे अल्पसंख्यक वर्गों में ये विश्वास उत्पन्न कर सकें कि उनके शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार पर कोई विधायी या कार्यकारी अधिक्रम नहीं होगा। इस प्रकार का स्पष्ट उपबंध न किए जाने की स्थिति में हो सकता है कि राज्य के लिए अनुच्छेद 19 के खंड (6) के तहत

अधिनियमित विधि द्वारा, धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं को नियंत्रित या नियमित करना संभव होता।

धर्म आधारित अल्पसंख्यक-वर्गों के संरक्षण के लिए विधिक ढौंचा

20. केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अस्पृश्यता, भेदभाव, अपमान आदि से संरक्षण प्रदान करने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (जिसे पहले अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 कहा जाता था) तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे विधान अधिनियमित किए गए। इस प्रकार के स्वरूप का कोई विधान अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विद्यमान नहीं है यद्यपि यह तर्क दिया जा सकता है कि परवर्ती अधिनियम अर्थात् अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के विपरित पूर्ववर्ती अधिनियम अर्थात् सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, धर्म पर विचार किए बिना अस्पृश्यता संबंधित अपराधों के सभी मामलों पर सामान्य रूप से लागू है। अतः यदि अनुसूचित जाति को इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म (अथवा किसी अन्य व्यक्ति) में परिवर्तित कर दिया जाए और वह अस्पृश्यता का शिकार हो जाती है तो अपराधकर्ताओं के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के तहत कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन इस अधिनियम के संबंध में ऐसी कोई यथातथ्य सूचना उपलब्ध नहीं है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका अवलंब लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने यह भ्रम पाल रखा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता संबंधित अपराधों के प्रवर्तन के संबंध में केवल अनुसूचित जातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही अधिनियमित किया गया है। अतः इस संबंध में कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों/एजेंसियों को सुग्राही बनाने की आवश्यकता है। यह कह देना कि कोई इस धारणा का विरोध नहीं कर सकता कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अपने धीमे कार्यान्वयन के कारण उतना अधिक प्रभावी नहीं बन सका, इस तथ्य के बावजूद कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संक्षेपतः संज्ञेय और विचारणीय होते हैं। वर्ष 2003 की सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट (नवीनतम) इस अधिनियम की धारा 15 क (4) के तहत संसद के प्रत्येक सभा पटल पर प्रस्तुत की गई जिससे पता चलता है कि उस वर्ष में केवल 12 राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम के तहत

मामले रजिस्टर के तहत मामले रजिस्टर किए थे। रजिस्टर किए गए 651 मामलों में से 76.04 प्रतिशत (495) मामले केवल आंध्र प्रदेश में रजिस्टर किए गए थे। नौ राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में रजिस्टर किए गए मामलों की संख्या 1 से लेकर 17 तक थी। केवल तीन राज्यों में रजिस्टर किए गए मामलों की संख्या 20 से अधिक थी। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 2 वर्ष के दौरान न्यायालयों द्वारा निपटाए गए 2348 मामलों (लाए गए/अग्रेषित मामलों सहित 8137 मामलों में से) में से कुल 13 मामलों (जो कि कुल मामलों का 0.55 प्रतिशत है) में दोषसिद्धि हो पाई। यह जांच-पड़ताल तथा अभियोजन से संबंधित कार्यकलापों की स्थिति पर एक दुखद टिप्पणी मानी जा सकती है। यह कहना कि शेष 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अस्पृश्यता की कुराति विद्यमान नहीं है, उस सच्चाई को झुठलाना होगा जिसे पूरी दुनिया जानती है। जिसे केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तुच्छ निष्क्रियता को व्यक्त करती है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को कड़ाई से प्रवर्तित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून उस प्रयोजन को पूरा कर रहा है जिसके लिए उसे लागू किया गया है।

21. अल्पसंख्यक-वर्गों की प्रगति तथा विकास का मूल्यांकन करने और संविधान तथा विधियों आदि के अंतर्गत उनके लिए उपबंधित सुरक्षोपायों की कार्य-प्रणाली को मॉनीटर करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने 1978 में असांविधिक अल्पसंख्यक आयोग गठित किया था। वर्ष 1992 में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग संबंधी अधिनियम अधिनियमित किया गया ताकि संविधान आयोग का गठन किया जा सके। 1993 में इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। आयोग के कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:—

- (क) संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति की मूल्यांकन करना;
- (ख) संविधान में और संसद तथा विधान-मंडलों द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण को मॉनीटर करना;
- (ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;
- (घ) अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना

और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना;

- (ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद के कारण उद्भूत समस्याओं का अध्ययन करना और उनको दूर करने के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना;
- (च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित विषयों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना;
- (छ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी अल्पसंख्यक के संबंध में किए जाने वाले समुचित अध्युपायों का सुझाव देना; और
- (ज) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी विषय पर और विशिष्टता उनके सामने आने वाली कठिनाईयों पर केन्द्रीय सरकार को कालिक या विशेष रिपोर्ट देना;

22. संविधान संशोधन विधेयक अर्थात् संविधान (एक सौ तीन संशोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत किया गया जिससे कि संवैधानिक स्तर का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित करने के लिए नया अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 340 को शमिल किया जा सके। साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को निरसित करने संबंधी विधेयक भी प्रस्तुत किया गया।

23. अधिनियम की धारा 13 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए रिपोर्ट प्राप्त होते ही केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट तथा इसके साथ इसमें दी गई सिफारिशों के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई ज्ञापन क्योंकि ये केन्द्रीय सरकार से संबंधित होता है, तथा किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारण, यदि कोई हो प्रस्तुत करेगी।

24. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा निर्धारित न होने के कारण संसद में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में काफी विलंब हो जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 1992-93 से लेकर 2004-05 तक बारह वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1997-98, 1999-2000 तथा 2003-2004 की रिपोर्टें संसद में हाल यही में प्रस्तुत की गई, कुछ तो अभी संसद के शीतकालीन सत्र में ही प्रस्तुत की गई। अतः यह अधिनियम में संशोधन किए जाने का मामला प्रतीत होता है। जिससे कि संसद/राज्य विधान मंडलों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने

के लिए कार्बाई-ज्ञापन सहित की गई सिफारिशों के संबंध में उपयुक्त समय-सीमा निर्धारित की जा सके। बेहतर होगा कि संसद के दोनों सदनों में की गई कार्बाई संबंधी टिप्पणियों सहित आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा निर्दिष्ट करने संबंधी संविधान संशोधन संबंधी विधेयक में उपयुक्त उपबंध शमिल कर दिए जाएं।

25. अनुच्छेद 338 तथा 338 क के खंड (9) के उपबंधों के अनुसार संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करेगी, यह परामर्श करना अनिवार्य होगा तथा इसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा उपाए के रूप में माना जा सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में तत्सम उपबंध नहीं है। इस प्रकार का उपबंध न होने की स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर सरकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से परामर्श करे या न करे। अतः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि उसमें अनुच्छेद 338 (9) तथा 338 क (9) में किए गए उपबंध के अनुरूप उपबंध शमिल किया जा सके। इससे अल्पसंख्यक वर्गों में उनके हितों के संरक्षण के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न होगी।

26. चूंकि हम सुरक्षा उपायों की बात कर रहे हैं तो इस बात पर ध्यान दिया जाए कि अनुसूचित जातियों के कल्याण को सुनिश्चित करने की सबसे महत्वपूर्ण क्रियाविधि अनुसूचित जातियों के संबंध में संसदीय समिति का गठन है। समितियां निरंतर रूप से अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा करने के संबंध में सशक्त कार्य करती आई है। उम्मीद की जाती है कि यह व्यवस्था (अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के संवैधानिक तथा विधिक उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करने तथा साथ ही सरकार और उसकी एजेंसियों/माध्यमों द्वारा अल्पसंख्यक-वर्गों के लाभ के लिए सामान्य या विशिष्ट योजनाओं को कार्यान्वयन करने की व्यवस्था) धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने का कागर उपाए होगा।

27. आयोग गठित करने के लिए नेशनल कमिशन फॉर माइनरिटी एजुकेशनल इन्स्टीच्युशन्स अधिनियम, 2004 अधिनियम किया गया जिसे निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए:- अल्पसंख्यक वर्गों

की शिक्षा से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जो इसे निर्दिष्ट किया जाए, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को सूचित करना, अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और संचालन करने के अधिकारों से उन्हें वंचित करने या उनका उल्लंघन करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों पर विचार करना, अनुसूचित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता से जुड़े किसी विवाद पर निर्णय देना और कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना। वर्ष 2006 में इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए (2006 का अधिनियम 18), अन्य बातों के साथ-साथ आयोग को किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था (या उसकी ओर से किसी व्यक्ति/व्यक्तियों) द्वारा अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उसका संचालन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों से उन्हें वंचित करने या उनका उल्लंघन करने संबंधी शिकायतों तथा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता से जुड़े किसी विवाद पर अपनी ओर से या अल्पसंख्यक वर्ग की ओर से प्रस्तुत की गई याचिका के संबंध में जांच करने और उसके निष्कर्षों की रिपोर्ट कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार का अधिकार दिया गया। अधिनियम में यह यभी उपबंधित है कि यदि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय के बीच उस विश्वविद्यालय के बीच उस विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आयोग ने अधिनियम के यथा संशोधित उपबंधों पर चर्चा की तथा अधिनियम के उपबंधों में सुधार करने और उन्हें कारगर बनाने के लिए स्पष्ट, ठोस तथा सकारात्मक सिफारिशें प्रस्तुत करने की आवश्यकता को महसूस किया।

भाषायी अल्पसंख्यक-वर्ग

28. जैसा कि पहले बताया गया है, कि भाषायी अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। यदि देश को एक यूनिट के रूप में लिया जाए तो ऐसे सभी लोगों, जो हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा बोलते हैं। को भाषायी अल्पसंख्यक-वर्ग माना जा सकता है लेकिन यदि राज्य को एक यूनिट के रूप में मान लिया जाए। तो ऐसा नहीं माना जा सकता। राज्य में ऐसे अल्पसंख्यक-वर्ग हो सकते हैं जो उस राज्य में बहुसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा या भाषाएं बोलते हैं। राज्य में बोली जाने वाली भाषा की बोलियां अल्पसंख्यक-वर्गों की संख्या में व्यापक स्तर पर वृद्धि कर सकती है। लेकिन, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है टीएमए पाई बनाम भारत का संघ (2002) मामले में तय कर

दिया गया था कि भाषायी अल्पसंख्यक का निर्धारण यूनिट के रूप में राज्य के संदर्भ में किया जाएगा।

29. संविधान का भाग XVII 'राजभाषा' से संबंधित है। भाग XVII के अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 और 344 संघ की राजभाषा से संबंधित हैं। अध्याय-II में क्षेत्रीय भाषाओं पर विचार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 345 में उपबंधित है कि अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान-मडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 347 में उपबंधित है कि यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि यदि किसी राज्य की अधिकांश जनसंख्या यह चाहती है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे। शासकीय मान्यता दे दी जाए। इस प्रकार अनुच्छेद 347 को राज्य में रहने वाले भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए निदेशित विशिष्ट उपाए के रूप में माना जा सकता है, जो उस भाषा के संरक्षण तथा यहां तक कि उसके प्रसार को सुकर बनाता है। अनुच्छेद 347 के साथ पठित, अनुच्छेद 350 भाषायी अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संरक्षण भी प्रदान करता है। इसमें उपबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

30. संविधान के अनुच्छेद 350 के संबंधित वर्गों के संरक्षण का विशिष्ट उपाए दिया गया है। इसमें उपबंधित है कि, "प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। इस प्रकार अनुच्छेद-350-के अनुच्छेद 29(1) तथा अनुच्छेद 30(1) के अधीन गारंटीकृत संस्कृति और शिक्षा अधिकारों का विस्तार है। अनुच्छेद 29(1) के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यक -वर्गों को अपनी भाषा बनाए रखने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 350-के प्रत्येक राज्य को यह

निदेश दिया गया है कि यह भाषायी अल्पसंख्यक-वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी अपनी भाषा में शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 के साथ पठित अनुच्छेद 350-के लिए राज्य को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्देश का उपबंध है। महासचिव, भाषायी अल्पसंख्यक-वर्ग संरक्षण समिति बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सरकारी आदेश के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यक बच्चों के लिए कन्ड़ भाषा को प्राथमिक शिक्षा के पहले वर्ष से अध्ययनार्थ अनिवार्य विषय बनाया गया तथा भाषायी अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालयों को बाध्य किया गया कि वे इसे प्राथमिक शिक्षा के पहले वर्ष से अनिवार्य रूप से लागू करें, लेकिन यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 29(1) तथा अनुच्छेद 30(1) के अतिक्रमण के रूप में पाया गया।

31. अनुच्छेद 350-ख में राष्ट्रपति द्वारा भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध है। इसमें यह भी उपबंध है कि, "विशेष अधिकारी की यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष खबाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।" अनुच्छेद 350-ख का उपबंध संविधान का अध्याय III, विशेषतः अनुच्छेद 29 तथा 30 के अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यक-वर्गों को प्रदत्त अधिकारों के साथ पढ़ा जाएगा।

32. आयोग ने गैर-हिंदुओं से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की प्रयोज्यता पर चर्चा की और स्वीकार किया कि धर्म पर विचार किए बिना अस्पृश्यता संबंधी अपराधों के सभी मामले इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अत्याचार निवारण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1989 के उपबंधों के विस्तार की आवश्यकता महसूस की गई जिससे कि उसमें अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शामिल किया जा सके और उन्हें समाज के गैर-पिछड़े वर्गों द्वारा भेदभाव और अत्याचार करने से संरक्षण प्रदान किया जा सके।

33. आयोग ने अनुच्छेद 29 तथा 30 के उपबंधों पर चर्चा की और यह पाया कि संविधान के इन दो अनुच्छेदों में वर्णित अल्पसंख्यक-वर्गों के अधिकारों के संरक्षण एवं बचाव के लिए व्यापक विधि की आवश्यकता है। मानव संसाधन

विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मौजूदा दिशा-निर्देशों को अयतित किए जाने और उन्हें व्यापक विधि में समाविष्ट किए जाने की आवश्यकता है जो कि, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन के

संबंध में अभिभावी होगा। प्रस्तावित विधि सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक, दोनों प्रकार से अनुच्छेद 29-30 तथा उनके सभी खंडों के उचित एवं उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

धार्मिक अल्पसंख्यक-वर्ग तथा उनकी स्थिति

प्रस्तावना

1. धर्म व्यक्ति की मुख्य सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टताओं को दर्शाता है। अलग-अलग समुदाय तथा लोग धर्म को अलग-अलग रूप से समझते हैं। कुछ लोगों के प्रतिष्ठित विश्वास, धर्मविधियां तथा पारंपरिक प्रथाएं होती हैं तथा वे किसी एक परमात्मा या देवता की पूजा करते हैं जो कि उनकी अपनी जाति/जनजाति या गांव में पूजा जाने वाला देवता होता है। अन्य लोग बहुत से देवी-देवताओं की पूजा करते हैं जबकि कुछ लोग धर्म को अपने ही तरीके से और विश्वास से मानते एवं उस पर आचरण करते हैं और कुछ लोग नास्तिक होना पसंद करते हैं। भारत एक निराला देश है जहां कुछ धर्म जैसे हिन्दू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों का उद्भव हुआ तथा कुछ धर्म ऐसे भी हैं जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई लेकिन वे यहां फले-फूले, इस प्रकार, भारत 'विविधता में एकता' प्रस्तुत करता है।

2. 'अल्पसंख्यक धर्म' शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन संविधान के भाग-III के विभिन्न अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है।

3. भेदभाव-निवारण तथा अल्पसंख्यक-वर्गों के संरक्षण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र उप-आयोग ने 'अल्पसंख्यक' को एक ऐसे समुदाय के रूप में परिभाषित किया जिनमें जनसंख्या के केवल वे अप्रभावी समूह आते हैं जिनकी अपनी दृढ़ जातीय, धार्मिक या भाषायी परंपराएं या विशिष्टताएं होती हैं, जो जनसंख्या के दूसरे वर्गों से स्पष्टतया भिन्न होती हैं, और ये समूह इन परंपराओं या विशिष्टताओं को बनाए रखना चाहते हैं।

4. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 2 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1993 में केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित समुदायों को "अल्पसंख्यक समुदायों" के रूप में अधिसूचित किया है। ये समुदाय हैं:- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध

तथा पारसी। लेकिन अल्पसंख्यक-वर्ग इन पांच धर्मों तक सीमित नहीं हैं तथा राज्य अन्य समुदायों को घोषित करने/मान्यता देने के लिए स्वतंत्र हैं। नौ राज्यों में जैन समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक-वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

धार्मिक अल्पसंख्यक-वर्गों की सामाजिक-आर्थिक विशिष्टताएं

5. भारतीय सामाजिक ढांचे को एकता के साथ-साथ विविधता के रूप में भी चित्रित किया जाता है। यहां एशिया और यूरोप के अलग-अलग हिस्सों से आए आप्रवासियों के असंख्य समुदाय रहते हैं। यह देश विश्व के सभी महान धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। यहां लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, ग्रामीण-शहरी आवास-क्षेत्रों के स्वरूपों, सामाजिक जीवन, पट्टेदारी के प्रकारों तथा कृषि संबंधी कार्यकलापों और रहन-सहन के तौर-तरीकों में विविधता दिखाई देती है। कुछ लोग पहाड़ों और वनों में रह कर जीविका अर्जन करते हैं तो कुछ भूमि और कृषि संबंधी कार्यों से जीविका चलाते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं। विभिन्न धर्मों, जाति-प्रथा तथा लोगों के व्यवसायों के विविध स्वरूपों का सामंजस्य ही भारतीय समाज की प्रमुख विशिष्टता है। ग्रामीण स्तर पर अंतर्जातीय-संबंध, चाहे वह किसान हो, चर्मकार हो, बढ़ई हो, लौहार हो या सेवाएं मुहैया कराने वाले समुदाय हो, आर्थिक दायित्वों से जुड़े हुए होते हैं।

5.1 अल्पसंख्यक समुदायों की जनसांख्यिकी, उनका ग्रामीण-शहरी विभाजन, स्त्री-पुरुष अनुपात, साक्षरता तथा शैक्षिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति तथा जीविका अर्जन के तरीके उनकी जीवन-शैली को दर्शाते हैं। जोतों का प्रकार, आय के स्रोत तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति उनके जीवन-स्तर के बारे में बताते हैं। आज, देश में तेजी से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं जिनसे आर्थिक कार्यकलापों की विविधता, शहरीकरण, शिक्षा के पश्चिमीकरण। अंतर्जातीय विवाह आदि के कारण बहुसंख्यक

तथा अल्पसंख्यक दोनों वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदायों की प्रमुख विशिष्टताओं के बारे में अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

धार्मिक अल्पसंख्यक-वर्गों की जनसंख्याकीय विशिष्टताएः जनसंख्या संरचना

6. 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल 10286.07 लाख आबादी में से धर्म आधारित अल्पसंख्यक वर्गों की जनसंख्या 2010.29 लाख अर्थात् लगभग 18 प्रतिशत है। इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों (13.4 प्रतिशत) की है, इसके बाद क्रमशः ईसाई (2.3 प्रतिशत), सिख (1.9 प्रतिशत), बौद्ध (0.8 प्रतिशत) तथा पारसी (0.0069 प्रतिशत) समुदाय आते हैं। इनसे संबंधित विवरण तालिका 3.1 में दिया गया है।

6.1 जिन्हें “अन्यों” की श्रेणी में शामिल किए गए समुदायों की जनसंख्या 1961 की जनगणना के अनुसार 14.98 लाख से बढ़कर 2001 में 66.39 लाख हो गई है। इनकी जनसंख्या झारखंड (35.14 लाख) पश्चिम बंगाल (8.95 लाख), महाराष्ट्र (4.09 लाख), मध्यप्रदेश (4.09 लाख), उड़ीसा (3.61 लाख), तथा अरुणाचल प्रदेश (3.37 लाख) में पर्याप्त है। एक अन्य विशिष्टता यह है कि देश की जनसंख्या में “अन्य वर्गों” की श्रेणी के अंतर्गत 0.6 प्रतिशत जनसंख्या के अनुपात के समक्ष अरुणाचल प्रदेश में इनका अनुपात 30.7 प्रतिशत है जो कि सभी राज्यों में सबसे अधिक है। इसके बाद झारखंड (13 प्रतिशत) का स्थान है।

तालिका 3.1: धार्मिक समुदायों की जनसंख्या 2001

क्रम सं०	कुल जोड़	लाख में	प्रतिशतता
1.	हिन्दू	8275.78	80.5
2.	मुस्लिम	1381.88	13.4
3.	ईसाई	240.80	2.3
4.	सिख	192.15	1.9
5.	बौद्ध	79.55	0.8
6.	जैन	42.25	0.4
7.	अन्य	66.39	0.6
8.	धर्म जिसके बारे में न बताया गया हो	7.27	0.1

स्रोत: जनगणना 2001

अतः उक्त का यह परिणाम निकाला जाता है कि “अन्य” श्रेणी का धर्मवार विश्लेषित विवरण जनगणना डाटा में से एकत्रित किया जाए और इन धर्मों को मानने वाले लोगों का अभिनिर्धारण किया जाए जिससे कि अपने समाज के इन लघु-अल्पसंख्यक धार्मिक वर्गों के संबंध में उपयुक्त नीतिगत प्रयासों पर विचार किया जा सके।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में धार्मिक संरचना

7. 1991 तथा 2001 डाटा से यह पता चलता है कि शहरों में हिन्दुओं और सिखों की अपेक्षा मुसलमान ज्यादा बसे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दुओं का अनुपात 1991 में 84 प्रतिशत था जो 2001 में घटकर 82.3 प्रतिशत रह गया तथा शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 1991 में 76.4 प्रतिशत से घटकर 2001 में 75.9 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत इस दशक में मुसलमानों की आबादी में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में वृद्धि हुई। मुसलमानों के अलावा ईसाई, बौद्ध और जैन समुदायों का एक बड़ा हिस्सा शहरों में बसा हुआ है। वस्तुतः किसी अन्य धर्म आधारित अल्पसंख्यक समूह की तुलना में जैन समुदाय की ज्यादातर आबादी शहरों में बसी हुई है। अल्पसंख्यक जनसंख्या का धर्म-वार विभाजन सारणी 3.2 में दिया गया है।

पुरुष-महिला का समग्र अनुपात

7.1 जनगणना 2001 के अनुसार एक साथ सभी धर्मों के संबंध में 933 के समग्र महिला-पुरुष अनुपात के सामने ईसाईयों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1,009 महिलाओं का ‘पुरुष-महिला अनुपात सबसे अधिक है। इसके विपरीत सिखों में यह अनुपात 893 सबसे कम है। अखिल भारतीय औसत लें तो हिन्दुओं में 1000 पुरुषों पर 931 महिलाओं के पुरुष-महिला अनुपात की दर निम्नतर है। मुसलमानों में पुरुष-महिला अनुपात की दर राष्ट्रीय औसत से किंचित अधिक (936) है। तथापि, बौद्ध (953), जैन (940) तथा अन्य समुदायों (992) के पुरुष-महिला अनुपात में अन्य सभी धर्मों की तुलना में वृद्धि हुई है।

7.2 जनगणना 1991 तथा जनगणना 2001 तथा शिशु लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) 2001 के अनुसार राज्य-वार पुरुष-महिला का समग्र अनुपात का तुलनात्मक विश्लेषण परिशिष्ट III के में दिया गया है। 1991 तथा 2001 के पुरुष-महिला अनुपात को देखने से यह पता चलेगा कि पुरुष-महिला को समग्र अनुपात में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है। अखिल-भारतीय स्तर पर सभी

धार्मिक समुदायों का पुरुष-महिला अनुपात 1991 में 927 था जो 2001 में बढ़कर 933 हो गया। यही स्थिति मुसलमानों की है जिनका अनुपात 930 से बढ़कर 936 हो गया है। ईसाई जिनका अनुपात 994 से बढ़कर 1009 हो गया है और सिख जिनका अनुपात 888 से बढ़कर 893 हो गया है तथा 'अन्य'

जिनका अनुपात 982 से बढ़कर 992 हो गया है। लेकिन, हिन्दुओं के पुरुष-स्त्री अनुपात में गिरावट आई जो 1991 में 942 था और 2001 में घटकर 931 रह गया, बौद्ध समुदाय का यह अनुपात 963 से 953 और जैन समुदाय का 946 से 940 हो गया।

तालिका 3.2:- आवास आधार पर धर्म-वार जनसंख्या विभाजन 1991 तथा 2001

(प्रतिशत में)

	1991			2001		
	कुल जोड़	ग्रामीण	शहरी	कुल जोड़	ग्रामीण	शहरी
सभी धर्म	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
हिन्दू	82.0	84.0	76.4	80.5	82.3	75.9
मुसलमान	12.1	10.5	16.7	13.4	12.0	16.9
ईसाई	2.3	2.2	2.8	2.3	2.1	2.9
सिख	1.9	2.0	1.8	1.9	1.9	1.8
बौद्ध	0.8	0.7	1.0	0.8	0.7	1.1
जैन	0.4	0.2	1.1	0.4	0.1	1.1
अन्य धर्म और मतावलंबी	0.5	0.4	0.2	0.6	0.8	0.2
धर्म जिसका उल्लेख नहीं किया गया	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1

स्रोत:- जनगणना 1991 तथा 2001

7.3 राज्य-वार महिला-पुरुष अनुपात का विश्लेषण करने पर संबंधित राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि अखिल-भारतीय औसत में तथा साथ ही अलग-अलग धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, मणिपुर में इस दर में वृद्धि देखने में आई दूसरी ओर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों की महिला-पुरुष अनुपात दर यद्यपि अखिल भारतीय राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा निम्नतर है लेकिन सभी धर्म आधारित समुदायों के संबंध में यह दर बढ़ती हुई है।

7.4 पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परिणामों में गिरावट ही नहीं आई है बल्कि यहां पुरुष-महिला का अनुपात भी निम्नतम है।

(0-6) आयु वर्ग में जनसंख्या का लिंग अनुपात

8. जनगणना 2001 के अनुसार सभी धर्मों के संबंध में शिशु लिंग अनुपात 927 है जबकि “‘अन्य वर्गों” के संबंध में यह 976 था और ईसाईयों के संबंध में 964 था, इसके बाद बौद्ध समुदाय 942 और मुसलमानों 950 का स्थान आता है। लेकिन हिन्दुओं में शिशु लिंग-अनुपात निम्नतर (925) था। इसके बाद जैन समुदाय (870) का स्थान आता है तथा अंत में सिख समुदाय आता है जिनका यह अनुपात निम्नतम (786) था। 2000 की जनगणना में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार अधिकांश राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 0-6 वर्ष आयु-वर्ग में शिशु लिंग-अनुपात में आई गिरावट गंभीर चिंता का विषय है। वस्तुतः राज्यों में किसी भी धार्मिक समुदाय में शिशु लिंग अनुपात 1000 से अधिक नहीं है।

8.1 अखिल भारतीय स्तर पर 927 का शिशु लिंग अनुपात (सीएसआर) 2001 933 के कुल लिंग अनुपात की तुलना में गिरावट को दर्शाता है। मुसलमानों (950) के अलावा अन्य सभी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों में शिशु लिंग अनुपात के संबंध में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है। गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, असम, बिहार, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में वर्ष 1991 तथा 2001 में लिंग अनुपात की दर में गिरावट देखने में आई। जब स्त्री-पुरुष अनुपात की तुलना शिशु लिंग अनुपात, 2001 से की गई तो शिशु लिंग अनुपात में समग्र महिला-पुरुष अनुपात की तुलना में गिरावट पाई गई। सबसे बदतर स्थिति गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में देखने को मिली।

8.2 देश में महिला-पुरुष अनुपात में गिरावट कुछ ही राज्यों तक सीमित है लेकिन अधिकांश राज्यों में 0-6 आयुवर्ग में प्रतिकूल शिशु लिंग अनुपात को देखते हुए गहन अध्ययन और विशिष्ट मध्यक्षेप किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि इस गिरती हुई प्रवृत्ति को रोका जा सके और लड़कियों के जीवित रहने और उनके विकास के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया जा सके।

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या

9. तालिका 3.3 में 60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु-वर्ग के लोगों का धर्मवार डाटा और साथ ही उनकी प्रतिशत प्रस्तुत की गई है।

9.1 इस तालिका से यह पता चलता है कि भारतीय जनसंख्या के 7.45 प्रतिशत में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोग आते हैं। जैनियों में वृद्धों का अनुपात अधिकतम (9.94 प्रतिशत) है। इसके बाद सिखों (9.77) का स्थान आता है। जैन समुदाय में वयोवृद्ध महिलाओं का अनुपात भी सबसे अधिक (10.69 प्रतिशत) है, इसके बाद सिख समुदाय (10.05) का स्थान आता है। इसके विपरीत, सिख समुदाय में वयोवृद्ध पुरुषों का अनुपात भी अधिकतम (9.53 प्रतिशत) है, इसके बाद जैन समुदाय (9.23 प्रतिशत) का स्थान आता है। देखने में आया है कि देश की कुल जनसंख्या के 7.45

प्रतिशत भाग की तुलना में मुसलमानों में वृद्धों का अनुपात सबसे कम (5.75 प्रतिशत) है। मुसलमानों में वृद्धों की निम्न जनसंख्या के कारणों तथा उनकी आयु-संभाव्यता में वृद्धि करने के तरीकों का पता लगाए जाने तथा इस संबंध में सुधारक उपाए किए जाने की आवश्यकता है।

विवाह के समय आयु

10. जैसा कि तालिका 3.4 में दिए गए विवरणों से पता चलता है कि 21 वर्ष की आयु से कम आयु में विवाहित पुरुषों में 51.3 प्रतिशत हिन्दू लगभग 47 प्रतिशत मुसलमान, 39 प्रतिशत बौद्ध, 26 प्रतिशत जैन, 20 प्रतिशत ईसाई तथा 13 प्रतिशत सिख थे। इसी प्रकार महिलाओं की स्थिति में सिख थे। इसी प्रकार महिलाओं की स्थिति में 17 वर्ष से कम आयु में विवाहित महिलाओं में 37 प्रतिशत हिन्दू, 43.2 प्रतिशत मुसलमान, 41.0 प्रतिशत बौद्ध, लगभग 25 प्रतिशत जैन तथा 36 प्रतिशत अन्य वर्गों की महिलाएं हैं। ईसाई तथा सिख महिलाओं का अनुपात क्रमशः 16.4 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत है। इनमें से बालिका बाल विवाह (अर्थात् 10 वर्ष से कम आयु में) का अनुपात मुख्यतः बौद्ध (2.8 प्रतिशत), हिन्दू (2.6 प्रतिशत) तथा मुस्लिमों (2.2 प्रतिशत) में व्याप्त कुल विवाहों का तीन प्रतिशत था।

परिवारों का औसत आकार

11. जनवरी, 2006 में पांच राज्यों (महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में 'सेन्टर फॉर रिसर्च प्लानिंग एण्ड एक्शन, नई दिल्ली' के माध्यम से इस आयोग द्वारा प्रायोजित किए गए एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया कि अल्पसंख्यक समुदायों में परिवारों का औसत आकार 3.40 व्यक्ति था। पारसियों में परिवार का आकार सबसे छोटा यानि 2.75 व्यक्ति था जबकि मुसलमानों में सबसे अधिक 3.50 व्यक्ति था। सर्वेक्षण में पाया गया कि 77.71 प्रतिशत परिवार एकल परिवार थे, 10.4 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार थे तथा 12.25 प्रतिशत एकल अधिभोक्ता थे। मुसलमान परिवारों में सबसे अधिक अनुपात 12.47 प्रतिशत संयुक्त परिवारों का था। इसके विपरीत संयुक्त परिवारों का निम्नतम अनुपात (4.5 प्रतिशत) पारसियों में पाया गया। इसके अलावा पारसियों में सबसे बड़ा हिस्सा एकल अधिभोगी परिवारों 21.69 प्रतिशत का था।

तालिका 3.3 विभिन्न धर्म-आधारित अल्पसंख्यक वर्गों में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की स्त्री-पुरुष-वार जनसंख्या

धर्म	व्यक्ति		पुरुष		महिलाएं	
	संख्या (लाख में)	प्रतिशत	संख्या (लाख में)	प्रतिशत	संख्या (लाख में)	प्रतिशत
कुल जोड़	766.22	(7.45)	377.68	(7.10)	388.54	(7.83)
हिन्दू	632.19	(7.64)	311.21	(7.26)	320.98	(80.05)
मुस्लिम	79.49	(5.75)	39.85	(5.58)	39.64	(5.93)
ईसाई	20.06	(8.33)	9.58	(7.99)	10.48	(8.66)
सिख	18.78	(9.77)	9.67	(9.53)	9.11	(10.05)
जैन	4.20	(9.94)	2.01	(9.23)	2.19	(10.69)
अन्य	4.28	(6.45)	1.97	(5.91)	2.31	(6.99)

स्रोत: जनगणना, 2001

तालिका 3.4: विवाह के समय आयु संबंधी धर्म-वार डाटा

(प्रतिशत में)

	विवाह के समय पुरुषों की आयु		विवाह के समय महिलाओं की आयु		
	<=20 वर्ष	<=20 वर्ष	<10 वर्ष	10-17	>=18 वर्ष
सभी धर्म	34.6	65.4	3.0	40.5	56.5
हिन्दू	51.3	48.7	2.6	34.4	54.9
मुस्लिम	46.6	53.4	2.2	41.0	56.9
ईसाई	19.8	80.2	1.2	15.2	83.6
सिख	12.9	87.1	1.1	15.9	83.0
बौद्ध	39.1	60.9	2.8	38.2	59.0
जैन	25.6	74.4	1.6	23.1	75.4
अन्य	18.6	81.4	2.3	33.7	64.0

स्रोत: जनगणना, 2001

इस प्रकार, यह देखा गया कि:

- (क) हिन्दुओं और सिखों की तुलना में शहरों में ज्यादा जैन, बौद्ध, मुसलमान तथा ईसाई समुदायों के लोग बसे हुए हैं।
- (ख) ईसाईयों में स्त्री-पुरुष अनुपात ज्यादा उपयुक्त है तथा सिखों में निम्नतम है।
- (ग) पारसियों, जैनियों तथा सिखों में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या का अनुपात अधिक है। 7.45

प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत की तुलना में मुसलमानों में वयोवृद्धों का अनुपात निम्नतम 5.75 है।

- (घ) अलग-अलग धार्मिक समुदायों में बौद्ध तथा मुस्लिम समुदायों में बालिका-बालविवाह का अनुपात सबसे अधिक है।
- (ङ) अल्पसंख्यक वर्गों में परिवारों का औसत आकार 3.40 व्यक्ति था जो पारसियों में सबसे छोटा यानि प्रति 2.75 व्यक्ति तथा मुसलमानों में सबसे बड़ा 3.50 व्यक्ति था।

अल्पसंख्यक वर्गों का शैक्षिक स्तर

12. शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है जिससे व्यक्ति तथा समुदाय दोनों का विकास में सहायक तथा समुदाय दोनों का विकास में सहायक होता है। यह रोजगार प्रदान करने तथा उसके द्वारा जीवन-स्तर, मानव कल्याण का स्तर सुधारने और बुनियादी सामाजिक सेवाओं तक पहुंच बनाने में अत्यधिक उपयुक्त कारक माना जाता है।

साक्षरता दर

12.1 अलग-अलग समुदायों तथा जातियों में साक्षरता की स्थिति का विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: धार्मिक समुदायों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता-दर

(प्रतिशत में)

समुदाय/जाति	पुरुष	महिला	कुल जोड़
भारत	75.3	53.7	64.8
हिन्दू	76.2	53.2	65.1
मुस्लिम	67.6	50.1	59.1
ईसाई	84.4	76.2	80.3
सिख	75.2	63.1	69.4
बौद्ध	83.1	61.7	72.7
जैन	97.4	90.6	94.1
अन्य	60.8	33.2	47.0
अनुसूचित जाति	66.64	41.9	54.7
अनुसूचित जनजाति	59.17	34.76	47.1

स्रोत: जनगणना 2001

12.2 जैन समुदाय में साक्षरता की दर सबसे अधिक (94.1 प्रतिशत) है, इसके बाद ईसाई (80.3 प्रतिशत), बौद्ध (72.7 प्रतिशत) हिन्दू (65.1 प्रतिशत) तथा सिख (69.4 प्रतिशत) समुदाय आता है जिनकी 64.8 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत की तुलना में आंशिक रूप से उच्चतर साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता दर 'अन्य धर्मों' तथा मतावलंबियों के संबंध में रिकॉर्ड की गई है जो 47 प्रतिशत है। मुसलमानों में साक्षरता दर (59.1

प्रतिशत) राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर की अपेक्षा निम्नतर है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर अत्यधिक निम्न है।

12.3 साक्षरता दरों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा 'अन्य धर्मों' के अंतर्गत आने वालों से बेहतर है लेकिन वे अन्य वर्गों से पिछड़े हुए हैं। पारसी समुदाय की साक्षरता दर 97.9 प्रतिशत है। इसका कारण यह हो सकता है कि 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से भी पहले से पारसी बच्चों की शिक्षा पर बल दिया जाने लगा था। जैन समुदाय की राष्ट्रीय साक्षरता दर भी बहुत ऊंची पहुंच गई है जो कि 94.1 प्रतिशत है तथा यह सबसे अधिक साक्षर धार्मिक समुदाय है।

साक्षरता की दृष्टि से महिला-पुरुष में अंतर

12.4 जैन समुदाय में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की साक्षरता-दर बहुत उच्च है जो कि क्रमशः 97.4 प्रतिशत तथा 90.6 प्रतिशत है। इसके बाद ईसाईयों का स्थान आता है जिनमें पुरुषों में साक्षरता की दर 84.4 प्रतिशत है तथा महिलाओं में 76.2 प्रतिशत है। अतः इन दो धर्मों के संदर्भ में पुरुष-महिला साक्षरता में लिंग भेद 10 से कम है। राष्ट्रीय स्तर पर छः प्रमुख धर्मों में महिला-पुरुष साक्षरता का अधिकतम अन्तर हिंदुओं में (23 प्रतिशत) है, इसके पश्चात् बौद्ध धर्मानुयायियों में यह अन्तर (21.4%) और मुस्लिमों में (17.5%) है।

12.5 महिला साक्षरता तथा 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अनुपात में अच्छे संबंध हैं। सामान्यतः यह तर्क दिया जाता है कि विकासशील देशों में अन्य घटक स्थिर होते हुए भी महिलाओं में उच्च साक्षरता दर का जननक्षमता दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार महिला साक्षरता और जननक्षमता के बीच नकारात्मक संबंध है। यह दर्शाता है कि धार्मिक संबद्धताओं के होते हुए भी महिला साक्षरता में सुधार करने के लिए सहायक परिवेश बनाने और शैक्षणिक सुविधाओं की अभिवृद्धि से जनन-क्षमता की दर में कमी आ सकती है। जैनियों में महिलाओं में साक्षरता दर अधिक होने तथा 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का अनुपात न्यूनतम होना और मुस्लिमों में महिला साक्षरता की दर कम होना तथा 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का अनुपात अधिक होना ही इस तथ्य की पुष्टि करता है।

शैक्षणिक स्तर

12.6 शैक्षणिक स्तर पर साक्षरों के विभाजन का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि सभी धर्मों के ऐसे लोगों, जिन्होंने स्नातक शिक्षा पूरी कर ली है, के बीच जैन धर्म अनुयायियों में शिक्षित व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात (21.47%) है। इसके पश्चात् ईसाईयों (8.71%) और सिखों का अनुपात (6.94%) है। मुसलमानों में साक्षरता का न्यूनतम अनुपात 3.6% है। हिन्दुओं में स्नातक और इससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों का अनुपात 7% है, जो कि लगभग सभी धार्मिक समुदायों को मिलाकर समग्र अनुपात के लगभग बराबर या उसी क्रम में है जैसा कि तालिका 3.6 में दिया गया है।

12.7 इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर शिक्षित मुस्लिमों का प्रतिशत (65.31%) है परन्तु माध्यमिक स्तर पर यह कम होकर (10.96%) और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर (4.53%) रह जाता है। यद्यपि प्राथमिक स्तर पर 45.79% ईसाई शिक्षित हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है परन्तु यह स्तर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर क्रमशः (17.48%) और (8.70%) बढ़ जाता है। जबकि अन्य धर्मों या समुदायों के लोग प्रायः राष्ट्रीय औसत स्तर का ही अनुसरण कर रहे हैं।

स्कूली शिक्षा के दौरान छात्रों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर

12.8 स्कूली शिक्षा में बच्चों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की घटती दर का अभिप्राय स्कूली शिक्षा का अपव्यय होना है और इससे विद्यालय में अधिक दाखिले से होने वाले लाभ कम हो जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1999–2000 के दौरान प्रकाशित “शैक्षणिक संरिच्छकी” के अनुसार 1 से 5वीं तक की कक्षा में दाखिल किए गए छात्रों में से 40% ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसी प्रकार 1 से 8वीं तक की कक्षा में दाखिल किए गए विद्यार्थियों में से 55% ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। 1–10 तक की कक्षा में दाखिल विद्यार्थियों में से 68% से अधिक ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके साथ–साथ बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर लड़कियों के मामले में अधिक रही।

12.9 स्कूलों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ने का प्रमुख कारण विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन पूरा करने में अक्षम होना अथवा माता–पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए कम रुचि होना आर्थिक पहलू, जैसे परिवारिक आय बढ़ाने के लिए काम करने की मजबूरी अथवा छोटे भाई–बहनों की देख–रेख की आवश्यकता या स्कूलों में प्रतिकूल वातावरण आदि होना है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने के पीछे भी यही प्रमुख कारण हैं।

तालिका 3.6 : विभिन्न समुदायों में शैक्षिक स्तर

समुदाय	प्राथमिक स्तर तक*	मिडिल (आठवीं) स्तर तक	सेकेण्ड्री स्तर तक (माध्यमिक)	उच्चतर माध्यमिक स्तर	डिप्लोमा	स्नातक	गैर वर्गीकृत
सभी धर्म	55.57	16.09	14.13	6.74	0.72	6.72	0.02
हिंदू	54.91	16.18	14.25	6.92	0.71	7.01	0.01
मुस्लिम	65.31	15.14	10.96	4.53	0.41	3.6	0.05
ईसाई	45.79	17.13	17.48	8.07	2.19	8.71	0.01
सिख	46.70	16.93	20.94	7.57	0.90	6.94	0.02
बौद्ध	54.69	17.52	14.09	7.65	0.35	5.7	0.01
जैन	29.51	12.27	21.87	13.84	1.03	21.47	0.01
अन्य	62.12	17.48	11.24	4.55	0.26	4.35	0.01

* के अन्तर्गत गैर शैक्षणिक स्तर, प्राथमिक स्तर से नीचे तथा प्राथमिक स्तर शामिल हैं।

स्रोत: जनगणना 2001

तालिका 3.7 : धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा का स्तर

	मदरसे	गुरुकुल	धर्म शिक्षणालय	मठ
लागू पाठ्यक्रम (पढ़ाए गए विषय)	मिश्रित पाठ्यक्रम सामान्यतः धार्मिक शिक्षा पर केन्द्रित।	धार्मिक व आधुनिक दोनों विषय पढ़ाए जाते हैं	अनुशासनिक विषयों जिनमें धार्मिक विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है।	अंग्रेजी, गणित और हिंदी जैसे अतिरिक्त विषयों के साथ मठ-व्यवस्था की शिक्षा (बौद्ध दर्शनशास्त्र) दी जाती है।
शिक्षा का स्तर	मैट्रिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक अलग-अलग होता है।	वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक अलग-अलग होता है।	स्नातकोत्तर स्तर	—
शैक्षणिक संस्थानों की संबद्धता	अधिकतर असंबद्ध	अधिकतर संबद्ध	अधिकतर संबद्ध	असंबद्ध
स्कूल का पैटर्न	लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग	लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग	सह-शैक्षणिक	लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग

ओत: हिमालय क्षेत्र अध्ययन और अनुसंधान संस्थान द्वारा समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास में धार्मिक-शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर अध्ययन रिपोर्ट—2007

धार्मिक शैक्षिक संस्थानों की स्थिति

12.10 हिन्दुओं के गुरुकुल, मुसलमानों के मदरसों, बौद्धों के मठों तथा ईसाइयों के धर्म शिक्षणालयों (सेमीनरीस) जैसे धार्मिक शैक्षिक संस्थानों की शिक्षा पद्धतियों में विषय-वस्तु तथा उद्देश्य दोनों की दृष्टि से काफी अन्तर है। इस आयोग ने हिमालय क्षेत्र अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के माध्यम से दिल्ली राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया और उन भिन्नताओं को स्पष्ट रूप से तालिका 3.7 में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रस्तुत किया।

12.11 जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रायः सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं प्राथमिक से उच्चतर स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। परन्तु सभी धार्मिक शिक्षा पर जोर देते हैं। इस प्रकार धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं काफी हद तक धार्मिक ज्ञान और

आधारभूत शिक्षा तो उपलब्ध कराते हैं। परन्तु अपने विद्यार्थियों को इतना सक्षम नहीं बनाते कि वे उच्चतर शिक्षण संस्थाओं/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकें तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकें।

धार्मिक अल्पसंख्यकों के स्वास्थ्य की स्थिति

13. मानव के विकास के लिए स्वास्थ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू हैं। लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी स्थिति में सुधार किसी समुदाय के स्वास्थ्य मानक निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के स्वास्थ्य की स्थिति निर्धारित करने वाले सूचकांकों की चर्चा नीचे दी गई है।

शिशु और बाल मृत्यु दर

13.1 एन एफ एच एस II रिपोर्ट के आधार पर तालिका 3.8 में विभिन्न समुदायों के शिशुओं तथा बाल मृत्यु दर दी गई है।

तालिका 3.8 : विभिन्न समुदायों और जातियों के बीच शिशु और बाल मृत्यु दर

समुदाय/जाति	शिशु मृत्यु दर	बाल मृत्यु दर	(प्रतिशत में)
हिंदू	77.1	32.4	
मुस्लिम	58.8	25.4	
ईसाई	49.2	19.7	
सिख	53.3	12.3	
जैन	(46.7)	(11.3)	
बौद्ध/गैर बौद्ध	53.6	14.1	
कोई भी धर्म न मानने वाले	(77.6)	(77.2)	
अनुसूचित जातियां	83.0	39.5	
अनुसूचित जनजातियां	84.2	46.3	
अन्य पिछड़ा वर्ग	76.0	29.3	

स्रोत: एन एफ एच एस-II, राष्ट्रीय रिपोर्ट, 98-99

ध्यान दें: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उन 250-499 बच्चों के आधार पर दिए गए हैं। जो उम्र अन्तराल के शुरुआत से जीवित रहे।

13.2 जैसा कि तालिका 3.8 से देखा जा सकता है कि हिंदुओं में शिशु एवं बाल मृत्यु दर मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, जैन और बौद्धों की तुलना में अधिक है। परन्तु अनुसूचित जातियों और जनजातियों में यह मृत्यु दर और भी अधिक है। अल्प संख्यकों में अन्य अल्पसंख्यकों के शिशुओं और बच्चों की मृत्यों की मुत्युदर मुस्लिमों की अपेक्षा कम है। विभिन्न धार्मिक समुदायों अथवा अनुसूचित जातियों और जनजातियों में मुत्युदर का यह अन्तर केवल धर्म ही न होकर अन्य कारणों जैसे ग्रामीण अथवा शहरी आवास, परिवार की आर्थिक स्थिति अथवा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और उन तक उनकी पहुंच के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है।

महिलाओं के पोषण संबंधी स्थिति

13.3 एन एफ एच एस-II रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न समुदायों की महिलाओं के पोषण संबंधी स्थिति तालिका 3.9 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.9 : विभिन्न धार्मिक समुदायों और जातियों की महिलाओं के पोषण संबंधी स्थिति।

समुदाय/जाति	ऊंचाई	ऊंचाई के अनुसार वजन	
	औसत ऊंचाई (सेंटीमीटर)	प्रतिशतता 145 सेंटीमीटर से कम	शरीर का औसतन द्रव्यमान सूचकांक (बीएमआई)
हिंदू	151.1	13.5	20.1
मुस्लिम	151.5	12.3	20.5
ईसाई	152.1	10.3	21.4
सिख	155.0	3.9	23.0
जैन	153.6	7.6	23.4
बौद्ध/नए बौद्ध	149.9	17.3	20.4
किसी भी धर्म को न मानने वाले	149.8	24.1	20.6
अनुसूचित जातियां	150.3	17.0	19.5
अनुसूचित जनजातियां	150.8	13.5	19.1
अन्य विछड़ा वर्ग	151.0	13.5	20.2
			35.8

स्रोत: एन एच एस-II रिपोर्ट 1998-99

13.4. ऊंचाई के लिए औसत बिन्दु, जिसके जनसंख्या दर जनसंख्या बदलता रहता है। यदि किसी महिला में यह औसत बिन्दु कम हो तो इसे उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक माना जा सकता है। परन्तु सामान्यतः इसे 140-150 सेंटीमीटर की रेंज में उपरोक्त अनुसार अन्य किसी ग्रुप की महिलाओं कि अपेक्षा ईसाई, सिख, और जैन महिलाएं औसतन लंबी होती हैं। ऐसी महिलाओं का प्रतिशत, जिनकी ऊंचाई 145 सेंटीमीटर से कम होती है, सिखों के लिए 3.9% जैनियों के लिए 7.6% और किसी धर्म को न मानने वाली महिलाओं के लिए 24% तक अलग-अलग है। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं में यह प्रतिशत क्रमशः 17% और 13.5% है। इन मानदण्डों के आधार पर सिख और जैन समुदायों की महिलाओं की पोषण संबंधी स्थिति अन्य धार्मिक समुदायों, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य विछड़ा वर्ग की महिलाओं की अपेक्षा अच्छी है।

बच्चों के पोषण संबंधी स्थिति

13.5 विभिन्न धार्मिक समुदायों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के पोषण संबंधी स्थिति तालिका 3.10 में दी गई है।

13.6 जैसा कि तालिका 3.10 से देखा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, हिन्दू तथा मुस्लिम बच्चे अल्पपौष्टि होते हैं। जबकि जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होती है।

प्रसव पूर्व जॉच

13.7 1998-99 की एन एफ एच एस की रिपोर्ट के आधार

पर विभिन्न समुदायों/जातियों की महिलाओं की प्रसवपूर्व जॉच की स्थिति तालिका 3.11 में दी गई है।

13.8 जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम, कोई धर्म न मानने वाला वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग तथा हिन्दुओं की एक-तिहाई से अधिक महिलाएं प्रसव-पूर्व जॉच के लिए नहीं जा पाती हैं। सभी समुदायों और जातियों द्वारा लाभ उठाया जाता है परन्तु जैनियों बौद्धों और ईसाईयों द्वारा इनका व्यापक स्तर पर लाभ उठाया जाता है। इसके विपरीत समुदायों और जातियों द्वारा प्रायः अन्य स्वास्थ्य चिकित्सकों और पारम्परिक दाइयों की सुविधा का लाभ सभी द्वारा उठाया जाता है परन्तु इस तरह से लाभ उठाने वालों का प्रतिशत कम है।

तालिका 3.10 विभिन्न धार्मिक समुदायों के बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति

समुदाय/जाति	आयु के अनुपात में वजन		आयु के अनुपात में ऊंचाई		ऊंचाई के अनुपात में वजन	
	3 एस डी* से कम प्रतिशत	2 एस डी ¹ से कम प्रतिशत	_3 एस डी से कम प्रतिशत	2एस डी ¹ से कम प्रतिशत	_3 एस डी से कम प्रतिशत	_2एस डी से कम प्रतिशत
हिन्दू	18.4	47.7	23.3	46.0	2.9	16.0
मुस्लिम	18.6	48.3	24.8	47.1	2.5	14.1
ईसाई	9.6	30.8	14.0	30.6	2.5	13.4
सिख	8.4	26.8	16.0	35.4	1.1	7.0
जैन	1.3	20.9	0.8	13.2	0.0	11.9
बौद्ध/नए बौद्ध	7.5	43.7	8.7	32.5	0.9	11.9
अनुसूचित जातियां	21.2	53.5	27.5	51.7	3.0	16.0
अनुसूचित जनजातियां	26.0	55.9	27.6	52.8	4.4	21.8
अन्य पिछड़े वर्ग	18.3	47.3	23.1	44.8	3.4	16.6

स्रोत: एन एफ एच एस-II राष्ट्रीय रिपोर्ट 1998-99

* एसडी=मानक विचलन

1 में ऐसे बच्चों को शामिल किया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ जनसंख्या माध्यमिका से-3 मानक विचलन (एस डी) कम है।

तालिका 3.11: विभिन्न समुदायों और जातियों के बीच प्रसव पूर्व जांच की स्थिति

(प्रतिशत में)

समुदाय/जाति	प्रसव-पूर्व जांच जो स्वास्थ्य कर्ता द्वारा केवल घर में की गई	निम्नलिखित द्वारा घर से बाहर प्रसव-पूर्व जांच			प्रसव पूर्व कोई जांच नहीं	अप्राप्य	योग
		डाक्टर	अन्य स्वास्थ्य चिकित्सक	अनुभवी दाईयां अन्य द्वारा			
हिंदू	6.2	47.2	11.2	0.2	34.5	0.6	100
मुस्लिम	3.3	50.7	8.5	0.4	36.4	0.7	100
ईसाई	3.0	73.4	7.5	0.2	15.4	0.4	100
सिख	1.3	44.7	29.0	0.0	24.9	0.1	100
जैन	3.1	84.7	6.5	0.0	5.7	0.0	100
बौद्ध/नव बौद्ध	1.4	74.9	9.2	0.0	14.5	0.0	100
किसी धर्म को न मानने वाले	10.0	53.7	0.7	0.0	35.6	0.0	100
अनुसूचित जाति	5.9	41.7	13.3	0.2	38.2	0.6	100
अनुसूचित जनजाति	10.0	34.7	11.5	0.3	43.1	0.4	100
अन्य पिछड़ा वर्ग	5.9	48.9	9.6	0.2	34.8	0.6	100

स्रोत: एन एफ एच एस-II राष्ट्रीय रिपोर्ट 1998-99

प्रसव का स्थान:

13.9 तालिका 3.12 में विभिन्न समुदायों में प्रसव के स्थान की स्थिति दर्शाइ गई है।

13.10 जैसा कि तालिका 3.12 से देखा जा सकता है कि हिंदूओं, मुस्लिमों, सिखों, कोई धर्म न मानने वाले और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों में 50 से अधिक प्रसव घर पर ही होते हैं। इसके विपरीत ईसाई और जैन महिलाओं द्वारा घर पर ही होते हैं।

के ज्यादातर प्रसव स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में होते हैं, जिनमें सरकारी तथा निजी दोनों संस्थाएं शामिल हैं। इन समुदायों की महिलाओं के ज्यादातर प्रसव निजी अस्पतालों में कराए जाने का एक कारण उनकी आर्थिक सम्पन्नता अथवा शहरी जीवन शैली हो सकता है। किसी चिकित्सा कार्मिक की देखरेख के बिना घर में प्रसव कराने वाली महिलाओं का अनुपात अनुसूचित जनजाति, कोई धर्म न मानने वाला वर्ग, अनुसूचित जाति, मुस्लिमों, हिंदूओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं में अधिक था।

तालिका 3.12 विभिन्न समुदायों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों में प्रसव के स्थान संबंधी विवरण।

समुदाय/जाति	प्रसव का स्थान						योग	
	सार्वजनिक	स्वास्थ्य सुविधा/संस्थान		घर				
		गैर सरकारी संगठन/न्यास	निजी	स्वयं का घर	माता-पिता का घर	अन्य		
हिंदू	16.4	0.6	15.9	53.5	12.5	1.1	100.	
मुस्लिम	14.1	0.9	16.5	55.7	11.8	1.0	100.	
ईसाई	19.8	2.6	32.0	35.0	10.2	0.4	100.	
सिख	10.8	0.9	35.3	45.4	7.3	0.4	100.	
जैन	12.4	1.6	57.6	25.5	3.0	0.0	100.	
बौद्ध/नव बौद्ध	38.9	0.0	16.3	30.5	14.0	0.4	100.	
कोई धर्म न मानने वाला वर्ग	7.9	0.0	11.1	78.5	2.6	0.0	100.	
अनुसूचित जाति	16.0	0.5	10.3	60.1	12.0	1.1	100.	
अनुसूचित जनजाति	10.7	0.7	5.7	70.4	11.4	1.1	100.	
अन्य पिछड़ा वर्ग	16.3	0.8	19.0	49.8	13.0	1.1	100.	

स्रोत: एन एफ एच एस-II राष्ट्रीय रिपोर्ट 1998-99

बाल प्रतिरक्षीकरण

13.11 तालिका 3.13 में विभिन्न समुदायों और जातियों के बीच बचपन में बच्चों के टीकाकरण की स्थिति दशाई गई है।

तालिका 3.13: विभिन्न समुदायों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को बचपन में लगाए जाने वाले टीकाकरण की स्थिति

समुदाय/जाति	बीसीजी	पोलियो	खसरा	कोई भी नहीं
हिंदू	72.5	13.1	51.5	13.3
मुस्लिम	62.3	9.9	40.4	21.0
ईसाई	84.0	32.1	66.2	11.0
सिख	86.4	14.0	75.7	11.1
बौद्ध/नव बौद्ध	94.6	15.6	77.3	1.1
अनुसूचित जातियां	69.6	11.7	47.6	15.1
अनुसूचित जनजातियां	60.0	4.5	34.3	24.2
अन्य पिछड़ा वर्ग	71.6	18.7	50.7	11.6

स्रोत: एन एफ एच एस II राष्ट्रीय रिपोर्ट 1998-99,

13.12. जैसा कि तालिका 3.13 से देखा जा सकता है कि बी सी जी का टीकाकरण सभी समुदायों और जातियों के बच्चों में काफी मात्रा में किया गया है। पोलियो के टीकाकरण के मामले में अनुसूचित जन जातियां तथा मुस्लिम अन्य की अपेक्षा सबसे पीछे हैं खसरे का टीकाकरण बौद्धों, सिखों, ईसाईयों तथा हिन्दुओं द्वारा अन्य समुदायों और जातियों की अपेक्षा अधिक संख्या में करवाया गया है। प्रतिरक्षीकरण के लिए कोई भी टीकाकरण न करवाने में अनुसूचित जनजातियों तथा मुसलमानों की संख्या अधिक है। इसका कारण अशिक्षा तथा जागरूकता की कमी होना है।

गर्भ निरोधकों का प्रयोग

13.13 एन एफ एच एस-II सर्वेक्षण 1998-99 के आधार पर विभिन्न समुदायों और जातियों के बीच गर्भ निरोधक प्रयोग करने की स्थिति तालिका 3.14 में दी गई है।

तालिका 3.14: विभिन्न समुदायों, अनुसूचित जातियों,

जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा

गर्भ निरोधकों का प्रयोग

समुदाय/जाति	कोई भी तरीका	महिला नसबंदी	पुरुष नसबंदी
हिंदू	49.2	36.2	2.1
मुस्लिम	37.0	19.6	0.8
ईसाई	52.4	36.5	2.1
सिख	65.2	30.2	1.6
जैन	65.1	42.3	1.4
बौद्ध/नव बौद्ध	64.7	52.5	5.0
कोई धर्म न मानने वाला वर्ग	30.1	16.7	0.0
अनुसूचित जातियां	44.6	34.4	1.9
अनुसूचित जनजातियां	39.1	28.8	3.1
अन्य पिछड़े वर्ग	46.8	37.2	1.6

स्रोत: एन एफ एच एस राष्ट्रीय रिपोर्ट 1998-99

13.14 जैसा कि तालिका 3.14 से देखा जा सकता है कि गर्भ निरोधकों का उपयोग सिखों, जैनियों, बौद्धों तथा ईसाई लोगों में अधिक संख्या में किया जाता है। जबकि मुस्लिम, कोई धर्म ने मानने वाले वर्ग, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग तथा हिन्दूओं में इनका प्रयोग न के बराबर किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी समुदायों और जातियों में बहुत कम पुरुष नसबंदी (सर्टिलाइजेशन) करवाते हैं। परन्तु कोई भी धर्म न मानने वाले वर्ग और मुस्लिमों में महिला बन्धयीकरण (सर्टिलाइजेशन) तथा पुरुष नसबंदी कराने वालों की संख्या बहुत कम है। इसके विपरीत बौद्धों में बन्धयीकरण कराने वाली महिलाओं की संख्या अधिकतम है।

प्रजनन दर:

13.15 सकल प्रजनन दर (टीएफआर) और 40-49 वर्ष की महिलाओं को यदि सभी संतान हुई हो तो उन की औसत संख्या धार्मिक समुदाय वार रूप में तालिका 3.15 में दी गई है।

तालिका 3.15: विभिन्न समुदायों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों आदि में सकल प्रजनन दर

समुदाय/जाति	सकल प्रजनन दर	यदि 40-49 वर्ष की आयु की महिलाओं का कभी विवाह हुआ हो और उन की संतान हुई हो तो उनकी संतान की औसत संख्या
हिंदू	2.78	4.34
मुस्लिम	3.59	5.72
ईसाई	2.44	3.47
सिख	2.26	3.59
जैन	1.90	3.32
बौद्ध/नव बौद्ध	2.13	4.05
कोई धर्म न मानने वाले वर्ग के लोग	3.91	(5.62)
अनुसूचित जातियां	3.15	4.85
अनुसूचित जनजातियां	3.06	4.74
अन्य पिछड़े वर्ग	2.83	4.43

स्रोत: एन एफ एच एस-II, 1998-99 राष्ट्रीय रिपोर्ट

13.16 जैसा कि तालिका 3.15 में दिए गए आंकड़ों से ज्ञात होता है कि कोई भी धर्म न मानने वाले वर्ग के लोगों (3.91%), मुस्लिमों (3.59%), अनुसूचित जातियों (3.15%) और अनुसूचित जनजातियों में (3.06%) सकल प्रजनन दर अधिक है। सकल प्रजनन दर जैनियों में सबसे कम (1.9%) है। अन्य समुदायों में और सिखों में 2.26% तथा अन्य पिछड़े वर्गों में 2.83% के आस-पास है। इसी प्रकार 40-49 वर्ष की आयु की महिलाओं द्वारा जन्में बच्चों की औसत संख्या मुस्लिमों में (5.72), इसके बाद अनुसूचित जातियों में (4.85), अनुसूचित जनजातियों में (4.74), अन्य पिछड़े वर्गों में (4.43), हिंदूओं में (4.34) तथा बौद्धों में (4.25) अधिकतम है और जैनियों में यह अंकड़ा न्यूनतम 3.32 है।

13.17 संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि जैनियों, सिखों तथा ईसाईयों में पोषण संबंधी स्थिति तथा प्रसव पूर्व देख-रेख अपेक्षाकृत बेहतर है। मुस्लिम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में गर्भ निरोधकों का प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम किया जाता है। जबकि मुस्लिम, अनुसूचित जातियों और जनजातियों

की सकल प्रजनन दर सबसे अधिक है क्योंकि वे गर्भ निरोधकों का प्रयोग कम से कम करते हैं। मुस्लिम तथा अनुसूचित जाति के बच्चों के टीकाकरण के लिए अत्यधिक ध्यान दिए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

आवास तथा संबद्ध सुविधाएं

14. आवास एक आधार भूत आवश्यकता हाने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि भी है। दसवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख के अनुसार लगभग 90% कमजोर वर्गों के पास आवास नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पास आवास नहीं तथा कम आय वर्ग के लोगों को उनकी आय के अनुसार आवास उपलब्ध कराने के लिए भूमि आवंटन, अधिक निधि उपलब्ध कराने तथा सहयोगी सेवाओं के प्रावधान पर जोर दिया गया है। विभिन्न समुदायों के बीच आवास तथा संबद्ध सुविधाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

उपलब्ध आवासों के प्रकार (जैसे कच्चा, आधा पक्का या पक्का आवास)

14.1 तालिका 3.16 (क) और 3.16 (ख) में धार्मिक समुदायों के बीच विभिन्न प्रकार के आवासों की स्थिति दर्शाई गई है।

14.2 जनवरी 2006 में (सेंटर फॉर रिसर्च, प्लानिंग एण्ड एक्शन) नई दिल्ली द्वारा पांच राज्यों—महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार केवल 34.63% प्रत्यर्थियों के पास पक्के आवास थे। पक्के आवासों की उपलब्धता राज्यवार भिन्न-भिन्न होती है, यह भिन्नता पश्चिम बंगाल में 3.3% से महाराष्ट्र में 56.93% के आस-पास है।

तालिका 3.16 (क) विभिन्न प्रकार के आवासों का राज्यवार वितरण

(प्रतिशत में)

राज्य	कच्चा	अर्ध पक्का	पक्का
महाराष्ट्र	7.68	34.88	56.93
पंजाब	6.79	50.8	42.22
उत्तर प्रदेश	21.54	29.22	48.89
तमिलनाडु	13.75	66.71	19.25
पश्चिम बंगाल	58.96	37.34	3.3
सभी	22.31	42.71	34.63

स्रोत: सेंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग एण्ड एक्शन, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2006 में महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के संबंध में किया गया सर्वेक्षण—“अल्प संख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति”।

तालिका 3.16 (ख): विभिन्न प्रकार के आवासों का विभिन्न समुदायों में वितरण।

(प्रतिशत में)

समुदाय	कच्चा	अर्ध पक्का	पक्का
मुस्लिम	34.63	41.2	23.76
ईसाई	22.58	49.67	27.26
सिख	6.68	53.34	39.97
बौद्ध	3.94	43.01	53.05
पारसी	2.38	7.04	90.58
सभी	22.31	42.71	34.63

स्रोत: सेंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग एण्ड एक्शन, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2006 में महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उप्र० और पश्चिम बंगाल राज्यों के संबंध में किया गया सर्वेक्षण—“अल्प संख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति”।

14.3 तालिका 3.16 (ख) के अनुसार 90.58% पारसी तथा 53.05% बौद्ध पक्के आवासों में रहते थे जबकि 23.76% मुस्लिमों और इसके बाद 27.26% ईसाईसों के पास सबसे कम पक्के आवास थे। इसी प्रकार 42.71% प्रत्यर्थी परिवार अर्ध पक्के आवासों में तथा 22.31% कच्चे आवासों में रहते थे। कच्चे घरों में रहने वालों में मुस्लिमों का प्रतिशत सर्वाधिक 34.63% था और इसके बाद ईसाईसों का स्थान आता है जो कि 22.58% था बहुत ही कम सिख, बौद्ध और पारसी लोग कच्चे घरों में रहते थे, जो यह दर्शाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति मुस्लिमों और ईसाईयों की तुलना में बेहतर थी।

मकानों का स्वामित्व:

14.4 यह सत्य है कि किसी मकान का मालिक होने से उस व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलते हैं और उसका सामाजिक स्तर बढ़ जाता है। तालिका 3.17 में पांच राज्यों—महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विभिन्न समुदायों तथा अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मध्य आवासों के स्वामित्व की स्थिति दर्शाई गई है।

14.5 जैसा कि तालिका 3.17 से देखा जा सकता है कि इन पांच राज्यों के विभिन्न समुदायों के 52.71% लोग स्वयं द्वारा निर्मित घरों में रहते हैं और 36.10% लोग किराए के घरों में रहते हैं। किराए के घरों में रहने वाले लोगों में मुस्लिमों का

प्रतिशत सर्वाधिक (43.74%) है, इसके बाद ईसाईयों का (33.91%) और सिखों का (33.29%) स्थान आता है। अधिकतम पारसियों (75.13%) के पास अपने स्वयं के मकान हैं। इसके बाद सिखों (65.89%) का स्थान आता है। कुछ लोग रहने के लिए स्वयं व्यवस्था करते हैं जैसे कि वे अपने रिश्तेदारों आदि के साथ रहते हैं। जबकि अन्य धार्मिक अल्प संख्यकों की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर 90% से अधिक अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के पास अपने स्वयं के घर हैं।

तालिका 3.17: विभिन्न समुदायों और अनुसूचित जाति और जनजातियों के पास स्वयं के मकानों का स्वामित्व

(प्रतिशत में)

समुदाय/जाति	स्वयं के मकान	किराए के मकान
मुस्लिम	45.03	43.74
ईसाई	51.64	33.91
सिख	65.89	33.29
बौद्ध	45.52	23.3
पारसी	75.13	19.05
सभी	52.71	36.10
अनुसूचित जातियां*	90.4	6.5
अनुसूचित जनजातियां*	90.7	6.0

स्रोत: सेंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग एण्ड एक्शन, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2006 में महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उप्र० और पश्चिम बंगाल राज्यों पर किया गया सर्वेक्षण “अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति”।

मकानों में प्रकाश व्यवस्था स्रोत:

14.6 तालिका 3.18 में पांच राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उप्र० तथा पश्चिम बंगाल में विभिन्न समुदायों के लोगों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के मकानों में अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाश व्यवस्था के स्रोत संबंधी आंकड़े दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.18 राज्यवार तथा समुदाय/जाति-वार मकानों में प्रकाश व्यवस्था का स्रोत

(प्रतिशत में)

समुदाय/जाति	बिजली	मिट्टी का तेल
मुस्लिम	78.78	23.29
ईसाई	82.51	16.75
सिख	88.81	15.83
बौद्ध	88.89	11.83
पारसी	99.21	0.79
सभी	83.72	17.75
अनुसूचित जातियाँ*	44.3	54.7
अनुसूचित जनजातियाँ*	36.5	61.9

स्रोत: सेंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग एण्ड एक्शन, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2006 में महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के संबंध में तथा 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया सर्वेक्षण—“अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति”।

14.7 चूंकि इन पांच राज्यों के शहरी क्षेत्रों में सभी घरों के परिवारों से संपर्क करने पर यह पता चला कि 83.72% लोगों के घरों में बिजली थी। पारसियों का सर्वाधिक अनुपात 99.21% था जबकि मुस्लिमों का कम से कम अनुपात 78.78 प्रतिशत था। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की तुलना में अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकांश घरों में बिजली थी। जबकि 62% अनुसूचित जनजातियाँ और 55% अनुसूचित जातियों को मिट्टी के तेल पर निर्भर थीं।

तालिका 3.19 विभिन्न समुदायों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में पेयजल के स्रोत

समुदाय/जाति	घर के भीतर या आस-पास	100-200 मी॰ की परिधि (परिसर)में	200 मी॰ के बाहर (परिसर के बाहर)
मुस्लिम	81.06	10.35	7.09
ईसाई	82.84	8.05	6.90
सिख	76.13	7.78	14.87
बौद्ध	67.38	22.22	8.60
पारसी	87.04	0.79	5.82
जोड़	80.40	9.25	8.28
अनुसूचित जातियाँ*	27.00	53.5	19.5
अनुसूचित जनजातियाँ*	15.2	56.6	28.2

स्रोत: सेंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग एण्ड एक्शन, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2006 में महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों पर किया गया सर्वेक्षण—“अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति” और जनगणना 2001।

मकानों में जलापूर्ति:

14.8 तालिका 3.19 में पांच नमूना राज्यों में विभिन्न समुदायों तथा अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के घरों में जलापूर्ति की स्थिति दर्शाई गई है।

14.9 परिसरों के भीतर स्वच्छ पेयजलापूर्ति लोगों की आधार भूत आवश्यकताओं में से एक है। तालिका 3.19 से यह देखा जा सकता है कि 75% से अधिक पारसियों, ईसाईयों, मुस्लिमों और सिखों के पास जलापूर्ति के साधन या तो घर के भीतर अथवा आस-पास थे। केवल 67.38% बौद्धों के पास ही जलापूर्ति के साधन घरों के भीतर अथवा आस-पास थे। आंकड़ों से यह पता चलता है कि इन समुदायों को उनके आवासीय परिसर में जलापूर्ति सुलभ कराने के लिए काफी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की तुलना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनके आवासीय परिसर में पेयजल आपूर्ति के साधन बहुत ही कम हैं।

शौचालयों की उपलब्धता:

14.10 सेंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग एण्ड एक्शन की रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण किए गए 77.97% मकानों में ही शौचालय था। पारसियों 98.41% के मकानों में सबसे अधिक शौचालय थे और इसके बाद सिखों (83.77%) का स्थान था। सामान्यतः ईसाईयों और बौद्धों की तुलना में (80.33%) मुस्लिमों के घरों में शौचालय पाए गए। धार्मिक समुदायों की अपेक्षा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मकानों की स्थिति दर्यनीय है। 76% अनुसूचित जातियों और 83% जनजातियों के घरों में शौचालय नहीं थे। इस संबंध में तालिका 3.20 में विवरण दिए गए हैं।

14.11 अल्पसंख्यक समुदायों की आवासीय स्थितियों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि पारसियों के घरों में जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं हैं, इसके पश्चात ईसाई लोगों का स्थान हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग इसी बात से संतुष्ट थे कि उनके पास स्वयं का घर था और वह किराए के घरों में नहीं रहते परन्तु उनके घरों में बिजली, पाइप द्वारा जलापूर्ति तथा शौचालयों की सुविधाएं नहीं थी।

तालिका 3.20: विभिन्न समुदायों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मकानों में शौचालय सुविधाएं

समुदाय/जाति	(प्रतिशत में)
मुस्लिम	80.33
ईसाई	67.49
सिख	83.77
बौद्ध	64.52
पारसी	98.41
सभी	77.97
अनुसूचित जातियाँ*	23.7
अनुसूचित जनजातियाँ*	17.1

स्रोत: सेंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग एण्ड एक्शन, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2006 में महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के संबंध में और 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया सर्वेक्षण—“अल्पसंख्यकों की समाजिक-आर्थिक स्थिति।”

गरीबी और रोजगार

गरीबी

15. वर्ष 1999–2000 में भारत सरकार द्वारा विभिन्न धार्मिक समुदायों में गरीबी स्तर का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया गया और इससे यह पता चला कि मुस्लिमों और सिखों के अलावा सभी धार्मिक समुदायों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक गरीबी थी जैसा कि तालिका 3.21 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.21: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले धार्मिक समुदायों की जनसंख्या

समुदाय	गरीबी रेखा से नीचे वालों का % (ग्रामीण)	गरीबी रेखा से नीचे वालों का प्रतिशत (शहरी)
हिंदू	27.80	21.66
मुस्लिम	27.22	36.92
ईसाई	19.82	11.84
सिख	2.95	10.86
अन्य	33.05	18.51

स्रोत: जुलाई 99–जून 2000 के बीच एन एस एस ओ का 55 वां दौरा

कार्य सहभागिता की दर:

15.1 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सभी धर्मों की कुल जनसंख्या में कार्य सहभागिता दर (कांसृद०) अथवा कार्यकर्ताओं का प्रतिशत 39.1% है। परन्तु ‘अन्य धर्मों और संप्रदायों’ के समूह की अधिकतम कार्य सहभागिता दर 48.4% है, जबकि बौद्धों की 40.6%, हिंदुओं की 40.4% और ईसाईयों की 39.7% है। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की कार्य सहभागिता दर 31.3% से भी कम है जबकि जैनियों की कार्य सहभागिता दर 32.9% और सिखों की 37.7% अधिक है। इसके साथ-साथ देश में जैन महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 9.2% और मुस्लिम महिलाओं की कार्यसहभागिता दर 14.1, से भी कम है तालिका 3.22 में समुदाय-वार स्थिति दर्शाई गई है।

तालिका 3.22: धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों में कार्य सहभागिता दर।

(प्रतिशत में)

	सभी	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	बौद्ध	सिख	जैन	अन्य
पुरुष	51.7	52.4	47.5	50.7	49.2	53.3	55.2	52.5
महिला	25.6	27.5	14.1	28.7	31.7	20.2	9.2	44.2
औसत	39.1	40.4	31.3	39.7	40.6	37.7	32.9	48.4

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001

कार्यकर्ताओं की श्रेणी

15.2 तालिका 3.23 में विभिन्न श्रेणियों के कार्यकर्ताओं का समुदाय-वार विभाजन दर्शाया गया है।

15.3 तालिका के अनुसार (33.1%) हिंदू खेतिहर हैं और

इसके बाद सिख (32.4%) और ईसाई (29.2%) का स्थान है। मुस्लिम केवल 1/5 (20%) खेतिहर हैं जबकि जैनियों में केवल (11.7%) लोग खेतिहर हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से 31.7% कम है। अन्य धर्म वर्गों में खेतिहरों का अधिकतम प्रतिशत 49.9% है।

तालिका 3.23 कार्यकर्ताओं की श्रेणी का समुदाय-वार विभाजन

(प्रतिशत में)

	व्यवसायिक कोटि के आधार पर कामगार				
	खेतिहर	कृषि मजदूर	घरेलू औद्योगिक मजदूर	अन्य मजदूर	
सभी धर्म	31.7	26.5	4.2	37.6	
हिंदू	33.1	27.6	3.8	35.5	
मुस्लिम	20.7	22.0	8.1	49.1	
ईसाई	29.2	15.3	2.7	52.8	
सिख	32.4	16.8	3.4	47.3	
बौद्ध	20.4	37.6	2.9	39.2	
जैन	11.7	3.3	3.3	81.7	
अन्य	49.9	32.6	3.2	14.3	

स्रोत: भारत की जनगणना 2001

15.4 इसके अलावा कुल मिलाकर 26.5% कामगार कृषि श्रमिक हैं। छः धार्मिक समुदायों में कृषि श्रमिकों के रूप में सर्वाधिक कामगार (37.6%) बौद्ध समुदाय के हैं, इसके बाद अन्य धर्म वर्ग के लोगों में यह प्रतिशत 32.6% व हिंदुओं में 27.6% है। इसके विपरीत मुस्लिमों में कृषि मजदूरी (22.1%) है, जबकि सिख (16.8%) और ईसाई (15.3%) है। केवल 3.3% जैन खेतिहर मजदूरों की कोटि में आते हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। संक्षेप में 'अन्य धर्म वर्गों' में 82.5% आबादी कृषि संबंधी कार्यों में या तो खेतिहर के रूप में और/अथवा कृषि मजदूरों के रूप में कार्य कर रही है, इसके पश्चात् हिंदुओं (60.7%) और बौद्धों (58%) का स्थान है। मुस्लिमों, सिखों और जैनियों में यह प्रतिशत 50% से कम है, जो यह दर्शाता है कि उन में से अधिकांश कृषितर कार्यों में लगे हुए हैं।

15.5 घरेलू उद्योग कामगारों की कोटि में मुस्लिम मजदूरों की कारीगर संबंधी विशिष्टताएं डाटा में दर्शाई गई हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि 8.1% मुस्लिम मजदूर कारीगर का कार्य करते हैं। जो कि राष्ट्रीय और 4.2% से लगभग दो गुना है। इस कोटि में हिंदू कामगार 3.8% और सिख 3% व जैन कामगार 3% आते हैं।

ईसाई और बौद्ध कामगारों का प्रतिशत क्रमशः 2.7% और 2.9% है।

15.6 भारतीय आर्थिक ढांचा यह दर्शाता है कि लोग कृषितर क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। "अन्य कामगारों" की कोटि में वे सभी कामगार शामिल हैं, जो उपरोक्त 3 विशेष कोटियों में नहीं आते हैं। इसमें तृतीयक क्षेत्र जैसे सेवाएं, विनिर्माण, व्यापार और वाणिज्य तथा संबद्ध कार्यकलाप में लगे कामगार शामिल हैं। 81.7% जैन कामगारों को अन्य कामगारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसके बाद ईसाई 52.8% और मुस्लिम 49.1% का स्थान है। हिंदुओं में "अन्य कामगार" 35.5% है। इस डाटा सैट से यह जैन कामगारों की व्यापार संबंधी विशेषताएं तथा ईसाईयों के सेवा संबंधी कार्य का स्पष्ट पता चलता है।

15.7 एनएसएसओ ने अपने 61वें दौर के सर्वेक्षण में पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से अधिक कामगार निजी व्यवसाय करने वाले थे, मुस्लिमों में पुरुषों और महिलाओं दोनों का प्रतिशत अधिकतम क्रमशः 60% और 75% है। शहरी क्षेत्रों में भी यही अनुपात पाया गया है। ईसाईयों में पुरुष तथा महिलाओं दोनों का ग्रामीण

और शहरी क्षेत्रों में नियमित मजदूरों/वैतनिक कामगार का अनुपात अधिकतम था। नैमित्तिक श्रमिक वर्ग में हिंदू महिलाओं का अनुपात ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिकतम क्रमशः (34%) और (18%) था।

15.8 लगभग 37% हिंदु परिवार “कृषि में स्वरोजगार” पर निर्भर थे। इसके अनुरूप ईसाई 35% और मुस्लिम भी 26% भी ‘कृषि में स्वरोजगार’ पर निर्भर थे। गैर-कृषि क्षेत्रों में स्वरोजगार पर निर्भर रहने वाले परिवारों में हिंदू 14% मुस्लिम 28% और ईसाई 15% थे। ग्रामीण श्रमिकों के मामले में परिवारों का अनुपात मुस्लिम 32% और हिंदू 37% पाया गया है।

15.9 शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार, नियमित मजदूरी/वेतन और ‘नैमित्तिक मजदूरी’ पर निर्भर रहने वाले हिंदु परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 36%, 43% और 12% था। जबकि मुस्लिम परिवारों के लिए यह प्रतिशत क्रमशः 49%, 30% और 14% और ईसाईयों के संदर्भ में क्रमशः 27%, 47% और 11% था।

औसत आय

15.10 सेंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग एण्ड एक्शन, नई दिल्ली द्वारा जनवरी, 2006 में पांच राज्यों में (महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार प्रत्येक परिवार की आकलित औसत आय प्रतिमाह 2,103 रु है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक आय 3173/- है, और फिर क्रमशः उत्तर प्रदेश में 2274/- रु, पंजाब में 2155/- रु तमिलनाडु में 1449/- रु और पश्चिम बंगाल में 1324/- रु है। धर्म के आधार पर पारसियों की सर्वाधिक औसत आय प्रतिमाह 3484/- रु थी और फिर क्रमशः बौद्धों की 2478/- रु सिखों की 2285/- रु, ईसाईयों की 1906/- रु और मुस्लिमों की 1832/- रु थी, जैसा कि तालिका 3.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.24 राज्य वार तथा समुदाय वार परिवार की औसत आय

(रु में)

राज्य	आय	धर्म	आय
महाराष्ट्र	3173.34	मुस्लिम	1832.20
पंजाब	2155.39	ईसाई	1906.50
उत्तर प्रदेश	2274.60	सिख	2285.60
तमिलनाडु	1449.10	बौद्ध	2477.90
पश्चिम बंगाल	1324.15	पारसी	3483.80
सभी	2103.24	सभी	2103.24

स्रोत: सेंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग एण्ड एक्शन, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2006 में महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों पर किया गया सर्वेक्षण “अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति”।

निर्भरता अनुपात

15.11 वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर तालिका 3.25 में धार्मिक अल्पसंख्यकों के निर्भरता अनुपात के विवरण दिए गए हैं।

15.12 जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है कि मुस्लिमों में युवा व्यक्तियों की निर्भरता का अधिकतम अनुपात 778 और कम से कम 109 है, जो कि अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में औसत उनके आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारणों में से एक हो सकती है जबकि जैनियों में युवा वर्ग की निर्भरता का अनुपात कम से कम 390 है, इसके पश्चात ईसाईयों का 499 है।

15.13 संक्षेप में कहा जा सकता है कि अन्य धार्मिक समुदाय की तुलना में अधिक मुस्लिम कामगार घरेलू उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, जो उनके कारीगर होने का दयोतक है। कृषि कार्यों में लगे हुए कामगारों में जैनियों की संख्या सबसे कम है, इसके बाद मुसलमान, ईसाई और सिख आते हैं।

तालिका 3.25 विभिन्न समुदायों का निर्भरता अनुपात

समुदाय	निर्भरता अनुपात	
	युवा	वृद्ध
सभी धर्म	621	131
हिंदू	604	133
मुस्लिम	778	109
ईसाई	499	137
सिख	526	166
बौद्ध	577	146
जैन	390	154
अन्य	706	118

स्रोत: आईआईपीएस, मुंबई द्वारा वर्ष 2006 में किया गया स्थिति विश्लेषण।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के दौरे और एनसीआरएलएम द्वारा प्रायोजित कार्यशालाएं।

16. अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य संबंधित मुद्दों की जांच के लिए इस आयोग ने 28 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का दौरा किया और वहां के राजनीतिक नेताओं, कर्मचारियों और गैर-कर्मचारियों, सामुदायिक नेताओं, शिक्षाविदों

आदि के साथ चर्चा भी की। आयोग ने विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए मुस्लिमों, सिखों, पारसियों, बौद्धों और ईसाइयों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से प्राप्त सुझावों/विचारों तथा कार्यशालाओं के परिणाम स्वरूप की गई अनुशंसाएं रिपोर्ट के अंक-II में उल्लिखित हैं, महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर नीचे चर्चा की गई है।

पारसी

- (i) पारसियों की प्रजनन दर बहुत कम है, जिसके कारण उनकी जनसंख्या पर भी प्रभाव पड़ा है। शारीरिक रूप से स्वास्थ और आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हुए भी पारसी दम्पत्तियों में बच्चे पैदा करने की अनिच्छा के परिणाम स्वरूप पारसी समुदायों की वर्तमान जनसंख्या में गिरावट आई है। आकलन करने पर पता चला कि अधिक लंबी आयु के परिणाम स्वरूप ही पारसी समुदाय की संख्या कम होती जा रही है।
- (ii) पारसी समुदायों में सामाजिक-आर्थिक रूप से सुविधाओं से वंचित समूहों में ज्यादातर अकेली महिलाएं हैं, जो प्रायः वयोवृद्ध होती है, और उन्हें परिवार की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती अथवा उनकी आय का कोई साधन नहीं होता है। इसके अन्तर्गत अनुदानों पर आश्रित परिवार; भूमिहीन ग्रामीण पारसी परिवार, जिनमें कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं होता, निःसंतान, वृद्ध दम्पत्ति जिनकी आय का कोई साधन नहीं होता/जिन्हें पेंशन नहीं मिलती अथवा जिनका कोई परिवार नहीं होता और न ही कोई कमाने वाले सदस्य होते हैं, एवं न ही आगियारियों (फायर टैम्पल) में सफाई करने वाला चासनी वाला (क्लीनर) और नेस्पैलसलार (पाल बियरर्स) होता है।
- (iii) पारसी समुदायों के सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था पारंपरिक समुदायिक परिषदों की त्रि-स्तरीय प्रणाली द्वारा विनियमित की जाती है। इसके तहत गाँव स्तर पर अंजूमन', क्षेत्रीय स्तर पर जंगलवासी जारथोशा गंभार और राष्ट्रीय स्तर पर पारसी पंचायत जो स्कूलों, आवासीय परियोजनाओं, अनाथालयों, भारत में मैट्रिक के बाद की शिक्षा के साथ-साथ विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए अग्रिम क्रेडिट और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करती है, शामिल है।

सिख

- (i) भ्रण हत्या और शिशुओं के विशेष रूप से लड़कियों के लिंग अनुपात में कमी होना सिख समुदाय की गंभीर सामाजिक समस्याएं हैं।
- (ii) सिखों में सिकलीगर, बंजारा, लबाना और रामगढ़िया समुदाय सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़े समुदाय हैं।
- (iii) सिख समुदाय में लड़कियां अन्य की तुलना में शैक्षणिक रूप से काफी पीछे हैं और उन्हें माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा ग्रहण करने तक उचित संरक्षण और देख-रेख की आवश्यकता है।

बौद्ध

- (i) बौद्धों के दो विशेष वर्ग, जो ऊतरी राज्यों में लेह से अरुणाचल प्रदेश के बीच रहते हैं, अपेक्षाकृत अधिक भूमि के स्वामी हैं और देश के बाकी भागों में पाए जाने वाले बौद्धों में प्रायः वे बौद्ध आते हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया है।
- (ii) ज्यादातर बौद्ध प्रायः कृषि और/या मजदूरी रोजगार पर निर्भर हैं।
- (iii) बौद्धों का भूमिहीन होना भी एक प्रमुख समस्या है और उनको दी जाने वाली मजदूरी भी काफी कम है।
- (iv) चूँकि बौद्धों के पास पर्याप्त जमा पूँजी नहीं है, इसलिए वे उद्योग धंधों, व्यवसायों, उद्यमों, शैक्षणिक संस्थानों अथवा अस्पतालों की स्थापना नहीं कर पाए हैं।

ईसाईः

- (i) ईसाईयों की साक्षरता की दर अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की अपेक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत 65% की तुलना में अधिक है।
- (ii) नागालैण्ड और मेघालय को छोड़कर ईसाई सामान्यतः सरकारी अथवा गैर सरकारी सेवाओं में है। नागालैण्ड और मेघालय में वे कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न हैं।
- (iii) ईसाईयों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है।

- (iv) मुसलमानों और सिखों की अपेक्षा ईसाई समुदाय में बेरोजगारी काफी कम है।
- (v) ईसाई लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हैं इसीलिए उनमें शिशु मृत्यु दर कम है और वे बच्चों के प्रतिरक्षीकरण पर भी विशेष ध्यान देते हैं।

मुस्लिम

- (i) मुस्लिम साक्षरता और शिक्षा, और औद्योगिक प्रौन्हति और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में अन्य धार्मिक समुदायों से पीछे हैं। वे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ मांग के अनुरूप व्यापार में प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी पीछे हैं। (2001 की जनगणना और राज्यों के दौरे)
- (ii) गांवों, तहसीलों तथा ज़िले, जिन में मुस्लिम समुदाय की बहुलता है में कई बार उद्यमकर्ताओं द्वारा जोखिम नहीं उठाया जाता और न ही उनके उत्पादों को बाजार में लाया जाता है।
- (iii) उचित प्रबंधन न होने के कारण मुस्लिम वक्फ (wakf) संसाधनों की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं।
- (iv) मुस्लिम महिलाओं की कार्य सहभागिता दर कम पाई गई है। इससे उनका जीवन स्तर प्रभावित हुआ है।
- (v) मुस्लिमों में फकीर, सींगवाला (पारंपरिक चिकित्सा उपचार) और अरजालों के नाम से जाने जाने वाले लोग आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।
- (vi) विभिन्न कारीगर वर्गों-जैसे बुनकर आदि, की सूत कातने और बुनाई करने की अपनी पुरानी तकनीकों के परिणाम स्वरूप आज भी उनके जीवन स्तर की स्थिति दयनीय बनी हुई हैं; वे पड़ोसी देशों के कारीगरों के साथ प्रतियोगिता करने में सक्षम नहीं हैं।

आयोग की टिप्पणियां:

17. 1931 तथा 1941 की जनगणना के अनुसार पारसी और यहूदी मुख्यतः शहरी थे, इसके बाद मुस्लिम, ईसाई और जैन आते थे। शिक्षा के संदर्भ में 1891—1931 की अवधि के दौरान पारसियों, जैनियों, यहूदियों और ईसाईयों की साक्षरता का प्रतिशत अधिक

था। इस प्रकार देखा जा सकता है कि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की साक्षरता का प्रतिशत बहुसंख्यक धर्मानुयायियों की अपेक्षा अधिक था। मुस्लिमों की साक्षरता का प्रतिशत केरल को छोड़कर जहां कहीं भी वे बहुलता में पाए जाते हैं, कम पाया गया है। व्यावसायिक ढांचे के संबंध में पारसियों, यहूदियों और जैनियों जैसे अल्पसंख्यक अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में काफी आगे हैं। केरल में सिरियन ईसाई और मुस्लिमों में मोपल काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं।

18. पूर्व पैराग्राफों में विश्लेषित और एकत्र डाया के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए:

18.1 देश की 1/5 जनसंख्या धर्म आधारित अल्पसंख्यक है।

18.2 सिखों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य धर्मानुयायी ज्यादातर शहरी हैं।

18.3 प्रति 1000 पुरुषों में 933 महिलाओं के राष्ट्रीय महिला/पुरुष अनुपात की तुलना में ईसाईयों में (1009), बौद्धों में (953) और मुस्लिम में (936) महिलाएं हैं, जो कि राष्ट्रीय महिला/पुरुष अनुपात की अपेक्षा अधिक है। परन्तु सिखों में महिला पुरुष का अनुपात (893) है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। पारसियों में महिलाओं की संख्या (35,652) और पुरुषों की संख्या (33,949) है। इससे उनके स्पष्ट महिला/पुरुष अनुपात का पता चलता है।

18.4 भ्रूण हत्या और विशेष रूप से लड़कियों का घटता हुआ अनुपात सिख समुदाय की प्रमुख सामाजिक समस्या है।

18.5 जैनियों, ईसाईयों, बौद्धों और सिखों की साक्षरता दर 64.8% के राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। जबकि मुस्लिमों में यह उससे कम (59.1%) है। मुस्लिमों में महिला साक्षरता दर भी कम है। मुस्लिमों की साक्षरता दर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अपेक्षा अधिक है।

18.6 ऐसा देखा गया है कि मुस्लिमों में प्राथमिक स्तर में पढ़ने वाले बहुत से बच्चे माध्यमिक स्तर तक आते-2 बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं; इससे उनके द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की बढ़ती दर का पता चलता है। उनकी शिक्षा का स्तर उन्नत करने तथा प्राथमिक स्तर के बाद विद्यार्थियों द्वारा बीच में ही पढ़ाई न छोड़ने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धर्म अथवा जाति पर ध्यान न देते हुए सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावशाली कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है।

18.7 धार्मिक समुदायों के अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान हैं जैसे हिन्दुओं के गुरुकुल, मुस्लिमों के मदरसे, ईसाइयों के धर्म शिक्षणालय (सेमीनरीस) और बौद्धों के मठ। इनमें से कुछ संस्थानों में धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा के अलावा सामान्य शिक्षा भी दी जाती है। नियमित पाठ्यचर्या के अलावा अन्य संस्थानों में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। ये संस्थान अपनी ही विचारधारा का अनुसरण करते हैं और इनके पाठ्यक्रम तथा शिक्षण पद्धति में किसी भी प्रकार की समानता नहीं होती है। यद्यपि ईसाइयों, बौद्धों और हिंदुओं के धार्मिक शिक्षण संस्थान बहुत कम हैं तो भी ये संस्थाएं रोजगारोन्मुखी और धार्मिक संस्थाओं व उनसे संबद्ध पदों के अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। मदरसे काफी संख्या में हैं और इनमें धार्मिक शिक्षा पर ध्यान देने के साथ-साथ राज्य के अन्य शिक्षण संस्थानों के समान सामान्य शिक्षा के लिए भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

18.8 धार्मिक अल्पसंख्यकों में बौद्धों और मुस्लिमों में अधिक बाल विवाह पाए गए।

18.9 जबकि सकल प्रजनन दर मुस्लिमों, अनुसूचित जातियों और जन जातियों में अधिक पाई गई और उनमें गर्भ निरोधकों का प्रयोग भी कम पाया गया।

18.10 पारसियों की प्रजनन दर बहुत कम है और इसकी वजह से उनकी जनसंख्या पर भी प्रभाव पड़ा है। शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होने के बावजूद भी बहुत से दम्पत्ति बच्चे पैदा न करने की इच्छा से विद्यमान पारसी समुदायों की वर्तमान संख्या में भारी गिरावट आई है, जब इसका आकलन पारसियों की बढ़ती उम्र के अनुसार किया जाता है तो पता चलता है कि इसी वजह से पारसी समुदायों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

18.11 मुस्लिमों में औसतन परिवार बड़ा होता है और पारसियों में छोटा परिवार होता है।

18.12 अन्य अल्पसंख्यकों की अपेक्षा मुस्लिमों में शिशु एवं बाल मृत्यु दर अधिक है परन्तु यह मृत्यु दर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की तुलना में कम है।

18.13 अल्पसंख्यकों की आवासीय स्थितियों से पता चलता है कि पारसी अधिक सुविधाजनक ढंग से रहते हैं, इसके बाद ईसाइयों का स्थान है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां इसी बात से संतुष्ट हैं कि उनके पास स्वयं के घर हैं। परन्तु उनके घरों में बिजली, पाइपों द्वारा पेयजल आपूर्ति तथा शौचालयों जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी नहीं हैं।

18.14 अल्पसंख्यकों में एक-तिहाई मुस्लिम कच्चे घरों में रहते हैं, जिनमें पेयजल, शौचालय आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है और इसी प्रकार वे किराए के घरों में भी रहते हैं।

18.15 कार्य सहभागिता दर का राष्ट्रीय औसत 39.1% है। बौद्धों में यह प्रतिशत अधिक (40.6%) और ईसाइयों में (39.7%) है और मुस्लिमों में (31.3%) और सिखों में (37.7%) है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। इसके अलावा सभी महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 25.6% है लेकिन सिख महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 20.2% है और मुस्लिम महिलाओं की 14.14% है।

18.16 जहां तक व्यावसायिक स्वरूप का संबंध है राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादातर सिख खेतिहार हैं और अधिकांशतः मुस्लिम घरेलू उद्योग-धंधों में लगे हैं। बौद्ध काफी संख्या में कृषि संबंधी कार्यों में लगे हैं। इसके विपरीत ईसाइयों ने कृषितर कार्य और गैर-आद्योगिक कार्य अपना लिए हैं और संभवतः उन्होंने स्वयं को ऐसे व्यवसायों में लगा लिया है जिसे अन्य कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परन्तु नागालैण्ड और मेद्यालय में ईसाई लोग प्रचुरता में कृषि संबंधी कार्यों में लगे हैं।

18.17 शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम और सिख अधिक निर्धन पाए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ईसाई अधिक गरीब हैं।

18.18 भारत में अल्पसंख्यक जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू गत वर्षों से पारसियों के घटती संख्या है। वर्ष 1991 में 76,382 लोगों के तुलना में वर्ष 2001 की जनगणना में उनकी संख्या 69,601 आकलित की गई। उनकी जनसंख्या नियंत्रित करने के बजाय पारसियों की प्रजनन दर बढ़ाने के सार्थक उपाय किए जाने चाहिए।

18.19 वर्ष 2001 की जनगणना में “धार्मिक डाटा पर पहली रिपोर्ट” शीर्षक के तहत प्रकाशित जानकारी में केवल छः धर्मों-हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन के बारे में आँकड़े दिए गए हैं। अन्य धर्मों और संप्रदायों को “अन्य कोटि” के रूप में समेकित किया गया है, इसमें कुल जनसंख्या के 0.6% अर्थात् (66,39,629) लोग शामिल हैं। इनके विवरण राज्यवार प्रकाशित किए जाएं ताकि विकासात्मक परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा सके।

भाषायी अल्पसंख्यकों की स्थिति

1. धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने, उनकी पहचान करने के लिए मानदण्ड सुझाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु उपाय प्रस्तावित करने के लिए यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि ‘भाषायी अल्पसंख्यक’ कौन है? अल्पसंख्यकों को सामान्यतः ऐसे लोगों का समूह माना जाता है, जिसमें उस समाज विशेष की आधी से कम जनसंख्या शामिल होती है और जिनको धर्म अथवा भाषा के आधार पर अलग-अलग किया जाता है; और ये लोग अपने आपको एक विशेष समूह मानते हैं। अतः ‘भाषायी अल्पसंख्यक’ शब्द को संविधान अथवा किसी अन्य विधि में परिभाषित नहीं किया गया है। “अल्पसंख्यक” को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2 में केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के संदर्भ में ही परिभाषित किया गया है।

2. वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु नियुक्त की गई एक विशेष उप समिति ने “अल्पसंख्यक” को जनसंख्या के उन प्रभावी समूहों के रूप में परिभाषित किया है, जिसकी शेष जनसंख्या स्पष्ट तौर पर भिन्न अपनी दृढ़ जातीय और धार्मिक तथा भाषीय परम्पराएं और विशिष्टताएं हैं और जो इन्हे बनाए रखना चाहते हैं। फांसेस्को केपोटोरटी ने 1997 की अपनी संयुक्त राष्ट्र उप-आयोग अध्ययन रिपोर्ट, में ‘अल्पसंख्यकों’ को परिभाषित करते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक से अभिप्राय ऐसे समूह से है, जो उस राज्य की शेष जनसंख्या की तुलना में कम संख्या में होते हैं, तथा जिनका वहां कोई प्रभाव नहीं होता और जिसके सदस्य राज्य के नागरिक होते हुए भी जातीय, धार्मिक अथवा भाषायी विशिष्टताओं में स्वयं को राज्य की शेष जनसंख्या से अलग मानते हैं तथा चाहे अव्यक्त रूप से ही सही वे अपनी संस्कृति, परम्पराओं, धर्म अथवा भाषा बनाए रखने के प्रति एकात्मकता की भावना रखते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोष में ‘अल्पसंख्यक’ को “अपेक्षाकृत कम संख्या में लोग अथवा

उसका कुछ भाग; एक ऐसी संख्या अथवा भाग, जिसमें संपूर्ण संख्या के आधे से भी कम लोग शामिल हों; लोगों का अपेक्षाकृत छोटा समूह, जो प्रजाति, धर्म, भाषा अथवा राजनीतिक संप्रदाय के मामले में दूसरों से अलग हों” के रूप में परिभाषित किया गया है। डी ए वी कालेज आदि बनाम पंजाब राज्य और अन्य (एस सी आर 688; ए आई आर 1971 एस सी 1737 (5 मई, 1971), के संबंध में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 30(1) के प्रयोजनार्थ “भाषायी अल्पसंख्यक” से तात्पर्य है, जिसकी बोलचाल की भाषा अन्य लोगों से भिन्न हो; इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस भाषा कि लिपि भी अलग हो।”

3. यद्यपि इस बारे में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु संविधान के बहुत से उपबंधों में अल्पसंख्यकों के बारे में आवश्यक पहलूओं की जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि सभी अल्पसंख्यकों “चाहे वे धर्म के आधार पर हों अथवा भाषा के आधार पर, को यह अधिकार होगा कि वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन स्वयं चला सकते हैं।” धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के विशिष्ट गुणों पर उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुत से निर्णयों के माध्यम से प्रकाश डाला है। माननीय न्यायालय ने टी ए पाई फाउण्डेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:

“भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन की गई अभिव्यक्ति “अल्पसंख्यक” के तहत आते हैं। चूंकि भारत में राज्यों का पुनर्गठन अल्पसंख्यकों के निर्धारण के उद्देश्य से भाषायी आधार पर किया गया है, इसलिए यूनिट वह राज्य विशेष होगा न कि संपूर्ण भारत। इस प्रकार धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 के समतुल्य रखा गया है और उन पर राज्यवार विचार किया जाए।”

इसके साथ-साथ इनामदार के मामले (ए आई आर 2005 उच्चतम न्यायालय, 3226)में भी यह परिभाषा अपने आपमें पूर्ण नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित विचार अभिव्यक्त किए हैं:

“.....इस पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 30(1) का राज्य से बाहर लागू करने का जटिल प्रश्न उत्पन्न होता है। पाई फाउण्डेशन ने स्पष्ट तौर पर राज्य (अथवा किसी प्रांत के अधिकार क्षेत्र) में यह नियम लागू किया है कि अल्पसंख्यक सुनिश्चित करने के लिए उसे (राज्य को) एक इकाई माना जाए। विधि की इस घोषणा के निम्नलिखित परिणाम सामने आए। पहला, यह कि भारत में प्रत्येक समुदाय अल्पसंख्यक हो जाता है, क्योंकि वह किसी न किसी राज्य में धार्मिक अथवा भाषायी किसी भी आधर पर अल्पसंख्यक होता है, तब क्या होगा जब किसी राज्य विशेष में रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय उस राज्य में कोई शैक्षणिक संस्थान स्थापित करता है और स्वयं उसका प्रशासनिक नियंत्रण करता है, परन्तु वह यह कार्य अपने पड़ोसी राज्य में रहने वाले उन अल्पसंख्यक लोगों के लाभार्थ करता है, जहां वे बहुसंख्यक हैं? क्या संविधान की दृष्टि से इसे विधि सम्मत माना जाएगा?”

4. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक स्थिति की आधारभूत विशिष्टताएं उनकी संख्या कम होना, प्रभाव न होना और विशिष्ट पहचान का स्थायीत्व होना है।

भारत की भाषायी जनसंख्यकी

5. भाषा संस्कृति और पहचान का माध्यम है। सामूहिक अस्तित्व के लिए यह एक प्रमुख विशेषता है। अतः सांस्कृतिक समुदायों के बने रहने के लिए भाषा नितांत आवश्यक है। भाषाएं किसी भी पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण अंग होती है। भारतीय संविधान में 22 प्रमुख भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो सामूहिक रूप से अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है जबकि सैकड़ों अन्य भाषाएं तथा बोलियां देश के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाती हैं।

भारत में धर्मनिरपेक्षता के मूल में विविध भाषाओं और भिन्न-भिन्न आस्थाओं वाले अलग-अलग लोगों की पहचान करना और उन्हें संरक्षण देना तथा उन परस्पर सामंजस्य बनाए रखना है ताकि एक संपूर्ण और एकीकृत भारत का निर्माण किया जा सके। अनुच्छेद 29 और 30 में विद्यमान विभेदों को बनाए रखने और साथ ही एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की बात कही गई है।

6. दक्षिण एशियायी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं कम से कम 04 प्रमुख भाषायी परिवारों में बोली जाती हैं: इण्डो-यूरोपियन (जिसमें से ज्यादातर अर्थात् 74.24% इसकी उप-शाखा इण्डो-आर्यन बोलने वाले); द्रविड़ (23.86% भाषाभाषी); ऑस्ट्रो-एशियाटिक (1.16%) और चीनी तिब्बती (0.62%) है। विकीपैडिया आंकड़े 72% इण्डो-आर्यन, 25% द्रविड़ और केवल 3% तिब्बतो-बर्मन, ऑस्ट्रो-एशियाटिक और अन्य भाषाएं बोलने वालों से भिन्न है। परन्तु पूर्व के आंकड़ों को सामान्यतः दोनों जनगणना की रिपोर्टें और एथेनोलॉग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार भाषाओं और मातृ भाषाओं के सबसे बड़े खण्ड में इण्डो-यूरोपियन भाषाओं का इण्डो-आर्यन उपपरिवार शामिल है। आधुनिक इण्डो-आर्यन भाषाओं में हिंदी और बांग्ला सर्वाधिक जानी पहचानी भाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी इंग्लैण्ड के मध्य भाग में बोली जाने वाले (मिडलैण्ड) इण्डो-आर्यन भाषा है, जो गंग-मैदानों और ठीक इसके उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके तीन तरफ क्रमशः पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी बोली जाती हैं। पूर्वी हिन्दी अवध और इसके दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। बाहरी क्षेत्र में कुछ भाषाएं जैसे उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में कश्मीरी, लहंदा, सिंधी, गुजराती, मराठी और पूर्वी क्षेत्र में उड़िया, मैथिली, बंगाली और असमिया बोली जाती हैं।

7. भारतीय संविधान में शब्द अल्प अथवा अल्पसंख्यक भाषाओं को न तो परिभाषित किया गया है और न ही इनका प्रयोग किया गया है (यद्यपि भाषायी अल्पसंख्यक का वहां उल्लेख किया गया है, 1964 में की गई भारत की जनगणना के अनुसार देश में प्रलेखित विभिन्न प्रकार की भाषाओं को तालिका 4.1 में सूचीबद्ध किया गया है।

इसके विपरीत 1990-91 की जनगणना में 216 मातृभाषाएं सूचीबद्ध की गई, जो अखिल भारतीय स्तर पर 10,000 अथवा इससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इनको 114 भाषाओं के समूह में बांटा गया है, जिसमें से 22 भाषाओं का संविधान में अधिसूचित भाषा के रूप में उल्लेख किया गया है। इन भाषाओं का विभाजन पूर्णतया विविध, जटिल व असमान है। परिणामस्वरूप कुछ राज्यों की अपने क्षेत्रफल को ध्यान में रखे बिना अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक भाषाएं होती हैं। वास्तव में भारत के सभी राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यक हैं और कुछ राज्यों में सभी भाषाओं की अल्पसंख्यक भाषाएं माना जाता है, भले ही वे भिन्न प्रकार की क्यों न हों और उनकी उपयोगिता व महत्व के अनुसार ही उन्हें अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा क्यों न दिया गया हो।

तालिका: 4.1: देश में भाषाएं / मातृ भाषाएं

क्र. सं.	विवरण	मातृ भाषाओं की संख्या	बोलने वालों की कुल संख्या
1.	मातृ भाषाओं की संख्या में बोली जाने वाली	1652	438,936,918
2.	भारत वर्गीकरण के भाषायी सर्वेक्षण में सत्यापित मातृ भाषाओं की संख्या	572	436,224,545
3.	ऐसी भाषाओं की संख्या जो भारत के भाषायी सर्वेक्षण में उपलब्ध नहीं हो पाई परन्तु जिन्हें अस्थायी तौर पर वर्गीकृत किया गया है	400	426,076
4.	भारत के भाषायी सर्वेक्षण में सत्यापित परन्तु अस्थायी रूप से पुनःवर्गीकृत की गई मातृ भाषाओं की संख्या	50	1,908,399
5.	अवर्गीकृत मानी गई मातृ भाषाओं की संख्या	527	62,432
6.	विदेशी मातृ भाषाएं	103	315,466

स्रोत : जनगणना-1961

8. 1990-91 की जनगणना में केवल उन भाषाओं और/अथवा उनके परिवर्ती रूपों पर ध्यान केन्द्रित किया गया जो भारत में 10,000 अथवा उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती थी। इस प्रकार उस जनगणना में बहुत सी भाषाएं तथा उनके परिवर्ती रूपों की गणना नहीं की गई। कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं, जो कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं जबकि वह एकमात्र ऐसी भाषा होती है जिसे वे जानते हैं। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 350 'क' में 10,000 से कम तथा 10000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में भिन्नता नहीं बताई गई है, इसलिए जनगणना का यह निर्णय कि 10000 लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दिए जाने का निर्देश संविधान में किए गए उल्लेख का व्यतिक्रम (विचलन) है। उदाहरणार्थ, लक्ष्यद्वीप के मिनीकॉय द्वीप में लगभग सभी लोग महल भाषा बोलते हैं जबकि वहाँ की कुल जनसंख्या अथवा उक्त भाषा बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम है। अर्थात् महल भाषा उस क्षेत्र में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं से भिन्न है तो भी जनगणना रिपोर्ट में उसका उल्लेख नहीं किया जाता है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भाषा प्रोफाईल संबंधी कुछ आंकड़े

9. भारत संघ में 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग एक बिलियन (1028,610,320-जनगणना 2001) से अधिक है। भारत की जनगणना करते समय बोली जाने वाली भाषाओं की गणना भी की जाती है। 1991 की

जनगणना में अखिल भारतीय स्तर पर 10000 अथवा अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली 216 मातृभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिनको 114 भाषाओं में समेकित किया गया है। भाषायी आधार पर भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न के फलस्वरूप ही तां 29.12.1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में काफी संख्या में एकल भाषायी राज्य बनाए गए। राज्य क्षेत्रों के पुनर्विभाजन की इस योजना के पीछे एकमात्र प्रेरक विचार यह था कि सामान्य भाषा बोलने वाले लोगों की एक जुट करके भाषायी अल्पसंख्यकों की संख्या को कम किया जाए। परन्तु भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से भाषायी अल्पसंख्यकों की सभी समस्याएं इसलिए हल नहीं हो सकी क्योंकि विभिन्न राज्यों में मूलतः बहु भाषाएं बोली जाती हैं, जैसा कि तालिका 4.2 से स्पष्ट होता है।

10. भाषायी आधार पर राजनीतिक और प्रशासनिक इकाईयों के रूप में राज्यों के पुनर्गठन से बहुसंख्यक भाषियों और अल्पसंख्यक भाषा भाषियों के बीच के मतभेद कम नहीं किए जा सके। वास्तव में, जैसाकि भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की पहली रिपोर्ट में दर्शाया गया है:

“भाषायी आधार पर राज्यों के विभाजन के अवश्यम्भावी परिणाम प्राप्त हुए कि क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और समय के साथ-साथ वह भाषा उस राज्य की राजभाषा बन जानी चाहिए।

तालिका 4.2: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भाषा संबंधी प्रोफाइल

क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रमुख भाषाएं	अल्पसंख्यक भाषाएं
1.	अरुणाचल प्रदेश	हिंदी, असमिया, अद्वी, अपतानी, भोटी, चम्पाती और निभि	राज्य सरकार यह दावा करती है कि किसी भी भाषा को अल्पसंख्यक भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
2.	अण्डमान और निकोबार	हिंदी	बंगाली, तमिल, तेलगू, मलयालम, निकोबारी, कुरुख/ओरेओन
3.	आसाम	असमिया	बंगला सादरी, हिंदी, मणीपुरी, मिशिंग, कारबी, गारे, बोडो, नेपाली, हमार
4.	आन्ध्र प्रदेश	तेलगू	उर्दू, हिंदी, उड़िया, तमिल, कन्नड़, मराठी
5.	उड़ीसा	उड़िया	हिंदी, तेलगू, संथाली, कुर्स, उर्दू, बंगला, गुजराती
6.	उत्तर प्रदेश	हिन्दी	उर्दू, पंजाबी, सिंधी
7.	उत्तराखण्ड	हिंदी	उर्दू, पंजाबी, नेपाली
8.	कर्नाटक	कन्नड़	उर्दू, तेलगू, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलू, लमानी, हिंदी, कॉकणी और गुजराती
9.	केरल	मलयालम	तमिल, कन्नड, कॉकणी
10.	गुजरात	गुजराती	हिंदी, मराठी, सिंधी, उर्दू, तेलगू, मलयालम, उड़िया, तमिल
11.	गोवा	कॉकणी	मराठी, हिंदी, कन्नड, उर्दू, मलयालम
12.	छत्तीसगढ़	हिंदी	बंगाली, उड़िया, तेलगू, मराठी, गोंडी, कुरुख, हलाबी, उर्दू
13.	जम्मू और कश्मीर	डोगरी, कश्मीरी	उर्दू, हिंदी, पंजाबी, लदाखी, बालाटी
14.	झारखण्ड	हिंदी	बांगला, उर्दू, संथाली, खारिया, मुंदारी, हो, कुरुख, उड़िया, कुर्माली, खोरथा
15.	तमिलनाडु	तमिल	तेलगू, कन्नड, उर्दू, मलयालम, हिंदी गुजराती
16.	त्रिपुरा	बांगला	हिंदी, कोकबोरोक, चकमा, मोघ, हालम, मणिपुरी, विष्णु प्रिया, मणिपुर
17.	पश्चिम बंगाल	बांगला	हिंदी, संथाली, उर्दू, नेपाली, उड़िया, तेलगू
18.	पंजाब	पंजाबी, हिंदी	उर्दू
19.	बिहार	हिंदी	उर्दू, बंगली
20.	मध्य प्रदेश	हिंदी	भीली/भीलोदी, गोंडी, मराठी, उर्दू, उड़िया
21.	मणिपुर	मणिपुरी	थाड़ी, पस्तो, टाँगखुल, हमार, मीज़ो, हिंदी, नेपाली, माओ, कूकी, बंगली
22.	महाराष्ट्र	मराठी	उर्दू, हिंदी, गुजराती, कन्नड, तेलगू, भीली, खानदेशी
23.	मिजोरम	मीज़ो	बांगला, त्रिपुरी, नेपाली, हिंदी, हमार, पवाई, चाकमा
24.	मेघालय	गारे, खासी	असमिया, बंगाली, हिंदी, हेज़ोंग, नेपाली, कोच, राखा, सिन्नेंग
25.	राजस्थान	हिंदी	उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, भीली/भीलोदी
26.	सिक्किम	नेपाली	लेपचा, लिबू, भोतिया, हिंदी, शेरपा, तमांग, नेवारी, गुरेंग
27.	हरियाणा	हिंदी	पंजाबी और उर्दू
28.	हिमाचल प्रदेश	हिंदी	लाहुली, भोटी, पंजाबी, किनौरी
29.	चण्डीगढ़	हिंदी	पंजाबी
30.	दमन-द्वीप	गुजराती	हिंदी, मराठी
31.	दादरा नगर हवेली	गुजराती, कॉकणी	हिंदी, मराठी
32.	दिल्ली	हिंदी	पंजाबी, उर्दू, सिंधी, तेलगू, तमिल, बंगली
33.	नागालैण्ड	आओ (एओ)	अंगमी, कूकी, लोथा, चोकरी, कोन्या
34.	पुंछरेंगी	तमिल	हिंदी, मलयालम, फेंच, अरेबिक, तेलगू, संस्कृत
35.	लक्ष्मीप	मलयालम, माहल	—

*स्रोत: 2-2401/उ/07

अन्य भाषाएं जो राज्य में रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों की मातृभाषाएं हैं उन्हें सामान्यतया महत्व या दर्जा नहीं मिलता है; जिसका परिणाम यह होता है कि जिनकी मातृभाषा अल्पसंख्यक भाषा है उनकी भावनापूर्ण शिकायतें ही नहीं हैं बल्कि उनकी शिकायतों का आधार कुछ व्यावहारिक कठिनाईयां एवं असुविधाएं हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है।

11. भारत की जनगणना 1961 के अनुसार भारत का ऐसा कोई भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नहीं है जहां 12 से कम मातृभाषा हों। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मातृभाषाओं की संख्या 12 से 410 तक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनैतिक और प्रशासनिक कारणों से भारत के विभिन्न राज्यों को एक भाषा या द्विभाषा करार दिया हुआ है जबकि उनमें से प्रत्येक राज्य बहुभाषी राज्य है और प्रत्येक राज्य की राजनैतिक व्यवस्था बहुत पेचीदा है इसके परिणाम स्वरूप, यद्यपि राज्य की सीमाएं कठोरतापूर्वक एक या द्विभाषी मानदण्ड के सिद्धान्त पर निर्धारित हैं तब भी भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या नहीं सुलझ सकती।

12. जब 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में भारत का संविधान स्वीकार किया गया तब भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं सूचीबद्ध थीं। 1951 में, भारत के संविधान में मान्यताप्राप्त 14 भाषाओं के अलावा, जनगणना संबंधी रिकार्ड सहित अनेक अन्य सरकारी दस्तावेजों में 23 प्रमुख जनजातीय भाषाओं और 24 अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं का भी उल्लेख किया गया है। इन भाषाओं में से प्रत्येक भाषा को बोलने वालों की संख्या एक लाख से अधिक है। फिर भी बाद की जनगणना संबंधी दस्तावेजों में 10000 की जनसंख्या को मानदण्ड माना गया है। तब से, पिछले 55 वर्ष के दौरान आठवीं अनुसूची में तीन बार संशोधन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं इन भाषाओं और इन में से प्रत्येक भाषा के बोलने वालों की संख्या के ब्यौरे तालिका 4.3 में दिए गए हैं।

तालिका 4.3 भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाएं और उन्हें बोलने वालों की संख्या

क्रम सं.	भाषाएं	बोलने वालों की संख्या	प्रतिशतता
1.	असमिया	13,079,696	1.55
2.	बंगाली	69,595,738	8.22
3.	बोडो*	12,21,881	0.15
4.	डोगरी*	89.681	0.01
5.	गुजराती	40,673,814	4.81
6.	हिंदी	337,272,114	39.85
7.	कन्नड़	32,753,676	3.87
8.	कश्मीरी	56693 (जम्मू एवं कश्मीर से बाहर गणना के अनुसार 3174684 (1981 की योजना के अनुसार)	लागू नहीं (1991) 0.48% (1981)
9.	कॉकणी	1760,607	0.21
10.	मलयालम	30,377,176	3.59
11.	मणिपुरी	127,0216	0.15
12.	मराठी	62,481,681	7.38
13.	मैथिली*	77,66,597	0.93
14.	नेपाली	20,76,645	0.25
15.	उड़िया	28,061,313	3.32
16.	पंजाबी	23,378,744	2.76
17.	संस्कृत	49,736	0.01
18.	सन्थाली*	5,216,325	0.62
19.	सिंधी	2,122,848	0.25
20.	तमिल	53,006,368	6.26
21.	तेलुगु	66,017,615	7.80
22.	उर्दू	43,406,932	5.13

स्रोत: भारत की जनगणना 1991

*बोडो, डोगरी, मैथिली, और सन्थाली जो 1991 में गैर-अनुसूचित भाषाएं थी उन्हें 2003 में 92वें संशोधन द्वारा अनुसूचित भाषाएं घोषित किया गया।

भाषायी विविधता को बढ़ावा देने संबंधी सांविधिक उपबंध और रक्षोपाय;

13. भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के हित के संरक्षण के लिए संविधान में अनेक उपबंध किए गए हैं वे निम्नलिखित हैं :

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

“अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा।”

(2) अनुच्छेद 347 अत्यधिक सुस्पष्ट है और इसमें उल्लेख है कि “यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करें, शासकीय मान्यता दी जाए।”

14. अल्पसंख्यक भाषा के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अधीन संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अन्तर्गत संविधान में भी उपबंधित है जिसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाता है:

अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण:

(1) भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार

(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

15. अनुच्छेद 350क और 350 के अधीन अपनी मातृभाषा में छोटे समुदायों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने और भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का भी विशेष प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 350क—प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

“प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषायी/अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है”।

अनुच्छेद 350ख—भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी— (1) भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। (2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन विषयों के संबंध में ऐसे अन्तरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों पर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

16. यह उपबंध अपनी संपूर्णता में विशिष्ट है तथा भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को समायोजित करने से अभिप्रेत है जब अनुच्छेद 29 और 30 के अन्तर्गत उपबंधों पर मौलिक अधिकारों

के अध्याय में तथा धार्मिक भाषाई एवं जातिगत अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के सुरक्षा उपायों के लिए संविधान में अन्यत्र दिए गए अन्य उपबंधों के साथ विचार किया जाता है यह स्पष्ट होता है कि इन उपबंधों का एक मात्र प्रयोजन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी भाषा की रक्षा करने तथा उसका विकास करने का अधिकार देना है तथा उन्हे अपने बच्चों को शुरू से ही अपनी मातृभाषा में शिक्षित करने की सुविधा प्रदान करना है लेकिन किसी क्षेत्र में भाषा का अल्पसंख्यक दर्जे का उन लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक दर्जे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो उस अल्पसंख्यक भाषा को बोलते हैं वस्तुतः प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं को बोलने वाले हैं यद्यपि उनके बोलने वालों की प्रतिशतता में एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत अन्तर है/उदाहरणस्वरूप त्रिपुरा की 30 प्रतिशत जनसंख्या अल्पसंख्यक भाषाएं बोलती हैं लेकिन केरल में इसका प्रतिशत बहुत कम है। कुछ राज्यों में कोई क्षेत्रीय/प्रधान

भाषा नहीं है। इसी प्रकार नागालैण्ड और अरूणाचल प्रदेश में भाषाओं की संख्या बहुत अधिक है लेकिन उनमें से कोई भी भाषा वहां की क्षेत्रीय/प्रधान भाषा कहलाने की स्थिति में नहीं है। मेघालय में दो भाषाएं खाली और गरों तगभग समतुल्य भाषाएं हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के साथ-साथ बोली जाती हैं। इन राज्यों में आमतौर पर अपनी बहुसंख्यक भाषा को अपनी शासकीय भाषा घोषित किया हुआ है तथा कोई भी राज्य अपनी एक से अधिक शासकीय भाषा घोषित कर सकता है जिसमें से प्रत्येक भाषा का विशेष रूप से अभिहित प्रयोजन होना चाहिए या वह भाषा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयुक्त होनी चाहिए।

17. राज्यों की बहु भाषायी स्थिति के आधार पर इन्हें निम्नलिखित पांच वर्गों के से डमें रखा गया है। जिसको तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:-

तालिका 4.4

समूह	राज्य	प्रमुख भाषा	गौण भाषा 1%	गौण भाषा 2%	अन्य भाषाएं	भाषाएं प्रमुख + गौण
(क)	केरल	96.6	2.1	0.3	1.0	मलयालम (तमिल, कन्नड़)
	पंजाब	92.2	7.3	0.1	0.4	पंजाबी (हिंदी, उर्दू)
	गुजरात	91.5	2.9	1.7	3.9	गुजराती (हिंदी, सिंधी)
	हरियाणा	91.0	7.1	1.6	0.3	हिंदी (पंजाबी, उर्दू)
	उत्तर प्रदेश	90.1	9.0	0.5	0.4	हिंदी (उर्दू, पंजाबी)
	राजस्थान	89.6	5.0	2.2	3.2	हिंदी (मिली मिलोडी, उर्दू)
	हिमाचल प्रदेश	88.9	6.3	1.2	3.6	हिंदी (पंजाबी, किनौरी)
	तमिलनाडु	86.7	7.1	2.2	4.0	तमिल (तेलुगु, कन्नड़)
	पश्चिम बंगाल	86.0	6.6	2.1	5.7	बंगाली (हिंदी, उर्दू)
(ख)	आन्ध्र प्रदेश	84.0	8.4	2.8	4.0	तेलुगु (उर्दू, हिंदी)
	मध्य प्रदेश	85.6	3.3	2.2	8.9	हिंदी (मिली मिलोडी, गोडी)
	बिहार	80.9	9.9	2.9	6.3	हिंदी (उर्दू, संथाली)
	उड़ीसा	82.8	2.4	1.6	13.2	उड़िया (हिंदी, तेलुगु)
	मिजोरम	75.1	8.6	3.3	13.0	लुसाई (बंगाली, लेखर)
(ग)	महाराष्ट्र	73.3	7.8	7.4	11.5	मराठी (हिंदी, उर्दू)
	गोवा	51.5	33.4	4.6	10.5	कोकड़ी (मराठी, कन्नड़)
	मेघालय	49.5	30.9	8.1	11.5	खासी (गारो, बंगाली)
	त्रिपुरा	68.9	23.5	1.7	5.9	बंगाली (त्रिपुरा, हिंदी)
(घ)	कर्नाटक	66.2	10.0	7.4	16.4	कन्नड़ (उर्दू, तेलुगु)
	सिक्किम	63.1	8.0	7.3	21.6	नेपाली (भोटिया, लेपचा)
	मणिपुर	60.4	5.6	5.4	29.6	मणिपुरी (थाडोड, टैकूल)
	असम	57.8	11.3	5.3	25.6	असमिया (बंगाली, बोरी/बोड़ी)
	अरूणाचल	19.9	9.4	8.2	62.5	निंसी/डाफला (नेपाली, बंगाली)
	नागालैण्ड	14.0	12.6	11.4	52.0	एओ (सेमा, कोणाक)

स्रोत: भारत की जनगणना, 1991

समूह 'क' में दस राज्य अर्थात केरल, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश में गौण भाषा बोलने वाली जनसंख्या का प्रतिशत नगण्य है जबकि प्रमुख भाषायी समूह का प्रतिशत इस राज्य की जनसंख्या का 85% से अधिक है। समूह 'ख' के अंतर्गत मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मिजोरम और महाराष्ट्र के अंतर्गत कुल जनसंख्या का प्रमुख भाषायी समूह के 70% से अधिक है लेकिन भाषाई अल्पसंख्यक की संख्या भी बहुत है। समूह 'ग' के अंतर्गत आने वाले राज्य गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक हैं जिनमें भाषागत तनाव बहुत अधिक है अनेक मामलों में इसका कारण यह रहा है कि उन राज्यों में प्रधानता वाला भाषायी अल्पसंख्यक समूह है जैसे त्रिपुरा में बंगाली बोलने वाले, मेघालय में गारो बोलने वाले, कर्नाटक में तेलगु बोलने वाले तथा गौण में मराठी बोलने वाले समूह की प्रधानता है। कर्नाटक में अनपेक्षित क्षेत्र से एक तनाव उभरा है जो विशेष रूप से मराठी बोलने वाले सीमान्तक भाषार्थ समुदाय विशेष से संबंधित था यह तथा अन्य अनेक समस्याएं बाद में उभरीं, जो तमिलनाडु के साथ कावेरी जल के बंटवारे के विवाद या मेघालय आदि के साथ जमीन के विवाद से संबंधित थीं, इन मामूली समस्याओं का कारण बंगाली, मारवाड़ी, बिहारी तथा नेपालियों की बहुत बड़ी संख्या में प्रवास था। समूह घ के राज्यों में असम, सिक्किम एवं मणिपुर आदि आते हैं जहां भाषाई तनाव अस्थायी रूप से होते रहे हैं जिनका कारण उनकी भाषायी संरचना तथा उनकी अन्तः समूह अभिवृत्तियां रही हैं। असम, पूर्वोत्तर से बिल्कुल भिन्न स्वाधीनता से पूर्व भारत की मुख्य धारा से अधिक जुड़ा था लेकिन अनेक बार यह अलग होता रहा है और उसने बाहरी लोगों का प्रवास बहुत बढ़े पैमाने पर झेला है। मणिपुर अस्थिर तथा अस्थायी बना रहा है जिसका कारण म्यामार के साथ-साथ इसकी लंबी सीमा है तथा जातिगत भाषायी तनाव के कारण हो सकता है जो उनकी भाषायी संरचना और अन्तः समूह अभिवृत्तियों के कारण हो सकते हैं। समूह 'ड' के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैण्ड राज्य आते हैं जिसकी भारत में सर्वाधिक छितरी हुई भौगोलिक स्थिति है और वहां अनेकों भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं।

18. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि देश में भाषायी विविधता है। राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के होने के अनेक कारण होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है उन्होंने राष्ट्र की सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध किया है तथापि जैसा कि पहले भी कहा गया है कि किसी भाषा का दर्जा मुख्य या गौण उस भाषा को बोलने वाले लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक दर्जे को निर्धारित

नहीं करता। वास्तविकता तो यह है कि भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग वाले कहीं जाकर बस जाने वाले प्रवासी संभ्रान्त हैं तथा समृद्ध हैं जैसे पंजाबी बोलने वाले प्रवासी उत्तराखण्ड के उधम सिंह नगर में बसे हैं राजस्थान के हिंदी बोलने वाले मारवाड़ी असम में और उत्तर पूर्व क्षेत्र, पश्चिम बंगाल आदि के अन्य भाषाओं में बसे हैं सिंधी व्यापारी अलग-अलग राज्यों में बसे हैं। गुजराती बोलने वाले बोहरा, मुसलमान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बसे हैं, सिख, परिवहन प्रचालक गैर पंजाबी राज्यों में कन्नड़ बोलने वाले होटल व्यवसायी गोवा, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हिंदी तथा उर्दू बोलने वाले लोग आन्ध्र प्रदेश आदि में बसे हैं। इस प्रकार भाषा ने सामाजिक तथा आर्थिक सीमाओं को लांघ दिया है। मुख्य या गौड़ दर्जे वाली भाषाओं को बोलने वाले लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से विकसित या पिछड़े हुए रूप में वर्गीकृत किए जाने का कारण उनकी उपलब्धियों के विभिन्न स्तर हैं एक ही भाषा को बोलने वाले (भाषायी अल्प संख्यक) लोगों को विभिन्न जातियों एवं वंशों, धर्मों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में जहां हिंदी अधिसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है और उर्दू एवं पंजाबी अल्पसंख्यक लोगों की भाषा है। वहां सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों में अर्थात भाषाई बहुसंख्यक तथा भाषायी अल्पसंख्यक दोनों में विद्यमान है उनका पिछड़ेपन का दर्जा उस भाषा के कारण नहीं है जो वे बोलते हैं, बल्कि अन्य कारणों का एक निश्चित परिणाम है जिसमें उनका परिवेश भी शामिल है। इसलिए भाषा किसी समुदाय के सामाजिक आर्थिक दर्जे का सूचक नहीं हो सकती।

19. इस आयोग को धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की पहचान करने के लिए मानदण्ड का सुझाव देने के लिए कहा गया है। चूंकि भाषा ने जाति, धर्म और रंग भेद की सीमाएं लांघ दी हैं और एक ही भाषा को बोलने वाले लोग प्रत्येक सामाजिक एवं आर्थिक समूह में पाए जाते हैं इसलिए इसे पिछड़ेपन के लिए सूचक के रूप में नहीं समझा जा सकता। भारत बहु भाषाई देश है इसमें अनेक भाषाएं हैं और उससे कहीं अधिक मातृभाषाएं हैं इसलिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग इस देश की मुख्य विशेषता है। TMA Pai Foundation and others Vs State of Karnataka (8(2002)SC) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्यवार किया जाना अपेक्षित है, चूंकि भाषायी अल्पसंख्यक का दर्जा एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्थान से दूसरे स्थान एक परिवार से दूसरे परिवार में बदल जाता है इसलिए भाषा उसके बोलने वाले के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का निर्धारण नहीं कर सकती। भाषायी अल्पसंख्यक राज्य में भाषायी बहुसंख्यक

की भांति समग्र रूप से समाविष्ट है तथा इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग तथा स्तर वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। यह अमीर-गरीब, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े एवं विकसित ब्राह्मण, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा सभी धर्मों की सीमाओं को लांघ जाती है। इसलिए भाषा को व्यक्तियों या किसी समूह के सामाजिक आर्थिक दर्जे के निर्धारण के लिए मानदण्ड के रूप में भाषा को स्वीकार करना कठिन है।

राज्य के दौरों के दौरान आयोग के समक्ष प्रस्तुत भाषायी अल्पसंख्यकों संबंधी मुद्दे

20. उपर्युक्त तथा इस एक मत विचार के बावजूद कि सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन की पहचान भाषा के आधार पर नहीं की जा सकती इस आयोग ने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अपने दौरों के दौरान प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अथक प्रयास किए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा/अथवा दिए गए सुझावों का ब्यौरा इस रिपोर्ट के बाल्यूम-2 में संलग्न राज्य दौरों के सारांश में निहित है। संक्षेप में राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दे राज्य में अल्पसंख्यक भाषा की उत्पत्ति के लिए अपर्याप्त सुविधाएं स्कूलों में अल्पसंख्यक भाषा के प्राध्यापकों के रिक्तपद, अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा में आवासीय स्कूल शिक्षण की कमी, आदि थे। राज्यों से बाहर भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कुछ एक प्रश्न इस प्रकार थे। अल्पसंख्यक भाषा में अनुवादकों तथा टाइपिस्टों का न होना, प्राध्यापकों को वेतन संवितरण में विलंब, सरकारी कार्यक्रमों की कमी, अल्पसंख्यक भाषाओं में पुस्तकों की कमी कुछ अल्पसंख्यक भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना आदि।

ये मुद्दे भाषाओं के विकास के लिए सुविधाओं, अवसरों से संबंधित हैं तथा यह भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक दर्जे से संबंधित नहीं हैं।

भारतीय भाषाओं के (Central Institute of Indian Language) केन्द्रीय संस्थान मैसूर में 27 से 28 मार्च, 2006 को आयोजित भाषायी अल्पसंख्यकों की कार्यशाला की सिफारिशें

21. देशभर के विशेषज्ञों के विचारों को जानने के लिए इस आयोग के लिए सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंगविजिस द्वारा मैसूर में

भाषार्थ अल्पसंख्यकों संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में भाषायी अल्पसंख्यकों तथा अल्पसंख्यक भाषाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया गया तथा उन पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला की सिफारिशें इस रिपोर्ट के बाल्यूम-2 में संलग्न हैं।

आयोग के विचार

22. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े हुए वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यक/अल्पसंख्यकों से भिन्न भाषायी अल्पसंख्यक कोई जाति या वर्ग या धर्म आधारित नहीं वस्तुतः एक राज्य या जिला या तालुका में कोई अल्पसंख्यक समुदाय या समूह उसी या किसी अन्य राज्य में या उसी या किसी अन्य राज्य के जिला या तालुका में भाषायी अल्पसंख्यक हो सकता है। यह मूलतः जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिक्षा, रोजगार बाकी तलाश में या अन्यथा प्रवास के कारण होता है। इस प्रकार प्रवास करने वाले लोग विभिन्न जातियों या समुदाय के होते हैं जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां पिछड़े वर्ग या कोई धार्मिक समूह धार्मिक होते हैं। इसलिए भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े हुए वर्गों की पहचान के लिए भाषा के आधार पर कोई मानदण्ड निर्धारित करना संभव नहीं है व्यौक्तिक उनमें से अधिकांश पिछड़े हुए लोगों को प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में पहले ही शामिल किया गया है। अन्य भाषायी अल्पसंख्यकों को जिनमें ऐसे अत्यधिक शिक्षित, तकनीकी तथा योग्य व्यक्ति शामिल हैं, जो रोजगार पर आर्थिक विकास के लिए या अन्यथा प्रवास कर गए हैं उस सोसाइटी के पिछड़े हुए वर्गों के लिए अपेक्षित किसी रियायत की आवश्यकता नहीं है इसलिए किसी राज्य में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को स्वीकार्य लाभ यदि किसी अन्य राज्य में उनके प्रवास किए जाने पर उन्हें दिए जाते हैं तो इस सोसाइटी के इस वर्ग द्वारा किसी अन्य राज्य में उनके प्रवास किए जाने पर जहां वे भाषायी अल्पसंख्यक हो जाते हैं, होने वाला समस्या का स्वतः समाधान हो जाता है। इसके अलावा संविधान द्वारा उपबंधित सुरक्षा उपाय राज्यों द्वारा लागू किए जाने पर भाषायी अल्पसंख्यकों को होने वाली समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा।

23. पूर्ववर्ती को ध्यान में रखते हुए यद्यपि लोगों के सामाजिक, आर्थिक, पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए भाषा को आधार बनाने का कोई औचित्य नहीं है तथापि यह महसूस किया गया कि हमारे जैसे बहुभाषाई समाज में कोई अल्पसंख्यक भाषा, जनसंख्या

के किसी विशेष भाग की मातृभाषा हो सकती है। इस भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक विकास को विशेष रूप से आरंभिक समय में निश्चित रूप में प्रभावित कर सकती है, अतः भाषाई अल्पसंख्यकों के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जिसमें प्रमुख भाषा को

सीखने/सिखाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना शामिल है। जनसंख्या के वे वर्ग जिनकी मातृभाषा क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा से इतर भाषा है शैक्षिक रूप से पिछड़े रहते हैं, उनके शैक्षिक स्तर और सम्प्रेषण दक्षता को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अल्पसंख्यकों में महिलाओं की स्थिति

प्रस्तावना

1. पिछले छह दशकों के दौरान महिलाओं ने शिक्षा के हर क्षेत्र में प्रवेश करके अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और विभिन्न चुनौतीपूर्ण व्यवसायों में सफलता प्राप्त की है। इसके बावजूद आज भी अधिकांश महिलाओं के पैरों में परिवार की अपेक्षाओं के दुष्यक लैंगिक भेद भाव और समाज के पक्षपातपूर्ण रूपये की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो लेकिन उन्हें जीवन में भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। पूरे देश में महिलाओं को जाति और वर्ग, समुदाय और पंथ के अनुसार उनकी स्थितियां अलग-अलग हैं। आज की महिलाओं की स्थिति उनके आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक उपलब्धियों का समग्र स्वरूप है जिसे उस क्षेत्र की विकास पर स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

2. भारत का संविधान न केवल महिलाओं को समता का अधिकार देता है बल्कि राज्य को भी यह शक्तियां प्रदान करता है कि वह उनके जीवन के हर क्षेत्र में उनके संरक्षण और प्रगति के लिए विशेष उपाय करे तथा इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान करे। तदनुसार राज्य में न केवल महिलाओं की समग्र बाधाओं को दूर करने भेदभाव को मिटाने के कदम उठाए हैं बल्कि महिलाओं को संगठित होकर संघर्ष करने की भूमिका निभाने के लिए भी आधिक सार्थक प्रयास किए हैं। गत 60 वर्षों के दौरान महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है जिसे राष्ट्रीय नीतियों योजनाओं, कार्यक्रमों, स्कीमों में स्पष्ट देखा जा सकता है जहां महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इसके अलावा, समय-समय पर गठित किए गए विशेष समितियों और आयोगों के परिणामस्वरूप नीतियों में परिवर्तन किया गया है तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के लागू करने के लिए संस्थागत संरचनाओं की स्थापना की गई है। इसके अलावा भारत उन देशों में से एक है

जिसमें सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा (1959); महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेद भावों को समाप्त करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा (सीईडीएडब्ल्यू) (1979); तथा बाल अधिकार घोषणा (1989)।

3. भारतीय महिलाओं ने दीर्घकालिक अथक प्रयास से दक्षियानूसी समाज से उभरने में सफलता प्राप्त करके आज वह स्थिति प्राप्त कर ली है जहां वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आती हैं। आज उनके हित के लिए अनेक कानून हैं, नीतियों की भरमार है और ऐसे कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं जो उन्हें पितृसत्तात्मक परिवार के लौह कपाटों से बाहर की दुनिया में पांव रखने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तथा कौटुम्बिकी उलझनों रुद्धिवादी प्रथाओं और परम्पराओं तथा अंधविश्वासों को नहीं मानने के लिए उनकी मदद करते हैं। इतना होने के बावजूद जमीनी वास्तविकता यह है कि महिलाओं का समानता का दर्जा दिए जाने और उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अभी बहुत किया जाना शेष है। शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में हमने बहुत प्रगति की है, किन्तु महिलाओं को भागीदारी अपेक्षा से बहुत कम है। महिलाओं की आयु में वृद्धि हुई है परन्तु आज भी एम एम आर अत्यधिक ऊँची है और देश के जिन भागों में आज की महिला शिशु और बालिका मृत्यु दर बहुत की अधिक है। प्रति दस वर्ष (जनगणना) की अवधि के दौरान लाखों लड़कियां तथा औरतें लापता हो जाती हैं। 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बालकों में लड़के-लड़कियों की अनुपात (प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या) आज तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पूरा पश्चिमोत्तर क्षेत्र जन्मी और अजन्मी बालिकाओं का सबसे बड़ा हत्यारा बनकर उभरा है। देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में निरंतर वृद्धि हो रही है और साथ ही उनकी रक्षार्थी कानूनों में भी वृद्धि हुई है किंतु वे कानून पूरी तरह कार्यान्वित नहीं

हो पा रहे हैं। उच्चवर्ग और मध्यम वर्ग की महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। समाज के निचले स्तर पर महिलाएं कछुआ चाल से ग्राम प्रधान और सरपंच बन रही हैं परन्तु संसद और विधान सभाओं में आज भी पुरुषों का ही वर्चस्व कायम है।

4. सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्यतः अल्पसंख्यकों और विशेषतः महिलाओं और लड़कियों का शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन ग्रामीण क्षेत्रों और कुछेक अन्य क्षेत्रों के कम विकास के प्रमुख कारण हैं। इन समुदायों की महिलाएं अपने उच्च मध्यमवर्गीय शहरी महिलाओं के काफी पीछे हैं। विकास में अंतर क्षेत्रीय और अंतरा क्षेत्रीय स्तर पर बहुत अंतर है। गंगा के समृद्ध प्रांतों (पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी देश उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल) के गरीब और निरक्षर रहते हैं। ये समृद्ध प्रांत पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों, मध्य भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप जहां सघन उद्योग हैं, को भी प्रभावित करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में नया सेवा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अधिकांश उच्च, तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में स्थित हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनकी संख्या अधिक है। विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों और अवसरों के इस असमान वितरण को सूक्ष्म स्तर और व्यापक स्तर पर लिंग भेद, जाति, वंश और धर्म के भेद को राज्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

5. लड़कियों तथा महिलाओं के लिए अतिसक्रिय नीतियों और कानूनों के बावजूद लैंगिंग भेदभाव की नीति आज भी जारी है। लड़कियों तथा औरतों के जीवन की बागड़ेर आज भी ऐसी पैतृक प्रणाली और संरचना में समिहित है जहां महिलाओं को पारम्परिक बेड़ियों में कसने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। निर्णय लेने वाला भी प्ररूप और संपत्ति का अधिकार भी पुरुष ही है। लड़की के जन्म से पूर्व ही उसके साथ भेदभाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो उसकी मृत्यु तक चलती रहती है। भारत की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या पुरुषों से 3.6 करोड़ कम है जो कि गंभीर बात है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि 0-6 वर्ष की आयुवर्ग में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। इस आयु वर्ग में 0.6 करोड़ लड़कियां कम हैं। इसके अलावा लड़कियां लड़कों से

ज्यादा काम करती हैं परंतु उन्हें लड़कों की तुलना में कम खाना मिलता है, उनका स्वास्थ्य कमजोर होता है, उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण भी कम मिलता है। सामाजिक परंपरा के अनुसार लड़के और लड़कियों में भेद के आधार पर न केवल लड़कियों के साथ खेल-कूद, शिक्षा, स्वास्थ्य और खानेपीने के मामले में भेदभाव किया जाता है बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाकर बड़ा किया जाता है कि समाज में महिलाओं का दर्जा नीचा है और पुरुषों का ऊंचा है और वह पुरुषों की तुलना में कम सक्षम है।

6. इस संबंध में धर्म एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक भूमिका निभाता है। धर्म इस परंपरा को मजबूती प्रदान करता है कि महिला का पुरुष के नियंत्रण में रहना अनिवार्य है। धार्मिक साजिश के अंतर्गत परिवार में महिला की भेदभावपूर्ण स्थिति को पहले ही से निर्धारित कर दिया जाता है धर्म चाहे हिंदु हो, बौद्ध हो इस्लाम हो या इसाई धर्म हो सभी प्रमुख धर्मों के धर्मशास्त्रों में और धर्मस्थलों के पंडे, पुजारी और मौलवियों के उपदेशों में महिलाओं को पुरुषों से निम्न ही सिद्ध किया जाता है। स्त्री के स्त्रीत्व को सदैव हिंदु धर्म की पौराणिक परंपराओं के आदर्श रूप में ही देखा जाता है और उसे पैतृक परिवार संस्था में दूसरा दर्जा देने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। महिलाओं के स्तर के बारे में सभी धर्म उसे एक ही अर्थात् आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक ही धर्म को मानने वाली स्त्री को जीवन स्थिति पुरुष से भिन्न होती है जबकि उसके जीवन पर उसकी अर्जन क्षमता, रोजगार, ग्रामीण-शहरी व्यवस्था, शैक्षिक स्तर का प्रभाव पड़ना जरूरी है। प्रत्येक अल्पसंख्यक समूह में कुछ महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रही हैं जबकि कुछ महिलाओं का जीवन-स्तर काफी अच्छा है।

महिलाओं के अधिकारों संबंधी संवैधानिक उपबंध

7. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक संवैधानिक और वैधानिक उपाय किए गए और साथ ही कई सकारात्मक कार्यक्रम और नीतियां भी बनाई गई हैं। भारत के संविधान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ एक सुरक्षा उपाय किए गए। ये संवैधानिक उपबंध सभी समुदायों की महिलाओं के कल्याण और समग्र विकास के लिए अभिप्रेत हैं हमारे कानून महिला पुरुष में भेद नहीं करते और दोनों के लिए समान रूप से लागू हैं।

मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य

अनुच्छेद 14- महिलाओं और पुरुषों को राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15- में धर्म, रंग जाति और लिंग के आधार पर किसी नागरिक के प्रति भेदभाव करना निषेध किया गया है।

अनुच्छेद 15 (3) में महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद करने के लिए समर्थ कार्य विशेष उपबंध किया गया है।

अनुच्छेद 16- सभी के लिए सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में अवसरों की समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है।

अनुच्छेद 21 क- 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 23- मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 24- कारखानों आदि में बालकों/बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 51 में उल्लेख है कि यह सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वे धार्मिक भाषाई एवं क्षेत्रीय तथा वर्गीय विविधताओं के बावजूद समस्त भारत के लोगों के बीच सौहार्द और समान भाईचारा की भावना को बढ़ावा दें तथा महिलाओं की प्रतिष्ठा को कम करने वाली प्रथाओं को समाप्त करें।

अनुच्छेद 51 (क) भाग IV क में (ट) माता पिता या अविभावक के लिए अपने बालक या वार्ड जैसा भी मामला हो, के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य निश्चित किया गया है।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

राज्य की नीति निदेशक के सिद्धांत सामाजिक नीतियों एवं विधान के लिए मार्गदर्शी रहे हैं।

अनुच्छेद 39 (क) में उल्लेख है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

अनुच्छेद 39 घ - राज्य को पुरुष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निदेश देता है।

अनुच्छेद 39 (ड) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होना सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 39 (च) में विहित है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परिस्तियां से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 41- काम पाने, शिक्षा पाने और कुछेक मामलों में लोक सहायता पाने के अधिकार का उल्लेख करता है।

अनुच्छेद 42- राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए आदेश देता है।

अनुच्छेद - 45 (2002 में संशोधित) राज्य को आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और सभी बच्चों के लिए उनके छः वर्ष की आयु का होने तक शिक्षा उपलब्ध कराने का निदेश देता है।

अनुच्छेद - 47 के माध्यम में राज्य को लोगों के लिए पोषण स्तर, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को ऊंचा करने की बाध्यता दी गई है।

8. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि भारत में महिलाओं और बच्चों/बालिकाओं के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कानूनों की व्यवस्था की गई है यद्यपि उनके संबंध में महिलाओं को स्वयं या पुरुषों को भी जानकारी बहुत कम है।

9. भारत में प्रत्येक धार्मिक समुदाय की महिलाओं के लिए कानूनों की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। यह स्वयं विधि के क्षेत्र में यानि विवाह तलाक, उत्तराधिकार शिशु अभिरक्षा और अनुरक्षण आदि संबंधी कानून चूंकि विभिन्न धार्मिक, समुदायों के अपने-अपने वैयक्तिक विश्वास एवं रीति रिवाज प्रस्तुत किए गए इसलिए यह उचित समझा गया कि इन विभिन्नताओं का सम्मान किया जाए और इसी उद्देश्य से प्रत्येक समुदाय के रीति रिवाजों के अनुरूप स्वयं विधि बनाई गई। इन कानूनों को अलग-अलग धार्मिक विश्वासों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जिसका कारण यह है कि भारत अनेक धर्मों वाला देश है। समय-समय पर विभिन्न समुदायों पर लागू स्वयं विधि में कुछेक परिवर्तन किए गए हैं

प्रायः ये परिवर्तन उन समुदायों के सदस्यों द्वारा सुझाए जाते हैं जिनमें इन समुदायों की महिलाएं भी शामिल हैं। मानव अधिकार संगठनों और महिला समूहों द्वारा विभिन्न स्वीप विधियों में उपयुक्त परिवर्तनों के सुझाव दिए जाते रहे हैं। सभी समुदायों के लिए स्वीप विधि पर लागू सामान्य सिविल संहिता (कामन सिविल कोड) राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों में (अनुच्छेद 44) में निहित हैं। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और किसी भी सरकार द्वारा अब तक कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं की गई है। सभी विवाहों के रजिस्ट्रीकरण निःसंदेह उन महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में प्रथम प्रयास हैं जो धार्मिक विवाह की वैधता को प्रस्तुत करने में भी सक्षम नहीं हो पाती हैं।

महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

राष्ट्रीय महिला आयोग

10. राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। यह अपनी आदेशित भूमिका और कार्यकलापों को करता है जो इस प्रकार है : महिला अधिकारों की रक्षा के लिए महिलाओं पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की प्रत्येक शिकायत की जांच पड़ताल पारिवारिक/महिला लोक अदालतों की व्यवस्था कानूनी जानकारी संबंधी कैम्पों की व्यवस्था, महिला विशिष्ट और महिला संबंधी विधान की समीक्षा, अधिकारों के प्रत्याखान की जांच पड़ताल तथा महिलाओं के विधिसम्मत अधिकारों को दिलाने के लिए स्वप्रेरणा से उपचारी कार्रवाई करना, आदि। अभिरक्षा में न्याय सुनिश्चित करना इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। व्यक्तिगत शिकायतों को सुनने के लिए आयोग द्वारा अपनाई गई एवं नई और सार्थक विधि खुली अदालत (सार्वजनिक सुनवाई) है। महिलाओं से सीधे संबंधित 41 विधानों में से आयोग ने उन अधिनियमों की समीक्षा करने के बाद उन अधिनियमों में उपचारी कानूनी उपायों का सुझाव दिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें सरकार के पास भेजा। इसके अलावा कार्यस्थल पर यौन शोषण संबंधी एक विधेयक और महिलाओं और बालकों में दुर्व्यापार के निवारण और उसका सामना करने के लिए सार्क क्षेत्रीय कन्वेशन संबंधी विधेयक तैयार किए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार के विचारार्थ एक अन्य विधेयक “विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2005” तैयार करने का सुझाव दिया है। इसने बलात्कार से संबंधित कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव भी दिया है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय

11. महिला और बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बालकों के कल्याण, विकास और सशक्तीकरण से संबंधित, सभी मामलों के लिए प्रमुख एजेन्सी है तथा यह समाज के कमज़ोर वर्गों की महिलाओं के आर्थिक पुनरुद्धार के क्षेत्र में महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए भी उत्तरदायी है और इसके लिए वह महिलाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनके नियोजन के बेहतर अवसर प्रदान करने, प्रशिक्षण देने तथा रोजगार दिलाने की व्यवस्था करता है। यह मंत्रालय उनकी कठिन परिस्थितियों में अल्पकालिक आवास की व्यवस्था तथा परामर्शी चिकित्सा सुविधा, मार्गदर्शन एवं उपचार और उनके कौशल के विकास तथा उन महिलाओं और बच्चों के लिए निवारक और पुनर्वासी व्यवस्था जो अत्याचार एवं शोषण के शिकार हैं आदि कार्य करता है। इस मंत्रालय की स्कीमें/कार्यक्रम मुख्यतः राज्य सरकारों अन्य सरकारी एजेंसियों तथा गैर सरकारी संगठनों की सहायता से लागू किए जाते हैं। इन सभी कार्यक्रमों में दो प्रमुख उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। प्रथमतः कुछेक कार्यक्रम के माध्यम से केवल महिलाओं को लाभ देने संबंधी कार्य किए जाते हैं। दूसरे ऐसे कार्यक्रम हैं जो उन्हें समाज में शामिल करने और विकास की मुख्य धारा में लाने से संबंधित हैं।

अल्पसंख्यकों में महिलाओं की जनसांख्यिकीय रूपरेखा (डेमोग्राफिक प्रोफाइल)

12. अल्पसंख्यकों में महिलाओं की जनसांख्यिकीय रूपरेखा जनसंख्या में उनकी वृद्धि महिला/पुरुष अनुपात, साक्षरता और शिक्षा स्तर, जीविका के ढंग तथा स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाती है जिसके ब्यौरे अगले पैराग्राफों में दिए गए हैं।

जनसंख्या वृद्धि

तालिका 5.1, 1961 से 2001 तक जनसंख्या में महिलाओं की समुदायवार जनसंख्या वृद्धि को दर्शाती है:

13. जैसाकि तालिका 5.1 से स्पष्ट है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों में महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तथा यह 1961 में 16.1 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 18.9 प्रतिशत हो गई। तथापि समुदायवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि इस वृद्धि में हर दशक में परिवर्तन आता रहा है। मुसलमान महिलाओं में 1971 के बाद से अल्पसंख्यक समूहों की कुल महिला जनसंख्या में वृद्धिकारी

तालिका 5.1 1961 से 2001 के दौरान महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि दर का समुदायवार और तथा उनके समुदाय में उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता

(आंकड़े करोड़ में)

	महिला									
	1961		1971		1981		1991		2001	
	संख्या	प्रतिशत								
सभी समुदाय	21.29	-	26.40	-	32.13	-	40.33	-	49.64	
धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग	3.41	16.1	4.44	16.8	5.45	16.9	7.11	17.6	9.39	18.9
मुसलमान	2.26	66.3	2.94	66.3	3.65	66.9	4.89	68.8	6.68	71.1
ईसाई	0.53	15.6	0.70	15.9	0.80	14.8	0.97	13.8	1.20	12.9
सिख	0.36	10.5	0.48	10.8	0.61	11.2	0.76	10.8	0.90	9.6
बौद्ध	0.16	4.7	0.18	4.2	0.23	4.2	0.31	4.4	0.39	4.1
जैन	0.10	2.8	0.12	2.8	0.15	2.8	0.16	2.3	0.20	2.2
जोरोएस्ट्रिअन (पारसी)								0.01		0.007

स्रोत: जनगणना 2001

प्रतिशतता अंश की प्रवृत्ति रही है। मुसलमान महिलाओं का अंश (अल्पसंख्यक समूहों की महिलाओं की कुल जनसंख्या में) 1971 में 66.3 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 71.1 प्रतिशत हो गया। इसकी तुलना में ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों में महिलाओं के अनुपात में कमी की (अल्पसंख्यक समूहों की महिलाओं की कुल जनसंख्या में) प्रवृत्ति बनी रही। 1961 से 2001 के बीच यह अनुपात घट कर ईसाई महिलाओं का 15.6 से 12.9 प्रतिशत, सिख महिलाओं का 10.5 से 9.6 प्रतिशत, बौद्ध महिलाओं का 4.7 से 4.1 प्रतिशत और जैन महिलाओं का 2.8 से 2.2 प्रतिशत रह गया। मुसलमान महिलाओं के बढ़े हुए अंश का कारण (अल्पसंख्यक समूहों की महिलाओं की कुल जनसंख्या में) मुसलमानों में अपेक्षाकृत उच्च जनन क्षमता दर तथा 'सभी धार्मिक समुदायों' के लिए महिला/पुरुष अनुपात आंकड़ों की तुलना में मुसलमान समुदायों में अधिक महिला/पुरुष अनुपात है।

14. पारसियों को छोड़कर सभी अन्य अल्पसंख्यक समूहों की उनकी सम्पूर्ण संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति है जबकि उनकी धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच प्रतिशतता एक समूह से दूसरे समूहों तथा एक दशाब्दी से दूसरी दशाब्दी के लिए भिन्न है। (जोरोएस्ट्रिअन) (पारसी) के मामले में ये आंकड़े 1991 की जनगणना में लगभग 76382 से घटकर 2001 की जनगणना में 69601 हो गए जिसमें 33949 पुरुष तथा 35652 महिलाएं थीं जो जोरोएस्ट्रिअन और उसके लोगों की समृद्ध स्थिता लेकिन उनकी हो रही अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण कमी को स्पष्ट दर्शाती है।

जनसंख्या वृद्धि

तालिका 5.2 महिला/पुरुष अनुपात समुदाय वार

(प्रति हजार जनसंख्या)

	सभी उम्र के	0.6 वर्ष के
सभी समुदाय	933	927
हिन्दू	931	925
मुसलमान	936	950
ईसाई	1009	964
सिख	893	786
बौद्ध	953	942
जैन	940	870
अन्य धर्म	992	976

स्रोत: जनगणना 2001

15. तालिका 5.2 में दर्शाए गए जनगणना 2001 के आंकड़े दर्शाते हैं कि 'अखिल भारतीय स्तर' पर सभी आयु समूहों में ईसाई समुदाय में 1009 महिलाओं की तुलना में 1000 पुरुषों का सर्वाधिक महिला/पुरुष अनुपात है जबकि सिखों का न्यूनतम महिला/पुरुष अनुपात 893 है। अन्य अल्पसंख्यक अर्थात् मुसलमान बौद्ध और जैन का 933 के राष्ट्रीय औसत के मामूली अधिक स्तर है अर्थात् मुसलमानों का 936, बौद्ध का 953 और जैन का 940 है तथा अन्य धर्म वर्ग उच्च महिला/पुरुष अनुपात 992 को दर्शाता है जबकि बहुसंख्यक धर्म अर्थात् हिन्दू वर्ग न्यूनतम महिला/पुरुष अनुपात अर्थात् 931 को दर्शाता है।

16. शिशु महिला/पुरुष अनुपात के संबंध में (0-6 वर्ष के आयु समूह में बालिका बालकों की संख्या) अखिल भारतीय आंकड़े 927 हैं। 2001 के जनगणना शिशु महिला/पुरुष अनुपात में चौंकाने वाली कमी दर्शाती हैं। यह कमी की प्रवृत्ति सभी समुदायों में विद्यमान है यद्यपि उनमें काफी अन्तर हैं। अल्पसंख्यकों में ईसाई का सर्वाधिक शिशु महिला/पुरुष अनुपात 964 था जबकि सिखों का न्यूनतम 486 था। मुसलमानों और बौद्ध में से 6 आयु वाला महिला पुरुष अनुपात राष्ट्रीय औसत 927 से अधिक है यह मुसलमानों में 950 और बौद्ध में 942 हैं लेकिन जैन के लिए 0.6 महिला पुरुष अनुपात 870 हैं जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। हिन्दुओं में शिशु महिला पुरुष अनुपात 925 है जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है लेकिन 'अन्य धर्म' का शिशु महिला। पुरुष अनुपात 976 है जो सभी वर्गों के बीच सर्वाधिक है।

साक्षरता दर

17 यद्यपि तालिका 5.3 विभिन्न समुदायों, जातियों की समग्र साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर को दर्शाती हैं लेकिन तालिका 5.4 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता आंकड़ों को दर्शाती है।

तालिका 5.3 : विभिन्न समुदायों में समग्र साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर

(प्रतिशत में)

धर्म समुदाय (जातियां)	समग्र साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर
संपूर्ण भारत	64.84	53.67
हिन्दू	65.09	53.21
मुसलमान	59.13	50.09
ईसाई	80.25	76.19
सिख	69.45	63.09
बौद्ध	72.66	61.69
जैन	94.08	90.58
अन्य धर्म	47.02	33.19
अनुसूचित जातियां	54.7	41.9
अनुसूचित जनजातियां	47.1	34.76

स्रोत: जनगणना 2001

तालिका 5.4 : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों में समग्र साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर

समुदाय	साक्षरता दर (ग्रामीण)		साक्षरता दर (शहरी)	
	समग्र साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर	समग्र साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर
अखिल भारत	58.74	46.13	79.92	72.86
हिन्दू	59.06	45.75	81.32	73.90
मुसलमान	52.73	42.66	70.07	63.17
ईसाई	74.55	69.65	90.90	88.26
सिख	64.21	57.15	83.56	79.18
बौद्ध	66.93	54.56	81.60	72.91
जैन	87.47	80.34	96.13	93.75
अन्य धर्म	43.85	29.52	95.29	66.48

(स्रोत) जनगणना 2001

18. विभिन्न समुदायों की महिलाओं में साक्षरता और शिक्षा प्राप्ति का स्तर भिन्न-भिन्न हैं तथा जैन के लिए सर्वाधिक और इसके बाद ईसाई, सिख और बौद्ध के आंकड़े हैं और मुसलमानों के आंकड़े न्यूनतम हैं। जैन समुदाय की सर्वाधिक समग्र साक्षरता दर 94.08 प्रतिशत है। इस समुदाय की महिलाओं की साक्षरता दर 90.58 प्रतिशत है। इसकी तुलना में मुसलमान की समग्र साक्षरता दर 59.13 प्रतिशत और उनकी महिला साक्षरता दर 50.09 प्रतिशत है तथापि अन्य धार्मिक वर्ग में समग्र साक्षरता दर (47.02 प्रतिशत) तथा महिला साक्षरता दर (33.19 प्रतिशत) है तथा अनु० जा० और अनु०जा० जा० की समग्र साक्षरता दर भी मुसलमान वर्ग की साक्षरता दर से कम है।

19. इसके अलावा विभिन्न समुदायों की महिलाओं की साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों में अधिक है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम है जोकि सम्भवतः शहरों में बेहतर शैक्षिक सुविधाओं और अवसंरचना के उपलब्ध होने के कारण हो सकती है।

साक्षरता दर में महिला पुरुष अन्तराल

20. तालिका 5.5 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर में महिला पुरुष अन्तराल को दर्शाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार सभी समुदायों की महिला पुरुष साक्षरता दर में समग्र अंतराल 21.5 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 24.57 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 13.41 प्रतिशत हैं राष्ट्रीय स्तर पर जैन समुदाय की महिला पुरुष साक्षरता दर

क्रमशः 97.4 प्रतिशत और 90.6 प्रतिशत है जो कि बहुत अधिक है तथा इस समुदाय में समग्र महिला पुरुष अन्तराल सबसे कम (6.82 प्रतिशत) है। इसके बाद ईसाई (8.18 प्रतिशत) और सिख समुदाय (12.14 प्रतिशत) हैं। इसकी तुलना में अन्य धार्मिक वर्ग में महिला पुरुष अन्तराल सर्वाधिक (27.11 प्रतिशत) है। जिसमें शहरी क्षेत्रों का प्रतिशत 17.33 और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत 28.65 है। राष्ट्रीय स्तर पर 6 प्रमुख धर्मों में अधिकतम महिला-पुरुष साक्षरता अन्तराल हिन्दू समुदाय (23 प्रतिशत) का है, इसके बाद बौद्ध (21.4 प्रतिशत) और मुसलमान (17.5 प्रतिशत) है।

शैक्षिक स्तर

21. जैसा कि तालिका 5.6 में स्पष्ट है कि विभिन्न समुदायों एवं जातियों की महिलाओं का शैक्षिक स्तर यह दर्शाता है कि प्राथमिक स्तर तक अन्य धार्मिक वर्ग की महिलाओं की सर्वाधिक दर (92.5 प्रतिशत) है इसके बाद अनुसूचित जनजातियों (89.39 प्रतिशत), मुसलमानों (87.97 प्रतिशत), अनुसूचित जातियों (85.9 प्रतिशत) और बौद्ध की दर (79.31 प्रतिशत) है। जैन महिलाओं की दर सबसे कम (42.52 प्रतिशत) और इसके बाद सिख समुदाय (55.95) प्रतिशत की है। माध्यमिक स्तर पर जैन महिलाओं की दर सर्वाधिक (20.73 प्रतिशत) और इसके बाद सिख (18.75 प्रतिशत) और ईसाई (17.19 प्रतिशत) समुदाय की है। सबसे कम दर अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की (6.0 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों की (7.66 प्रतिशत) और अन्य धार्मिक वर्ग की (9.36 प्रतिशत) है।

तालिका 5.5 : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर में महिला पुरुष अन्तराल

समुदाय/ जातियां	समग्र महिला पुरुष अन्तराल	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पुरुष अन्तराल	शहरी क्षेत्रों में महिला अन्तराल
सभी समुदाय	21.59	24.57	13.41
हिन्दू	22.95	25.90	14.04
मुसलमान	17.47	19.67	13.11
ईसाई	8.18	9.83	5.38
सिख	12.14	13.49	8.32
बौद्ध	21.44	24.25	16.91
जैन	6.82	13.89	4.64
अन्य धर्म	27.61	28.65	17.33

स्रोत: जनगणना, 2001

तालिका 5.6 : विभिन्न समुदायों, जातियों, और जनजातियों की महिलाओं में शैक्षिक स्तर

समुदाय जातियां	प्राथमिक स्तर तक@	माध्यमिक स्तर	सीनियर सेकेंडरी
सभी धर्म	75.77	12.5	5.9
हिन्दू	75.6	12.51	5.95
मुसलमान	87.97	9.53	3.85
ईसाई	60.76	17.19	9.47
सिख	55.95	18.75	7.38
बौद्ध	79.31	12.55	6.28
जैन	42.52	20.73	12.76
अन्य धर्म	92.5	9.36	3.6
अनुसूचित जातियां	85.9	7.66	3.49
अनुसूचित जनजातियां	89.39	6.00	2.45

स्रोत: जनगणना 2001

*अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आंकड़े चयनित शैक्षिक सांख्यिकी 2003-04 पर आधारित हैं।

@प्राथमिक स्तर से नीचे और प्राथमिक स्तर के शिक्षा के बिना साक्षर शामिल हैं।

22. सीनियर सेकेन्डरी स्तर पर सर्वाधिक दर जैन महिलाओं (12.76 प्रतिशत) की है इसके बाद ईसाई (9.47 प्रतिशत) और सिख (7.38 प्रतिशत) समुदाय हैं। न्यूनतम प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की (2.45 प्रतिशत) है इसके बाद अन्य धार्मिक वर्ग (3.6 प्रतिशत हैं) और अनुसूचित जातियों की दर प्रतिशत (3.49) है।

स्कूल छोड़ने की दर

23. स्कूल छोड़ने की दर स्कूल शिक्षा के बेकार जाने और बढ़े हुए नामांकनों के लाभों को नष्ट करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। 1990-2000 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित शैक्षिक सांख्यिकीय के अनुसार 1 से 5 कक्षा तक में नामांकित छात्रों में 40 प्रतिशत से अधिक ने स्कूल छोड़ा। इसी प्रकार कक्षा 1 से 8 तक में नामांकित छात्रों में से 55 प्रतिशत से अधिक ने स्कूल छोड़ा। कक्षा 1 से 10 तक में स्कूल छोड़ने की दर 68 प्रतिशत से अधिक थी इसके अतिरिक्त स्कूल छोड़ने की दर लड़कियों की अधिक थी।

24. स्कूल छोड़ने के लिए मुख्य कारण छात्रों की अध्ययन को जारी रखने में असमर्थता या माता-पिता की उनके बच्चों की शिक्षा में रुचि की कमी या आर्थिक कारण जैसे पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए काम करने की बाध्यता या छोटे बहन-भाईयों की देखरेख की आवश्यकता या स्कूलों में गैर मेल-जोल वाला वातावरण आदि हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए यह कारण स्कूल छोड़ने के लिए अधिक थे।

कार्य सहभागिता दर

25. 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में कार्य सहभागिता दर या सभी धार्मिक समुदायों के लिए कुल जनसंख्या का महिला कामगारों की प्रतिशतता 25.6 प्रतिशत है। अन्य धार्मिक वर्ग की महिलाओं में उच्च कार्य सहभागिता दर 44.2 प्रतिशत है इससे कम प्रतिशतता बौद्ध (31.7 प्रतिशत), ईसाई (28.7 प्रतिशत) हिन्दू (27.5 प्रतिशत) और सिख (20.2 प्रतिशत) की हैं। महिलाओं में न्यूनतम कार्य सहभागिता दर जैन समुदाय (9.2 प्रतिशत) की है इससे अधिक मुसलमान (14.1 प्रतिशत) समुदाय की है। विभिन्न समुदायों की महिलाओं की समुदायवार कार्य सहभागिता दर तालिका 5.7 में दर्शाई गई है।

तालिका 5.7 विभिन्न समुदायों में कार्य सहभागिता दर

(प्रतिशत में)

समुदाय/जातियां	पुरुष	महिला
सभी समुदाय	51.7	25.6
हिन्दू	52.4	27.5
मुसलमान	47.5	14.1
ईसाई	50.7	28.7
सिख	53.3	20.2
बौद्ध	49.2	31.7
जैन	55.2	9.2
अन्य धार्मिक वर्ग	52.5	44.2

स्रोत : जनगणना 2001

तालिका 5.7 से स्पष्ट होता है कि महिला कार्य सहभागिता दरें पुरुषों से कम ही रही हैं और उनका अनुपात समुदायवार भी भिन्न रहा है।

विभिन्न वर्गों के कामगारों में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के आनुपातिक अंश को तालिका 5.8 में दर्शाया गया है।

26. तालिका 5.8 से स्पष्ट है कि जैन (55.50 प्रतिशत) और बौद्ध (51.46 प्रतिशत) वर्ग में महिला खेतीहर श्रमिक का उच्च अनुपात है। इससे कम ईसाई (46.08 प्रतिशत) का है। सिख (29.66 प्रतिशत) और ईसाई समुदाय का (29.13 प्रतिशत) अन्य वर्ग में महिला कामगारों की बहुत बड़ी संख्या है इससे कम बौद्ध वर्ग का (21.85 प्रतिशत) है ईसाई (41.86 प्रतिशत) और बौद्ध के (41.52 प्रतिशत) में अपनी भूमि पर महिला कृषक शामिल हैं। घरेलू उद्योग में सिख (76.55 प्रतिशत), ईसाई (59.51 प्रतिशत) और बौद्ध (59.35 प्रतिशत) महिलाओं का उच्च अनुपात है इससे कम अनुपात मुस्लिम महिलाओं (51.48 प्रतिशत) का है। अन्य धार्मिक वर्ग में अधिकांश महिलाएं घरेलू उद्योग (63.10 प्रतिशत) में और खेतीहर श्रमिक के रूप में (56.95 प्रतिशत) कार्यरत हैं इसकी तुलना में अन्य कामगार वर्ग में महिला कामगारों की बड़ी संख्या सिख (29.66 प्रतिशत), ईसाई (29.13 प्रतिशत) और बौद्ध (21.85 प्रतिशत) की है।

स्वास्थ्य स्थिति

शिशु और बाल मृत्यु दर

27. विभिन्न समुदायों एवं जातियों में शिशु एवं बाल मृत्यु दर को तालिका 5.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.8 विभिन्न समुदायों में महिला कामगारों की श्रेणी का विवरण

(प्रतिशत में)

समुदाय	अपनी भूमि में खेतीहर	कृषि श्रमिक	घरेलू उद्योग	अन्य कामगार
सभी धर्म समुदाय	32.91	46.31	48.43	18.30
हिन्दू	33.69	48.00	47.22	18.57
मुसलमान	23.04	30.38	51.48	12.37
ईसाई	41.86	46.08	59.51	29.13
सिख	15.15	28.02	76.55	29.66
बौद्ध	41.52	51.46	59.35	21.85
जैन	26.00	55.50	33.42	9.27
अन्य धर्म	41.62	56.95	63.10	28.96

स्रोत: जनगणना 2001

तालिका 5.9 विभिन्न समदायों और जातियों में शिशु और बाल

मृत्यु दर
(प्रतिशत में)

समुदाय/जातियां	शिशु मृत्यु दर	बाल मृत्यु दर
हिन्दू	77.1	32.4
मुसलमान	58.8	25.4
ईसाई	49.2	19.7
सिख	53.3	12.3
जैन	*(46.7)	*(11.3)
बौद्ध/नव बौद्ध	53.6	14.1
कोई धर्म नहीं	*(77.6)	*(77.2)
अनुसूचित जातियां	83.0	39.5
अनुसूचित जनजातियां	84.2	46.3
अन्य पिछड़ा वर्ग	76.0	29.3

स्रोत: एन एफ एच एस ए 1998-99

*उम्र अन्तराल के प्रारंभ में जीवित 250-499 बच्चों पर आधारित

28. धार्मिक समदायों में जैन की न्यूनतम शिशु मृत्यु दर (46.7 प्रतिशत) है। इससे अधिक ईसाई (49.2 प्रतिशत), बौद्ध/नवबौद्ध (53.6 प्रतिशत) और मुसलमान (58.8 प्रतिशत) हैं शिशु मृत्यु दर अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक (83.0 प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों (84.2 प्रतिशत) और पिछड़े वर्गों में (76.0 प्रतिशत) है। हिन्दू में शिशु मृत्यु दर 77.1 प्रतिशत है। सन 2001 में शिशु मृत्यु दर के लिए जनगणना आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-। (1988-89) आंकड़े से अर्थात् हिन्दू के लिए 99, मुसलमान के 95, ईसाई के लिए 77 और सिखों के 82 से बहुत अधिक हैं विभिन्न समुदायों/जातियों में शिशु मृत्यु दर के संबंध में स्थिति इसी प्रकार की है। मृत्यु दर विभेद धर्म के अलावा अन्य कारणों से हो सकते हैं जैसे शहरी एवं ग्रामीण आवास, परिवार की आर्थिक स्थितियां या स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता आदि।

29. तालिका 5.10 के अनुसार केरल, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर (14) दर्शाता है इससे अधिक मिजोरम (19) गोवा (21) पुड़िचेरी, (22) मणिपुरी (25) है। उड़ीसा की सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर (97) है इससे कम मध्य प्रदेश (90), उत्तर प्रदेश (84) और छत्तीसगढ़ (78) की है।

30. सामान्यतया यह माना जा सकता है कि टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की उपलब्धता सुधार के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रमों में विश्व टीकाकरण कार्यक्रम और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्त कार्यान्वयन के माध्यम से शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

तालिका 5.10 शिशु मृत्यु दर 1999 के राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्रम सं	राज्य का नाम	शहरी शिशु मृत्यु दर	ग्रामीण शिशु मृत्यु दर	कुल शिशु मृत्यु दर
1.	आनंद्र प्रदेश	37	75	66
2.	असम	36	79	76
3.	बिहार	55	64	63
4.	गुजरात	45	70	63
5.	हारियाणा	58	70	68
6.	कर्नाटक	24	69	58
7.	केरल	16	14	14
8.	मध्य प्रदेश	55	96	90
9.	महाराष्ट्र	31	58	48
10.	उड़ीसा	65	100	97
11.	पंजाब	39	57	53
12.	राजस्थान	59	85	81
13.	तमिलनाडु	39	58	52
14.	उत्तर प्रदेश	66	88	84
15.	पश्चिम बंगाल	40	55	52
16.	अरुणाचल प्रदेश	10	45	43
17.	छत्तीसगढ़	47	95	78
18.	गोवा	17	23	21
19.	झारखण्ड	48	76	71
20.	हिमाचल प्रदेश	38	63	62
21.	जम्मू एवं कश्मीर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
22.	मणिपुर	24	22	25
23.	मेघालय	33	59	56
24.	मिजोरम	14	22	19
25.	नागालैण्ड	16	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	सिक्किम	33	50	49
27.	त्रिपुरा	33	43	42
28.	उत्तराखण्ड	27	75	52
29.	अंडमान एवं निकोबार	9	30	25
30.	चंडीगढ़	27	36	28
31.	दादर एवं नागर हवेली	7	61	56
32.	दमन एवं दीव	36	34	35
33.	दिल्ली	31	33	31
34.	लक्ष्मीप	37	26	32
35.	पुड़िचेरी	15	32	22
	जोड़	44	75	70

स्रोत: जनगणना निदेशक, चेन्नई 1999

मातृ मृत्यु अनुपात

31. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 5 लाख महिलाएं प्रतिवर्ष गर्भवस्था एवं शिशु जन्म संबंधी कारणों से मरती हैं तथा इनमें से अधिकांश मृत्यु विकासशील देशों में होती हैं।

32. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण II के अनुसार एक लाख जीवित बच्चों के जन्म के लिए मातृ मृत्यु अनुपात 540 है जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण I में सूचित एक लाख जीवित बच्चों के लिए मातृ मृत्यु अनुपात 424 था। यह मातृ मृत्यु अनुपात में काफी बढ़िया को दर्शाता है।

33. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण I तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण II दोनों में ग्रामीण मातृ मृत्यु अनुपात शहरी मातृ मृत्यु अनुपात से बहुत अधिक है 434 जो कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण I में 385 था और 619 जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण II में 267 था) यह निष्कर्ष यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है कि सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भाधान के दौरान पर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल मिले और प्रसव प्रशिक्षित चिकित्सा व्यावसायी द्वारा स्वास्थ्यप्रद स्थितियों में किया जाए।

34. इस समय, प्रति एक लाख जीवित बच्चों के प्रति औसत मातृ मृत्यु अनुपात 407 है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण II जानलेवा लापरवाही वाले कार्य, अपर्याप्त संरचनाएं और सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थाओं

की कमी को दर्शाता है। मातृ मृत्यु के प्रमुख कारणों में असुरक्षित गर्भपात, प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर रक्त स्राव, रक्त अल्पता विघ्नकारी प्रसव हाइपर यैन्शिव डिस्आर्डर्स और प्रसवोत्तर पूतिदोष हैं।

35. अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा एचआईवी एड्स (HIV-AIDS) है जो इस समय देश में तेजी से फैल रहा है। इस समय सभी राज्यों में तथा ग्रामीण तथा शहरी सभी क्षेत्रों में जनसंख्या में एचआईवी संक्रमण व्याप्त है। सेन्टिनल सर्वेलेन्स से उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पिछली दो दशाब्दियों के दौरान सभी राज्यों में तथा समूहों में यह संक्रमण धीमी गति से ही सही लेकिन उत्तरोत्तर फैल रहा है। 1998 में एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या अनुमानतः 3.5 मिलियन थी जो बढ़कर 2000 में 3.9 मिलियन और 2003 में 5.3 मिलियन हो गई जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक संख्या महिलाओं और बच्चों की है। प्रत्येक वर्ष अनुमानतः भारत में 30000 प्रसव, सीरम वाली महिलाओं के होते हैं और 6000 से 8000 शिशु आरंभ से ही एचआईवी पीड़ित होते हैं।

प्रसव पूर्व जांच

36. 1988-99 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण II पर आधारित विभिन्न समुदायों/जातियों में प्रसव पूर्व जांच की स्थिति तालिका 5.11 में दी गई:-

तालिका-5.11 विभिन्न समुदायों और जातियों में प्रसवपूर्व जांच की स्थिति

(प्रतिशत में)

	घर पर ही स्वास्थ्य परिचर द्वारा प्रसव पूर्व जांच	घर से बाहर प्रसव		पूर्व जांच परम्परागत प्रसूति सहायक अन्य	कोई प्रसव पूर्व जांच नहीं	उपलब्ध नहीं	कुल
		डॉक्टर	अन्य स्वास्थ्य व्यवसायी				
हिन्दू	6.2	47.2	11.2	0.2	34.5	0.6	100
मुसलमान	3.3	50.7	8.5	0.4	36.4	0.7	100
ईसाई	3.0	73.4	7.5	0.2	15.4	0.4	100
सिख	1.3	44.7	29.0	0.0	24.9	0.1	100
जैन	3.1	84.7	6.5	0.0	5.7	0.0	100
बौद्ध/नव बौद्ध	1.4	74.9	9.2	0.0	14.5	0.0	100
धार्मिक वर्ग रहित	10.0	53.7	0.7	0.0	35.6	0.0	100
अनुसूचित जातियां	5.9	41.7	13.3	0.2	38.2	0.6	100
अनुसूचित जनजातियां	10.0	34.7	11.5	0.3	43.1	0.4	100
अन्य पिछड़े वर्ग	5.9	48.9	9.6	0.2	34.8	0.6	100

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण II 1998-99

37. जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, मुसलमान, धार्मिक वर्ग रहित, अन्य पिछड़े वर्ग की एक तिहाई से अधिक महिलाओं तथा हिन्दू महिलाओं का प्रसवपूर्व जांच नहीं हुआ है। डाक्टर की सुविधा का लाभ सभी समुदायों और जातियों द्वारा लिया गया लेकिन उनमें अधिक संख्या जैन, बौद्ध ईसाई महिलाओं की थी। इसकी तुलना में अन्य स्वास्थ्य व्यावसायियों की सुविधा और पारंपरिक प्रसव परिचरों की सेवाओं का प्रयोग सभी समुदायों एवं जातियों द्वारा किया गया यद्यपि यह संख्या जनसंख्या का मामूली प्रतिशत है।

प्रसव के लिए स्थान

38. जैसा कि तालिका 5.12 से स्पष्ट है कि हिन्दू, मुसलमान, सिख, धार्मिक वर्ग रहित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग में 50 प्रतिशत से अधिक प्रसव घर में हुए। इसकी तुलना में ईसाई और जैन समुदाय में सर्वाधिक प्रसव स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में हुए जिनमें सरकारी अस्पताल और प्राइवेट संस्थाएं शामिल हैं। प्राइवेट संस्थाओं में प्रसव की अधिक संख्या का कारण इन समुदायों की बेहतर आर्थिक स्थिति है या उनके शहरी निवास स्थान हैं। चिकित्सा कर्मी की देखभाल

के बिना प्रसव के लिए घर में रहने वाली महिलाओं में अनुसूचित जनजातियों, धार्मिक वर्ग रहित, अनुसूचित जातियों, मुसलमानों, हिन्दुओं और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं का अनुपात अधिक था।

महिलाओं की पोषण स्थिति

39. तालिका 5.13 में दिखाए गए अनुसार विभिन्न समुदायों में महिलाओं की पोषण की स्थिति के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण II द्वारा वजन और लम्बाई के आंकड़ों का प्रयोग किया था।

40. वयस्क की लंबाई विभिन्न कारकों का परिणाम है। इसमें बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के दौरान पोषण शामिल है। वह निष्कर्ष प्वाइंट जिस पर किसी महिला को पोषण संबंधी खतरनाक स्थिति में समझा जा सकता है, जनसंख्या में अलग-अलग होता है जो सामान्यतः 140-150 सेमी तक की सीमा में माना जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण II में यह देखा गया कि भारत में महिलाओं की 151 सेमी माध्य ऊँचाई है तथा इस रान माध्य ऊँचाई में जनसंख्या के अलग-अलग समूहों में थोड़ा बहुत अन्तर होता है।

तालिका 5.12 विभिन्न समुदायों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में प्रसव के लिए स्थान से संबंधित और

(प्रतिशत में)

समुदाय/जाति	प्रसव के लिए स्थान						कुल	
	स्वास्थ्य सुविधा/संस्थान			अपने घर पर	माता-पिता के घर	अन्य		
	सार्वजनिक	गैर-सरकारी संगठन	निजी					
हिन्दू	16.4	0.6	15.9	53.5	12.5	1.1	100	
मुसलमान	14.1	0.9	16.5	55.7	11.8	1.0	100	
ईसाई	19.8	2.6	32.0	35.0	10.2	0.4	100	
सिख	10.8	0.9	35.3	45.4	7.3	0.4	100	
जैन	12.4	1.6	57.6	25.5	3.0	0.0	100	
बौद्ध/नवबौद्ध	38.9	0.0	16.3	30.5	14.0	0.4	100	
धार्मिक वर्ग रहित	7.9	0.0	11.1	78.5	2.6	0.0	100	
अनुसूचित जातियां	16.0	0.5	10.3	60.1	12.0	1.1	100	
अनुसूचित जनजातियां	10.7	0.7	5.7	70.4	11.4	1.1	100	
अन्य पिछड़े वर्ग	16.3	0.8	19.0	49.8	13.0	1.1	100	

स्रोत- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II 1988-99

भाषायी अल्पसंख्यकों की स्थिति

तालिका 5.13 : विभिन्न धार्मिक समुदायों और जातियों में महिलाओं की पोषण स्थिति

समुदाय/जाति	ऊंचाई		माध्य शरीर पुंज सूचकांक (बीएमआई)	18.5 किग्रा०/वर्ग मी० से कम बीएमआई से प्रतिशतता
	माध्य ऊंचाई (सेमी)	145 सेमी से कम की प्रतिशतता		
हिन्दू	151.1	13.5	20.1	36.9
मुसलमान	151.5	12.3	20.5	34.1
ईसाई	152.1	10.3	21.4	24.6
सिख	155.0	3.9	23.0	16.4
जैन	153.6	7.6	23.4	15.8
बौद्ध/नव बौद्ध	149.9	17.3	20.4	33.3
धार्मिक वर्ग रहित	149.8	24.1	20.6	34.5
अनुसूचित जातियाँ	150.3	17.0	19.5	42.1
अनुसूचित जनजातियाँ	150.8	13.5	19.1	46.3
अन्य पिछड़े वर्ग	151.0	13.5	20.2	35.8

स्रोत-राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II 1998-99

(150-155) यह तालिका 5.13 में दर्शाया गया है। सिख महिलाएं और जैन महिलाएं औसतन किसी अन्य समूह की महिलाओं से लंबी होती हैं यद्यपि अलग-अलग आयु समूहों में 13 प्रतिशत महिलाएं 145 सेमी० ऊंचाई से कम हैं, फिर भी उन महिलाओं का प्रतिशत, जो 145 सेमी० से कम है, प्रमुख कारण है। यह प्रतिशत की भिन्नता सिख और जैन के लिए 4.8 प्रतिशत से अन्य धर्म/अन्य धार्मिक वर्ग रहित महिलाओं के लिए 24-25 प्रतिशत तक है। जाति/जनजाति के अनुसार अनुसूचित जाति की महिलाओं की 17 प्रतिशत संख्या लंबाई में कम है।

41. शरीर पुंज सूचकांक (बी एम आई) को किलोग्राम में वजन के रूप में पारिभाषित किया जाता है जिसे मीटर में ऊंचाई द्वारा भाग दिया जाता है, वर्ग ($\text{किग्रा०}/\text{मी}^2$) निकाला जाता है जो भारत में महिलाओं के लिए 20.3 है (विभिन्न समूहों के लिए 19.23 की न्यून सीमा में भिन्नता वाली संख्या है)। जीर्ण ऊर्जा कमी को सामान्यतया 18.5 से कम बीएमआई द्वारा दर्शाया गया है। अलग-अलग आयु समूहों में महिलाओं का 36 प्रतिशत 18.5 से कम बीएमआई वाला है जिनमें अत्यधिक पोषण की कमी है। जैसा कि 5.13 तालिका में दिखाया गया है पोषण संबंधी समस्याएं विशेष रूप से उन महिलाओं में गंभीर हैं जो अन्य धर्मों, मुसलमानों, बौद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की हैं।

गर्भ निरोधक का प्रयोग

42. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण II 1988-99 पर आधारित विभिन्न समुदायों एवं जातियों में गर्भ निरोधक के प्रयोग की स्थिति तालिका 5.14 में दी गई है।

तालिका 5.14 विभिन्न समुदायों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा गर्भ निरोधकों का प्रयोग

(प्रतिशत में)

समुदाय/ जाति	कोई भी विधि	महिला नसबंदी	पुरुष नसबंदी
हिन्दू	49.2	36.2	2.1
मुसलमान	37.0	19.6	0.8
ईसाई	52.4	36.5	2.1
सिख	65.2	30.2	1.6
जैन	65.1	42.3	1.4
बौद्ध/नवबौद्ध	64.7	52.5	5.0
धार्मिक वर्ग रहित	30.1	16.7	0.0
अनुसूचित जातियाँ	44.6	34.4	1.9
अनुसूचित जनजातियाँ	39.1	28.8	3.1
अन्य पिछड़े वर्ग	46.8	37.2	1.6

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II 1998-99

43. जैसा कि उपर्युक्त विवरण में देखा जा सकता है कि गर्भ निरोधक का प्रयोग सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई समुदाय द्वारा अधिक किया गया है इसकी तुलना में गर्भ निरोधक का प्रयोग मुसलमानों में सब से कम हुआ है तथा धार्मिक वर्ग रहित समुदाय, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और हिन्दुओं की संख्या वृद्धि के क्रम में है। इसके अलावा पुरुष नसबंदी विधि का प्रयोग सभी समुदायों और जातियों द्वारा बहुत कम हुआ है। लेकिन पुरुष और महिला नसबंदी, की संख्या सबसे कम धार्मिक वर्ग रहित, और मुसलमानों की है जबकि महिला नसबंदी की सर्वाधिक संख्या बौद्ध समुदाय की है।

विभिन्न धार्मिक समुदायों/जातियों में जनन क्षमता दर

44. धार्मिक समुदायों और जातियों में 40 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं के बच्चों की मध्य संख्या तथा कुल जनन क्षमता दर के आंकड़े तालिका 5.15 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.15 विभिन्न समुदायों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में कुल जनन क्षमता दर

(प्रतिशत में)

समुदाय/जाति	कुल जनन क्षमता दर	40 से 49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं के जन्में बच्चों की माध्य संख्या
हिन्दू	2.78	4.34
मुसलमान	3.59	5.72
ईसाई	2.44	3.47
सिख	2.26	3.59
जैन	1.90	3.32
बौद्ध/नवबौद्ध	2.13	4.05
धार्मिक वर्ग रहित	3.91	*(5.62)
अनुसूचित जातियां	3.15	4.85
अनुसूचित जनजातियां	3.06	4.74
अन्य पिछड़े वर्ग	2.83	4.43

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II 1998-99

45. जैसा कि तालिका 5.15 से स्पष्ट है कि कुल जनन क्षमता दर धार्मिक वर्ग रहित लोगों में बहुत अधिक है (3.91 प्रतिशत) जबकि यह दर मुसलमान (3.59 प्रतिशत), अनुसूचित जातियां (3.15 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियां (3.06 प्रतिशत)

है सबसे कम जनन क्षमता दर जैन समुदाय (1.9 प्रतिशत) की है। अन्य समुदायों में कुल जनन क्षमता दर सिखों में 2.26 प्रतिशत से अन्य पिछड़ी जातियों में 2.83 प्रतिशत तक है। इसी प्रकार 40 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं के पैदा बच्चों की औसत संख्या मुसलमानों में सर्वाधिक (5.72) है जबकि अनुसूचित जाति (4.85) अनुसूचित जनजाति (4.74) अन्य पिछड़े वर्ग (4.43) हिन्दू (4.34) और बौद्ध (4.05) हैं तथा सबसे कम आंकड़े जैन 3.32 के हैं।

46. पूर्ववर्ती पैराओं में विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं :

46.1 धार्मिक अल्पसंख्याओं की महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तथा 1961 में 16.1 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 18.9 प्रतिशत हो गई है। समुदायवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि हम दशाब्दी से दूसरी दशाब्दी में महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि में अन्तर रहा है। यद्यपि अल्पसंख्यकों की कुल महिला जनसंख्या में मुसलमान महिलाओं के अंश 1971 में 66.3 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 71.1 प्रतिशत हो गया लेकिन ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन महिलाओं की जनसंख्या के अंश में कमी हुई है।

46.2 पारसियों की कुल जनसंख्या के साथ-साथ उनमें महिलाओं की संख्या में भी कमी हुई है जो 1991 में 76382 (पुरुष-37736 महिला 38646) से कम होकर 2001 में 69601 (पुरुष 33949, महिला 35652) हो गई।

46.3 ईसाई समुदाय का सभी आयु समूहों में 1000 पुरुषों के प्रति 1009 महिलाओं का महिला-पुरुष अनुपात है। लेकिन अन्य धर्मों के लिए 0.6 वर्ष का आयु समूह, का 1000 लड़कों के प्रति 976 लड़कियों का सर्वाधिक महिला-पुरुष अनुपात है। सिखों का सभी आयु समूहों में 1000 पुरुषों के प्रति 893 महिलाओं का महिला-पुरुष अनुपात है तथा 0-6 वर्ष तक के आयु समूह में 1000 लड़कों के प्रति 786 लड़कियों का अनुपात है।

46.4 जैन समुदाय की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 90.58 प्रतिशत है जिसमें 93.75 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में 80.34 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों का है। इसकी तुलना में अन्य धर्मों की सबसे कम महिला साक्षरता दर 33.19 प्रतिशत है। मुसलमानों में महिला साक्षरता दर 50.09 प्रतिशत है जो कि अन्य धर्मों, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों से अधिक है।

46.5 साक्षरता दर में महिला-पुरुष अन्तराल सर्वाधिक अन्य धर्मों में (27.61 प्रतिशत) तथा सबसे कम जैन (6.82 प्रतिशत) समुदाय में है तथा इससे अधिक (8.18 प्रतिशत) ईसाई समुदाय का है। साक्षरता दर में महिला-पुरुष अन्तराल शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है।

46.6 कार्य सहभागिता दर बौद्ध महिलाओं का (31.7 प्रतिशत) सर्वाधिक है तथा सबसे कम जैन समुदाय का (9.2 प्रतिशत है) जबकि सभी धार्मिक समुदायों के लिए इसका औसत 25.6 प्रतिशत है। कार्य-सहभागिता दर महिलाओं के लिए पुरुष कार्य सहभागिता दर से कम है तथा उनका अनुपात एक समुदाय से दूसरे समुदाय से भिन्न है।

46.7 अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं में से अन्य धार्मिक वर्गों की महिलाओं का प्रतिशत (41.62 प्रतिशत) है इससे कम ईसाई महिलाओं का 41.86 प्रतिशत तथा बौद्ध महिलाओं (41.52 प्रतिशत) का है जो अपनी भूमि पर खेती करने वाला समूह है। अन्य धर्म की महिलाओं में से अधिकांश (56.95%) है इससे कम जैन महिलाएं (55.50 प्रतिशत) और बौद्ध महिलाएं (51.46 प्रतिशत) तथा खेतीहर महिलाएं हैं। सिख महिलाओं की सर्वाधिक संख्या (76.55 प्रतिशत) इससे कम ईसाई महिलाओं (59.51 प्रतिशत) बौद्ध महिलाओं (59.35 प्रतिशत) और मुसलमान महिलाओं (51.48 प्रतिशत) की संख्या घेरेलू उद्योगों में कार्यरत है। अन्य कार्यों के वर्ग में सर्वाधिक संख्या सिख महिलाओं (29.66 प्रतिशत) और घटते हुए क्रम में ईसाई महिलाएं (29.13 प्रतिशत) अन्य धार्मिक महिलाएं (28.96 प्रतिशत) तथा बौद्ध महिलाएं 21.85 प्रतिशत हैं।

46.8 हिन्दुओं में अन्य समुदायों की तुलना में शिशु और बाल मृत्यु दर अधिक क्रमशः (77.1 प्रतिशत और 32.4 प्रतिशत) है। ईसाईयों की शिशु एवं बाल मृत्यु दर सबसे कम (क्रमशः 49.2 प्रतिशत तथा 19.7 प्रतिशत) है। मुसलमानों में शिशु मृत्यु दर (58.8 प्रतिशत बाल मृत्यु दर 25.4 प्रतिशत) दर है जो कि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से अधिक है। लेकिन शिशु एवं बाल मृत्यु दर अनुसूचित जातियों की (क्रमशः 83.0 प्रतिशत और 39.5 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजातियों की (क्रमशः 84.2 प्रतिशत और 46.3 प्रतिशत) है अन्य पिछड़े वर्गों तथा धार्मिक वर्ग रहित की अन्य समुदायों की तुलना में शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर अधिक है।

46.9 विभिन्न समुदायों में कुल जनन क्षमता दर स्थिति यह दर्शाती है कि कुल जनन क्षमता दर धार्मिक वर्ग रहित लोगों में सर्वाधिक

(3.91 प्रतिशत) है जबकि मुसलमानों में इससे कम (3.59 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जातियों में (3.15 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियों में (3.06 प्रतिशत) है। जैन समुदाय की सबसे कम जनन क्षमता दर (1.90 प्रतिशत) है इससे अधिक बौद्ध (2.13 प्रतिशत) और सिख (2.26 प्रतिशत) की है। 40 से 49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं के जन्में बच्चों की औसत संख्या के संबंध में मुसलमान महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिशत (5.72 प्रतिशत) है इससे कम धार्मिक वर्ग रहित का (5.62 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों का (4.85 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियों का (4.43 प्रतिशत) है।

46.10 ईसाई, सिख, जैन समुदायों की महिलाओं की पोषण स्थिति अन्य की तुलना में कुछ बेहतर है। सिख महिलाओं की सर्वाधिक माध्य ऊंचाई 155 सेमी॰ है तथा इससे कम जैन 153.6 सेमी॰ और ईसाई (152.1 सेमी॰) महिलाओं की है। 145 सेमी॰ से कम ऊंचाई की महिलाएं, सिख महिलाएं सबसे कम (3.9 प्रतिशत) इससे अधिक जैन (7.6 प्रतिशत) और ईसाई (10.3 प्रतिशत) हैं। बौद्ध और धार्मिक वर्ग रहित महिलाओं की पोषण स्थिति बहुत खराब है।

46.11 विभिन्न समुदायों में प्रसव पूर्व जांच संबंधी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां मुसलमान, धार्मिक वर्ग रहित समुदाय की महिलाओं की एक तिहाई से अधिक संख्या इस प्रकार की कोई जांच नहीं करती है। प्रसव पूर्व जांच के लिए डॉक्टरों की सुविधाओं का लाभ सभी समुदायों द्वारा लिया गया है लेकिन इनमें सर्वाधिक संख्या जैन समुदाय की महिलाओं (84.7 प्रतिशत) उससे कम बौद्ध (74.9 प्रतिशत) और ईसाई (73.4 प्रतिशत) है। अन्य स्वास्थ्य व्यावसायिकों तथा पारंपरिक प्रसव परिचरों से सुविधाओं का प्रयोग करने के संबंध में स्थिति यह है कि इनका लाभ समुदाय/जातियों द्वारा लिया गया है लेकिन उनकी प्रतिशतता बहुत कम है।

46.12 प्रसव के लिए ईसाई और जैन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र/अस्पताल को वरीयता देते हैं अन्य समुदाय के 50 प्रतिशत से अधिक प्रसव घर पर हुए हैं। अनुपातिक दृष्टि से यह संख्या अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां धार्मिक वर्ग रहित, मुसलमानों, हिन्दुओं और अन्य पिछड़े वर्गों में अधिक है।

46.13 गर्भ निरोधकों का प्रयोग सिख जैन बौद्ध और ईसाई समुदाय में अधिक हुआ है तथा मुसलमान समुदाय में सबसे कम

हुआ और इसके बाद की संख्या धार्मिक वर्ग रहित समुदाय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा हिन्दू की है। महिला नसबंदी की संख्या सर्वाधिक बौद्ध समुदाय की है। पुरुष तथा महिला नसबंदी की सबसे कम संख्या, धार्मिक वर्ग रहित वर्ग और मुसलमान समुदाय की है कुल जनन क्षमता दर जन्में बच्चों की संख्या सर्वाधिक मुसलमान/धार्मिक वर्ग रहित वर्ग तथा आगे इसी क्रम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की है। इस संबंध में सबसे कम आंकड़े जैन, बौद्ध तथा हिन्दूओं के हैं।

46.14 आंकड़े यह दर्शाते हैं कि एच आई वी प्रभावित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 1998 में 3.5 मिलियन से बढ़कर 2000 में 3.9 मिलियन तथा 2003 में 5.3 मिलियन हो गई। जिनमें से 50 प्रतिशत संक्रमित संख्या महिलाओं और बच्चों की है। प्रत्येक वर्ष भारत में अनुमानतः 30000 प्रसव सीरम वाली महिलाओं के होते हैं तथा 6000 से 8000 शिशु प्रसव के समय से ही एच आई वी की संक्रमित होते हैं।

धार्मिक अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मापदंड

1. भारत एक बहुजातीय, बहुधार्मिक और बहुभाषायी देश है जहां क्षेत्रीय और परंपरागत विषमताओं के कारण लोगों के बीच व्याप्त विभिन्नताएं और असमानताएं व्यापक होती चली गई हैं। राज्य, समाज में व्याप्त इन अंतर्निहित असमानताओं के प्रति सजग है। इसलिए समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से पिछड़े समुदायों के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने का लंबा इतिहास रहा है स्वतंत्रता से पहले की गई पहल को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने ऐसे लोगों की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान करने की जरूरत को स्वीकार किया, जिनके प्रति भेदभाव किया जाता है और/या जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

2. विधि के समक्ष समानता एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 14 में दी गई है। इसमें सक्षम और असक्षम को जीवन की दौड़ में समान स्तर पर रखा गया है। सामाजिक न्याय के संबंध में प्रचलित धारणा है कि समानता केवल समान स्तर के लोगों में ही होती है। असमान लोगों से समानता का व्यवहार करना असमानता को स्थायी करना है। समाज की मानवीयता का निर्धारण इस बात से होता है कि वह अपने कमजोर, विकलांग और कम भाग्यशाली सदस्यों को कितनी सुरक्षा प्रदान करता है।

3. ‘अवसर की समानता’ और ‘व्यवहार की समानता’ कमजोर और ताकतवर दोनों को समान आधार पर रखती है। इस सीमा तक यह सामाजिक न्याय के निषेध के बराबर है। वस्तुतः, यह ‘परिणामों की समानता’ है जो समाज के समानतावादी संरक्षण की कसौटी है। हमारे जैसे अति असमान समाज में, समाज के वंचित वर्गों को विशेष संरक्षण देकर ही हम सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को इतना समर्थ कर सकते हैं कि वे ताकतवर द्वारा किए जाने वाले शोषण का प्रतिरोध कर सकें।

4. इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 46 आदि के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए। राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह पिछड़े वर्गों को ऐसे स्तर तक उठाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जहां से वे समान आधार का लाभ ले सकें। अस्पृश्यता-प्रथा के शिकार लोगों, दुर्गम और अलग-थलग पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना आवश्यक था जिससे उनके उत्थान हेतु कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

5. धार्मिक अल्पसंख्यकों में से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के मापदंड का सुझाव देने के लिए उन तक पहुंचने के मौजूदा मापदंड की पर्याप्तता और प्रभावकारिता की जांच करना महत्वपूर्ण है। यह पिछड़े के विभिन्न वर्गों की पहचान करने के लिए अपनायी गई नीतियों की जांच करने में सहायक होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए अपनायी गई विभिन्न पद्धतियाँ

6. लोगों की विविधता और पिछड़ेपन के विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु संविधान में तीन अलग समूहों की पहचान की गई है। ये निम्नानुसार हैं:—

- (i) अनुसूचित जाति
- (ii) अनुसूचित जनजाति
- (iii) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग 15(4)
- (iv) अन्य पिछड़े वर्ग -16(4)
- (v) कमजोर वर्ग -46

7. उक्त समूह (ii) और (v) में सभी शामिल थे और उनमें धार्मिक अथवा जाति आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। धार्मिक अल्पसंख्यक इन्हीं का एक हिस्सा है। समूह (i) धार्मिक और जाति आधारित है और जो हिंदू, सिख और बौद्धों में अस्पृश्यता प्रथा से उत्पन्न हुआ है जबकि, मुसलमानों और ईसाईयों में इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

8. उनकी पहचान करने और नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी प्रगति तेज करने के लिए अलग-अलग पैरामीटर अपनाए गए जिन्हें 'सकारात्मक कार्वाई' या 'सकारात्मक भेदभाव' कहा जा सकता है।

अनुसूचित जातियां

9. 1931 की जनगणना में 429 अनुसूचित जातियों की पहचान विशेष समूह के रूप में की गई जिन्हें 'डिप्रेस्ड क्लास' (दलित वर्ग) कहा गया और उन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार 'अनुसूचित जातियों' के रूप में अधिसूचित किया गया। हांलाकि, भारत सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश अप्रैल 1936 में जारी किया गया था। अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए अपनाया गया मापदंड अस्पृश्यता की घृणित प्रथा पर आधारित था। प्रयुक्त कसौटी सुदीर्घ अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछ़ापन थी। 1950 में भारतीय संविधान ने 1936 में तैयार सूची को अंगीकार किया। 1936 की सूची में शामिल किसी जाति की पात्रता की जांच के लिए कोई सर्वेक्षण या छानबीन नहीं की गई। 1950 में जारी पहली अधिसूचना में 607 समुदाय शामिल किए गए थे जिससे 2002 तक 502 नई जातियां शामिल करके 1109 कर दिया गया है। इसके विपरीत इस सूची में से 33 समुदायों को निकाल दिया गया है।

10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 16, 17, 46, 243, 330, 332, 334, 335, 338 और 341 में अनुसूचित जातियों के संरक्षण और विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

अनुसूचित जनजातियां

11. 'अनुसूचित जनजातियों' को पृथक वर्ग में रखने का मापदंड, दुर्गम स्थानों में रह रही जनजातियों का भौगोलिक एकाकीपन था जिसके कारण वे पिछ़ड़ गए थे।

12. पहली अधिसूचना जिसमें 240 समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था, 1950 में 12

राज्यों के लिए जारी की गई थी। वर्तमान में भारत में अनुसूचित जनजाति समुदायों की संख्या बढ़कर 628 हो गई है जो 1950 में 240 थी। पिछले पांच दशकों में अनुसूचित जनजातियों की सूची में लगभग 156 प्रतिशत अर्थात डेढ़ गुना वृद्धि हुई है जबकि केवल 15 जातियों को सूची से हटाया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ जनजातियों में अल्पसंख्यक भी शामिल हैं क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की पहचान करने का मापदंड धर्म और जाति निरपेक्ष है। पूर्वोत्तर तथा अन्य जनजातिय क्षेत्रों के ईसाई और बौद्ध तथा दूर जनजातिय क्षेत्रों में रहने वाले मुसलमान भी अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध सभी लाभों के हकदार हैं।

13. अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, देखभाल और विकास के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, 16, 46, 164, 243, 244, 275(1), 330, 332, 334, 335, 338क और 342 में विशेष उपबंध दिए गए हैं।

सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछ़ड़े वर्ग

14. संविधान में इस बात को मान्यता दी गयी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछ़ड़े वर्ग भी हैं जिन पर अनुच्छेद 15, 16(4) और 46 के तहत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा इस संबंध में 1953 से की गई पहल में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछ़ड़ों की पहचान करने के लिए तैयार नीतियाँ और मापदंड हैं।

15. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में एक आयोग की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है जो पिछ़ड़े वर्गों की स्थिति की जांच उक्त उपबंध के अनुसार करेगा। समाज के किसी वर्ग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछ़ड़ा मानने हेतु मापदंड निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने 1953 में काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में पहले पिछ़ड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की जिसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछ़ड़े वर्गों की पहचान करने के लिए चार मापदंड निर्धारित किए गए थे, जो निम्नानुसार हैं:—

- (i) हिंदू समाज के परंपरागत जातिक्रम में निम्न सामाजिक स्थिति;
- (ii) किसी जाति या समुदाय के बड़े वर्ग में सामान्य शैक्षिक प्रगति का अभाव;

- (iii) सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त या शून्य प्रतिनिधित्व;
- (iv) व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।

16. भारत सरकार ने कालेलकर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया और इस विषय पर राज्य सरकारों से राय ली। राज्य सरकारों के विचार एक-दूसरे से अलग थे और उनके द्वारा सुझाए गए मापदंड भी एक-दूसरे से काफी भिन्न थे। इन सुझावों में पिछड़े वर्गों की बाजे पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करना; अर्थिक पिछड़ेपन को मापदंड अंगीकार करना; अन्य पिछड़ी जातियों की मौजूदा जाति आधारित सूची जारी रखना आदि शामिल था। केंद्र सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अखिल-भारतीय सूची तैयार करना विधिक बाध्यता नहीं है। केंद्र सरकार ने 1961 में राज्य सरकारों को सूचित किया कि उन्होंने “सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, पिछड़े वर्गों की (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मौजूदा सूची से भिन्न) अखिल भारतीय सूची नहीं तैयार करने का निर्णय लिया है और यद्यपि राज्य सरकारों को पिछड़ेपन को परिभाषित करने के लिए स्वयं का मानदण्ड चुनने का अधिकार है, फिर भी जाति के बजाए अर्थिक कसौटी को आधार मानना बेहतर होगा”। राज्य सरकारों से कहा गया कि वे अपने स्वयं के मापदंड के आधार पर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करें।

17. उक्त के अनुसरण में, अनेक राज्य सरकारों ने राज्य स्तरीय आयोगों की नियुक्ति की और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के लिए उनकी सिफारिशें स्वीकार की। कुछ आयोगों जैसे जम्मू और कश्मीर में गजेंद्र गाडकर आयोग, गुजरात में बख्शी आयोग, और कर्नाटक में हवानूर आयोग, द्वारा सुझाए गए मापदंड एक-दूसरे से भिन्न थे। संक्षेप में, वे निम्नानुसार थे:—

- (i) जातियों से संबद्ध सामाजिक पिछड़ेपन, निम्नजाति स्तर या हीनता बोध के कारण वे सांस्कृतिक प्रशिक्षण, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी शिक्षा आदि के लिए उदासीनता पैदा होती है।
- (ii) अर्थिक पिछड़ेपन, निर्धनता के कारण भूमि/मकान या अन्य संपत्ति प्राप्त करने में अक्षमता, घरेलू आय, रोजगार की स्थिति—वर्तमान व्यवसाय, परंपरागत व्यवसाय को घटिया, अलामकर या गंदा समझा जाता है, और वे केवल शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते हैं।
- (iii) शैक्षिक पिछड़ापन
- (iv) ग्रामीण, पृथक और अलग-थलग क्षेत्रों में आवास की निम्न स्थिति और आवास का प्रकार, मकान का स्वामित्व।

(v) परिवार की आय बढ़ाने में महिलाओं की भागीदारी।

(vi) वे परिवार जहाँ बाल विवाह प्रचलन में हैं।

18. अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य-वार तैयार सूची में धर्म और जाति निरपेक्ष अल्पसंख्यक समुदाय शामिल किए गए थे। कई राज्यों में नव-बौद्ध, ईसाईयत और इस्लाम में परिवर्तित अनुसूचित जातियों को इन सूचियों में शामिल किया गया।

19. राज्य आयोगों की रिपोर्ट के कारण न्यायालय में काफी संख्या में मुकदमें लड़े गए। अनेक मामलों में न्यायालयों ने उनकी सिफारिशों के विरुद्ध निर्णय दिया। इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान के लिए मापदंड का सुझाव देने हेतु 1979 में श्री बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने 11 “मापदंड” या “सूचक” का सुझाव दिया जो निम्नानुसार है:—

सामाजिक

- (i) जातियाँ/वर्ग जिन्हें अन्य द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ा समझा जाता है।
- (ii) जातियाँ/वर्ग जो अपनी अजीविका के लिए मुख्यतः शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं।
- (iii) जातियाँ/वर्ग जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक स्त्रियां और 10 प्रतिशत अधिक पुरुष और शहरी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत अधिक स्त्रियां और 5 प्रतिशत अधिक पुरुष 17 वर्ष से कम की आयु में विवाह कर लेते हैं।
- (iv) जातियाँ/वर्ग जिनमें काम में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है।

शैक्षिक

- (i) जातियाँ/वर्ग जहाँ 5-15 की आयु समूह में बच्चों की संख्या, जो कभी स्कूल नहीं गए, राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है।
- (ii) जातियाँ/वर्ग जिनमें 5-15 वर्ष की आयु समूह में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का दर, राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है।
- (iii) जातियाँ/वर्ग जिनमें मैट्रिक तक पढ़े लोगों की संख्या राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत कम है।

आर्थिक

- (i) जातियां/वर्ग जिनमें पारिवारिक परिसंतियों का औसत मूल्य राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत से कम है।
 - (ii) जातियां/वर्ग जिनमें कच्चे धरों में रहने वाले परिवारों की संख्या राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है।
 - (iii) जातियां/वर्ग जहां पेय जल का स्रोत 50 प्रतिशत से अधिक परिवारों के लिए आधा किलोमीटर से अधिक दूर है।
 - (iv) जातियां/वर्ग जहां उपभोग ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है।
20. मंडल आयोग ने सामाजिक समूह के चार में से प्रत्येक 'सूचक' के लिए 3 अंक, तीन शैक्षिक 'सूचकों' में से प्रत्येक के लिए 2 अंक और चार आर्थिक 'सूचकों' में से प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित करके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक समूह में 11 सूचकों के लिए पृथक अंक निर्धारित किए। 'सूचकों' के लिए निर्धारित किए गए अंकों के आधार पर उन जातियों/समुदायों को जिन्होंने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए, पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान की जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया गया था जैसा कि इस कथन से स्पष्ट होता है। कथन—धर्म—वार अलग की गई (ब्रेकअप) जातियों की सूची की राज्य—वार संख्या।

21. यद्यपि मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में प्राप्त की गई थी लेकिन इसे 1993 तक कार्यान्वित नहीं किया गया। सरकार ने केंद्रीय सूची में 1238 वर्गों को अधिसूचित किया जिनमें मंडल आयोग तथा राज्यों से संबंधित वर्ग भी शामिल थे।

22. उच्चतम न्यायालय के अनेक पूर्ववर्ती निर्णयों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार (1992) के मामले में आरक्षण से संबंधित विधिक मापदंड का अंतिम रूप से समाधान करने के लिए नौ न्यायाधीशों की विशेष न्यायपीठ का गठन करना आवश्यक हो गया। इस मामले में, न्यायपीठ ने राय दी कि अनुच्छेद 16(4) में वर्णित पिछड़ापन का कारण है (पैरा 85)। यह स्पष्ट है कि इनमें परस्पर संबंध है और आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन का परिणाम है। पिछड़े लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया के संबंध में, पीठ ने निम्नानुसार राय व्यक्त की:—

- (i) न तो संविधान में और न ही विधि में पिछड़े वर्गों की पहचान करने की प्रक्रिया या विधि के बारे में दिया गया

है। ऐसी कोई प्रक्रिया या विधि निर्धारित करना न्यायालय के लिए संभव अथवा उचित भी नहीं है। पहचान करने का कार्य नियुक्त प्राधिकारी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वह ऐसी विधि/प्रक्रिया अपना सकता है जिसे वह सुविधाजनक समझे जहां तक उसके सर्वेक्षण का संबंध है, इसमें लोगों के अन्य व्यावसायिक समूहों, श्रेणियों और वर्गों में से तथा उनके साथ-साथ, जातियों की संपूर्ण जनसंख्या को लिया जाता है। इस प्रक्रिया को व्यावसायिक समूह या जाति या कुछ अन्य समूह से शुरू किया जा सकता है। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को जातियों से प्रारंभ कर सकता है और जहां-जहां वे पाई जाती हैं वहां इस मापदंड (पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए विकसित किए गए) को लागू करके और यह पता लगाकर कर सकता है कि क्या यह मापदंड के अनुसार है या नहीं, यदि यह मापदंड के अनुसार सही है तो जो परिणाम सामने आता है वह अनुच्छेद 16(4) के अर्थ के अंतर्गत और उसके प्रयोजन के लिए “नागरिकों का पिछड़ा वर्ग” होगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया अन्य व्यावसायिक समूहों, समुदायों और वर्गों के लिए भी अपनायी जा सकती है, ताकि संपूर्ण जनता को शामिल किया जा सके। मूल विचार और समग्र उद्देश्य समाज में सभी उपलब्ध समूहों, वर्गों और श्रेणियों पर विचार करना होना चाहिए। चूंकि जाति मौजूदा पहचान योग्य सामाजिक समूह/वर्ग को निर्दिशित करती है जिसमें देश की अधिकांश जनसंख्या समाहित है इसलिए जाति से प्रारंभ करके फिर अन्य समूह, वर्ग और श्रेणी की ओर बढ़ सकता है।

- (ii) संविधान में ‘पिछड़ापन’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हर प्रकार का पिछड़ापन—सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक या अन्य प्रकार के पिछड़ेपन को शामिल करना पर्याप्त होगा। समाज के कुछ वर्गों को ‘पिछड़ा वर्ग’ के रूप में वर्गीकृत करने का राज्य को पूर्ण अधिकार है।

23. 1992 में इंदिरा साहनी निर्णय में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ‘पिछड़े वर्गों’ की पहचान करने के लिए आयोग/समितियों का गठन किया, जिन्होंने बाद में, और स्वयं, ऐसे मापदंड और सूचकों का निर्धारण किया जिसका उपयोग उनके द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान करने और निजी मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए किया गया। कुल मिलाकर उन्होंने मंडल आयोग के फार्मेट को ही अपनाया जिसके अंतर्गत 11 सूचकों को तीन शीर्षों में जैसे, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मापदंड—समूहीकृत किया गया था। मंडल आयोग ने

पिछड़े वर्गों की पहचान की जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल थे जैसा कि 'कथन' से स्पष्ट है।

24. इंदिरा साहनी निर्णय के अनुसरण में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति और उनके समक्ष कठिनाइयों की जांच करने और समुचित सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में नाम शामिल करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाएः-

सामाजिक

- (1) जातियां और समुदाय जिन्हें सामान्यतः सामाजिक रूप में पिछड़ा समझा जाता है।
- (2) (i) जातियां और समुदाय, जो मजदूरी के लिए, मुख्यतः कृषि और/या अन्य शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं और उनके पास पर्याप्त संसाधन आधार नहीं हैं।
 - (ii) जातियां और समुदाय, जो निर्वाह के लिए मुख्यतः कृषि और/या शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं और उनके पास कोई महत्वपूर्ण संसाधन नहीं हैं।
 - (iii) जातियां और समुदाय, जिनमें महिलाएं, सामान्य प्रथा के रूप में, स्वयं/परिवार के निर्वाह के लिए, मजदूरी करने के लिए कृषि और/या अन्य शारीरिक श्रम में लगी हैं।
 - (iv) जातियां और समुदाय, जिनके बच्चे, सामान्य प्रथा के रूप में, परिसर के निर्वाह के लिए या परिवार की कम आय में वृद्धि करने के लिए, मुख्यतः कृषि और/या शारीरिक श्रम में लगे हैं।
 - (v) जातियां और समुदाय, जिनकी जाति प्रथा के अनुसार परंपरागत शिल्प या परंपरागत या पुश्तैनी व्यवसाय से पहचान की जाती है जिसे घटिया या अशोभनीय समझा जाता है।
 - (vi) जातियां और समुदाय, जिनकी जाति प्रथा के अनुसार, परंपरागत या पुश्तैनी व्यवसाय जिन्हें 'अस्वच्छ' या घृणित समझा जाता है, से पहचान की जाती है।
 - (vii) खानाबदोश और अर्थ-खानाबदोश जातियां और समुदाय,
 - (viii) अधिसूचना से हटाए गए (डीनोटीफाइड) या विमुक्त जातियां और समुदाय¹।
- (3) जातियां और समुदाय, जिनका राज्य विधान सभा और/या जिला-स्तर पंचायती राज संस्थाओं में कोई प्रतिनिधित्व

नहीं है अथवा निम्न प्रतिनिधित्व है (लागू होने की तारीख से पूर्व दस वर्षों में)²।

शिक्षा

- (4) जातियां और समुदाय, जिनमें साक्षरता दर राज्य या जिले के औसत से कम से कम प्रतिशत कम है।
- (5) जातियां और समुदाय जिनमें मैट्रीकुलेट व्यक्तियों की संख्या राज्य या जिले के औसत से कम से कम 20 प्रतिशत कम है।
- (6) जातियां और समुदाय जिनमें ग्रेजुएट व्यक्तियों की संख्या राज्य जिले के औसत के कम से कम 20 प्रतिशत के कम है।

आर्थिक

- (7) जातियां और समुदाय, जिनके अधिकांश सदस्य केवल कच्चे मकानों में रहते हैं।
- (8) जातियां और समुदाय जिनके सदस्यों का हिस्सा अनेक मामलों और राज्य की कृषि भूमि हृदबंदी अधिनियम के तहत लौटाई गई कृषि भूमि के मामलों में 'शून्य' या अत्यंत कम है।
- (9) जातियां और समुदाय, जिनके सदस्यों की राज्य सरकार के समूह के और ख/श्रेणी-I और II के पदों और सेवाओं में संख्या संबंधित जाति/समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में नहीं है।
- (10) उपरोक्त के अतिरिक्त, अनुच्छेद 16(4) से उद्भूत निम्नलिखित शर्त को भी पूरा किया जाना चाहिए। जातियां और समुदाय, जिनका केंद्रीय सरकारी समूह के और ख के पदों और सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है अथवा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक समूह/श्रेणी का अलग से लिया जाएगा।

¹यह शब्द ऐसी जातियों/समुदायों का निर्देश करता है जिन्हें भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित अपराधिक जनजातीय अधिनियम, 1924 (अधिनियम सं 1924 का VI) के तहत आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्णीकृत किया गया था, और आपराधिक जनजातीय (निरसन) अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं XXIV) द्वारा निरसित किया गया और तत्पर्यात डिनोटिफाइड या नियुक्त जाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया।

²इसका आशय केवल, सूचक के रूप में, इन निकायों में किसी जाति या समुदाय की उपस्थिति मापना है। निम्न प्रतिनिधित्व शब्द ऐसी जाति या समुदाय को निर्दिष्ट करने के लिए लिया जा सकता है जिसकी किसी निकाय में उपस्थिति उसकी जनसंख्या के अनुपात में 25% से भी कम है।

विद्यमान मापदंडों का कार्यान्वयन

25. राष्ट्रीय पिछ़ड़ावर्ग आयोग द्वारा जारी और राज्य सरकारों द्वारा अंगीकृत मार्गनिर्देशों के अनुपालन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निकाल कर अथवा उसके बिना धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित पिछ़ड़े वर्गों की सूची अधिसूचित की गई।

26. अन्य पिछ़ड़े वर्गों की सूची विनिर्दिष्ट करने वाली पहली अधिसूचना तत्कालीन कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14 राज्यों में 1238 समुदायों के लिए 13.9.1993 में जारी की गई। वर्तमान में इस सूची में 2159 समुदाय हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित वर्गों को कई राज्यों की सूची में शामिल किया गया है।

(क) केंद्रीय सूची में धर्मवार हिंदू 2083, मुसलमान 52, ईसाई 22 और सिख 2: कुल 2159 जातियां हैं।

(ख) राज्य सूची में धर्मवार हिन्दू 2123, मुसलमान 163, ईसाई 38, बौद्ध 2, और सिख 6: कुल मिलाकर 2332 है। केंद्र और राज्य सूची में अन्य पिछ़ड़ावर्ग में अल्पसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में नहीं है।

मापदंड: इसकी प्रभावकारिता

27. निर्धारित किए गए पैरामीटरों की प्रभावकारिता अनेक घटकों पर निर्भर करती है। पहला, इससे पात्र और योग्य की पहचान करने में मदद मिलनी चाहिए जो इस कार्य का मूल उद्देश्य है। इसलिए, पैरामीटरों का वैज्ञानिक आधार होना चाहिए जो पहचान करने की प्रक्रिया को तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण बनाते हैं जिससे अपात्र द्वारा इसका दुरुपयोग करने और लाभ लेने के अवसर कम हो जाते हैं। दूसरा, इसमें लगातार समीक्षा करने तथा उनको सूची में से निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए जो पिछड़ेपन के निर्धारित स्तर से 'ऊपर उठने' में सक्षम हो गए हैं। सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने में वर्तमान मापदंडों की प्रभाविता/उपयुक्तता की जांच करने में निम्नलिखित से सहायता मिलेगी:-

मंडल आयोग और राष्ट्रीय पिछ़ड़ावर्ग आयोग द्वारा पिछ़ड़े समुदायों की सूची तैयार करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया

28. मंडल आयोग की रिपोर्ट सीमित सर्वेक्षण और त्रुटिपूर्ण नमूने के आकार पर आधारित थी। इसलिए मंडल आयोग द्वारा अन्य

पिछड़े वर्गों के लिए एकत्रित किए गए आंकड़ों की अपनी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए—

- (i) 405 जिलों से प्रति जिला दो गांव और प्रति जिला एक शहरी ब्लॉक से एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्रतिनिधि नमूना नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अधिकांश जातियां जिनकी जनसंख्या कम है पूरी तरह से छूट जाती हैं।
- (ii) जाति-आधारित मापदंड गैर-हिंदुओं के लिए उपयुक्त नहीं था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जाति और धर्म पर ध्यान दिए बिना सभी समुदायों के सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समान रूप से शामिल किया जाता है ऐसे समान पैरामीटरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो धर्म और जाति निरपेक्ष हो।
- (iii) सूचियां जो अस्थायी, अवैज्ञानिक और लागू करने में कठिन हैं और जिनके लिए पुष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं:-
 - (क) जातियां/वर्ग जिन्हें दूसरों द्वारा पिछड़ा समझा जाता है व्यक्तिपरक है वैज्ञानिक नहीं।
 - (ख) जातियां/वर्ग जिनमें राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत महिलाएं और 10 प्रतिशत पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 10 प्रतिशत महिलाएं और 5 प्रतिशत पुरुष 17 वर्ष से कम की आयु में विवाह कर लेते हैं। जातियां/वर्ग फैले हुए हैं, घरों के जाति-वार विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए ये मापदंड लागू किए जाने योग्य नहीं हैं।
 - (ग) जातियां/वर्ग जिनमें पेय जल का स्त्रोत 50 प्रतिशत से अधिक परिवारों के लिए आधे किलोमीटर से अधिक दूरी पर है (घर से घर गांव-वार सर्वेक्षण अपेक्षित है)।
 - (घ) जातियां/वर्ग जिनमें उपभोग ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या राज्य के औसत से 25 प्रतिशत अधिक है।
 - (ङ) जातियां और समुदाय जिनके सदस्यों की राज्य सरकार के समूह क और ख/वर्ग I और II के पदों और सेवाओं में संख्या उस जाति/समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में है—जाति/वर्ग वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और न ही एकत्रित किए गए हैं।

(च) किसी जाति/वर्ग के शैक्षिक पिछ़ड़ेपन का निर्धारण करने के लिए अपनाए गए तीन मापदंड अनुपयुक्त हैं क्योंकि विशेष पहल के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है और जातिवार साक्षरता दर संबंधी आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए हैं।

सूची में शामिल करने/हटाने के लिए प्रक्रिया

29. सूची में शामिल करने/हटाने के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया अवैज्ञानिक, तदर्थ और सीमित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को शामिल करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया अन्य पिछ़ड़ी जातियों पर लागू प्रक्रिया से भिन्न है। दोनों ही मामलों में सामान्य कारक संभवतः यह है कि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों की तुलना में व्यक्तिगत मूल्यांकन पर अधिक आधारित है। बड़े सर्वेक्षण के अभाव में यह उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है कि पिछ़ड़े वर्गों के संबंध में जाति आधारित आंकड़े केवल 1931 की जनगणना में उपलब्ध थे। उसके बाद जाति के आधार पर रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं और जाति आधारित रिकार्ड नहीं होने के कारण पिछ़ड़े वर्गों के लिए मापदंड के रूप में जाति के आधार पर किसी परिणाम सुस्पष्ट रूप में स्वीकार करना कठिन है। इसी तरह से, अनुपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या की प्रतिशतता का आकलन स्वीकार करना कठिन होगा।

30. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछ़ड़े वर्गों के लिए निर्धारित मापदंड की समीक्षा से अनेक असंगतियां प्रकट हुईं जिनमें से कुछ संक्षेप में निम्नानुसार हैं—

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान संसद द्वारा की गई और अधिसूचना संविधानिक आदेश के रूप में जारी की गई, अन्य पिछ़ड़े वर्गों के मामले में, संकल्प को कार्यपालक आदेश के रूप में जारी किया गया।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियों में संशोधन संसद द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य पिछ़ड़ावर्ग के मामले में, पिछ़ड़ावर्ग आयोग द्वारा परिवर्तन की सिफारिश की जा सकती है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं, वहीं अन्य पिछ़ड़ावर्ग के लिए दो सूचियां हैं एक राज्य सूची दूसरी केन्द्रीय सूची। किसी समुदाय को राज्य के हिस्से के रूप में भी विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

31. इस संबंध में यह उल्लेख राष्ट्रीय पिछ़ड़ावर्ग आयोग से प्रत्येक दस वर्ष में समुदायों की समीक्षा करने के लिए कहा गया ताकि कुछ समुदायों को निकाला जा सके, जैसाकि कि इस अधिनियम के तहत अपेक्षित है, अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछ़ड़ावर्ग आयोग, ने तारीख 5.8.2003 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को लिखे अपने पत्र में टिप्पणी की कि:—

“आंकड़े उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयोग को ऐसी जातियों/समुदायों की पहचान करनी होती है जो अब पिछ़ड़े नहीं रहे, केंद्रीय सूची में अधिसूचित किसी भी जाति/समुदाय को इस स्तर पर निकाला नहीं जा सकता है।”

32. उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि शामिल की गई जातियों/वर्गों की संख्या सूची से हटाई गई जातियों/वर्गों से कहीं अधिक है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि अन्य पिछ़ड़े वर्गों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। सूची में शामिल करने की सिफारिश करते समय उन जातियों की संख्या का मूल्यांकन नहीं किया गया। वस्तुतः सरकार द्वारा पिछले अनेक दशकों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछ़ड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए विकास कार्यों में निवेश करने, विशेष प्रावधान करने, पहल करने तथा उनके लिए सकारात्मक भेदभाव की नीति का पालन करने के बावजूद सूची में पिछ़ड़े वर्गों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। यह अपने आप में इस तथ्य का सूचक है कि समुदायों और सरकारों की प्रवृत्ति वर्गों के वास्तविक सामाजिक-आर्थिक पिछ़ड़ेपन पर ध्यान देने की बजाए नई जातियों/वर्गों को मान्यता देने में अधिक रही है। उपलब्ध लाभों के कारण पिछ़ड़ा बने रहने में निहित स्वार्थ और राजनीतिक विचार इस स्थिति के लिए संभवतः सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। साधारणतः, अधिकारित वर्गों या जातियों और जनजातियों के ‘पिछ़ड़ा’ बनने से पिछ़ड़े और कमज़ोर समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पिछले 5 वर्षों से तैयार की गई और लागू की जा रही कार्यनीतियों, नीतियों कार्यक्रमों की प्रभावकारिता के बारे में अधिक संदेह उत्पन्न होना। यह पत्र वर्गों तक पहुंचने में असफल रहने का सूचक है।

पिछ़ड़ों की पहचान करने में विसंगतियां

33. अपनाई गई प्रक्रिया के कारण पात्र वर्गों की पहचान करने से संबंधित विसंगतियों के बारे में विभिन्न एजेंसियों द्वारा आरंभ में ही बता दिया गया था। उनमें से कुछ के बारे में नीचे बताया जा रहा है जिससे विसंगतियां स्पष्ट हो जाएंगी:—

33.1. पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त, भारत सरकार, श्री एलएम० श्रीकांत ने निर्दिष्ट किया कि समुदायों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर्याप्त जटिल नहीं थी जो यह सुनिश्चित कर सके कि इन अनुसूचियों में शामिल समुदाय उस समूचे राज्य में जिसमें वे अनुसूचित हैं मापदंडों को पूरा करते हैं अथवा या उनमें अपेक्षित विशेषताएं हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि अंतिम लक्ष्य वर्गहीन और जाति विहीन समाज प्राप्त करना है तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और यहां तक कि अन्य पिछड़ी जातियों की सूची वर्ष-प्रतिवर्ष कम करनी होगी तथा इसी क्रम में इसके स्थान पर ऐसी सूची बनानी होगी जो आय-व-गुणावगुण के मापदंड पर आधारित होगी (1957-58)।

33.2 प्राक्कलन समिति: संसद की प्राक्कलन समिति (वर्ष 1958-59 के लिए 48 वीं रिपोर्ट) ने भी टिप्पणी की कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में कमजोर वर्ग को समस्त सुविधाओं के प्रावधान में प्राथमिकता दी जाए। रियायत प्राप्त करने के लिए कुछ जातियों और जनजातियों की ओर से स्वयं को पिछड़ेवर्ग की सूची में शामिल करवाने की प्रदत्ति अवाञ्छनीय है और इसलिए इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

33.3. लोकुर समिति (श्री बीएन० लोकुर विधि मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव थे) ने अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची में संशोधन करने पर विचार किया और 1955 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी।

33.4. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि कई राज्यों में, हम जातियों और जनजातियों के ऐसे अनेक संगठनों के संपर्क में आए जिनका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में अपनी जाति को शामिल करवाना होता है। और कुछ अपेक्षाकृत समृद्ध समुदाय विधानसभा में सीटें के आरक्षण को इन सुविधाओं में सबसे आकर्षक मानते हैं।

33.5 उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कुछ समय से इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किए गए विभिन्न लाभों और रियायतों में से बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक और राजनीतिक रूप से सुगठित समुदायों द्वारा हड्डप लिया जा रहा है। समय आ गया है अब इन संपन्न वर्गों को क्रमशः अलग किया जाए।

33.6 इन सूचियों में से अपेक्षाकृत बड़े और समृद्ध समुदायों को धीरे-धीरे निकालने और वास्तव में पिछड़े वर्गों पर मुख्यतः आर्थिक मापदंड लागू करके, अधिक ध्यान केन्द्रित करने पर बल देना चाहिए।

33.7 समाज के कमजोर वर्गों को परिभाषित किया जाना चाहिए और आर्थिक स्तर और सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष सहायता के लिए मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। ऐसा करने के परिणमस्वरूप समाज का अपेक्षाकृत बड़ा वर्ग विशेष सहायता श्रेणी में आ जाएगा और वे समाजिक समानता प्राप्त कर सकेंगे, इसके साथ ही ऐसे लोगों के हितों की रक्षा भी हो सकेगी जिन्हें अभी भी ऐसी विशेष सहायता की आवश्यकता है।

33.8 समय आ गया है जब अपेक्षाकृत समृद्ध समुदायों को सूची से निकालने के प्रश्न पर गंभीर और तत्काल विचार-विमर्श किया जाना चाहिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची पूरी तरह से हटाने के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

33.9 लोकुर समिति द्वारा सच्ची में से हटाए जाने के लिए राज्यवार 171 अनुसूचित जातियों और 131 अनुसूचित जनजातियों की पहचान की गई।

34. इसी तरह से योजना परियोजनाओं पर जनजातीय विकास कार्यक्रम समिति (योजना आयोग 1969) पी० शीलू एओ ने एक और अधिक समृद्ध जनजातीय समुदायों को अनुसूची से हटाने और दूसरी ओर उन समुदायों को निकालने का सुझाव दिया जिन्हें, अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। समिति ने सुझाव दिया कि जब भी वैज्ञानिक आधार पर अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची बनाने की आवश्यकता पड़े तो एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया जाए जिसमें नृविज्ञानी, समाजिक कार्यकर्ता, प्रशासक और विधायक शामिल किए जाएं।

झूठे जाति/समुदाय प्रमाणपत्रों की समस्या

35. देश के अनेक भागों में कुछ हिंदू जातियों और वर्गों, धार्मिक अल्प संख्यकों के सदस्य स्वयं की पहचान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में करते हैं और इस तरह से कपटपूर्ण तरीके से वे उस समुदाय के लिए आशातीत लाभों का फायदा उठाते हैं जिसके वस्तुतः वे हकदार नहीं हैं। ऐसा करने के

लिए वे अपने समुदायों और कुछ अनुसूचित जनजातियों के नामों के बीच ध्वन्यात्मक समानता का लाभ उठाते हैं।

36. अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची में जगहों के नाम के उपयोग से अन्य गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किन्नौर जिले के नाम के आधार पर कनौरा/किन्नारा शमिल हैं। इस जिले का कोई भी स्थायी निवासी, भले ही वह जनजाति का नहीं है, सूची में प्रयुक्त नामावली के कारण अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने का दावा कर सकता है। इसी तरह से, उत्तर प्रदेश (अब उत्तरांचल) की अनुसूचित जनजातियों की सूची में देहरादून जिले के जौनसार परगना के नाम के आधार पर “जौनसारी” शामिल है। वे अनेक जातियों में विभक्त हैं जैसे ब्राह्मण, राजपूत (खस), बादी, बजगी और कोल्या। अंतिम दो जातियों को परंपरा से अछूत माना जाता है जिसमें कोल्या जाति की स्थिति शोचनीय है। केवल कोल्या और बजगी जातियाँ ही अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के दर्जे के लिए पात्र हैं। लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस पर जौनसारी के नाम पर ब्राह्मणों और राजपूतों ने कब्जा कर लिया है। इस क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के लिए अपनाया गया क्षेत्रीय नाम इस धारणा पर आधारित था कि इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लागों की सामाजिक प्रथाएं एक हैं और इन्हें इस प्रकार एक नाम से वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन सत्य यह है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्तर में परिवार-दर-परिवार में अंतर है। जब यह असंगतिपूर्ण स्थिति सरकार के ध्यान में आई तो इसकी विधिक व्याख्या की गई जिसमें इन सभी बाहरी व्यक्तियों को पात्र समुदायों की कीमत पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया।

37. अधिकांश राज्यों में झूटे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र धारकों की संख्या में चिंताजनक स्तर तक वृद्धि हुई है ऐसा इस तथ्य के कारण भी हुआ है कि पिछड़ापन लाभकर है। सूची में शामिल करने और सूची से हटाने के लिए अवैज्ञानिक आधार, पहचान करने की पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ पद्धति और पेरामीटर जिनका निर्धारण नहीं किया जा सकता है के कारण अपात्र व्यक्ति भी पिछड़ों को उपलब्ध होने वाले लाभों को हड़पने के लिए जाति/वर्ग प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं।

38. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में किए गए संशोधनों से यह स्पष्ट है कि सरकार ने समुदायों को सूची से हटाने की बजाए शमिल करने पर अधिक महत्व दिया है। समुदायों को सूची में शमिल करने तथा सूची से

हटाने के कार्य में संतुलन नहीं किया गया है और सूची में नए समुदायों की संख्या बढ़ती जा रही है जबकि इनकी संख्या में कमी होनी चाहिए थी क्योंकि इन वर्गों के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति के कारण वंचित एवं गरीब वर्ग की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यवश, उपलब्ध लाभों को देखते हुए समुदाय ‘पिछड़ेपन’ को लाभप्रद स्थिति समझने लगे हैं। आजादी के छह दशक बीत जाने के बाद भी भारतीय समाज का वंचित तबका अभी भी अलग-थलग पड़ा है। पिछड़े वर्गों के विकास के लिए दशकों से किए जा रहे संगठित प्रयासों के पश्चात सूची में उनकी संख्या में लगातार वृद्धि को औचित्यपूर्ण ठहराना कठिन है। स्पष्ट है कि सूची में नाम शामिल करने के कारण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से भिन्न है। निहित स्वार्थ और राजनीतिक लाभ नाम शामिल करने के लिए उत्तरदायी हैं।

39. संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता की प्रथा को निषिद्ध किया गया है। यह सिद्ध करने के पर्याप्त प्रमाण है कि पिछले 60 वर्षों में प्रथा के रूप में अस्पृश्यता के स्वरूप और विस्तार में काफी बदलाव आया है और अब यह हल्के रूप में ही दिखाई पड़ती है। वस्तुतः शहरों में विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर उच्च वर्गों और निम्नवर्गों के बीच विभाजन निर्धक हो गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ने विकास कार्यक्रमों से विशेष रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और आय सृजन कार्यक्रमों से लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और संचार सेवा में विकास का सर्वत्र सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और सभी क्षेत्रों, समूहों को बेहतर प्रौद्योगिकी और बेहतर अवसर उपलब्ध है। स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है और उनके साक्षरता स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, गरीबी रेखा सूचकांक घटा है। कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में इतनी गिरावट आ गई है कि किसी समूह में जिसे सूची में शामिल नहीं किया गया है ‘पिछड़ावर्ग’ के रूप में विशेष दर्जा दिए जाने के लिए नए सिरे से दावा करना औचित्यपूर्ण होगा।

वर्ग/समूह/जाति/जनजाति के रूप में समावेशन

40. इसके अलावा पूरी जाति, जनजाति या वर्ग को सूची में शामिल करना सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होगा। कोई भी जाति या वर्ग या जनजाति समग्र रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित नहीं होती है। पिछले 60 वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अवसर और विकास के संदर्भ

में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं की सुलभता, विकासात्मक पहल, औद्योगिकीकरण के कारण बाजार अर्थ व्यवस्था और संचार नेटवर्क के विस्तार ने इन क्षेत्रों के बीच की दूरी पाट दी है और विभिन्न श्रेणियों के लोगों के बीच भेदभाव कम कर दिया है। इससे समुदायों, जातियों, जनजातियों में भिन्नतायें इस सीमा तक मिट गई हैं कि अब किसी समूह या वर्ग की, उसकी पहचान के लिए अपनाए गए मापदंडों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के संदर्भ में सजातीय समूह के रूप में पहचान करना संभव नहीं है। सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन की पहचान करने के मापदंड के रूप में वर्ग या जाति या जन जाति पूरी तरह असंगत हो गयी है। अब एकमात्र विकल्प ऐसे परिवारों की पहचान करना है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और ऐसे मापदंड तैयार करना है जो लागू किए जाने योग्य हैं।

आयोग की टिप्पणियां

41. पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं की पहचान करने के लिए मौजूदा मापदंड चाहे वे जाति या जन जाति या वर्ग आधारित हों, अनेक कारणों से पूर्णतः संतोषजनक नहीं हैं। तैयार सूचियों की विश्वसनीयता अत्यंत संदेहास्पद है क्योंकि यह वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित नहीं है। विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण सूची तैयार करने से पहले बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए था। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों से किसी के मामले में स्वतंत्रता से पहले अथवा स्वतंत्रता के बाद सर्वेक्षण नहीं किया गया। अन्य पिछड़े वर्ग की सूचियां जिन्हें मंडल आयोग द्वारा तथा बाद में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग और राज्य सरकारों द्वारा सीमित सूचना के आधार पर तैयार किया गया और पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन पर निर्भर है। सूची में शामिल करने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया, विशेष रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के मामले में, अनुचित रूप से सरल है जिसका इन शामिल की गई जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से कोई लेना-देना नहीं है। केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर पर ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि जातियों को शामिल करने में राजनीतिक लाभ मुख्य प्रेरक रहा है। जाति शामिल करने के व्यवहार विज्ञान (डायनामिक्स) से यह स्पष्ट होता है कि चाहे 'जाट' हो अथवा 'वोककालिंगएं' राजनीतिक मजबूरी से उत्पन्न स्थितियां 'शामिल' करने में निर्देशक (प्रेरक) रही हैं न कि पिछड़े हैं के लिए चिंता या समुदाय के उस वर्ग तक पहुंचने की जरूरत रही है।

सूचीबद्ध जातियों, जनजातियों अथवा वर्गों पर कार्यान्वित की गई स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन करने, गलत ढंग से शामिल अथवा अब पात्र नहीं रही श्रेणियों को निकालने की प्रणाली नहीं होने से स्थिति और अधिक जटिल हो गई है। अपात्र को सूची से नहीं निकाले जाने के कारण विभिन्न वर्गों में निर्धनतम तथा अत्यंत पिछड़े जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, अलग-थगल पड़ गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि समूहों के बीच तनाव बढ़ रहा है और सभी समूहों में से "संपन्न वर्ग" को हटाने की मांग दिनों दिन बढ़ रही है।

42. मौजूदा सूचियों और पिछड़ी जातियों और वर्गों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करने में अपनाए गए मापदंडों में अंतर्निहित कमियों के कारण, समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए योजनाबद्ध विकासात्मक पहलुओं के माध्यम से किए गए प्रयासों का लाभ समान रूप से नहीं पहुंच पाया और इस पर अधिक विचार किये जाने की आवश्यकता है वर्तमान व्यवस्था से सभी वर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों में असंतोष बढ़ रहा है। समुदायों में असंतोष बढ़ रहा है क्योंकि प्रत्येक श्रेणी के निर्धनतम और सब से अधिक पिछड़े चाहे उन्हें सूची में शामिल किया गया है अथवा नहीं, उन सेवाओं और सुविधाओं का विभिन्न कारणों से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जो उनकी निर्धनता दूर करने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रदान की जा रही हैं। संपन्न अथवा सामाजिक-आर्थिक रूप से बेहतर वर्ग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। आयोग का विभिन्न राज्यों के दौरों के दौरान सरकारी प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों तथा विशेषज्ञों दोनों की स्पष्ट राय थी कि सूची में तत्काल संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) को हटाने की जरूरत है क्योंकि कार्यक्रमों का लाभ निर्धन पिछड़े को नहीं मिल रहा है क्योंकि संपन्न वर्ग उन्हें प्राप्त कर रहा है। यह महसूस किया गया कि सभी सूचियों में से, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूचियां भी शामिल हैं संपन्न वर्ग को निकाल दिया जाना चाहिए। इस बात पर भी लगभग सहमति थी कि 'धर्म' या 'जाति' 'सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन' का निर्धारण नहीं करते हैं। निर्धनता धर्म या जाति आधारित नहीं है और सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं की पहचान जाति, धर्म/संप्रदाय पर ध्यान दिए बिना समूचे देश में समान रूप से लागू मापदंडों के आधार पर की जानी चाहिए।

43. वस्तुतः राजनीतिक और कार्यपालक नेतृत्व का निर्धनों न कि पिछड़ों के प्रति प्रतिबद्धता पर, वर्षों से प्रायः प्रश्न उठाए जाते रहे हैं।
44. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरों के दौरान, आयोग ने धार्मिक अल्पसंख्यकों में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए मापदंड पर गैर-सरकारी संगठनों और शिक्षाविदों के अलावा राज्यपालों, मुख्य मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं से उनके विचार मांगे।
45. राज्य प्रतिनिधियों द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि प्रामाणिक सर्वेक्षण के अभाव में वास्तविक तस्वीर प्राप्त नहीं की जा सकती है। यह जानना बड़ा कठिन है कि किसी जाति विशेष के कितने परिवार द्वारा आयोग को सूचित किया गया है। यह जानना बड़ा कठिन है कि किसी जाति विशेष के कितने लोगों ने किस स्तर पर विद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी। परिवारों की आय वर्ष-दर-वर्ष अलग होती है और ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसके द्वारा इसकी संगणना की जाए तथा इसे प्रमाणित किया जा सके। परंतु, पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित सुझाव किए गए:—
- (क) धर्म किसी को पिछड़ा नहीं बनाता है। इसलिए धर्म के आधार पर निर्धन लोगों की पहचान करना अपेक्षित नहीं है।
 - (ख) 21वीं सदी के भारत में न 'जाति' और न वर्ग सजातीय इकाई नहीं है इसलिए 'परिवार' को मूल इकाई मानना चाहिए। निर्धनों में निर्धनता परिवारों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। पिछड़ों की सूची में से संपन्न वर्ग को हटाया जाना चाहिए।
 - (ग) परिवार-वार आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए और उसे कम से कम दस वर्ष के लिए वैध मानना चाहिए और उनका समय-समय पर नवीनीकरण किया जाना चाहिए।
 - (घ) यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य हाईस्कूल स्तर तक शिक्षित नहीं है तो इसे शैक्षिक रूप से पिछड़ा मानना चाहिए। इसी तरह से, परिवार में लड़कियों के शैक्षिक स्तर पर भी विचार किया जाना चाहिए।
 - (ङ) सामाजिक पिछड़ेपन में उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो भौगोलिक रूप से अलग-अलग और दूर स्थानों से हैं।
 - (च) आरक्षण के लाभों को समय-बद्ध और केवल एक पीढ़ी अथवा अधिक से अधिक 50 वर्ष तक किया जाना चाहिए।
- (छ) झूठ/नकली प्रमाण पत्र देकर लाभ हड्डपने वाले लागों से कठोरता से निपटना चाहिए।
46. शहरी क्षेत्रों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या काफी अधिक है जबकि सिख शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कमोवेश समान रूप से विभक्त है; मुसलमान, ईसाई, बौद्ध और जैन गांवों की तुलना में शहरों में अधिक है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या, जिन्हें अन्य धर्मों और मतों के रूप में वर्णित किया गया है गांवों में रहती है। हिंदुओं के बहुसंख्या समुदाय गांवों में रहते हैं जबकि उनका 76 प्रतिशत शहरों में रहता है।
47. जुलाई, 1999-2000 में एन एस ओ द्वारा एकत्रित 55वें राउंड में उपलब्ध गरीबी रेखा से नीचे रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या भी विभिन्न समुदायों के पिछड़ेपन और गरीबी का सूचक है। (कथन)। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों का प्रतिशत हिंदुओं और मुसलमानों के लिए लगभग समान है; लेकिन शहरी क्षेत्रों में मुसलमानों के संबंध में यह अधिक है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हिंदुओं के 21.66 प्रतिशत की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 36.92 प्रतिशत मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। शहरों (11.84%) की तुलना में गांवों में ईसाई (19.82%) अधिक निर्धन हैं। गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सिखों (2.95%) की संख्या कम है जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली उनकी जनसंख्या का 11% गरीबी रेखा के नीचे आता है। अन्य धर्मों में से 33 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 18.5 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
48. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के अलग-अलग कारण हैं। इनमें परिवारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार और कार्यकलापों तथा स्वनियोजन के लिए उपलब्ध अवसरों, सेवाओं के कारण भिन्नता है, उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में स्व नियोजन और मजदूरी के लिए तथा सेवा क्षेत्र में भी काफी अवसर उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कृषि आधारित कार्यकलापों पर अधिक निर्भर रहते हैं और गरीबी रेखा का निर्धारण भू-स्वामित्व आदि के आधार पर या अन्यथा किया जाता है। विभिन्न घटकों के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जीवन जीने की लागत में अंतर है। इसलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करने के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त मापदंड उस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक स्थिति द्वारा निर्धारित किया जाता है जबकि शहरी क्षेत्रों में सामाजिक की बजाए आर्थिक स्थिति को निर्धारक माना जाता है।

49. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित मानक पूरे करने चाहिए:-

(i) धर्म, जाति या वर्ग 'पिछड़ापन' निर्धारित नहीं करते हैं इसलिए इसके लिए एक समान मापदंड बनाने की आवश्यकता है।

(ii) जाति, धर्म, वर्ग अब सजातीय समूह नहीं रहे। उनमें दोनों पिछड़ी और अगढ़ी श्रेणियां, साक्षर और निरक्षर, सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध और पिछड़े लोग भी शामिल हैं। इसलिए, सभी वर्गों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान एक समान मापदंडों के आधार पर की जानी चाहिए।

50. हमने पहले ही जाति/वर्ग के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए अपनाए गए मापदंडों की जांच की तथा उन विसंगतियों को निर्दिष्ट किया जो अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करने में बाधा डालती हैं। अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए मौजूदा मापदंड राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग आयोग द्वारा सुझाए गए मापदंडों पर आधारित हैं इसलिए समुचित या उपयुक्त नहीं है। पिछड़े समुदायों में से अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए पृथक से कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है। परंतु, भारत सरकार ने बहु-स्तरीय नीति अपनाई है। सामान्य योजनाओं के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कार्यक्रमों तक अल्पसंख्यकों की पहुंच सुनिश्चित करने के अलावा शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से उनके तीव्र विकास पर विशेष बल दिया गया इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे अधिक पिछड़ों के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। उनके चयन के लिए वही मापदंड अपनाए गए जो इसी तरह के अन्य समूहों पर लागू होते हैं।

51. इस तथ्य को मानते हुए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम अभी की इन श्रेणियों के निर्धनों तक नहीं पहुंचे हैं संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत यह उपबंधित किया गया है कि राज्य सभी कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करेगा। कमजोर वर्ग जाति और धर्म के दायरे से परे हैं।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना

52. परंतु अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों के अन्य श्रेणी का उल्लेख किया गया है जो जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के समान जाति और धर्म के दायरे से इतर है, कमजोर और निर्धन तक पहुंचने के उद्देश्य से सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान करने की नीति तैयार की इसका मुख्य उद्देश्य निर्धनों की उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से, पिछड़ेपन के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक निर्धारकों के आधार पर पहचान करना है।

53. कमजोर और निर्धनों तक पहुंचने के लिए सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान करने के लिए कार्य नीति तैयार की है। इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों का आर्थिक स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से पिछड़ेपन के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक निर्धारकों के आधार पर उनकी पहचान करना है क्योंकि इसमें ही सामाजिक एवं शैक्षिक विकास की कुंजी निहित है।

54. यद्यपि 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992–97) के दौरान योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा प्राक्कलन के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर 1980 से ही एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है लेकिन साथ-साथ किए जाने वाले मूल्यांकन से प्राप्त फीडबैक के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का व्यवस्थित सर्वेक्षण करने की आवश्यकता महसूस की गई मूल्यांकन रिपोर्ट से यह बात प्रकट हुई कि कार्यक्रमों के लाभों का बहुत बड़ा हिस्सा अपात्र श्रेणियों को अथवा गैर-निर्धनों को जा रहा है जो निर्धनों की पहचान करने में विसंगतियों की ओर इंगित करता है।

55. 8वीं योजना में किए गए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के सर्वेक्षण में सर्वेक्षण परिणाम और एन एस एस ओ के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग द्वारा किए गए सरकारी राज्य-वार निर्धनता अंकलन के बीच बहुत अधिक विसंगतियां सामने आई। अपात्र परिवारों को मंत्रालय के कार्यक्रमों के लाभों को प्राप्त करने से रोकने के लिए सूची से हटाने का मापदंड अपनाया गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनगणना 2002 के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने परिवारों के जीवन-स्तर के आधार पर प्रत्येक परिवार की अंक आधारित श्रेणीकरण की विधि की सिफारिश की। इस प्रयोजन के लिए 13 सामाजिक-आर्थिक पैरामीटर अपनाए गए जिनमें परिवारों के पास जमीन का आकार, मकानों का प्रकार खाद्यसुरक्षा, स्वच्छता, उपभोक्ता सामानों का

स्वामित्व, साक्षरता स्तर, जीवन निर्वाह के साधन, ऋणग्रस्तता और प्रवासन आदि शामिल है।

56. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने टिप्पणी की कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनगणना 2002 के लिए कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देते समय, यह माना गया कि निर्धन लोगों की पहचान करना निर्धनता का आकलन करने की तुलना में काफी अधिक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है। ऐसे अनेक कारक हैं जो निर्धनता के स्तर और लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव डालते हैं जैसे:- भौगोलिक स्थिति, जलवायु संबंधी स्थितियां और संस्कृति आदि। मोटे तौर पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जनगणना 2002 के लिए सुझायी गई, कार्यप्रणाली को पूर्ववर्ती गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के सर्वेक्षणों के लिए अपनाई गई पद्धतियों से मुख्यतः इस तथ्य के कारण बेहतर समझा गया कि यह अपेक्षाकृत अधिक वस्तुपरक, पारदर्शी थी और राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या का निर्धारण करने में स्थानीय कारकों को ध्यान में रखने की स्वतंत्रता थी। परंतु, राज्यों को समूचे देश के लिए एक समान मापदण्ड अपनाने के संबंध में कुछ आपत्तियां थीं।

57. तेरह पैरामीटर इस प्रकार है (1) भूमि (2) मकान (3) वस्त्र (4) खाद्य सुरक्षा (5) स्वच्छता (6) उपभोक्ता सामान (7) साक्षरता (8) श्रमिक वर्ग (9) जीवन निर्वाह के साधन (10) बच्चों की स्थिति (11) ऋणग्रस्तता (12) प्रवासन (13) सहायता की प्राथमिकता। अनुसूची की एक प्रति परिशिष्ट 7.1 में दी गई है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनगणना 2002 के लिए निर्धारित सामाजिक-आर्थिक स्कोरेबल पैरामीटर दिए गए हैं। तेरह में से प्रत्येक पैरामीटर को चार अंक दिए गए हैं जो कुल मिलाकर 52 अंक बनते हैं। जो सबसे कम अंक अर्जित करता है वह सबसे निर्धन है।

58. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान का मापदण्ड सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान के लिए अपनाए गए किसी अन्य मौजूदा मापदण्ड से बेहतर है भले ही वह जाति/जनजाति के आधार पर पिछड़ों की पहचान करने के लिए अथवा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए अपनाया गया मापदण्ड हो। इसके कुछ कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) अपनाए गए पैरामीटर धर्म और जाति निरपेक्ष है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की पहचान समान मापदण्ड के आधार पर करते हैं इस प्रकार ये अधिक विवेकपूर्ण और न्याय संगत हैं।

- (2) पहचान अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह परिवारों के सर्वेक्षण पर आधारित है जिसमें प्रत्येक परिवार की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए यह सामाजिक और आर्थिक रूप से निर्धन तथा पात्र पर अधिक केंद्रित है।
- (3) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज पहले से बेहतर तथा सर्व समावेशी है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से इतर जातियां भी हैं जैसाकि तालिका 6.1 से स्पष्ट है जिसे उन राज्यों के लिए तैयार किया गया जिनसे सूचना उपलब्ध हुई है। गरीबी रेखा से नीचे गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का बड़ा प्रतिशत निर्दिष्ट करता है कि अल्प संख्यकों को अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- (4) यह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक, विवेकपूर्ण और पारदर्शी है क्योंकि इसमें सुधार के लिए प्रावधान किया गया है। यह घर-घर सर्वेक्षण पर आधारित है और इसमें फील्ड स्तर पर ही सूची से हटाने या शामिल करने से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- (5) इसमें प्रत्येक पांच वर्ष में सूची में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है जिसमें से उन परिवारों को स्वतः निकाल दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं और उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें विशेष सहायता की जरूरत है।
- (6) विशेष रूप से, गांवों में आय आदि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं होने से ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में दुरुपयोग के अवसर कम हो जाते हैं। इसलिए इसमें जांच और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है जो ऐसे स्तर पर उत्तरदायित्व और जबावदेही तय करता है जहां पर सभी परिवारों की स्थिति के बारे में जानकारी अधिकतम है।

59. परंतु, निर्धारित किए गए 13 पैरामीटरों की प्रयोज्यता का अभी भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। पिछड़ेपन या निर्धनता का निर्धारण करने के लिए मकान, शौचालयों की सुविधा, पेयजल आदि जैसी मूलभूत जरूरतों को शामिल करने का मूल्यांकन किया

तालिका 6.1: गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों का राज्य-वार विवरण: 1997

क्रम संख्या	राज्य	ग्रामीण परिवारों की संख्या	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार	% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार	अनु. जाति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार	अनु.जन. जाति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार	गैर अ.जा./अ.ज.जा. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार	% गैर अ.जा./अ.ज.जा. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार
1.	आंध्र प्रदेश	10484028	4184627	39.91	1117654	465829	2601144	62.16
2.	অসম	3607241	2164416	60.00	282424	467757	1414235	65.34
3.	बिहार	18933813	9399281	49.64	2413764	1054226	5931291	63.10
4.	गोवा	135816	23101	17.00	645	9	22447	97.17
5.	गुजरात	5587768	1980879	35.45	190260	745584	1045035	52.76
6.	हरियाणा	2074615	503019	24.25	245416	-	257603	51.21
7.	हिमाचल प्रदेश	1036996	286112	27.59	107057	19105	159950	55.90
8.	जम्मू एवं कश्मीर	297125	299125	100.00	6000	128379	164746	55.08
9.	कर्नाटक	6479832	2202756	34.00	650232	314993	1237531	56.18
10.	केरल	4714295	1723556	36.56	335280	46847	1341429	77.83
11.	मध्य प्रदेश	11651082	5111874	43.87	980450	180287	3951137	77.29
12.	महाराष्ट्र	11010022	3860675	35.07	776399	970863	2113440	54.74
13.	मणिपुर	365670	246980	67.54	11747	178210	57023	23.09
14.	पंजाब	1460536	339028	23.12	206966	404	129750	38.27
15.	राजस्थान	6768541	2097560	30.99	537941	661596	898023	42.81
16.	तमिलनाडु	उ.न.	2737921	उ.न.	974523	69177	1694221	61.88
17.	उत्तर प्रदेश	20430204	7541494	36.91	3248063	26907	4266524	56.57
18.	पश्चिम बंगाल	11076686	4914296	44.40	887655	139447	3887194	79.10
19.	दादर और नागर हवेली	26237	17231	65.67	215	16617	399	2.32
20.	दमन और दीव	10235	395	38.59	30	129	236	59.75
21.	लक्ष्मीपुर	8625	885	10.26	-	885	00	00
22.	पुडुचेरी	133555	63262	47.36	22562	-	40700	64.34

स्रोत: एन एस एस ओ

जाना अब आवश्यक हो गया है क्योंकि ये घटक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हो गए हैं इन घटकों में निवेश करके जीवन-स्तर में सुधार करने की इच्छा को नकारने या समाप्त करने की क्षमता निहित है।

60. उपरोक्त गरीबी रेखा से नीचे का मापदंड ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनों से संबंधित है। शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में निर्धन रहते

हैं। वर्ष 1999–2000 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का प्रतिशत, 30 दिन की री-कॉल अवधि के आधार पर योजना आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 27.09 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 23.62 प्रतिशत था। वर्ष 1999–2000 में योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य में विभिन्न धार्मिक समुदायों में निर्धनता के स्तर का अनुमान लगाने के

लिए सर्वेक्षण करवाया था। सर्वेक्षण के निष्कर्ष तालिका 6.2 में किए गए अनुसार हैं।

तालिका 6.2: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समुदाय-वार गरीबी के स्तर

	% गरीबी रेखा से नीचे (ग्रामीण)	% गरीबी रेखा से नीचे (शहरी)
हिंदू	27.80	21.66
मुसलमान	27.22	36.92
ईसाई	19.82	11.84
सिख	2.95	10.86
अन्य	33.05	18.51

स्रोत: योजना आयोग 1999–2000

61. शहरी क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े निर्धनों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से परिवारों का सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। निर्धनता का आकलन करने और निर्धनों की पहचान करने के कार्य का यद्यपि आपस में संबंध है, लेकिन यह एक समान नहीं है। जबकि निर्धनता के आकलन से निर्धनता के विस्तार का निर्धारण करने में सहायता मिलती है, परंतु “गरीबी रेखा” से नीचे जीवनयापन करने वाले विनिर्दिष्ट परिवारों की पहचान करना आवश्यक है ताकि विभिन्न निर्धनता उपशमन कार्यक्रमों के तहत उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके।

62. योजना आयोग निर्धनों के अनुपात और संख्या के आकलन पर विशेषज्ञ दल (लकड़वाला समिति) की रिपोर्ट में दी गई पद्धति का उपयोग करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धनता का आकलन कर रहा है और इसे राष्ट्रीय प्रतिचयन सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा उपभोक्ता व्यय पर समय-समय पर किए गए व्यापक नमूना सर्वेक्षणों से प्राप्त उपभोग व्यय आंकड़ों पर प्रयुक्त कर रहा है। इस आधार पर किए गए निर्धनता संबंधी आकलन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

63. योजना आयोग और शहरी आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय दोनों से परामर्श किया गया। उनकी राय थी कि सभी शहरी क्षेत्रों के लिए नियमित अंतराल पर परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और पैरामीटरों में आर्थिक और गैर-आर्थिक दोनों सूचक शामिल होने चाहिए। यद्यपि निर्धन की पहचान करने के लिए समान पैटर्न अपनाया नहीं गया है जो सभी शहरी निर्धनों पर लागू होगा, विभिन्न विभागों ने मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न शहरी गरीबी उपशमन योजनाओं

के अंतर्गत निर्धन लाभानुभोगियों की पहचान करने के लिए विभिन्न विभागों ने मापदंड बनाए हैं। उदाहरण के लिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में सात पैरामीटर का मापदंड अपनाया गया है। केरल राज्य ने कुटुंबश्री नाम से अपने राज्य निर्धनता उम्मूलन मिशन के अंतर्गत नौ पैरामीटरों का मापदंड अपनाया है जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या दोनों में शामिल परिवारों के जोखिम स्तर को दर्शाता है। ग्रामीण निर्धनों में से निर्धनतम की पहचान करने के लिए आंध्र प्रदेश में वेलुगू कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। कुटुंबश्री और वेलुगू दोनों परियोजनाओं में समुदाय की भागीदारी निर्धनों की पहचान करने में महत्वपूर्ण है।

64. जाति, वर्ग और संप्रदाय आदि पर ध्यान दिए बिना दोनों, शहरी और ग्रामीण निर्धनों तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े की पहचान करने हेतु मापदंड निर्धारित करने के लिए परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मानक निर्धारित करने होंगे। यह कार्य विशेषज्ञ समिति, जिसमें विभिन्न विषयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, द्वारा मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर किया जाएगा जो सबसे पहले मौजूदा मापदंडों की पर्याप्तता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी। परिशिष्ट 7.2 और 7.3 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय और ऊपर उल्लिखित कुटुंबश्री और वेलुगू परियोजनाओं द्वारा निर्धन परिवारों की पहचान करने के लिए अपनाए गए विभिन्न पैरामीटरों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

65. उक्त बातों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि सभी सूचियां (अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व०) किसी वैज्ञानिक आधार के बिना तैयार की गई हैं (कोई डेटा बेस नहीं क्योंकि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया), जातियों, जनजातियों, वर्गों की ‘पहचान’ और ‘समावेशन’ में विसंगतियां व्यक्तिप्रकता और राजनीतिक विचार से उत्पन्न हुई हैं जो वास्तव में पिछड़ों के उत्थान के लिए अनुमोदित ‘योजनाओं’ और कार्यक्रमों का लाभ उन तक नहीं पहुंचने देते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सबसे निर्धन और कमज़ोर वर्ग तक लाभ पहुंचे, यह आवश्यक है कि जिन्होंने सरकारी कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त कर लिया है उन्हें नियमित आधार पर सूची से निकाला जाए और ऐसे मापदंड निर्धारित किए जाएं जिनमें स्थानीय स्थितियों, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और उत्तरदायित्वों को ध्यान में लिया गया है और जो किसी भी प्रकार से पिछड़पन में लाभ की भावना को प्रोत्साहित नहीं करते हैं या व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए किए जा रहे आवश्यक प्रयास या निवेशों को प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं करता है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास हेतु उपाय

अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के प्रति दृष्टिकोण

1. भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है जो विभिन्न छोटे-बड़े धर्मों, भाषाओं और जातीय समूहों से बना है। ग्रामीन समाज किंतु नवीन राज्य, भारत ने भिन्न-भिन्न वर्गों, भिन्न-भिन्न धर्मों, मतों एवं सांस्कृतिक विश्वासों, परंपराओं और भाषाओं के लोगों के बीच सह-अस्तित्व की लंबी परम्परा का निर्वाह किया है। इस गौरवपूर्ण बहुविध समाज को एक सूत्र में पिरोने वाला आदर्श एकता-वाक्य “वसुधैव कुटुंबकम्” है कि हम सभी एक मानव-परिवार हैं और हमारा एक साथ रहना और एक साथ वास करना ही वह विशेषता है जो हमारे समृद्ध बहुरंगी सांस्कृतिक ढांचे और विरासत का संवर्धन करती है। भारत के संविधान ने न केवल दीर्घकालीन धर्मनिरपेक्ष परंपरा को बनाए रखा है, जिसमें बहुत से मतों के लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में साथ-साथ रहते हैं, बल्कि यह समस्त धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेष उपबंध भी करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने और उन्हें धार्मिक या भाषायी आधार पर अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध करने के उनके अधिकार की गारंटी दी गई है।

असमानताओं और विषमताओं को हटाना

2. भारत ने स्वाधीनता के समय व्यापक क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय असमानताओं को ध्यान में रखते हुए, योजनाबद्ध विकास का रास्ता अपनाया। अत्यधिक असमानता वाले सामाजिक स्तरण ढांचे में राज्य हस्तक्षेप की एक जागरूक नीति के माध्यम से अतीत की विकृतियों को दूर करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना आवश्यक समझा गया। भारत की विकास योजना अभिवृद्धि एवं न्याय के दो आधार-स्तंभों पर टिकी हुई है

और इसका उद्देश्य अपने लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करना है।

3. भारत का संविधान (क) समानता खंडों में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करते हुए, और (ख) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए तथा ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों (एस सी) एवं अनुसूचित जनजातियों (एस टी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) (संरक्षण विभेद) के संबंध में विभेद न करने की मौलिक बाध्यता के उल्लंघन के बारे में विशेष उपबंध करने के लिए राज्य को शक्ति प्रदान करते हुए, असमानताओं को दूर करने हेतु सामाजिक-विधिक कार्रवाई के लिए एक मजबूत ढांचे का उपबंध करता है। समानता संबंधी ठोस उपायों और नीतियों के माध्यम से वास्तविक समानता सुनिश्चित करने पर विचार किया गया। स्वाधीन भारत में अनुसूचित जातियों (एस सी), अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए, समाज के ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को एकीकृत करने की दिशा में, अनेक संविधानिक और विधायी उपाय किए गए हैं तथा बहुत-सी भविष्यलक्षी नीतियां बनाई गई हैं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

4. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लोगों सहित कमजोर वर्गों के कल्याण और विकास, विकासात्मक कार्यसूची में प्राथमिकता पर है। प्राथमिक रूप से अनुसूचित जातियों (एस सी), अनुसूचित जनजातियों (एस टी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) तथा गरीबी-रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को लक्ष्य करते हुए, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लाभ के लिए अनेक कल्याणकारी उपाय किए गए हैं समय-समय पर अल्पसंख्यकों पर विशेष जोर दिया गया है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की एक बड़ी संख्या उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत आती है। गरीबी-रेखा से नीचे की

श्रेणियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा ऐसे दूसरे वर्गों के अंतर्गत अल्पसंख्यक भी आते हैं। इन कल्याणकारी उपायों का व्यापक लक्ष्य प्रत्येक स्तर पर समान अवसर सुनिश्चित करते हुए, कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण का पोषण करना है। अल्पसंख्यकों से यह अपेक्षा की गई कि वे समाज के कमजोर वर्गों के लिए बड़ी संख्या में अधिनियमित और कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों और लक्षित स्कीमों से समान रूप से लाभ प्राप्त करें।

5. अल्पसंख्यकों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कल्याणकारी उपायों के विश्लेषण में, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, इमदादी भोजन, पेयजल, आश्रम और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को शामिल किया जाता है। गरीबी निवारण, ग्रामीण एवं शहरी रोजगार, आय अर्जित करने के उद्देश्य से स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन तथा ऐसे ही अन्य उद्देश्यों से विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। ये सभी स्कीमें धार्मिक भेदभाव के बांग्रे भारतीय नागरिकों के कल्याण पर अच्छा प्रभाव डाल रही हैं। चूंकि अल्पसंख्यकों के अंतर्गत आने वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग कमजोर वर्गों का हिस्सा हैं अतः ऐसी स्कीमों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी स्थिति और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

6. वर्तमान में सभी लोगों के लिए प्रमुख कार्यक्रम, स्कीमें और संस्थाएं हैं: आई सी डी एस और शैशवकालीन देखभाल व शिक्षा (ई सी सी ई); एस सी, एस टी, बीपीएल, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और बालिकाओं के लिए सर्वशिक्षा अभियान; स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एस एस आर वाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य आयोग, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, राष्ट्रीय गंदी बस्ती (स्लम) विकास कार्यक्रम, भारत निर्माण कार्यक्रम (सिंचाई, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार, जल संरक्षण, भूजल प्रबंधन, वर्षा-जल संचयन, लघु सिंचाई); राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम/अधिनियम, राष्ट्रीय कृषक आयोग, राष्ट्रीय बागबानी मिशन, संयुक्त वन प्रबंधन; क्रेडिट एवं जोखिम प्रबंध तक पहुंच, प्राथमिकता क्षेत्र उधार, लघु ग्रहण (माइक्रो क्रेडिट) पर बल, माइक्रो लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम 2006; राज्य वित्त निगम; सिडबी (एसआईडीबीआई), नाबार्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम। हालांकि, कुछ वर्गों और

क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों महिलाओं, बच्चों, पिछड़े इलाकों/जिलों, इन सबके अंतर्गत बेरोजगार और निर्धन लोगों के संबंध में अधिनियम और विशेष कार्यक्रमों/हस्तक्षेपों के माध्यम से पृथक उपबंध किए गए हैं।

7. सामाजिक न्याय के अंतर्गत यह आवश्यक है कि राज्य सभी समुदायों के व्यक्तियों के मौलिक मानवीय अधिकारों का संरक्षण करे। देश के सभी भागों में सभी मतों के बीच सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय और राज्य सरकारें समय-समय पुलिस, सशस्त्र बलों, प्रशासकों व अन्य अधिकारियों को संबद्ध मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण को सक्रियता के साथ प्रोत्सहित करती हैं। विशेष रूप से सांप्रदायिक तनाव संभावित क्षेत्रों में अन्तर-धार्मिक नागरिक समूहों, सभी समुदायों के धार्मिक नेताओं के साथ बैठकों, प्रतिवेश शांति समितियों और ऐसे ही अन्य उपायों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए नवीन 15-सूत्री कार्यक्रम एक ऐसी रूपरेखा तैयार करता है जिसके अंतर्गत सिविल समाज समूहों और अल्पसंख्यकों व बहुसंख्यक समूहों के प्रतिष्ठित सदस्यों को शामिल करके, उचित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है।

8. धर्मनिरपेक्षता को सर्वोत्तम रूप में तभी कार्यान्वित किया जा सकता है जब लोग समानता, सामाजिक न्याय और विविधता के प्रति सम्मान के सिद्धांतों के लिए वचनबद्ध हों। भारतीय धर्म निरपेक्षतावाद देश में सभी धार्मिक मतों की पूर्ण एवं बिना शर्त समानता पर बल देता है। धार्मिक और सांस्कृतिक बहलवाद के ढांचे का सावधानीपूर्वक परिरक्षण किया जा रहा है, ताकि भारत भिन्न-भिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं को आत्मसात करने वाला बना रहे। सामाजिक संस्कृति के परिरक्षण और सौहार्द एवं समान भ्रातत्व की भावना के विकास का दायित्व समस्त नागरिकों और राज्य पर डाला गया है।

अल्पसंख्यकों का योजनाबद्ध विकास: नीतियां, कार्यक्रम और सांविधिक तंत्र

पंचवर्षीय योजनाएं

9. संविधान द्वारा निर्देशित और पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार तैयार की गई योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया ने धर्म, जाति और

वर्ग से ऊपर उठकर भारतीय जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है। प्रारंभिक वर्षों में अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक नहीं समझा गया, उसके बाद भारत में विकासात्मक योजना बनने से अधिकवृद्धि एवं सर्वतोमुखी विकास की एक प्रक्रिया प्रवर्तित हुई जिसका प्रभाव अल्पसंख्यक समूहों व अन्य वर्गों पर पड़ा था। समाज के सभी कमजोर वर्ग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए प्रारंभ किए गए कल्याणकारी उपायों, कारीगरों के लिए बताई गई स्कीमों, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों, विकासशील क्षेत्रों की स्कीमों और निर्धनता-निवारण स्कीमों से लाभान्वित हुए। हालांकि, समय-समय पर अल्पसंख्यकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। पूर्ववर्ती दशक में विशेष रूप से वर्ष 2001 से और दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) से इन पर और अधिक ध्यान देना महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इस दौरान समय-समय पर पहुंच के कुछ मुद्दे अल्पसंख्यकों से संबंधित उपलब्धियों को दर्शाते हुए सामने आए।

10. आठवीं योजना (1992-97) में, समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास पर और अधिक बल देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के तीन शीर्षस्थ निकायों का गठन किया गया। शीर्षस्थ स्तर के ये निकाय थे: (i) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी, 1992 में स्थापित); (ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन एम डी एफ सी, 1994-95 में स्थापित); और (iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन एस के एफ डी सी, 1996-97 में स्थापित)। एन एम डी एफ सी विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए गठित हुआ था जबकि अन्य दो निकायों में उन्हें लक्षित लाभार्थियों के अंतर्गत शामिल किया गया।

11. नौवीं योजना (1997-2002) में सुविधाप्रांतीय समूहों को शेष समाज के बराबर लाने के लिए विभिन्न नीतियों और विकासात्मक स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर विचार किया गया। यह उल्लेखनीय है कि विकासात्मक आयोजना ठीक प्रारंभ से ही भारत ने एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा हेतु, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संस्थागत अवसंरचना के एक नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य हेतु प्रावधान किए और गरीब, एक सी, एस टी, बालिकाओं आदि के लिए छात्रवृत्तियों और फीस माफी के साथ राष्ट्रव्यापी स्कूली शिक्षा हेतु प्रावधान (भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रावधान) किए। ग्रामीण तथा कम आय वाले शहरी क्षेत्रों के बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और ई सी सी ई (शैशवकालीन देखभाल व शिक्षा)

संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) (1975 में) प्रारंभ की गई। महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए अनेक स्कीमें प्रारंभ की गईं।

12. दसवीं योजना (2002-07) में इस बात को स्वीकार किया गया कि आर्थिक विकास के साथ-साथ मानव कल्याण में भी वृद्धि की जाए। यह वृद्धि मानव विकास के प्रमुख सूचकों की निर्धनता में कमी, रोजगार अवसरों के विस्तार, सबके लिए प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता दर में वृद्धि, साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग संबंधी अंतर में कमी, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, शिशु-मृत्यु दर और मातृ-मृत्यु दर में कमी, तथा पेयजल तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करके दृष्टिगोचर होंगी। दसवीं योजना में अपनाई गई विकास नीति में इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि समग्र विकास के बावजूद, “हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अत्यधिक निर्धनता में जीवनयापन कर रहा है और सामाजिक उपलब्धियों में अंतर चिन्ताजनक है (दसवीं योजना प्रलेख)। समानता और सामाजिक न्याय को उद्देश्य बनाते हुए, दसवीं योजना की कार्यनीति के तहत, मुख्यधारा की विकास-प्रक्रिया से पर्याप्त लाभ प्राप्त न कर सकने वाले लक्षित समूहों हेतु विशेष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कृषि, लघु उद्योगों (एस एस आई) सहित, लाभदायक रोजगार अवसर उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास की आवश्यकता को महत्व देते हुए कृषि विकास पर एक प्रमुख तत्व के रूप में बल दिया गया।

13. दसवीं योजना (2002-07) के तहत, विकास और सामाजिक न्याय की रूपरेखा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण हेतु सुनिश्चित कार्यक्रम तैयार किए गए। कमजोर वर्गों के सामाजिक सशक्तीकरण हेतु प्रभावी साधनों के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन में भागीदारी पर बल दिया गया। उनके कौशलों और आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण को पुनः सुदृढ़ किया गया। दसवीं योजना के अंतर्गत, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक और विकासात्मक उपायों की रूपरेखा तैयार की गई। पिछड़े अल्पसंख्यकों की सघनता वाले क्षेत्रों में आधारभूत सुख-सुविधाओं और सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी थी। अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए, शिक्षा का आधुनिकीकरण, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, आवश्यक वित्तीय सहयोग के साथ उद्यमिता की समुचित प्रौद्योगिकी और विकास दसवीं योजना के दौरान प्रमुख कार्यक्रम थे।

14. दसवीं योजना के अंतर्गत मुसलमानों विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं और बालिकाओं के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के विशिष्ट प्रयास किए जाने हैं और इसके लिए, नियमित शिक्षा प्रणाली में लागू किए जा रहे पाठ्यक्रम को अपनाकर उनकी परंपरागत शिक्षा प्रणाली और संस्थाओं अर्थात् मदरसों का आधुनिकीकरण करके उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जाना है। अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक उपबंधों के अनुसार सुरक्षात्मक और प्रोत्साहनात्मक उपाय किए जाने हैं ताकि उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके और सीमांतकरण को रोका जा सके व अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में शामिल किया जा सके तथा सम्य समाज में अनुकूल जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए विजन : शीघ्र एवं अधिक समावेशित विकास के लिए

15. ग्यारहवीं योजना, शीघ्र, अधिक व्यापक और विस्तृत विकास पर आधारित नई संकल्पना (विजन) को पूरा करने के लिए नीतियों के पुनर्गठन का अवसर प्रदान कराती है। इनकी रूपरेखा गरीबी को कम करने और हमारे समाज में विद्यमान विभिन्न वर्गों को जोड़ने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए तेयार की गई है। ग्यारहवीं योजना का उद्देश्य योजना अवधि के अंत तक लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ अर्थव्यवस्था को एक सतत विकास के प्रेक्षण-पथ पर रखना है। इसमें पहले से अधिक गति से उत्पादक रोजगार की परिकल्पना पर विचार किया गया है और प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की दर से संतुलित कृषि विकास का लक्ष्य निर्धारित है। इसका उद्देश्य आधारभूत भौतिक सुविधाओं और स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय एवं सांप्रदायिक असमानताओं में कमी लाना भी है। इस प्रकार 11वीं योजना हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुरूप “अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को समानता के स्तर पर लाने के लिए” कृतसंकल्प है।

16. शिक्षा सामाजिक सशक्तीकरण के सर्वाधिक प्रभावकारी साधनों में से एक है और यह क्षैतिज एवं ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के शैक्षिक सूची में शामिल होने की स्कीम के सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं तथापि सामान्य जनसंख्या और अनुसूचित जातियों, जनजातियों के बीच का अंतर अभी भी अस्वीकार्य स्तरों पर है और इसके लिए और अधिक सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता है। सभी पहलुओं विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से

बहुत पीछे रहने वाले, विशेष रूप से गरीब मुसलमानों सहित अन्य सभी पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को पुनः दोगुने उत्पादन से जारी रखने की आवश्यकता है। गरीब मुस्लिम जैसे पिछड़े समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होगी और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने वाली योजनाओं को इन क्षेत्रों में समुचित रूप से कार्यान्वित करना होगा। इसके अलावा, इस योजना के द्वारा इन समुदायों के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहनों के उपायों की तलाश की जाएगी तथा मुस्लिम महिलाओं की ऋण प्राप्ति में वृद्धि करके और निर्णय लेने वाले निकायों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके उनके आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए कार्य किया जाएगा। अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए एक 15-सूत्री कार्यक्रम सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है जिससे एक नई शुरूआत हुई है और इससे मुस्लिम व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करें। योजना आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित दिशानिर्देश जारी कर सकता है कि संबंधित क्षेत्रों में योजना स्कीमें इसी आशय के अनुरूप हैं।

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए की गई पहल

डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त पैनल

17. सन् 1983 में गृह मंत्रालय द्वारा डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त पैनल की नियुक्ति की गई। इस समिति ने मुसलमानों और नव-बौद्धों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए दो अल्पसंख्यक वर्गों के रूप में की और उन्हें शैष विशेष प्रयास किए जाने का प्रस्ताव किया। नव-बौद्धों को तभी से अनुसूचित जाति के लोगों के समान सभी लाभ प्राप्त करने के लिए उनके समकक्ष कर दिया गया है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर मुस्लिम बहुल चवालीस जिलों को विशेष ध्यान देने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम, 1983

18. मई 1983 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15-सूत्री निर्देश जारी किया। अल्पसंख्यकों के लिए वर्ष 1983 में घोषित 15-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया: सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से निपटने और आगे सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम की आवश्यकता; केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र

के उपक्रमों के अंतर्गत नियोजन में अल्पसंख्यक समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना; धार्मिक स्थलों, वक्फ संपत्तियों के रख-रखाव और विकास, और अल्पसंख्यकों की शिकायतों के निवारण जैसे विभिन्न विकास-कार्यक्रमों के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करना। यह अनुभव किया गया कि बहुत से क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाती है और अल्पसंख्यक समुदाय समान शर्तों पर प्रतियोगिता के लिए अक्सर शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। अतएव, इन परीक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रतियोगिता के लिए इन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में कोचिंग कक्षाएं प्रारंभ करने को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसी प्रकार पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों को तकनीकी कौशल प्राप्त किए जाने को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि दीर्घकाल में इससे राष्ट्रीय विकास में भी मदद मिलेगी। अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों में सरकार और निजी एजेंसियों को आई टी आई और पौलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना करने की व्यवस्था करनी चाहिए और ताकि ऐसे संस्थानों में इन अल्पसंख्यक समुदायों के पर्याप्त व्यक्तियों के प्रवेश को बढ़ावा मिल सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

19. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** और इसकी कार्यक्रम योजना (1992 में संशोधित) के अंतर्गत मुसलिमों की शैक्षिक प्रगति के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया और इसके परिणामस्वरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्षेत्रपरक गहन शिक्षा विकास स्कीम का प्रतिवेदन एक केंद्रीय सरकारी स्कीम के रूप में किया गया। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986**, अल्पसंख्यकों के संबंध में उल्लेख करती है: “कुछ अल्पसंख्यक समूह शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए या वंचित हैं। समानता और सामाजिक न्याय के हित में इन समूहों को शिक्षा प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वाभाविक रूप से, उन्हें अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने तथा अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण करने के लिए दी गई संवैधानिक गारंटीयों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ-साथ वास्तविकता पाठ्य पुस्तकें तैयार करने और समस्त विद्यालयी, गतिविधियों में प्रतिफलित होगी और प्रमुख पाठ्यक्रम के अनुरूप सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदर्शों के गुण-विवेचन पर आधारित एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए यथा संभव सभी उपाय किए जाएंगे।” इसे संशोधित नीति सूत्र, 1992 में पुनः दोहराया गया है।

20. कार्यक्रम योजना 1992, के अंतर्गत पहले, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए विद्यमान कार्यक्रमों पर विचार किया गया और उनके शैक्षिक एवं तकनीकी कौशल का संवर्धन करने और कुछ उपायों जैसे एन सी ई आर टी, द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तकों के व्यवस्थित मूल्यांकन और अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों प्रबंधकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके मुख्यधारा में एकीकरण के लिए बड़ी संख्या में लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के उपाय करने का सुझाव दिया गया। कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों के शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु कोचिंग केंद्रों की यू जी सी स्कीमों का नवीकरण और विस्तार; अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों की उन्नति के लिए क्रेश कार्यक्रम का कार्यान्वयन और अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का मानीर करने हेतु मानीटरी तंत्रों की स्थापना की आवश्यकता; अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों में बेहतर पहुंच के लिए विद्यालयों की अवस्थिति और विद्यालयों में उर्दू माध्यम की सुविधा व मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की अपेक्षित संख्या वाले सभी विद्यालयों में उर्दू में शिक्षण की सुविधा का प्रस्ताव किया गया। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्राथमिकता आधार पर महिलाओं के लिए वीमन कम्यूनिटी पॉलिटेक्निक्स की स्थापना की आवश्यकता है।

21. कार्यक्रम योजना 1992 में प्रस्तावित बड़ी स्कीमों के अंतर्गत “शैक्षिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र पर गहन कार्यक्रम” की केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम; पंरपरागत मदरसों और मकतबों में स्वैच्छिक आधार पर विज्ञान, गणित, अंग्रजी/हिंदी विषय शामिल करके मदरसा शिक्षा के, आधुनिकीकरण की केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम; ऐसे राज्यों में, जहां पर्याप्त संख्या में लोगों द्वारा उर्दू बोली जाती हो, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम; और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने वाले भाषा शिक्षकों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम शामिल है।

22. कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अनेक अन्य स्कीमों का भी सुझाव दिया गया जैसे, अल्पसंख्यकों के प्रबंधन वाली संस्थाओं में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रजी और केरियर परामर्श के शिक्षकों के लिए ऐस सी ई आर टी और अन्य संसाधन केंद्रों के माध्यम से सेवाकालीन प्रशिक्षण की स्कीम; राष्ट्रीय एकीकरण

और त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन हेतु अल्पसंख्यकों की संस्थाओं में स्थानीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की स्कीम; अल्पसंख्यक-संस्थाओं में शिक्षा में सुधार के लिए कोचिंग की स्कीम।

23. मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण स्कीम, 1992 का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाली परम्परागत संस्था, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करना था। दसवीं योजनावधि के दौरान इस स्कीम का, एक अन्य स्कीम, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों हेतु क्षेत्र परक गहन शिक्षा विकास कार्यक्रम में विलय कर दिया गया। क्षेत्र परक गहम मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (ए आई एम एम पी) नामक इस संशोधित स्कीम में पूर्ववर्ती स्कीम के बड़े उद्देश्य भी शामिल हैं, जैसे: मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाना ताकि बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा का अंग बन सकें; और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अभिनिर्धारित संस्थाओं का अवसंरचनात्मक विकास करना।

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति (सच्चर समिति)

24. भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर, वर्ष 2005 में, प्रधानमंत्री द्वारा न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और इस समिति ने नवंबर, 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों की अत्यधिक निर्धनता के साथ निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, कम साक्षरता एवं शैक्षिक उपलब्धियां, उच्चतर बेरोजगारी दर, अवसंरचना की कम उपलब्धता, तथा पुलिस, न्यायपालिका व चुनावी निकायों सहित सिविल सेवाओं में कब प्रतिनिधित्व पर चिन्ता व्यक्त की।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु नया 15-सूत्री कार्यक्रम, 2006

25. अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान से घनिष्ठ रूप से जुड़े मुद्दों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए, अल्पसंख्यकों के 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करने और उसे नया रूप देने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। यद्यपि संशोधित कार्यक्रम में सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम और दंगापीड़ितों को राहत के प्रावधान से संबंधित मुद्दे लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं, तथापि पिछड़े अल्पसंख्यकों के विकास, विशेष रूप से उनके रोजगार, शिक्षा और जीवन दशाओं में सुधार से अत्यधिक गहन

रूप से सम्बद्ध कुछ अतिरिक्त मुद्दे भी हैं। यह अनुभव किया गया कि सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार और अल्पसंख्यक समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की अभिवृद्धि के संबंध में पिछले कार्यक्रम में रहने वाली कमियों के कारण नया 15-सूत्री कार्यक्रम आवश्यक है। इस कमी को दूर करने और अल्पसंख्यकों के लिए और अधिक व्यापक कार्यक्रम बनाने की दृष्टि से अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम का प्रतिपादन किया गया और 22 जून, 2006 को कैबिनेट ने इसका अनुमोदन किया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल है :

25.1 शिक्षा के अवसर बढ़ाना : शिक्षा को किसी भी समुदाय के पिछड़ेपन की समस्याओं के समाधान हेतु एक आवश्यक तत्व के रूप में देखा जाता है। इन अवसरों को निम्नलिखित उपायों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा :

- (1) आई सी डी एस सेवाओं की न्यायसंगत उपलब्धता : आई सी डी एस का उद्देश्य पोषणात्मक और शैक्षिक निविष्टों (इनपुट) के माध्यम से शिशुओं और स्तनपान कराने वाली/गर्भवती महिलाओं का पूर्ण विकास करना है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की अधिकता वाले खंडों/ग्रामों को, ऐसे क्षेत्रों में आई सी डी एस परियोजनाओं/केन्द्रों का एक निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित करते हुए, शामिल किया जाएगा।
- (2) विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना : सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम और ऐसी ही अन्य सरकारी स्कीमों के तहत देश-भर में ऐसे स्थानों/ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय की अधिक आबादी रहती है।
- (3) उर्दू शिक्षण हेतु अधिक संसाधन : ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं जिनका कम से कम एक चौथाई इस भाषा समूह से संबंधित हो।
- (4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण : क्षेत्र परक गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केन्द्रीय प्लान स्कीम को पर्याप्त बनाया जाएगा और प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
- (5) अल्पसंख्यक समुदायों के योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां : अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए पूर्व-मैट्रिक

और उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्तियों हेतु एक स्कीम बनाकर उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों की अध्ययन प्रक्रिया में निर्धनता बाधक न बने।

- (6) मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन (एम ए ई एफ) के माध्यम से शैक्षिक सुविधाओं का विकास : एम ए ई एफ को शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए, सरकार यथा संभव सभी सहायता उपलब्ध कराएगी।

25.2 आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में न्यायोचित भागीदारी: राष्ट्र का निर्माण करने वाले सभी समुदायों और समूहों को आर्थिक अवसरों एवं रोजगार में समान भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए। यदि एक या अधिक समुदाय पिछड़ जाते हैं और सीमांतता बढ़ जाती हैं तो उनके लिए सक्रियता से उपाय करना आवश्यक है। निम्नलिखित सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्यों को अलग से चिह्नित करते हुए इन समुदायों की और ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है:

- (1) गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों के लिए निश्चित किए गए कुछ प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य शामिल किए जाएंगे।

(ख) शहरी क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त के समकक्ष कार्यक्रम, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एस एस आर वाई) के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लाभ के लिए निश्चित किए गए इसके दो मुख्य घटकों (शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम) के अंतर्गत भी कुछ प्रतिशत लक्ष्य शामिल किए जाएंगे।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) के अंतर्गत गरीबी-रेखा से

नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों के लिए निश्चित किए गए प्रतिशत को शामिल किया जाएगा। पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों में आधारिक संरचना के सृजन के लिए आवंटन का निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।

- (2) तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशलों का उन्नयन निम्न-स्तरीय तकनीकी कार्य या हस्तशिल्प में लगी हुई, अल्पसंख्यक समुदायों की एक बड़ी आबादी को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने से उनके कौशलों और अर्जन क्षमताओं में वृद्धि होगी। अतः सभी नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) को समानुपात में अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा और विद्यमान संस्थानों को समानुपात में उसी आधार पर “उत्कर्ष केन्द्रों” के रूप में अपग्रेड किया जाएगा।

- (3) आर्थिक गतिविधियों के लिए क्रेडिट सहायता में वृद्धि:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन एम डी एफ सी) को सरकार अधिक ईक्विटी सहायता का प्रावधान करके समर्थ बनाया जाएगा ताकि वह अपने उद्देश्यों को पूर्व रूप से प्राप्त कर सके।

(ख) स्व-रोजगार उपायों का सृजन करने और उन्हें कायम रखने के लिए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए नियत किया गया 40 प्रतिशत (घरेलू बैंकों से बैंक को दिए गए निवल ऋण) का लक्ष्य बैंक ऋण के रूप में होगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि ऋण, लघु उद्योगों और लघु व्यवसायों के लिए ऋण, खुदरा व्यापारियों व्यवसायियों और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों को ऋण, शैक्षिक ऋण और लघु उधार आता है। सभी श्रेणियों में, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को एक निश्चित प्रतिशत उधार लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

25.3 राज्य एवं केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती: राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर पुलिस कार्मिकों की भर्ती के अंतर्गत अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाएगी। रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी इसी प्रकार का विशेष ध्यान दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यर्थियों

को सरकारी और निजी संस्थाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु शिक्षा-पूर्व अनुशिक्षण (कोचिंग) के लिए एक विशेष योजना भी प्रारंभ की जाएगी। सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी अध्यार्थियों की ओर से शुल्क का भुगतान करने के लिए धन भी उपलब्ध कराएगी।

25.4 अल्पसंख्यकों की जीवन-दशाओं में सुधार करना: अल्पसंख्यक समुदायों के लोग बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों में स्थित मलिन बस्तियों में रहते हैं; और अकसर ये शहरी क्षेत्रों के निर्धनों में भी निर्धनतम होते हैं और अच्छे आवास तक इनकी पहुंच नहीं होती। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे:

(क) **ग्रामीण आवास योजना में न्यायसंगत भागीदारी:** गरीबी-रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ग्रामीण गरीबों को आश्रय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों हेतु में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।

(ख) **अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की दशाओं में सुधार:** राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (एन एस डी पी) के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की बहुल आबादी वाली मलिन बस्तियों के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। एन एस डी पी के तहत, केन्द्रीय सरकार भौतिक सुख-सुविधाओं, सामुदायिक अवसंरचना और सामाजिक सुख-सुविधाओं के माध्यम से शहरी मलिन बस्तियों का विकास करने के लिए, राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराती है।

25.5 सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम और नियंत्रण: अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण, निम्नलिखित के अनुसार सांप्रदायिक दंगों के निवारण और नियंत्रण के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए किए जाने वाले उपायों की प्रभावकारिता से जुड़ा है:

(क) **सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम:** सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा संभावित क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात क्षेत्रों में दक्ष, निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष रिकार्ड वाले पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएं। सांप्रदायिक तनाव की रोकथाम पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए।

(ख) **सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोग:** विशेष अदालतों का गठन किया जाना चाहिए ताकि सांप्रदायिक तनाव पैदा

करने वाले या सांप्रदायिक दंगों में भाग लेने वाले अपराधियों का शीघ्रता से परीक्षण करके उसे दंडित किया जा सके।

(ग) **सांप्रदायिक दंगों के शिकार लोगों का पुनर्वास:** सांप्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान की जानी चाहिए और उनके पुनर्वास हेतु तत्काल एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

26. 15-सूत्री कार्यक्रम में यह भी व्यवस्था की गई है कि यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा कि, जहां लागू हो वहां, प्रत्येक कार्यक्रम/स्कीम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, विशेष रूप से प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय की अखिल-भारतीय जनसंख्या के अनुपात में, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अलग से निर्धारित किए जाएं। तत्पश्चात् इन लक्ष्यों को, उस राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय हेतु फिर से राज्य वार विभाजित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इसके लाभ आवश्यक रूप से, प्रत्येक राज्य में लक्षित समूह की आबादी के अनुपात में उस समूह तक पहुंच रहे हैं।

नवीन 15-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु बजटीय सहायता:

27. बजट एक स्पष्ट संकेत देता है कि लक्षित सामाजिक समूह के रूप में अल्पसंख्यकों का कल्याण विशेष रूप से तैयार की गई स्कीमों और अनन्य उपबन्धों के अनुरूप उसी आधार पर किया जाए जिस प्रकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण किया जाता है। एक प्रकार इससे “अल्पसंख्यक-कल्याण” के उत्तरदायित्व वाला दृष्टिकोण ही व्यक्त होता है और यह उत्तरदायित्व सामाजिक न्याय मंत्रालय से लेकर नव-सृजित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को पिछले वर्ष के 16.47 करोड़ रु० की तुलना में 63 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है। बजट में अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए 108 करोड़ रु० का विशेष आवंटन भी किया गया है। कम-से-कम 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की संख्या लगभग 103 है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की गई हैं। पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए 72 करोड़ रु० मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए 90 करोड़ रु० और स्नातक पूर्व व स्नातकोत्तर स्तर पर योग्यता-सह-व्यवसायिक छात्रवृत्तियों हेतु 48.60 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं।

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए संस्थागत ढांचा

28. राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक आयोग का गठन सन् 1978 में किया गया था। सन् 1992 तक यह एक गैर-सांविधिक निकाय था, बाद में संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया और सन् 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एन सी एम) नामक प्रथम सांविधिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना है। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल और दिल्ली राज्य की सरकार पहले ही राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर चुकी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के हितों और कल्याण संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से कार्यरत है।

29. अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए सन् 1994 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन एम डी एफ सी) का गठन किया गया था। एन एम डी एफ सी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और व्यावसायिक समूहों को अधिमानता देते हुए, अल्पसंख्यकों के अंतर्गत 'पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना' है। एन एम डी एफ सी गरीबी-रेखा पर जीवन-यापन करने वाले अल्पसंख्यकों (ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 रु० और शहरी क्षेत्रों में 55,000 रु० से कम वार्षिक आय वाले परिवारों) को स्वरोजगार हेतु रियायती दरों पर धन उपलब्ध कराता है। दसवीं योजना के अंत तक एन एम डी एफ सी द्वारा 2.19 प्रतिशत प्राप्त व्यक्तियों (निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार) के कार्यकलाप के लिए कार्य करते हुए 3.01 लाख लाभार्थियों को शामिल करते हुए। 1065 करोड़ रु० वितरित किए जाने का अनुमान है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम राज्यों द्वारा नामित राज्य मध्यस्थ एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओं) के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान करता है। वर्तमान में एन एम डी एफ सी के 25 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों में 35 एस सी ए और देश-भर में 150 से अधिक एन जीओ का नेटवर्क है। मुख्य रूप से एस सी ए और एन जी ओ के माध्यम से प्रतिलाभार्थी 5 लाख रु० तक के सावधि ऋण और 25000 रु० का लघु वित्त प्रदान किया जाता है और इनके माध्यम से अब तक 3.41 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। ये दोनों स्कीमों में एन एम डी एफ सी द्वारा संवितरित लगभग 96 प्रतिशत और 3 प्रतिशत ऋण राशियां शामिल हैं। यद्यपि एन एम डी एफ सी के कार्यकलापों से मुस्लिम एवं अन्य अल्पसंख्यक लाभान्वित हुए हैं, फिर भी अन्य वित्तीय संस्थाओं की तुलना में

एन एम डी एफ सी द्वारा उपलब्ध कराया गया कुल ऋण बहुत ही कम है। यह अल्पसंख्यकों की आर्थिक प्रगति पर एन एम डी एफ सी की सहायता के प्रभाव को सीमित करता है। इसके अतिरिक्त एन एम डी एफ सी से ऋण प्राप्त करते समय राज्य सरकार से गारंटी प्राप्त करना सबसे बड़ी बाधा है। साथ ही, वित्तीय बाध्यताओं के कारण राज्य सरकार ऋण की गारंटी देने में अनिच्छुक होती है।

30. 1989 में स्थापित और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन (एम ई एफ) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह स्कूलों, आवासीय स्कूलों/कालेजों व प्रयोगशालाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना व विस्तार, कंप्यूटर एवं व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना, छात्रावास भवनों के निर्माण और योग्य छात्राओं को मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा मौलाना आजाद साक्षरता पुरस्कारों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फाउंडेशन की 200 करोड़ की समग्र निधि है। प्रारंभ से अब तक यह फाउंडेशन देश भर में 718 एन जी ओ को 93.42 करोड़ रु० का सहायता अनुदान मंजूर कर चुका है। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलिम और बौद्ध ही प्रमुख लाभार्थी रहे हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान फाउंडेशन ने 10832 लाभार्थियों को 10.82 करोड़ रु० धनराशि की छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। फाउंडेशन शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए साक्षरता पुरस्कार भी प्रदान करता है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखण्ड में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। यह फाउंडेशन अजमेरी गेट, दिल्ली में कटिंग, टेलरिंग, टेक्स्टिलइल डिजाइन, आर्ट्स और शिल्प आदि विषयों के अंतर्गत लगभग 250 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन भी करता है।

31. केन्द्रीय वक्फ परिषद्, जो एक सांविधिक निकाय है, मुसलमानों के कमज़ोर वर्गों के लिए विभिन्न धर्मार्थ एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। सार्वजनिक अस्पतालों, अपांगाश्रमों, पुस्तकालयों एवं कारवाँ/सरायों की स्थापना, बाल-शिक्षा, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की देखभाल और पुनर्वास, निर्धनों और निराश्रितों को वृत्तिका सहित वक्फ के तत्वाधान में अनेक प्रकार के धर्मार्थ कार्यकलाप (अर्थात् धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संपत्ति विन्यास) पंरपरागत रूप से संपन्न किए गए हैं। वक्फ अधिनियम, 1995 अब तक 23 राज्यों और 5 संघ राज्यक्षेत्रों में गठित किए जा चुके राज्य वक्फ बोर्डों के माध्यम से वक्फ के प्रशासन और पर्यवेक्षण का उपबंध करता है।

केन्द्रीय वक्फ परिषद शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास की निगरानी करती है और कमज़ोर वर्गों के कल्याण हेतु शैक्षिक एवं धर्मार्थ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। परिषद केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान से कुछ स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में भी भागीदारी करती है। वर्ष 2005-2006 तक इसने 28.20 करोड़ रुपये का सहायता-अनुदान प्राप्त किया। बदले में परिषद ने मार्च 2005 तक 14 राज्यों को 28.47 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया। परिषद अपनी शैक्षिक निधि के माध्यम से तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। निर्धन विद्यार्थियों को अनुदान देती है, स्कूली छात्रों को छात्रवृत्ति देने और मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्रों के व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य वक्फ बोर्डों को समरूप अनुदान देती है। मार्च, 2006 तक परिषद द्वारा तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रमों के छात्रों को कुल 10802 छात्रवृत्तियां वितरित की गईं। हालांकि, वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण हेतु और अधिक हस्तक्षेपों की गुंजाइश है।

32. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन पंजीकृत सोसायटी, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। यह तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के साथ, उर्दू-भाषी लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने में सहायता करती है। इसने 228 कंप्यूटर अनुप्रयोग एवं बहुभाषी डीटीपी केन्द्र स्थापित किए हैं, जिनमें से उनीस केन्द्र पूर्ण रूप से बालिकाओं के लिए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम ने 13,161 छात्रों को मध्यम स्तर के व्यावसायियों के रूप में तैयार किया है। परिषद ने पूर्ण रूप से बालिकाओं के लिए तीन केन्द्रों सहित 12 केन्द्रों पर सुलेख और आलेख (कैलिग्राफी और ग्राफिक) डिजाइन में डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) अरबी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में भी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से उर्दू सीखने के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। परिषद, 1996 से भारत सरकार से 82.21 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त कर चुकी है।

33. केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों की शिक्षा तथा उनकी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले पर सलाह देने के लिए वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था आयोग अधिनियम, 2004 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से

सीधी संबद्धता की अनुमति प्रदान करता है। इसके अनुसार, केन्द्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता की मांग करने वाली अल्पसंख्यकों की प्रत्येक शिक्षण संस्था को ऐसी संबद्धता प्रदान की जाएगी। यह आयोग, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए, गारंटी किए गए संवैधानिक संरक्षण के उल्लंघन से संबंधित विशेष शिकायतों और किसी भी अनुसूचित केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संबद्धता से संबंधित किसी विवाद की जांच भी कर सकता है। अपनी स्थापना के एक वर्ष के भीतर ही आयोग में 250 से अधिक शिकायतें, याचिकाएं और विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2006 में इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए, जिससे आयोग को, अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने या उनका उल्लंघन करने के संबंध में की गई शिकायतों तथा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं और उन्हें संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के बीच विवादों की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई।

34. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति: इस समिति को अगस्त, 2004 में पुर्णांगित किया गया और तब से इसकी आवधिक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) के अंतर्गत स्थापित एक स्थायी समिति ने अल्पसंख्यक समुदायों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और जाने-माने लोगों से विचार-विमर्श करने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्य का दौरा किया। इसके बाद इसने नवंबर, 2005 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों, विभागों या राज्य सरकारों में इसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

कमज़ोर वर्गों/अल्पसंख्यकों हेतु योजनाबद्ध कार्यनीतियों की उपलब्धियां और प्रभाव

35. अल्पसंख्यकों पर विकासात्मक कार्यक्रमों और सांविधिक उपायों के प्रभाव के निर्धारण करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों के बीच तुलना, कमियों का पता लगाने और भावी चुनौतियों की एक वास्तविक तस्वीर प्राप्त करने के लिए, अगले पैराओं में की गई है।

शिक्षा के माध्यम से सशक्तीकरण

35.1 स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्, भारत सरकार ने समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक आधार को मजबूत करने के लिए अनेक

कदम उठाए। यद्यपि अधिकांश संगत शैक्षिक कार्यक्रमों के रूपरेखा का मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उनका कार्यान्वयन करना है। फिर भी कुछ कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में, और कुछ अन्य जनजातीय कार्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

35.1.1 समेकित दृष्टिकोण से, भारतीय लोगों को उच्च एवं सतत साक्षरता स्तर प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन एल एम) की स्थापना की गई। यद्यपि संपूर्ण साक्षरता अभियानों, जोकि समयबद्ध, भाग लेने योग्य और निष्कर्षभिमुख होते हैं, को साक्षरता हेतु प्रमुख कार्यनीति के तौर पर अपनाया जाता है फिर भी प्राथमिक शिक्षा पढ़ाई को ठोस रूप देने के लिए साक्षरता के बाद के और शिक्षा जारी रखने के कार्यक्रम भी आवश्यक होते हैं। एन एल एम के अंतर्गत निम्नलिखित उपलब्धियों का उल्लेख किया जा सकता है:

- समग्र साक्षरता दर 1991 के 52.21 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2001 में 64.85 प्रतिशत हो गई। जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है, 2001 में उनकी साक्षरता दर भी बढ़कर 70.30 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
- पुरुष-महिला साक्षरता दर का समग्र अंतर 1991 में 24.84 प्रतिशत था जो घटकर 2001 में 18.94 प्रतिशत हो गया है। लाभार्थियों का लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं

हैं। अल्पसंख्यकों में साक्षरता में लिंग संबंधी अंतर 2001 में घटकर 12.56 प्रतिशत पर आ गया है।

- देश के कुल 600 जिलों में से 597 को एन एल एम के साक्षरता कार्यक्रमों में शामिल किया गया है।
- निरक्षरों की कुल संख्या में महत्वपूर्ण कमी हुई है। यह संख्या वर्ष 1991 में 328.88 करोड़ से वर्ष 2001 में 304 करोड़ तक हो गई।

35.1.2 साक्षरता अभियानों का अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन्होंने समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने ओर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण व सामाजिकता की भावना को विकसित करने की प्रेरणा प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर समूह वही थे जो उच्च स्तर की निरक्षरता से ग्रस्त थे। 1991-92 और 2001 के बीच अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर में 17.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई (37.41 प्रतिशत से 54.69 प्रतिशत)। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर जो 1991 में 29.6 प्रतिशत थी, 2001 में बढ़कर 47.1 प्रतिशत हो गई (दस वर्ष में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि)।

35.1.3 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के लिए अलग-अलग, भिन्न-भिन्न समुदायों की साक्षरता दर लिंगानुसार तालिका 7.1 में दी गई है।

सारणी 7.1: धर्म, जाति और ग्रामीण शहरी आवास के अनुसार 7 + जनसंख्या की साक्षरता दर

क्षेत्र	समस्त	हिंदु	अनु.जाति	अनु. जनजाति	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
समस्त क्षेत्र									
कुल	64.8	65.1	54.79	47.1	59.1	80.3	69.4	72.7	94.1
पुरुष	75.3	76.2	66.6	59.2	67.6	84.4	75.2	83.1	97.4
महिला	53.7	53.2	41.9	34.7	50.1	76.2	63.1	61.7	90.6
ग्रामीण									
कुल	58.7	59.1	51.2	45.0	52.7	74.5	64.2	66.9	87.5
पुरुष	70.7	71.7	63.7	57.4	62.3	79.5	70.6	78.8	94.2
महिला	46.1	45.7	37.8	32.4	42.7	69.7	57.2	54.6	80.3
शहरी									
कुल	79.9	81.3	68.1	69.1	70.1	90.9	83.6	81.6	96.1
पुरुष	86.3	87.9	77.9	77.8	76.3	93.6	87.5	89.8	98.4
महिला	72.9	73.9	57.5	59.9	63.2	88.3	79.2	72.9	93.8

स्रोत: भारत की जनगणना (प्राथमिक जनगणना सार)

भाषायी अल्पसंख्यकों की स्थिति

35.1.4 अखिल भारतीय स्तर पर मुसलमानों (59.1 प्रतिशत) को छोड़कर अन्य सभी धार्मिक समूहों की, हिंदुओं (65.1 प्रतिशत) की अपेक्षा उच्च साक्षरता दर है। जैनियों की सर्वोच्च साक्षरता दर 94.1 प्रतिशत है, ईसाई (80.3 प्रतिशत); बौद्ध (72.7 प्रतिशत); सिख (69.4 प्रतिशत) उनके बाद आते हैं। इसके अलावा, 2001 में, सभी समुदायों के 53.7 प्रतिशत की तुलना में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 50.1 प्रतिशत थी। मुस्लिम पुरुषों के मामले में, सभी समुदायों के 75.3 प्रतिशत की तुलना में उनकी साक्षरता दर 67.6 प्रतिशत थी। यदि कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति/जनजाति और मुस्लिम जनसंख्या को निकाल दिया जाए तो साक्षरता दर अधिक उच्च है। समग्र रूप में, भात में पुरुष महिला साक्षरता दरों में 22

प्रतिशत का अंतर है; हिंदुओं में यह 23 प्रतिशत; मुसलमानों में 17.5 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों/जनजातीयों में यह 24.6 प्रतिशत है। विकास को एक महत्वपूर्ण परिवर्ती बनाने वाले क्षेत्रीय विभेद आश्चर्यजनक हैं। सभी समूहों के अंतर्गत ग्रामीण शहरी विभेदकों को निर्दिष्ट किया गया है; हिंदुओं के बीच का अंतर अधिक और मुसलमानों के बीच कम है।

35.2 अखिल भारतीय स्तर पर धार्मिक समुदायों के शैक्षिक उपलब्धि स्तरों को धर्मवार तालिका 7.2 में दर्शाया गया है।

35.2.1 जैसाकि तालिका 7.2 से भी देखा जा सकता है, भिन्न-भिन्न सामाजिक समूहों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर अलग-अलग

सारणी 7.2: लिंग संबंधी अंतर सहित विभिन्न समुदायों का शैक्षिक उपलब्धि स्तर

समुदाय	प्राथमिक स्तर तक*	मिडिल	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	डिप्लोमा	स्नातक
सभी धर्म	55.57	16.09	14.13	6.74	0.80	6.72
हिंदू	54.91	16.18	14.25	6.92	0.80	7.01
मुसलमान	65.31	15.14	10.96	4.53	0.41	3.60
ईसाई	45.79	17.13	17.48	8.70	2.19	8.71
सिख	46.70	16.93	20.94	7.57	0.90	6.94
बौद्ध	54.69	17.52	14.09	7.65	0.35	5.70
जैन	29.51	12.27	21.87	13.84	1.03	21.47
अन्य	62.12	17.48	11.24	4.55	0.26	4.35
पुरुष						
सभी धर्म	52.30	16.60	15.20	7.30	1.00	7.60
हिंदू	51.50	16.70	15.40	7.60	1.00	7.90
मुसलमान	62.20	15.80	12.00	5.00	0.50	4.40
ईसाई	45.40	17.60	17.70	8.00	1.90	8.80
सिख	44.30	17.50	22.60	7.70	1.00	6.90
बौद्ध	51.00	17.60	15.20	8.60	0.50	7.00
जैन	25.30	11.50	22.90	14.80	1.50	24.00
अन्य	59.40	18.40	12.30	4.90	0.30	4.60
महिलाएं						
सभी धर्म	60.50	15.30	12.50	5.90	0.40	5.40
हिंदू	60.20	15.40	12.50	5.90	0.30	5.60
मुसलमान	69.80	14.20	9.50	3.90	0.20	2.40
ईसाई	46.20	16.60	17.20	9.50	3.70	8.60
सिख	49.90	16.10	18.80	7.40	0.80	7.00
बौद्ध	59.90	17.40	12.50	6.30	0.10	3.80
जैन	34.20	13.20	20.70	12.80	0.50	18.60
अन्य	67.10	15.70	9.40	3.90	0.10	3.80

*इसमें प्राथमिक स्तर से नीचे और प्राथमिक स्तर के शिक्षा विहार साक्षर भी शामिल हैं।

स्रोत: जनगणना 2001

हैं। जैनियों का शैक्षिक उपलब्धि स्तर सर्वोच्च है, ईसाई, सिख, हिंदू, बौद्ध उनके बाद आते हैं तथा मुसलिमों में यह स्तर निम्नतम है। लिंग संबंधी अंतर प्रत्येक धार्मिक समूह में विद्यमान रहते हैं। समग्र साक्षरता में मुसलमान ज्यादा पीछे नहीं हैं किंतु शैक्षिक स्तरों के आधार पर साक्षरों की वितरण दर्शाता है कि मुस्लिमों की बहुलता निचले स्तरों पर है और उनके उपलब्धि स्तरों में अन्य समूहों की अपेक्षा अधिक तेजी से कमी आ रही है।

समस्त 7+ साक्षर व्यक्तियों में, 21.5 प्रतिशत जैन लोग हैं। जो स्नातक और उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त हैं, उनके बाद ईसाई (8.7 प्रतिशत); हिन्दू (7.01 प्रतिशत); सिख (6.9 प्रतिशत) बौद्ध (5.7 प्रतिशत) और मुस्लिम 3.6 प्रतिशत हैं। 7+ पुरुष साक्षरों में भी जैन सबसे ज्यादा 24 प्रतिशत है, उनके बाद ईसाई (8.8 प्रतिशत); हिन्दू (7.9 प्रतिशत); बौद्ध (7 प्रतिशत) सिख (6.9 प्रतिशत) और मुस्लिम 4.4 प्रतिशत हैं। 7+ साक्षर महिलाओं में भी जैन सबसे ज्यादा 18.6 प्रतिशत उनके बाद ईसाई (8.6 प्रतिशत); सिख (7 प्रतिशत); हिन्दू (5.6 प्रतिशत); बौद्ध (3.8 प्रतिशत) तथा मुस्लिम 2.4 प्रतिशत हैं।

35.3 वर्ष 1995 में प्रारंभ की गई मध्यांतर भोजन स्कीम (प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय पोषक आहार सहायता कार्यक्रम) के अंतर्गत 8 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के 12 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया है। यह स्कीम दोहरे प्रयोजन को पूरा कर रही है बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना और विद्यालय में प्रवेश एवं उसमें बने रहने के स्तर में अभिवृद्धि करना। प्रत्येक बच्चे को कम से कम 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन पदार्थ वाला पका हुआ मध्यांतर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मध्यांतर भोजन स्कीम एक सफल प्रोत्साहन कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत देश के सभी विद्यालयों के प्राथमिक कक्षाओं के एस सी/एस टी विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थी आते हैं।

35.4 केंद्रीय विद्यालय (के बी), नवोदय विद्यालय (एन बी) और राष्ट्रीय मुक्त, शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, संबंधित जिलों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित करते हैं। राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान, एस सी/एस टी के विद्यार्थियों को सेतु (ब्रिज) पाठ्यक्रमों और उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क में छूट प्रदान करता है। एनआईओएस विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी प्रणाली है। वर्ष

2005–06 के दौरान इसकी नामावली में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के 13 लाख से अधिक विद्यार्थी दर्ज थे। एनआईओएस ऐसे बच्चों के लिए, जो अपनी स्कूली शिक्षा का अवसर खो चुके हैं, को स्कूली शिक्षा का अवसर प्रदान करते हुए बंचियों तक पहुंचने के अपने मिशन पर कार्य कर रहा है।

35.5 व्यावसायिक शिक्षा: व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत उच्च माध्यमिक स्तर पर एक भिन्न विषय है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों वाले अभिक्त व्यवसायों हेतु विद्यार्थी तैयार करना है। एन आई ओ एस 6 माह से 2 वर्ष तक की अवधि के लगभग 107 विशिष्ट व्यावसायिक शिक्षा (बी ई) पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता है। इनके अंतर्गत विभिन्न शिल्प, स्वास्थ्य एवं पराचिकित्सा; उद्यान विज्ञान, कृषि मत्स्यकी; बीमा क्षेत्र एवं कार्यालयी गतिविधियां; कम्प्यूटर विज्ञान, कम्प्यूटर हार्डवेयर मरम्मत और रखरखाव; ग्रामीण विपणन; अंतरराष्ट्रीय विपणन, गृह विज्ञान आदि पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) समय-समय पर इन पाठ्यक्रमों का और प्रौद्योगिकी तथा बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जीवन-कौशल, होम्योपैथी, ग्रामीण महिला स्वास्थ्य (हिंदी में) दुपहिया मैकेनिक और रेडियोग्राफी के भी नए पाठ्यक्रमों के रूप में शामिल किए जाने की संभावना है। सभी नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उद्यमिता की संकल्पना अपनाई गई है। इन्हें उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को अपनी स्वयं की उत्पादन/सेवा इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) और अन्य संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा उद्योगों में सहयोगी उद्यम लगाने पर जोर दिया जा रहा है। नवंबर, 2005 में एनआईओएस तथा सीआईआई ने सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए सीआईएससीओ तथा माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहभागिता की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक बैठक की। इसी प्रकार दिसंबर 2005 में एन आई ओ एस और भारतीय पुनर्वास परिषद की एक बैठक में अलग-अलग योग्यता वाले बच्चों के लिए व्यावयासिक शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया। युवा रोजगार और उद्यमिता के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एनआईओएस अपने पाठ्यक्रमों को सरल व कारगार तथा समर्थ बना रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को जीविकोपार्जन हेतु समुचित कौशलों से

सज्जित करने और तकनीकी रूप से योग्य मानव संसाधनों का सुजन करने की आवश्यकता होती है।

35.6 अन्य बातों के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- प्रस्तावित पाठ्यक्रम माड्यूलर और सक्षमता आधारित होने चाहिए और उनमें विविध प्लाइंटों पर प्रवेश और छोड़कर जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ये पाठ्यक्रम मांग के अनुसार और उद्योगों/उपभोक्ता संगठनों के किए गए सर्वेक्षणों की आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए।
- पाठ्यक्रमों को मान्यता और समकक्षता राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता और प्रमाणन ढांचे के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए।
- औपचारिक शिक्षा प्राप्त न करने वाले लोगों को नियमित पाठ्यक्रम प्रणाली में नामांकित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, कौशल परीक्षण और सेतु (ब्रिज) पाठ्यक्रमों की एक प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रदान किया जाना चाहिए।

35.7 समाज के समस्त वर्गों के लिए उपलब्ध सामान्य शैक्षिक स्कीमों के अलावा, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, कुछ स्कीमें विशेष रूप से तैयार की गई हैं। इनके अंतर्गत

(i) मैट्रिकुलेशन से आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां और (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राज्य-सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां शामिल हैं। हालांकि मलिन व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों को इस स्कीम के तहत केन्द्रीय सरकार धन उपलब्ध कराती है। अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं जिनके अभिभावकों की आय 44500 रु. प्रति वर्ष से अधिक न हो। पिछले चार वर्षों के दौरान मैट्रिकोत्तर स्कीम के तहत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता और उसमें शामिल किए गए लाभार्थियों का विस्तृत विवरण तालिका 7.3 में दिया गया है।

35.8 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अधिसूचना में से निकाले गए यायावर (खानाबदोश) विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति स्कीम और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए योग्यता उन्नयन स्कीम उपलब्ध है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा कालेज स्तर पर अल्पसंख्यकों सहित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को छात्रावास सहायता भी प्रदान की जाती है।

35.9 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं और सेवा से संबंद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा सरकारी और निजी क्षेत्र में भावी नौकरी चाहने वालों के लिए परीक्षा-पूर्व विशेष कोचिंग भी प्रदान की जाती है।

35.10 उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों/कालेजों

सारणी 7.3: मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत शामिल अजा/अजजा/अ.पि.व. के विद्यार्थी

वर्ष	अनुसूचित जाति के विद्यार्थी		अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी		अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी	
	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	लाभार्थी (लाख में)	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	लाभार्थी (लाख में)	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	लाभार्थी (लाख में)
2002-03	153.05	18.94	51.59	5.76	18.74	5.86
2003-04	264.99	19.44	65.79	7.52	17.00	15.96
2004-05	330.27	22.66	101.38	7.60	18.75	12.70
2005-06 (दिस. 05 तक)	377.98	24.99	181.33	8.74	19.09	13.12

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट

में शिक्षक और गैर-शिक्षक पदों पर नियुक्तियों, उनमें प्रवेश, छात्रावास-सुविधा आदि के लिए अनुसूचित जाति हेतु 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति हेतु 7.5 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया है। राज्य विश्वविद्यालय संबंधित राज्य-सरकारों द्वारा निर्धारित आरक्षण नीतियों का अनुसरण करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर अध्ययन तथा नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) की तैयारी के लिए एस सी और एस टी छात्रों को शिक्षा में सुधार के लिए (कोचिंग) हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अल्प सुविधा प्राप्त अल्पसंख्यक समूहों के लिए शिक्षा में सुधार के लिए कोचिंग की यू जी सी स्कीम उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनाने में समर्थ होगी।

35.11 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू): 1985 में स्थापित इग्नू, अल्पसुविधा प्राप्त समूहों (विशेष रूप से शारीरिक विकलांगों, गृहिणियों, अल्पसंख्यक समूहों, भौगोलिक रूप से दूरस्थ व्यक्तियों आदि) सहित, स्कूली शिक्षा पास करने वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक रूप से प्रार्सांगिक, नवीन और आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराता है। पढ़ाई के तरीके और गति, पाठ्यक्रमों के संयोजन और नामांकन हेतु पात्रता आदि के संबंध में इग्नू शिक्षा की एक लचीली एवं मुक्त प्रणाली की व्यवस्था करता है और इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा तक पहुंच और शिक्षा के स्तर में समानता को बढ़ावा देता है। जो औपचारिक प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराए गए अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं।

35.12 सामुदायिक पॉलिटेक्निक: सन 1978-79 से परिचालित की जा रही सामुदायिक पॉलिटेक्निक्स स्कीम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यों को संपन्न करती है। इस स्कीम के तहत प्रशिक्षण हेतु लक्षित समूहों के अंतर्गत बेरोजगार ग्रामीण युवा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं स्कूल छोड़ने वाले बच्चे और समाज के अन्य अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग आते हैं। इन्हें स्वरोजगार प्राप्त करने या लाभदायक रोजगार प्राप्त करने के लिए, आवश्यकता आधारित कौशल प्रदान किया जाता है, ताकि इनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। सामुदायिक पॉलिटेक्निक ग्रामीणजनों को उपयुक्त एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का अंतरण करके पर्याप्त सहयोग प्रदान करता है। इस समय देश में 660 सामुदायिक पॉलिटेक्निक हैं।

35.13 अल्पसंख्यक समूहों की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष हस्तक्षेप: दसवीं पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यकों से जुड़ी दो

बड़ी स्कीमों अर्थात् शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों हेतु क्षेत्र परक गहन कार्यक्रम स्कीम तथा मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम का क्षेत्र परक गहन मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एआईएमएम) नामक एक स्कीम में विलय कर दिया गया है। ए आई एम एम के तहत पुरानी स्कीम के निम्न घटकों को अग्रनीति किया जा रहा है: (क) अवसंरचनात्मक विकास और, (ख) मदरसा आधुनिकीकरण। इस संशोधित स्कीम के तहत, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5000 मदरसे शामिल किए जाने थे। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आवश्यकतानुसार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत शैक्षिक ढाँचा उपलब्ध कराना है। इसकी व्यवहार्यता स्कूल मानचित्रण के आधार पर स्थापित की जाती है। दसवीं योजना के दौरान असम के 325 ब्लॉक और 4 जिलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दसवीं योजनावधि के दौरान, अवसंरचना विकास के घटक का कार्यान्वयन केवल इसी क्षेत्र में किया जा रहा है। एआईएमएम स्कीम का दूसरा बड़ा घटक मदरसा आधुनिकीकरण है। इस घटक का उद्देश्य मदरसा प्रणाली में आधुनिक विषयों को शामिल करना है, ताकि इन विद्यार्थियों को देश की राष्ट्रीय (मुख्यधारा) शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जा सके। कुछ हद तक इसमें सफलता मिली है, किंतु यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है कि मदरसों के विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में शामिल हों। मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम एक सीमित दायरे की स्कीम है और यह बच्चों की नियमित शिक्षा का विकल्प नहीं है। इस स्कीम में अध्यापकों को वेतन का भुगतान विज्ञान के उपकरणों की खरीद और पुस्तक-कोष (बुक बैंक) की स्थापना को शामिल किया जाता है। यह विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों के शिक्षण हेतु प्रति अध्यापक 3000 रु० प्रतिमाह की दर पर प्रति मदरसा दो अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था करती है। 7000 रु० का अनुदान विज्ञान/गणित के उपकरणों की खरीद के लिए और 7000 रु० का एक अन्य अनुदान पुस्तक कोष और पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए दिया जाता है। यह सहायता देशभर के समस्त मदरसों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनमें पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम किसी भी प्रकार का हो।

35.14 एआईएमएमपी स्कीम: के लिए दसवीं योजना के अंतर्गत आवंटन (अवसंरचना विकास तथा मदरसा आधुनिकीकरण के घटकों को शामिल करके) 83.92 करोड़ रु० था। वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान व्यय क्रमशः 28.45 करोड़ रु०, 29.00 करोड़ रु० तथा 22 करोड़ रु० था। वर्ष 2004-05 में बालिकाओं के लिए 11 छात्रावासों के निर्माण, 11 उच्च

माध्यमिक विद्यालय भवनों के निर्माण तथा आधुनिक विषयों की शिक्षा देने वाले 575 मदरसों के शिक्षकों के बेतन के भुगतान पर 22 करोड़ रु० व्यय किए गए।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नामांकन

35.15 भारत में आज, चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शैक्षिक प्रणाली है जिसमें कुल 222.03 मिलियन विद्यार्थी नामांकित हैं और इनमें से 45 प्रतिशत बालिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित 128.27 मिलियन बच्चों में 47 प्रतिशत; मिडिल स्तर पर 48.73 मिलियन बच्चों में 44.4 प्रतिशत; उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 35 मिलियन बच्चों में 41.12 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में नामांकित 10 मिलियन छात्रों में 39.68 प्रतिशत बालिकाएं हैं। वास्तव में वर्ष 1950-51 से 2003-04 तक भिन्न-भिन्न स्तरों की शिक्षा में भारत में कुल नामांकन बढ़कर प्राथमिक स्तर पर 19.2 करोड़ से 128.3 मिलियन मिडिल स्तर पर 3.1 मिलियन से 48.7 मिलियन तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 1.5 मिलियन से 35 मिलियन बच्चों तक पहुंच गया है। 1990 के दशक के दौरान सबके लिए शिक्षा संबंधी पहल तथा इस दशक के दौरान बालिकाओं और महिलाओं के पक्ष में लागू नीतियों और कार्यक्रमों के अंतर्गत लिंग संबंधी अंतरों पर अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने के कारण बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति हुई है और लिंग संबंधी अंतरों में कमी आई है। हालांकि, क्षेत्रीय, ग्रामीण, शहरी और अंतर सामुहिक असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं और इन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष कार्यक्रमों, स्कीमों और प्रोत्साहनों का प्रभाव

35.16 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु चलाए गए विशेष कार्यक्रमों और प्रोत्साहनों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप, अनुसूचित जातियों के बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 से 2003-04 के दौरान उनका नामांकन बढ़कर प्राथमिक कक्षाओं में 11 मिलियन से 23 मिलियन; मिडिल स्तर पर 2.2 मिलियन से 8 मिलियन और माध्यमिक स्तर पर 1.1 मिलियन से 4.8 मिलियन तक पहुंच गया है और उनमें बालिकाओं का प्रतिशत इन स्तरों पर क्रमशः 44.8 प्रतिशत, 41.4 प्रतिशत और 38.2 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इसकी तुलना में यद्यपि अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, किंतु अन्य कारणों के साथ-साथ कठिन स्थलाकृति, प्रतिकूल

भूप्रदेश और जंगलों के कारण इसकी गति धीमी रही है। वर्ष 1980-81 से 2003-04 के दौरान अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन बढ़कर प्राथमिक कक्षाओं में 4.6 मिलियन से 12.5 मिलियन तक; मिडिल स्तर पर 0.74 मिलियन से 3.7 मिलियन और माध्यमिक स्तर पर 0.33 मिलियन से 1.95 मिलियन तक पहुंच गया है और उसमें बालिकाओं का प्रतिशत तीनों स्तरों पर क्रमशः 45.9 प्रतिशत, 41.7 प्रतिशत तथा 37.4 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

35.17 सर्वशिक्षा अभियान और इसके प्रभाव: सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) का अर्थ है-6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जीवन पर्यंत शिक्षा पर जोर के साथ संतोषजनक गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण। एसएसए के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य बच्चों की शैक्षिक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण देश को शामिल किया जाता है। सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य विद्यालयों में सभी का नामांकन करना तथा समस्त लैंगिक और सामाजिक अंतरों को प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर वर्ष 2010 तक पाठना है। अधिकतर राज्य शिक्षा तक पहुंच और नामांकन के मात्रात्मक लक्ष्यों को करीब-करीब पूरा कर रहे हैं, किंतु उनको बनाए रखना और गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय है तथा यह प्रणाली शिक्षार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, शिक्षकों की गुणवत्ता और कक्षा-प्रक्रियाओं में सुधार के लिए स्वयं व्यवस्था कर रही है। सर्वशिक्षा अभियान की सफलता के लिए आवश्यक है कि 21वीं सदी के ज्ञान-समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मुख्य चुनौती का माध्यमिक शिक्षा का विस्तार और इसे सभी को उपलब्ध कराने का सामना किया जाए। सर्वशिक्षा अभियान के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन और सबको दस वर्ष की माध्यमिक शिक्षा से ही जाति, वर्ग, धर्म और निवास स्थान के विभेद के बिना सभी के लिए शैक्षिक अवसर सुनिश्चित होंगे।

35.18 सर्वशिक्षा अभियान के भाग के रूप में (पहले जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना और सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम) कार्यनीति को बदल दिया गया है और यह परिवर्तन लक्ष्य से दूर शिक्षा के अपहुंच वाले भौगोलिक क्षेत्रों और हमारे समाज के सीमांत समूहों की शैक्षिक योजना में दिखाई देता है। इस संबंध में द्वि-शाखी हस्तक्षेपों की शुरूआत की गई जिनके नाम हैं-प्रारंभिक स्तर पर बालिका-शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) और कस्तूरबा बालिका विद्यालय (केजीबीवी)। इन दोनों स्कीमों को शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे ब्लॉकों (ईसीबी) में कार्यान्वित

किया जा रहा है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर 46 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम है और जहां लिंग संबंधी अंतर भी 22 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर अब तक 20 राज्यों में 2656 ब्लॉकों को शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर अल्पसुविधा प्राप्त वंचित बालिकाओं की शिक्षा के एक संपूर्ण किंतु पृथक लैंगिक घटक के रूप में वर्ष 2003 में एनपीईजीईएल की शुरूआत की गई।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य बस्तियों में रहने वाली बालिकाओं के लिए ऐसे आदर्श बस्ती (क्लस्टर) विद्यालय का विकास करना है जो शिक्षण अधिगम उपस्कर, पुस्तकालय खेल-कूद इत्यादि; अध्यापकों के लैंगिक संवेदन; शिक्षण अधिगम सामग्रियों, प्रोत्साहनों के प्रावधान और समुदायों की गहन भागीदारी जैसी अवसंरचना और सुविधाओं से युक्त हों। 750 आवासीय विद्यालय खोलने के लिए केजीबीवी (बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय) को जुलाई, 2004 में स्वीकृति प्रदान की गई थी और इनमें दुर्गम और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए प्रारंभिक स्तर पर छात्रावास सुविधा की व्यवस्था थी। इनमें से 118 के जी बी वी विद्यालय मुस्लिम बहुलता वाले इलाकों (ब्लॉक) में खोले जाने हैं। इन विद्यालयों को अधिमानतः प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों और अन्य लाभनिरपेक्ष निकायों द्वारा चलाया जाना है। शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक और विकासप्रकर शिक्षा (ईजीएस एवं ए आई ई) में लचीली कार्यनीतियों के जरिए विद्यालय रहित बस्तियों में रहने वाले बच्चों और विद्यालय न जाने वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में विशेष जोर दिया गया है। इन लचीली कार्यनीतियों में सेतु (ब्रिज) पाठ्यक्रम, आवासीय कैंप, सुधारात्मक कोचिंग, ड्राप-इन-केंद्र इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान इस घटक से 62.26 लाख बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिली।

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों पर ध्यान देना

35.19 सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) ने अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरा-पूरा ध्यान देने हेतु 16 राज्यों में 93 जिलों की पहचान की है। वर्ष 2005-06 के दौरान, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 2643 प्राथमिक विद्यालयों, 1978 उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 2900 ई जी एस केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त एस ए में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

- मदरसों के आधुनिकीकरण, आधुनिक पाठ्यक्रम और मौलिकियों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर देना।
- मदरसों को सहायता प्रदान करना: इस स्कीम के अंतर्गत राज्य मदरसा बोर्ड से संबद्ध और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले मदरसे सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। बड़ी संख्या में बच्चे विशेषतया बालिकाएं ऐसे मदरसों में पढ़ रही हैं जो मान्यता-प्राप्त अथवा संबद्ध नहीं हैं, अतः मदरसे में ही स्थानीय निकाय/समुदाय आधारित संगठन द्वारा एक ई जी एस अथवा ए आई ई केंद्र चलाएं जा सकते हैं जहां निःशुल्क किताबें, आवश्यकता होने पर एक अतिरिक्त शिक्षक और शिक्षक को राज्य के पाठ्यक्रम के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। राज्य की रिपोर्टों के आधार पर, एस ए के अंतर्गत 13 राज्यों में 8720 मदरसों (6867 मान्यताप्राप्त और 1853 गैर मान्यताप्राप्त/अपंजीकृत मदरसे) को सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा किए गए अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 7 वर्ष से 19 वर्ष की आयु समूह के मुस्लिम बच्चों में से केवल 4 प्रतिशत ही मकतबों में पढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत कम है और लड़के और लड़कियों का पंजीयन एक समान होता है। यदि मदरसों और मकतबों को मिला दिया जाए तो उनमें पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों केवल 6.3 प्रतिशत ही हैं।

35.20 सर्व शिक्षा अभियान और विद्यालय न जाने वाले बच्चें: सर्व शिक्षा अभियान और इसकी पूर्ववर्ती परियोजना जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत किए गए कार्यकलापों से विद्यालय में नाम लिखवाए जाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इससे पहुंच और विद्यालयी परिवेश में पर्याप्त उन्नयन हुआ है। स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या, दसवीं योजना के शुरू में 42 मिलियन होने का अनुमान था, दसवीं योजना (जून, 2005) की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार सितंबर, 2004 में 23 मिलियन तक नीचे गिर गई है। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता इससे और स्पष्ट हो जाती है कि जून, 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सामाजिक और ग्रामीण अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए नवीन अध्ययन के अनुसार 6 वर्ष से 13 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 93 प्रतिशत बच्चें स्कूल जाते हैं। इस अध्ययन और तालिका 7.4 में निर्दिष्ट किए अनुसार 6 वर्ष से 13 वर्ष के आयु वर्ग के कुल 13.5 मिलियन बच्चे (कुल बच्चों का 6.94 प्रतिशत) ऐसे हैं जो

तालिका 7.4 : भारत में वर्ष 2006 में सामाजिक समूहों के 6-13 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	मुसलमान	अन्य	सभी सामाजिक समूह
ग्रामीण						
6-13 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूली बच्चों की संख्या	31636193	15679597	52496839	13031745	32698516	145542890
6-13 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या	2706025	1585833	4059259	1567717	1434764	11353597
स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत	8.55	10.11	7.73	12.03	4.39	7.80
शहरी						
6-13 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूली बच्चों की संख्या	6384600	1690685	14172257	9562673	16675537	48485753
6-13 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या	398841	71145	543001	685535	407614	2106137
की संख्या						
स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत	6.25	4.21	3.83	7.17	2.44	4.34
सभी सामाजिक समूह						
6-13 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूली बच्चों की संख्या	38020794	17370283	66669095	22594419	49374053	194028643
6-13 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या	3104866	1656978	4602260	2253252	1842378	13459734
स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत	8.17	9.54	6.90	9.97	3.73	6.94

स्रोत: भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान संस्थान द्वारा वर्ष 2006 में 6-13 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों के संबंध में किया गया अखिल भारतीय सर्वेक्षण

स्कूल नहीं जाते हैं। इसमें 7.89 प्रतिशत बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों के और 4.43 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों के बच्चे हैं। यद्यपि इसी आयु वर्ग के शहरी क्षेत्रों में 6.25 प्रतिशत स्कूल न जाने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 8.55 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तथापि इसी आयु वर्ग के शहरी क्षेत्रों में 4.21 प्रतिशत स्कूल न जाने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 10.11 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसी प्रकार, इसी आयु वर्ग के शहरी क्षेत्रों में 3.83 प्रतिशत स्कूल न जाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 7.73 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसके विपरीत इस आयु वर्ग में मुस्लिम बच्चों में स्कूल न जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता 9.97 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 12.03 प्रतिशत बच्चे और शहरी क्षेत्र के 7.17 प्रतिशत बच्चे हैं।

35.21 अनुसंधान, आयोजना और कार्य केंद्र, नई दिल्ली ने धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों अति बहुल पांच राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में 15 से ज्यादा नगरों में किए गए “अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति—उनके पिछड़ेपन के कारण” संबंधी अध्ययन किया, जिसमें प्रतिमाह 3,000/- तक आय प्राप्त करने वाले परिवारों को

शामिल किया गया था, इस अध्यन से यह पता चलता है कि 35.68 प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। केवल 5.82 प्रतिशत स्नातक और 1.26 प्रतिशत स्नातकोत्तर थे। ऐसे मुस्लिम परिवार जिन्होंने न तो औपचारिक शिक्षा और न ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, उनकी प्रतिशतता 71 प्रतिशत थी, जिससे यह पता चलता है कि मुस्लिम परिवारों की शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

35.22 ए आर ओ एच फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति के संबंध में किए गए अन्य अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकतर मुस्लिम परिवार अपने बच्चों का नियमित विद्यालयों में पंजीयन नहीं करवाते हैं एवं धार्मिक विद्यालयों (मदरसों) में भेजे जाने वाले बच्चे उन बच्चों से बहुत पिछड़ जाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हैं। मदरसे के छात्र आगामी रोजगार अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वे अर्द्धक शैक्षिक अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण

36. समाज के कमजारे वर्गों—अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक का आर्थिक

सशक्तिकरण सरकार के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। अल्पसंख्यकों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के अनुपात का परिकलन 28.67 प्रतिशत किया गया है (कृषि वित्त निगम लिमिटेड मुम्बई द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, 2006) और निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों से भी बदतर स्थितियों में रहने वाले लोगों का अनुपात 43 प्रतिशत होने का अनुमान है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1999–2000 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मुस्लिम समुदाय को छोड़कर, सभी समुदायों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गरीबी व्याप्त है मुसलमानों में ग्रामीण क्षेत्रों (27.22 प्रतिशत) की तुलना में शहरी क्षेत्रों (36.92 प्रतिशत) में गरीबी अधिक व्याप्त है। सरकार ने कमजोर वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों/कार्यक्रमों, इन्हें क्रियान्वित करने हेतु सांस्थानिक व्यवस्था और विगत वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों के संबंध में चर्चा नीचे की गई है।

सभी वर्ग के लोगों पर लागू स्कीमें

36.1 रोजगार गारंटी स्कीम: ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) और प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) दो रोजगार सृजनात्मक ऋण-संबंद्ध सहायिकी स्कीमें हैं। इनमें से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के बी आई सी) द्वारा और प्रधानमंत्री रोजगार योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत श्रम-प्रधान ग्रामोद्योग लगाने के लिए मार्जिन धनराशि के रूप में पूंजीगत आर्थिक सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को भी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1995 में इसकी स्थापना से लेकर मार्च 2005 तक 2,09,705 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया है और कार्य (जॉब) के 28.06 लाख अतिरिक्त अवसर सृजित किए गए हैं। लगभग 12.4 प्रतिशत अनुसूचित जातियां, 5.7 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां, 23.8 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग और 12.8 प्रतिशत अल्पसंख्यक इसके लाभार्थी रहे हैं। इसकी लगभग 25.8 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

36.2 वर्ष 1993 में अपनी शुरूआत से ही यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से व्यावहारिक उद्यम लगाने के लिए शिक्षित बेराजगार युवकों को सांस्थानिक वित्त प्रदान करती आ रही

है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 22.80 लाख स्व-रोजगार उद्यमों को ऋण वितरित किए गए हैं जो 34.20 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन करने में सहायक सिद्ध हुआ है। वर्ष 1993–99 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों का अनुपात लगभग 21 प्रतिशत था और अन्य पिछड़े वर्गों का शेयर 26 प्रतिशत था।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई)

36.3 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) की शुरूआत वर्ष 2001 में हुई और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना तथा स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना था। इसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और खतरनाक काम पर से हटाए गए बच्चों के माता-पिता के लिए मजदूरी-रोजगार पर विशेष जोर दिया गया था। जिला और पंचायत के मध्यवर्ती स्तर दोनों पर, वार्षिक आबंटन का 22.5 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की व्यक्तिगत/सामूहिक लाभार्थी स्कीमों के लिए निर्धारित हैं। ग्राम पंचायत का कम से कम 50 प्रतिशत आबंटन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियों/वार्डों में आवश्यकता आधारित ग्राम अवसंरचना के सृजन के लिए निर्धारित है। इस स्कीम में लगभग 6000 करोड़ रुपए और 50 लाख टन खाद्यान्नों का प्रतिवर्ष आबंटन होता है। वर्ष 2004–05 के दौरान 50 लाख टन खाद्यान्न वितरित किए गए, 6018.63 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। कुल 8223.09 लाख श्रमिक हिस्सों का सृजन हुआ और 1639619 कार्य पूरे किए गए। दिसंबर 2006 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कम से कम 15 प्रतिशत लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस)

36.4 स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना वर्ष 1999 में शुरू हुई थी और यह पूरे देश में कार्यान्वित किया जाने वाला एक प्रमुख स्व-रोजगार कार्यक्रम है। इसके दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि इसके कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, 40 प्रतिशत महिलाएं और 3 प्रतिशत अशक्त व्यक्ति होंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता परियोजना लागत की सीधे-सीधे 30 प्रतिशत होगी और अधिक से अधिक यह 7500 रुपए होगी। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अशक्त व्यक्तियों कि लिए आर्थिक सहायता की सीमा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत और अधिक से अधिक 10,000 रुपए होगी।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एन एफ एफ डब्ल्यू पी)

36.5 इस कार्यक्रम की शुरूआत 2004 में देश के सबसे ज्यादा पिछड़े 150 जिलों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार सुजित करने के लिए हुई थी। जल संरक्षण और सूखा-प्रवण जैसे उन विशेष क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है जो कुछ क्षेत्रों में पिछड़ेपन के मुख्य कारण हैं। मजदूरी, नकद और खाद्यान्न दोनों ही रूप में दी जाती है और यह न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होती। महिला और पुरुष कामगार दोनों के लिए समान मजदूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन आर ई जी ए)

36.6 यह स्कीम सितंबर, 2005 में अधिसूचित हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार में से अकुशल श्रम कार्य करने हेतु इच्छुक किसी भी वयस्क सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाता है। काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए जो प्रति दिन साठ रुपए से कम नहीं होगी। काम के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर ही रोजगार प्रदान किया जाए। इसमें कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए। काम की सिफारिश ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है और पंचायती राज संस्थाओं की आयोजना और कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका होती है। सभी स्तरों पर सांस्थानिक कार्यविधि के जरिए पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाबदेही और सामाजिक लेखा परीक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम में भूमि-विकास और जल संरक्षण संबंधी कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस अधिनियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय समुदाय में एक सहयोगात्मक सहभागिता की संकल्पना की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का विस्तार इसके कार्यकलापों के पहले चरण में 200 जिलों में किया जा रहा है और यह पांच वर्ष की अवधि के अंदर पूरे देश को कवर कर लेगा। वर्ष 2007-08 के दौरान इस स्कीम का विस्तार 130 अन्य जिलों में किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में रोजगार क्षमता में वृद्धि करना

36.7 कम ब्याज-दरों पर बिना किसी झंझट के सांस्थानिक ऋण की सही समय पर उपलब्धता त्वरित कृषि वृद्धि की एक अनिवार्य अपेक्षा है। इस अपेक्षा के अनुसरण में सरकार ने जून, 2004 में एक व्यापक नीति की घोषणा की। इसमें विचार किए गए उपायों

में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए किसानों को तुरंत कृषि-ऋण उपलब्ध कराना; बारंबार नकदी आहरण और चुनौती को सुकर बनाने वाली आवर्ती ऋण नकदी सुविधा प्रदायक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरिए सांस्थानिक ऋण की राशि में बढ़ोतारी करना; तथा विपत्तिग्रस्त किसानों, कर्ज में ढूबे हुए किसानों एवं अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने वाले किसानों को ऋण संबंधी राहत प्रदान करने के लिए ऋणों का पुनर्गठन करना; देनदार के रूप में घोषित और नवीन ऋण के लिए अपात्र हो गए छोटे-छोटे एवं सीमांत कृषकों के लिए एकबारगी निपटान स्कीम शामिल है।

औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार क्षमता में वृद्धि करना

36.8 केंद्रीय सरकार की विभिन्न स्कीमों का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए रोजगार के अवसर निश्चित करना है ताकि वे उपयुक्त तकनीकी दक्षता, उचित प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक (वोकेशनल) प्रशिक्षण संबंधी अवसर प्राप्त करके आर्थिक सुधारों और विस्तृत होते जा रहे निजी क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करके हथकरघा, दस्तकारी, लेस बनाने, कांच का काम करने और धातु संबंधी कार्य करने जैसी परंपरागत कला और शिल्पकला संबंधी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और दक्षताओं का उन्नयन करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन सभी को महत्व दिया जा सके जिससे कि आधुनिक बाजारों में उत्पाद प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ऐसे उद्योगों में अल्पसंख्यक समुदाय विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के परंपरागत कारीगर पर्याप्त अनुपात में हैं। क्षेत्र-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

36.8.1 कृषि के बाद कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा रोजगार प्रदायक है। अधिकतर बुनकर और कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। ये समूह असंगठित और संगठित कपड़ा उद्योग में पुश्तैनी आधार पर अथवा आजीविका निर्वाह पर आधारित व्यवसायों से निरंतर जुड़े रहते हैं। हालांकि इस उद्योग के लिए उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा प्रतिपादित और कार्यान्वित अनेक स्कीमें किसी समुदाय विशेष अथवा सामाजिक समूह से ही जुड़ी हुई नहीं है तथापि इस उद्योग में लगे हुए अधिकतर लोग इन्हीं समूहों के हैं, वे निस्पंदेह मुख्य लाभार्थी हैं। इन स्कीमों का समाज के कमजोर वर्गों में कारीगरों के रहन-सहन, आय-अर्जन और रोजगार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

- 36.8.2** विकेंद्रीकृत बिजली करघा, हौजरी आर बुनाई कपड़ा उद्योग के सबसे बड़े क्षेत्र हैं। वर्ष 1999 में शुरू हुई प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टी यू एफ एस) द्वारा मौजूदा इकाइयों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी वाली नई इकाइयां लगाने के लिए घेरेलू कपड़ा उद्योग को धन उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 1986 में शुरू हुई कपड़ा कर्मी पुनर्वास निधि स्कीम (टी डब्ल्यू आर एफ एस) द्वारा किसी भी मिल के बंद हो जाने पर वहां कार्यरत कार्मिकों को राहत प्रदान की जाती है और पुनर्वास संबंधी उपाय किए जाते हैं।
- 36.8.3** वस्त्र मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रशिक्षणों और रोजगार स्कीमों के अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यकों को शामिल करने के संबंध में एक द्रुत सर्वेक्षण करवाया गया था। वर्ष 2004–05 से 2006–07 (फरवरी, 2007 तक) के दौरान सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार बिजली करघा सेवा केंद्र और कंप्यूटर-एडिट डिजाइन केंद्र में 10,875 प्रशिक्षणार्थी पंजीकृत थे जिसमें से 2,653 प्रशिक्षणार्थी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक थे और इसमें 1966 मुस्लिम, 161 ईसाई और 526 भाषाई अल्पसंख्यक थे।
- 36.8.4** हथकरघा उद्योग से लगभग 6.5 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है और 3.5 मिलियन करघों पर उत्पादित कुल कपड़ा उत्पादन का यह लगभग 13 प्रतिशत है। यह उद्योग पूर्णतया बुनकर अभिमुख है और अधिकतर बुनकर बहुत ही गरीब और समाज के सिमांत वर्ग के होते हैं। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार (वार्षिक रिपोर्ट 2005–06) इस व्यवसाय में लगे हुए कुल कामगारों में 62.40 प्रतिशत महिलाएं हैं और 32 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। विकेंद्रीकृत क्षेत्र में इसकी बहुलता है। दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी डी एच पी वाई) के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/महिलाओं/अल्पसंख्यकों को रोजगार देने वाली एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है। यह अनुदान केंद्र और संबंधित राज्य में 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है। सरकार ने हैंक यान देय आदेश के जरिए इस क्षेत्र को दिए जाने वाले कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की है। समेकित हथकरघा समूह (क्लस्टर) विकास स्कीम केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है जिसमें पहले चरण में 40.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 20 हथकरघा

समूहों का विकास करने के लिए मार्ग निर्धारित किया गया है। हथकरघा बुनकरों के लिए नवंबर 2005 में शुरू हुई स्वास्थ्य बीमा स्कीम का लक्ष्य बुनकर समुदाय को वित्तीय रूप से सबल बनाना है। ताकि वे देश में सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाएं प्राप्त कर सकें। इस स्कीम के अंतर्गत बुनकर, उनके पति अथवा पत्नी और दो बच्चे आते हैं और इसका प्रतिवर्ष कुल प्रीमियम 1000.00 रुपए है जिसमें से 800 रुपए भारत सरकार देती है और 200 रुपए बुनकर देता है। इसकी वार्षिक राशि 15,000 रुपए प्रति परिवार है। इसी प्रकार महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना अक्टूबर, 2005 में शुरू हुई थी जिसका उद्देश्य हथकरघा बुनकरों की प्राकृतिक अथवा दुर्घटनाकार मृत्यु हो जाने पर उन्हें संबंधित बीमा राशि प्रदान करना था। उन्हें दसवीं योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 625.00 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

- 36.8.5** हस्तशिल्प सांस्कृतिक और आर्थिक, दोनों ही रूप से महत्वपूर्ण हैं। अधिकाधिक रोजगार प्रदायक होते हैं, इसमें कम पूंजी निवेश होता और अधिक आमदनी होती है। हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार-वृद्धि वर्ष 1997–98 में 52.92 लाख से वर्ष 2004–05 में 63.81 लाख रही है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार (वार्षिक रिपोर्ट 2005–06) हस्तशिल्प में कुल कार्यबल में 47.42 प्रतिशत महिलाएं हैं और 37.11 प्रतिशत कार्यबल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति हैं। इस क्षेत्र में लगभग 32:5 प्रतिशत परिव्यय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला दस्तकारों के लाभ के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से निर्धारित है। हस्तशिल्प नियांत में वर्ष 1997–98 में 6457.69 करोड़ रुपए था जो बढ़कर वर्ष 2004–05 के दौरान 15616.32 करोड़ रुपए हो गया। हाल ही की महत्वपूर्ण पहलकार्यों में ग्रेटर नोएडा में भारतीय एक्सपोजिशन आर्ट खोलना; नई दिल्ली में हस्तशिल्प भवन बनाना; बांस और बैंत विकास संस्थान, अगरतला की पुनर्स्थापना करना और प्रमुख स्थानों पर 2.00 करोड़ रुपए की लागत से शहरी हाटों की स्कीम शामिल है। हालांकि नौंवीं योजनावधि के दौरान सोलह हाट खोले गए थे तथापि दसवीं योजनावधि (फरवरी 2006 तक) के दौरान 21 हाटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, डिजाइन

एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम, विपणन एवं सहायता सेवा स्कीम, प्रशिक्षण और विस्तार स्कीम इत्यादि सहित हस्तशिल्प के विकास के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान नए धारकों में दस्तकार ऋण कार्ड स्कीम को शामिल किया गया जिसके अंतर्गत वित्तीय/ बैंकिंग संस्थाओं द्वारा पूरे देश में लगभग एक लाख कारीगरों को 250 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि शिल्पकारों में हस्तशिल्प-कौशल और उत्कृष्टता को बढ़ावा मिल सके।

36.8.6 पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकेंद्रीकृत कपड़ा उद्योग में हथकरघा, बिजलीकरघा, रेशमकीट पालन, हस्तशिल्प, ऊन और जूट शामिल हैं और ये लोगों के लिए लाभकर रोजगार और आय-प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। अतः इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार लाया जा सके।

लघु उद्योग

36.8.7 लघु उद्योग मंत्रालय लघु उद्योगों की वृद्धि और विकास, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी करने और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए राज्यों की सहायता करता है। ये स्कीमें प्रशिक्षण और कौशल का उन्नयन करने; वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से ऋण आसानी से उपलब्ध कराने और उसकी प्रावधान करने; प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए निधियों; समेकित अवसंरचनात्मक सुविधाओं; प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन; इकाइयों और उनके समूहों के क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण के लिए चलाई जाती है। लघु उद्योग विकास संगठन (एसआईडीओ) वर्ष 1954 से ही इस क्षेत्र में सरकार को सहायता प्रदान करने वाला एक शीर्षस्थ संगठन है। विकास केंद्र स्कीम और समेकित अवसंरचनात्मक विकास स्कीम लघु और छोटी इकाइयाँ खोलने, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और निर्यात में वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। दिशा निर्देशों में यह प्रावधान है कि ये स्कीमें ऋण एवं रोजगार स्कीमों अर्थात् प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), ऋण संबद्ध पूंजीगत आर्थिक सहायता स्कीम इत्यादि के साथ-साथ चलाई जानी चाहिए। लघु उद्योग में वर्ष 1990-1991 में 158.34 लाख व्यक्ति

रोजगार में थे जो बढ़कर वर्ष 2004-05 में 282.57 लाख व्यक्ति हो गए।

36.8.8 असंगठित विनिर्माण और सेवा सहित लघु उद्योग में कुल रोजगार 713.86 लाख व्यक्ति (2001-02) है। लघु उद्योग में खाद्य संसाधन, ग्लास और सेरामिक्स, जूते और कपड़े सहित चमड़ा एवं चमड़े से बनी वस्तुओं, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, औषधि एवं फार्मास्युटिकल्स, रंगाई (डाई), स्वर्ण पत्रक (गोल्ड प्लेटिंग) एवं जेवरात, ताले, खिलौने, लकड़ी का फर्नीचर, पेट, रबड़ संसाधन, सुर्गंधित एवं चिकित्सीय आधारित उद्योग, कुकुर-पालन, चमड़ा उद्योग और पशुओं के चारे, तार एवं केबल, आँदों के कलपुर्जे, इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर इत्यादि से संबंधित उद्यम शामिल हैं। लघु उद्योग में कुल रोजगार का बड़ा अनुपात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े और सीमांत वर्गों का है। कठिपय व्यवसायों जैसे ताले बनाना, कुछ भौगोलिक स्थानों पर लकड़ी का फर्नीचर बनाना, स्वर्ण पत्रक (गोल्ड प्लेटिंग) और जेवरात बनाना इत्यादि में मुस्लिम कारीगर परम्परागत रूप से विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। अतः वे अपने परंपरागत कौशल के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय प्रगति के उन्नयन के लिए लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं।

कृषि और ग्रामीण उद्योग

36.9 कृषि और ग्राम उद्योग खादी और ग्रामोंद्योग आयोग (के वी आई सी) और कॉयर बोर्ड (सी बी, के जरिए खादी और ग्राम एवं कॉयर उद्योग संबंधी कार्य करता है तथा आर ई जी पी एवं पी एम आर वाई (रोजगार परक स्कीमें) के कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करता है। हालांकि खादी कार्यक्रम में सूत कातना और हाथ से बनाए हुए विविध प्रकार के सूत, ऊन, सिल्क और मलमल शामिल है तथापि ग्रामोंद्योग कार्यक्रम में निम्नलिखित सात व्यापक श्रेणियां शामिल हैं:-

- (i) खनिज आधारित उद्योग;
- (ii) वन्य आधारित उद्योग;
- (iii) कृषि और ग्रामीण उद्योग;
- (iv) पॉलीमर और रसायन आधारित उद्योग;
- (v) ग्रामीण अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी;
- (vi) हस्तनिर्मित कागज और फाइबर उद्योग;
- (vii) सेवा उद्योग।

36.9.1 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में उपर्युक्त उद्योगों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने की प्रक्रिया में कौशल उन्नयन और विपणन सहायता संबंधी कार्यकलाप करता है। वर्ष 2004-05 के दौरान यह रोजगार के 76.78 लाख अवसर उत्पन्न करने में समर्थ रहा।

असंगठित क्षेत्र में उद्यम संबंधी राष्ट्रीय आयोग

36.9.2 असंगठित क्षेत्र में उद्यम संबंधी राष्ट्रीय आयोग (एन सी ई यू एस) की स्थापना वर्ष 2004 में तीन वर्षों की अवधि के लिए असंगठित क्षेत्र में उद्यम संबंधी समस्याओं की जांच करने और उन समस्याओं से निपटने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए की गई थी। एन सी ई यू एस ने असंगठित क्षेत्र में लगे हुए कामगारों की सामाजिक सुरक्षा पर विचार-विमर्श करने; और असंगठित क्षेत्रों में कौशल-निर्माण करने के लिए कार्यबलों का गठन किया है। एन सी ई यू एस ने देश के विभिन्न भागों में किसी भी स्थान विशेष के अंदर आने वाली असंगठित क्षेत्र की अनेक उत्पादन इकाइयों को मिलाकर विकास ध्रुव (ग्रोथ पोल) के गठन का प्रस्ताव भी रखा है। विकास ध्रुव संबंधी कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे गये हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कौशल और संसाधनों के आधार पर बस्तर में कोंडागांव में एक बहु-उत्पाद बहु-शिल्पी परियोजना के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। इसी प्रकार की बहु-शिल्पी परियोजनाओं को कौयर, हस्तशिल्प, काजू के संसाधन इत्यादि के लिए केरल में कोल्लम जिले तथा शिला-उक्कीर्णन एवं नवकाशी, चमड़े, हथकरघे, खादी, हस्तशिल्प इत्यादि के लिए राजस्थान में दौसा में चलाने के लिए विचार विमर्श चल रहा है। यह आयोग शहरी क्षेत्रों में सड़क-विक्रेता से संबंधित राष्ट्रीय नीति की भी पुनर्जाँच करता है और विभिन्न पण्डारियों (स्टेकहोल्डरों) से संपर्क भी स्थापित करता है। शहरी क्षेत्रों में सड़क-विक्रेता से संबंधित संशोधित राष्ट्रीय नीति का एक प्रारूप शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को भेजा गया है।

लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद

36.9.3 लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कापार्ट) : इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। कापार्ट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त प्रौद्योगिकी के विकास हेतु एक उत्प्रेरक की भाँति कार्य करता है। यह संबंधित क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों

के प्रयास को प्रोत्साहित करके विकास के विभिन्न माडलों को बढ़ावा देता है। इसमें राष्ट्रीय संसाधन विकास और प्रबंधन स्कीम (एन आर डी एम), ग्रामीण औद्योगिकीरण, आय-सृजन और बाजार तक पहुंच संबंधी स्कीम (आर आई आई एम ए); ग्रामीण विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी संवर्द्धन स्कीम (टी आर डी एवं पी आई टी); ग्रामीण अवसंरचना विकास स्कीम (आर आई डी एस), मानव संसाधन विकास स्कीम (एच आर डी एस) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सुविधावंचित समूहों तथा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संबंधी स्कीम (ई डब्ल्यू एस सी टी डी) में आने वाले गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करना शामिल है। इन विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत हासिल उपलब्धियों के बारे में नीचे चर्चा की गई है।

36.9.4 राष्ट्रीय संसाधन विकास प्रबंधन जल संरक्षण, सिंचाई और कृषि विकास को बढ़ावा देता है और इसके अंतर्गत लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद ने 7.19 करोड़ रुपए की सहायता से 88 परियोजनाओं (31.12.2005 तक) को स्वीकृति प्रदान की है। कौशल अभिन्यास आय सृजन कार्यक्रमों और बाजार सहायता संबंधी कार्यकलापों जैसे ग्राम श्री मेला को बढ़ावा देने वाली ग्रामीण औद्योगिकीकरण, आय सृजन और बाजार तक पहुंच संबंधी स्कीम के अंतर्गत कापार्ट ने 1.04 करोड़ रुपये की सहायता से 20 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। देश में विभिन्न स्थानों पर लगने वाले ग्रामीण मेले ग्रामीण शिल्पकारों और स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

टी आर डी और पी आई टी स्कीम द्वारा प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों की स्थापना, प्रौद्योगिकी सेवा केन्द्र, संप्रेषण संसाधन नेटवर्क, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में प्रशिक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकार और इससे संबंधित मुद्राओं जैसे कार्यकलापों को सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत कापार्ट ने 4.18 करोड़ रुपए की सहायता से 112 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। आर आई डी एस के अंतर्गत ग्रामीण नवीनीकरण आवास (हैबिटेट) विकास, समेकित पर्यावरणीय स्वच्छता, ग्रामीण अवसंरचना विकास इत्यादि संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है। कापार्ट ने आर आई डी एस स्कीम के अंतर्गत 2.04 करोड़ रुपए की सहायता से 27 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। एच आर डी एस के अंतर्गत पंचायती राज

संस्थाओं के प्राधिकारियों के क्षमता निर्माण, प्रोत्साहक कार्यशालाएं तथा सतत् एवं लाभकर रोजगार के लिए ग्रामीण बेरोजगार युवक को प्रशिक्षण देने संबंधी कार्यकलाप शामिल है। देश के 50 पिछड़े जिलों के एक लाख बेरोजगार युवकों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 29 नोडल गैर सरकारी संगठन अभिज्ञात किए गए हैं और उनके प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इंडिया एस सी टी डी स्कीम के अंतर्गत कापार्ट गैर सरकारी संगठनों का क्षमता निर्माण करता है। इस स्कीम के अंतर्गत कापार्ट ने 1.11 करोड़ रुपए की सहायता से (31.12.2005 तक) 20 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। कापार्ट ने वर्ष 2004-05 के दौरान 55.05 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया।

विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं

37. वर्ष 1992 में स्थापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देता है। एन एम डी एफ सी की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों को ऋण प्रदान करने में वृद्धि करने के लिए किए गए प्रयास में एक ऐतिहासिक कदम है। यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्षस्थ वित्तीय निकाय है। जो अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल है:

- अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक और विकासमूलक कार्यकलापों को बढ़ावा देना, व्यावसायिक समूहों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है;
- आर्थिक रूप से व्यावहारिक स्कीमों और परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम देकर अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों अथवा समूहों की सहायता करना;
- अल्पसंख्यकों के लाभार्थ स्व रोजगार और अन्य उद्यमों को बढ़ावा देना;
- पात्र सदस्यों को ऋण और अग्रिम देना ताकि सामान्य, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा अथवा स्नातक अथवा उच्च स्तर पर शिक्षा प्राप्त की जा सके;
- अल्पसंख्यकों को तकनीकी और उद्यम संबंधी कौशल के उन्नयन में सहायता प्रदान करना ताकि उत्पादन इकाइयों का प्रभावी प्रबंधन हो सके;

- अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधी कार्य में जुटे हुए राज्य स्तरीय संगठनों की वित्तीय सहायता अथवा साम्य योगदान करके सहायता प्रदान करना;
- अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित सभी निगमों, बोर्डों अथवा अन्य निकायों के कार्य का समन्वय और मानीटर करने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना; तथा
- अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को अग्रसर करने में सहायता प्रदान करना।

37.1 एन एम डी एफ सी निर्धारित गरीबी रेखा से भी अत्यधिक कम आय वाले अल्पसंख्यक परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में यह कम आय किसी भी परिवार की वार्षिक आय 40,000/- रुपए से कम और शहरी क्षेत्र में 55000/- रुपए से कम है। राज्यीय माध्यम एजेंसियों (एस सी ए) और गैर-सरकारी संगठनों के जरिए धन का उपयोग किया जाता है। फिलहाल 24 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 35 प्रचालनात्मक एस सी ए हैं। जो एन एम डी एफ सी के धन का विकासात्मक कार्यों हेतु उपयोग करते हैं। इन 35 एजेंसियों में से 12 अन्य निगम हैं अल्पसंख्यकों के लिए जबकि 16 एजेंसियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/महिलाओं के लिए हैं, तथा 7 एजेंसियां राज्य निकाय, औद्योगिक निगम, सहकारिता अथवा बैंक हैं जिन्हें व्यावसायिक समूहों को विशेष सेवा मुहैया करवाने अथवा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध करवाने का आदेश प्राप्त है। एन एम डी एफ सी के नेटवर्क में देश में वर्ष 1998-1999 में शुरू लघु वित्त (माइक्रो-फाइनेंस) की स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए 150 गैर-सरकारी संगठन हैं।

37.2 एन एम डी एफ सी की ऋण संबंधी स्कीमें और कार्यक्रम: निगम का प्रमुख कार्यकलाप निर्धारित गरीबी रेखा से भी अत्यधिक कम आय वाले अल्पसंख्यक परिवारों के लाभार्थीयों को 5.00 लाख रुपए तक के सावधि ऋण प्रदान करना है। ताकि व्यावहारिक परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा सके। एन एम डी एफ सी अधिकतम 4.25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं में परियोजना लागत का 85% तक वित्तपोषण करता है; एस सी ए इसमें 10 प्रतिशत देता है तथा लाभार्थी परियोजना लागत का 5 प्रतिशत योगदान देता है। एस सी ए से ब्याज दर 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ली जाती है और बदले में एस सी ए कर्जदारों से 6 प्रतिशत ब्याज दर वसूलता है। चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से स्व-सहायता समूह (एस एच जी) की तर्ज पर चलाए जाने वाली लघु-वित्त

(माइक्रो फाइनेंस) स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन दरिद्रतम सदस्यों के लिए जिन्हें सामान्यतया औपचारिक बैंक से ऋण नहीं मिल पाता। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत निगम उपयुक्त शिल्प संबंधी गतिविधियों में जुटी हुई लगभग 20 महिलाओं के समूह को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण संबंधी लागत और वहन करता है और प्रशिक्षण के लिए वृत्तिका देता है। इस समूह का गठन स्व-सहायता समूह में किया जाता है और प्रशिक्षण के उपरोक्त लघु-ऋण प्रदान किया जाता है।

37.3 शिक्षा ऋण: इस स्कीम के अंतर्गत अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए ऐसे व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है जो उत्तम रोजगार प्रदायक है।

मार्जिन-धनराशि स्कीम: ऋण की स्वीकृति देने के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित मार्जिन राशि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एन एम डी एफ सी ने 41 अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों (एम सी डी) में अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं।

37.4 एन एम डी एफ सी की प्रोत्साहन स्कीम में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **व्यावसायिक प्रशिक्षण:** एन एम डी एफ सी द्वारा आवश्यकता आधारित अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें उन व्यावस्थापकों को अनुदान के रूप में 85 प्रतिशत सहायता दी जाती है जो स्थानीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाएं होती हैं।
- **शिल्पकारों को विपणन सहायता:** बाजार प्रोत्साहन में शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने और लाभप्रद मूल्यों पर बिक्री के लिए एन एम डी एफ सी, अल्पसंख्यक समुदाय के शिल्पकारों के कथकरघे तथा दस्तकारी संबंधी उत्पादों की बिक्री के लिए चुनिंदा स्थानों पर प्रदर्शनी आयोजित करने हेतु एस सी ए तथा गैर सरकारी संगठनों को धन देता है।
- **डिजाइन विकास/कौशल उन्नयन हेतु सहायता:** एन एम डी एफ सी शिल्पकारों को नए डिजाइनों के बारे में अवगत करवाने तथा परिवर्तनशील बाजार की चुनौती का सामना करने के लिए उनके कौशल में उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एस सी ए और गैर सरकारी संगठनों को अनुदान देता है।

एन एम डी एफ सी का कार्यनिष्ठादान और प्रभाव

37.5 निगम की अधिकृत शेयर पूँजी है 650 करोड़ रुपए जिसमें से भारत सरकार का शेयर 65 प्रतिशत है। अब तक भारत सरकार ने निगम की इक्विटी में 375.36 करोड़ रुपए का योगदान दिया है जबकि 96.50 करोड़ का योगदान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिया गया है। अपनी स्थापना से विगत बीस वर्षों के दौरान, निगम ने राज्य एजेंसियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 3,41,077 लाभार्थियों को 917.75 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तालिका 7.5 में एन एम डी एफ सी द्वारा लाभार्थियों को दी गई राशि किए गए संवितरण और उसमें शामिल लाभार्थियों को दर्शाया गया है।

37.6 एन एम डी एफ सी द्वारा सावधि ऋण के लिए वितरित की गई धनराशि वर्ष 1994-95 में 3003.94 लाख, वर्ष 2004-05 में 12667.37 लाख रुपए तक पहुंच गई परन्तु 2006-07 में यह कम होकर 9818.00 लाख रुपए रह गई। इसी अवधि में सावधि ऋण लेने वाले लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2004-05 में 9570 से 34449 व्यक्ति तक पहुंच गई है। वर्ष 2006-07 तक लाभार्थियों की कुल संख्या 2,17,071 थी जिन्हें कुल 9818.00 लाख रुपए वितरित किए गए थे। सावधि ऋण एन एम डी एफ सी के उधारदाता के प्रमुख घटक है। प्रारंभिक वर्षों में स्कीम की वृद्धि दर असमान थी लेकिन वर्ष 1997-98 के बाद से लेकर वर्ष 2004-05 तक इसमें सतत ऊर्ध्वमुखी रुझान दिखाई पड़ा। तत्पश्चात् विगत दो वर्षों में यह रुझान कम हो गया। वर्ष 2004-05 में सावधि ऋण के वितरण में पर्याप्त वृद्धि दर्शाई गई है। यह वर्ष 2003-04 में 81.43 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 126.67 रुपए हो गया और 66.38 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई।

37.7 वर्ष 1998-99 में शुरू हुई लघु-वित्त (माइक्रो-फाइनेंस) स्कीम से उस वर्ष 798 लोगों को लाभ पहुंचा और कुल 34.12 लाख रुपए वितरित किए गए। इस स्कीम के अंतर्गत वितरित की गई धनराशि में वर्ष 2006-07 तक ऊर्ध्वमुखी रुझान दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्ष 2002-03 के दौरान इसमें तेजी से गिरावट हुई है। वर्ष 2006-07 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत किया गया कुल संवितरण 1317.13 लाख रुपए तक पहुंच गया है और 25,482 लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

37.8 वर्ष 2003-04 में शुरू हुई शिक्षा ऋण स्कीम से उस वर्ष में 368 लोगों को लाभ पहुंचा और इसमें 81.25 लाख रुपए का वित्तीय संवितरण हुआ। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान

तालिका 7.5: लाभार्थियों को किए गए संवितरण और उन्हें शामिल के संबंध में एन एम डी एफ सी का कार्य-निष्पादन

(लाख रुपए में)

पैरामीटर	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
भौतिक पैरामीटर				
(क) संवितरण				
(क) सावधि ऋण	8,143.22	12667.37	9354.40	9818.00
(ख) लघु वित्त (माइक्रो फाइनेंस)	435.31	830.77	1000.77	1317.13
(ग) शैक्षिक ऋण	81.25	404.67	455.60	140.00
(घ) महिला समृद्धि योजना	2.69	2.75	4.45	6.96
(ङ) ब्याज रहित ऋण	7.08	1.07	1.21	0.00
(च) व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	14.24	19.49	30.17	43.78
जोड़	8,683.79	13,926.12	10846.60	11325.87
(छ) कुल संचयी संवितरण	55,676.12	69,602.24	80448.84	91774.71
(ख) लाभार्थी				
(क) सावधि ऋण	17,816	34,449	22,213	21,771
(ख) लघु वित्त (माइक्रो फाइनेंस)	6095	10544	10303	25482
(ग) शैक्षिक ऋण	368	1103	1195	530
(घ) महिला समृद्धि योजना	97	74	154	320
(ङ) ब्याज रहित ऋण	3320	490	590	0
(च) व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	816	691	1389	858
जोड़	28,512	47,351	35,844	48,961
(छ) कुल संचयी लाभार्थी	2,08,921	2,56,272	2,92,116	3,41,077
(ज) गठित किए गए स्व-सहायता समूहों की संख्या	276	41		
(ग) वसूली प्रतिशतता में				
(क) एस सी ए से एन एम डी एफ सी को	90.24	87.00	82.57	83.87
(ख) गैर-सरकारी संगठनों से एन एम डी एफ सी को	80.00	85.00	85.80	88.64
(घ) निधि का उपयोग, प्रतिशत में	91.06	91.81	100	100
(ङ) कुल मूल्य (इक्विटी एंव रिजर्व)	39,015.18	48,123.27	52,921.63	56,685.00
(च) सकल संवितरण/कुल मूल्य	1.43	1.45	1.52	1.62

*उपयोग में प्रशासनिक और प्रोत्साहनमूलक व्यय शामिल है।

(झोत : एन एम डी एफ सी)

लाभार्थियों की संख्या में क्रमशः 1103 और 1195 की बढ़ोतरी हुई लेकिन वर्ष 2006-07 के दौरान इसमें 530 तक गिरावट हुई। वर्ष 2006-07 के दौरान भी संवितरित धनराशि में कमी आई।

37.9 महिला समृद्धि योजना वर्ष 2002-03 में छोटे रूप में शुरू हुई थी और इसमें 40 लाभार्थियों को 1.53 लाख रुपए की धनराशि संवितरित की गई थी। लाभार्थियों को किए जाने वाले संवितरण और लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही है और वर्ष

2006-07 के दौरान यह धनराशि 6.96 लाख रुपए थी एवं इसमें 320 लाभार्थियों को शामिल किया गया।

37.10 एन एम डी एफ सी की प्रोत्साहनमूलक स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1998-99 में ब्याज रहित घटक के लाभार्थी 2340 थे और उन्हें 4.90 लाख रुपए संवितरित किए गए थे। वर्ष 2001-02 में लाभार्थियों की संख्या 10430 तक पहुंच गई तथा 21.71 लाख रुपए संवितरित किए गए। तथापि इस स्कीम के अंतर्गत शामिल

किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या में तदुपरांत कमी आई है और वर्ष 2005-06 में 590 लाभार्थियों में 1.21 लाख रुपए ही संवितरित किए गए हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान किसी भी संवितरण की कोई सूचना नहीं है।

37.11 वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2000-01 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संवितरित धनराशि क्रमशः 4.45 लाख रुपए और 17.95 लाख रुपए थी और इसमें 139 और 290 लाभार्थियों को शामिल किया गया था। यद्यपि इस स्कीम के अंतर्गत किए जाने वाले संवितरण में धीरे-धीरे बढ़ातरी हो रही है जो वर्ष 2006-07 के दौरान 43.78 लाख रुपए हो गया है तथापि कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या कम होकर 858 हो गई है जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान 1389 लाभार्थी थे।

37.12 इसके अतिरिक्त, तालिका 7.5 से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत संवितरित धनराशि और लाभार्थियों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष बढ़ातरी हो रही है सिवाय कभी-कभार होने वाली गिरावट के, जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफ में बताया गया है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कुल संवितरित धनराशि 917.75 करोड़ रही है जिससे 3,41,077 लाभार्थियों को लाभ मिला है। तथापि प्रदत्त सहायता भौतिक एवं वित्तीय कवरेज दोनों, ही संबंध में बहुत कम रही है। योजना आयोग के इस सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा है। इन परिवारों की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण केवल तभी किया जा सकता है जब उन्हें स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित करें और उन्हें लघु ऋण प्रदान किए जाएं।

37.12 वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान ऋण वसूली की प्रतिशतता 90 प्रतिशत से ज्यादा थी लेकिन वित्तीय वर्ष 2006-07 की समाप्ति तक ऋण वसूली की प्रतिशतता में कमी आई है और यह राज्यीय मध्यस्थ (चेनेलाइंजिंग) एजेंसियों में वसूली 83.87 प्रतिशत थी और गैर सरकारी संगठनों से 88.64 प्रतिशत थी। इससे यह पता चलता है कि एन एम डी एफ सी के पास अपने उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए अधिकाधिक पुनः प्राप्त (रिसाइकिलेबल) निधियां उपलब्ध होती जा रही हैं। तथापि यह उल्लेख किया जा सकता है कि लाभार्थियों से वसूली कम है और इसलिए राज्यों से वसूली कार्यनिष्पादन का कोई सूचक नहीं है। एन एम डी एफ सी की अधिकृत शेयर पूँजी में पर्याप्त रूप से बढ़ातरी किए जाने की आवश्यकता है। राज्य में मध्यस्थ एजेंसियों

की सीमा खत्म किए जाने की आवश्यकता है और राज्य की गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

37.13 सावधि ऋण और लघु वित्त (माइक्रो फाइनेंस) के अंतर्गत निधियों का समुदाय वार संवितरण और लाभार्थियों की संख्या तालिका 7.6 में दर्शाई गई है।

तालिका 7.6: एन एम एफ डीसी द्वारा निधियों का समुदायवार संवितरण

समुदाय	लाभार्थी %	प्रदत्त निधियां (रुपए करोड़ में)
मुसलमान	77	457
ईसाई	15	89
सिख	7.5	45
बौद्ध	0.5	3
पारसी	0	0
कुल	100	594

स्रोत: कृषि वित्त निगम लिमिटेड, मुम्बई, 2006 द्वारा देश में अल्पसंख्यकों के उत्थान में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका का द्रुत मूल्यांकन

37.14 जैसाकि तालिका 7.6 से देखा जा सकता है ज्यादातर ऋण-धनराशि मुस्लिमों को संवितरित की गई थी तत्पश्चात इसाईयों और सिखों को वितरित की गई। लाभार्थियों में बौद्धों की प्रतिशतता बहुत कम है और पारसियों ने तो ऋण लिया ही नहीं है। दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार सावधि ऋण के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार संवितरण और लाभार्थियों की संख्या तालिका 7.7 में दी गई है।

37.15 जैसाकि तालिका 7.7 से देखा जा सकता है सावधि ऋण की धनराशि का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश (19.31 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल (15.90 प्रतिशत) और केरल (14.29 प्रतिशत) ने उठाया। इन तीनों राज्यों ने कुल ऋण संवितरण का लगभग 50 प्रतिशत लिया है। जिन अन्य राज्यों को पर्याप्त संवितरण मिला है उनमें गुजरात (8.17 प्रतिशत), कर्नाटक (7.33 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (4.41 प्रतिशत), महाराष्ट्र (4.26 प्रतिशत) और मिजोरम (4.13 प्रतिशत) हैं। इन 8 राज्यों ने सावधि ऋण संवितरण के लगभग 75 प्रतिशत का लाभ उठाया है। उत्तराखण्ड राज्य को सबसे कम धनराशि 25 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हुआ (0.04 प्रतिशत)।

37.16 सामाजिक समानता की दृष्टि से सावधि ऋण के लाभार्थियों की संख्या और ऋण धनराशि राज्य की अल्पसंख्यक जनसंख्या के

तालिका 7.7 दिनांक 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार राज्यवार संचयी ऋण-संवितरण और लाभार्थी संख्या (केवल सावधि ऋण)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अल्पसंख्यक जनसंख्या	देश में अल्प० जनसंख्या का प्रतिशत	संवितरित धनराशि	शामिल किए (प्रतिशत में	संख्या गए लाभार्थी	(प्रतिशत में)
1.	आंध्र प्रदेश	82.32	4.34	2981.32	4.41	17413	9.71
2.	অসম	93.01	4.91	436.58	0.65	1010	0.56
3.	बिहार	138.15	7.29	2520.11	3.73	6450	3.60
4.	चंडीगढ़	1.89	0.1	68.12	0.10	159	0.09
5.	छत्तीसगढ़	9.45	0.5	65.26	0.10	271	0.15
6.	दिल्ली	23.33	1.23	275.00	0.41	593	0.33
7.	ગુજરાત	49.52	2.61	5525.41	8.17	13437	7.50
8.	हरियाणा	24.27	1.28	1573.97	2.33	4048	2.26
9.	हिमाचल प्रदेश	2.75	0.15	451.56	0.67	867	0.48
10.	जम्मू एवं कश्मीर	71.34	3.76	1614.76	2.39	2955	1.65
11.	कर्नाटक	78.81	4.16	4954.64	7.33	14302	7.98
12.	केरल	139.26	7.35	9663.67	14.29	23943	13.36
13.	मध्य प्रदेश	43.72	2.31	1319.51	1.95	5054	2.82
14.	महाराष्ट्र	174.39	9.20	2882.95	4.26	4146	2.31
15.	मणिपुर	9.32	0.49	189.26	0.28	430	0.24
16.	मिजोरम	8.54	0.45	2789.21	4.13	9945	5.55
17.	नागालैंड	18.28	0.96	1843.29	2.73	3179	1.77
18.	उड़ीसा	16.87	0.89	773.05	1.14	2665	1.49
19.	पुडुचेरी	1.27	0.07	60.25	0.09	123	0.07
20.	ਪੰਜਾਬ	153.08	8.08	2078.88	3.07	4371	2.44
21.	राजस्थान	56.89	3.00	484.12	0.72	1077	0.60
22.	तमினாங்கு	72.71	3.84	914.00	1.35	1898	1.06
23.	त्रिपुरा	4.57	0.24	216.21	0.32	470	0.26
24.	उत्तर प्रदेश	319.34	16.85	13056.29	19.31	31293	17.46
25.	उत्तराखण्ड	12.64	0.67	25.00	0.04	75	0.04
26.	पश्चिम बंगाल	210.65	11.12	10751.99	15.90	28904	16.12
27.	अन्य	78.71	4.15	100.00	0.15	196	0.11
	कुल	1895.08	100	67614.41	100	179274	100

स्रोत: कृषि वित्त निगम लिमिटेड, मुम्बई, 2006 द्वारा देश में अल्पसंख्यकों के उथान में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका का द्रुत मूल्यांकन

अनुपात में होनी चाहिए। तथापि इस गणना में विसंगति है। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र और बिहार में देश के 9.20 प्रतिशत और 7.29 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं परंतु संवितरित ऋण में उनका हिस्सा (शेयर) केवल 2.31 प्रतिशत और 3.60 प्रतिशत ही है।

37.17 तालिका 7.7 में दिया गया डाटा उस कृषि वित्त निगम की

रिपोर्ट पर आधारित है जो आयोग ने अल्पसंख्यकों के उथान में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका संबंधी अध्ययन करने के लिए मंगाई गई थी। तथापि, एन एम डी एफ सी से प्राप्त हुए नवीनतम डाटा के अनुसार वर्ष 2006–07 की समाप्ति तक राज्यों को किया गया संवितरण 870.52 करोड़ रुपए तक हो गया है और इसके 2,24,447 लाभार्थी हैं।

एन एम डी एफ सी के कार्यकलाप (आउटरीच)

37.18 एन एम डी एफ सी अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत आर्थिक विकास सहायता पाने हेतु पात्र जनसंख्या में से दिनांक 31 मार्च, 2005 तक केवल 1.60 प्रतिशत ही कवर कर पाया है जैसाकि तालिका 7.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.8: एन एम डी एफ सी के कार्यकलाप

क्र०सं०	कुल अल्पसंख्यक (अनुमानित)	1960.06 लाख
1.	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या का अनुपात	28.67%
2.	निर्धारित गरीबी रेखा से कम आय वाली जनसंख्या का अनुपात	43%
3.	निर्धारित गरीबी रेखा से कम आय वाली जनसंख्या से भी बदतर स्थितियों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात	842.83 लाख
4.	एन एम डी एफ सी द्वारा कवर की गई जनसंख्या	2.54 लाख \times 5.3 = 13.46 लाख
	पहुंच	1.60%

मोत : कृषि वित्त निगम लिमिटेड, मुम्बई, 2006 द्वारा देश में अल्पसंख्यकों के उत्थान में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका का द्रुत मूल्यांकन

अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला बैंक ऋण

38.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक मिलकर देश में ग्रामीण ऋण प्रदायगी करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को दिशा-निर्देश दिए हैं कि वे अपने ऋण पोर्टफालियो का 40 प्रतिशत कृषि और संबद्ध कार्यकलापों; लघु, छोटे, कुटीर और ग्राम उद्योगों ग्रामीण कारीगरों, छोटे व्यापारियों इत्यादि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। इसमें 18 प्रतिशत उधार केवल कृषि और 10 प्रतिशत केवल समाज के कमजोर वर्गों के लिए है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कृषि और सूक्ष्म-उद्यम क्षेत्र में गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई थी। आज गरीबी द्वारा अभिलक्षित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की 1.50 लाख से ज्यादा खुदरा ऋण केंद्रों (आउटलेट) द्वारा सेवा की जाती है जिसमें 92000 से ज्यादा सहकारी समितियां, 12000 से ज्यादा सहकारी बैंकों की शाखाएं और 14000 से ज्यादा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं एवं वाणिज्यिक बैंकों की 34000 शाखाएं शामिल हैं।

38.2 इसके अलावा, कुछ ऐसी वित्तीय संस्थाएं (विकास बैंक) हैं जो उद्योग और कृषि के लिए दीर्घावधिक पूँजी प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य वित्तीय संस्थाएं नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) और सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) हैं जो कृषि, लघु उद्योग और पूरे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं।

38.3 हालांकि किसी भी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक अथवा वित्तीय संस्था की अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है तथापि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के उन विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों (जैसे एस जी एस वाई, एस जी आर वाई, पी एम जी एस वाई, आई ए वाई, एस जे एस आर वाई, डी आर आई इत्यादि) में भाग लेते हैं जिनमें निर्धारित आर्थिक मानदंड के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा कम ऋण लेने के बारे में चिन्तित है। अतः सरकार ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिया है कि विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के जरिए अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाए। अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त ऋण-उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं। इन अनुदेशों में यह दिशानिदेश भी शामिल है कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के जरिए बैंक ऋण के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना चाहिए; इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक बैंक से एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन होना चाहिए; तथा मुख्य बैंकों में एक अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि वह अल्पसंख्यकों को मिलने वाले ऋण प्रवाह पर नजर रख सके और अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदायों में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार कर सके। अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण संबंधी अर्द्ध-वार्षिक आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाएं और अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए ऋण की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाए।

38.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा या अल्प-संख्यक बहुलता वाले जिलों में अल्पसंख्यकों को किए गए ऋण-संवितरण की स्थिति दर्शाती है कि खातों की संख्या में वृद्धि हुई है वर्ष 2001 में 1460349 खाते थे जो बदलते वर्ष 2005 में 1479586 हो गए। पांच वर्ष की अवधि में खातों में कुल 19237 की वृद्धि हुई है जो केवल 13.1 प्रतिशत वृद्धि ही दर्शाती है। दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान बकाया ऋण धनराशि में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह राशि 265452.49 लाख रुपए से बढ़कर 520141.24 लाख रुपए हो

तालिका 7.9 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में अल्पसंख्यकों को दिया गया ऋण

वर्ष	खातों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)	पूर्ववर्ती वर्ष में खातों की संख्या में हुई वृद्धि का प्रतिशत	पूर्ववर्ती वर्ष में धनराशि में हुई वृद्धि का प्रतिशत
2001	1460349	265452.49	10.21	18.34
2002	1330735	306843.06	-8.88	15.59
2003	1307746	361219.27	-1.73	17.72
2004	1415094	397996.03	8.21	10.18
2005	1479586	520141.24	4.56	30.69

स्रोतः कृषि वित्त निगम लिमिटेड, मुम्बई, 2006 द्वारा देश में अल्पसंख्यकों के उत्थान में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका का द्रुत मूल्यांकन

गई, अर्थात् 95.95 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऋण निर्गमन की वृद्धि दर संतोषजनक है हालांकि ऐसा लगता है कि तुलनात्मक रूप से कुछ खातेदार ही ऋण के एक बड़े हिस्से को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकृति को सही करने की आवश्यकता है ताकि सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में से अत्यधिक गरीब व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके। व्यौरा तालिका 7.9 में दिया गया है।

38.5 11 राज्यों में 41 अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में राज्यवार ऋण उपलब्धि की समीक्षा यह दर्शाती है कि हालांकि

मध्य प्रदेश में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वर्ष 2004-05 में खातों की वृद्धि दर 21.98 प्रतिशत है तथापि कर्नाटक की वृद्धि दर 18.32 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में यह 10.06 प्रतिशत, गुजरात में 8.38 प्रतिशत तथा केरल में 6.55 प्रतिशत है परंतु अन्य राज्यों में यह नकारात्मक रही है। वित्तीय वर्ष 2004-05 के संबंध में बकाया ऋणों के संबंध में 10 राज्यों में पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान बढ़िया वृद्धि दर रही है जो 18-20 प्रतिशत (आन्ध्र प्रदेश में) से लेकर 98.97 प्रतिशत (मध्य प्रदेश) है। केवल राजस्थान में वृद्धि दर खराब रही है और यहां नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। व्यौरा तालिका 7.10 में दिया गया है।

तालिका 7.10 : अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में राज्यवार ऋण निर्गमन

(खातों की संख्या और धनराशि लाख रुपए में)

राज्य का नाम	अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में अल्पसंख्यक आबादी का औसत (प्रतिशत)	खातों की संख्या			बकाया धनराशि		
		31.3.2004	31.3.2005	वृद्धि प्रतिशत	31.3.2004	31.3.2005	वृद्धि प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	35.05	249242	274318	10.06	77494.22	95904.76	23.76
पश्चिम बंगाल	35.14	353880	353881	0.00	49392.08	74968.56	51.78
केरल	39.47	402690	429066	6.55	123206.60	161491.40	31.07
बिहार	42.14	87852	78727	-10.39	12537.18	16250.39	29.62
कर्नाटक	17.86	56517	66871	18.32	12599.37	18473.65	46.62
महाराष्ट्र	22.83	40296	35848	-11.04	76892.20	93794.79	21.97
आंध्र प्रदेश	28.7	124120	81127	-34.64	32626.41	38568.72	18.21
हरियाणा	37.22	8299	8451	1.83	3399.61	4134.58	21.62
मध्य प्रदेश	22.86	81398	99288	21.98	6430.90	12775.77	98.97
राजस्थान	23.64	6933	6561	-5.37	1894.63	1846.49	-2.54
गुजरात	20.80	3867	4191	8.38	1515.86	1912.13	26.14
कुल		1415094	1438329	1.64	397996	520141.20	30.69

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

38.6 अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में ऋण उपलब्धि के ब्यौरे के विश्लेषण से यहां निर्दिष्ट होता है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र के आग्रिमों के अंतर्गत (दिनांक 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार) बकाया 44417.22 करोड़ रुपए की कुल धनराशि वाले कुल 5782595 खातों में से 5201.41 करोड़ रुपए (11.71 प्रतिशत) की धनराशि वाले 1479586 खातों का संबंध अल्पसंख्यकों से था। समुदाय-वार शेयर तालिका 7.11 में दिए गए अनुसार है।

तालिका 7.11 : अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में समुदाय-वार निर्गमन

(प्रतिशत में)

समुदाय	खातों की संख्या	बकाया धनराशि
मुस्लिम	20.61	7.96
ईसाई	3.84	2.35
सिख	0.92	0.86
बौद्ध	0.22	0.51
पारसी	0.01	0.03

38.7 इन 41 जिलों में मुस्लिम जनसंख्या इन जिलों की कुल जनसंख्या का लगभग 33.35 प्रतिशत है, अतः बैंक खातों और बैंक ऋण में उनका शेयर आनुपत्तिक रूप से उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए जितना अब है। सिख और बौद्धों के मामले में भी यह शेयर उनकी जनसंख्या क्रमशः 1.87 प्रतिशत और 0.77 प्रतिशत की तुलना में कम है। मुस्लिम, सिख और बौद्धों द्वारा लिए गए, प्रत्येक ऋण की औसतन कम धनराशि उनके ऋण का उपयोग करने की कम क्षमता का सूचक है जिसका कारण व्यापार और कार्यकलाप के ज्ञान, सर्वांगीण चिरस्थायी दक्षताओं का अभाव तथा ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई हो सकती हैं। बड़े पैमाने पर परामर्श, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। अन्य लाभार्थियों के मामले में ऋण की औसतन धनराशि ज्यादा है।

38.8 वर्ष 2001–2005 के दौरान अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में समुदाय-वार खातों की संख्या और बकाया धनराशि का ब्यौरा तालिका 7.12 में दिया गया है। जैसाकि तालिका में दर्शाया गया है खातों की सबसे ज्यादा संख्या और सबसे ज्यादा बकाया धनराशि मुस्लिम की है उनके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों का स्थान है।

तालिका 7.12 : वर्ष 2001–05 के दौरान अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध में संचयी रूप से खातों की संख्या और बकाया धनराशि की प्रतिशतता

क्रम सं.	राज्य	अल्पसंख्यक समुदाय									
		मुस्लिम		ईसाई		सिख		बौद्ध		पारसी	
		खातों की संख्या %	धनराशि %								
1.	आंध्र प्रदेश	11.53	4.59	4.63	1.72	0.20	0.41	0.01	0.01	0.49	0.11
2.	बिहार	28.12	21.25	0.21	0.09	0.32	0.33	-	-	0	0
3.	गुजरात	10.58	4.09	0.79	0.44	0.73	0.78	0	0	0.01	0.04
4.	हरियाणा	26.51	7.07	1.34	0.50	4.26	3.98	-	-	0	0
5.	कर्नाटक	11.91	9.63	1.45	0.82	0.43	0.25	0.07	0.08	-	0.01
6.	केरल	33.41	27.32	20.59	17.76	0.03	0.04	0.01	0.01	-	-
7.	मध्य प्रदेश	3.59	1.22	0.44	0.24	0.16	0.40	0.08	0.31	-	-
8.	महाराष्ट्र	9.94	2.15	2.17	1.18	1.20	0.68	4.35	1.12	0.13	0.12
9.	राजस्थान	17.84	8.16	0.08	0.02	1.13	1.04	0	0	0	0
10.	उत्तर प्रदेश	24.78	11.63	0.23	0.28	3.86	3.67	0.01	0.02	-	-
11.	पश्चिम बंगाल	38.97	26.75	0.55	0.49	0.08	0.38	-	-	-	-

टिप्पणी (-) नगण्य

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

38.9 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा एक विकासात्मक बैंक के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योगों और शिल्पकला के लिए ऋण उपलब्ध को सकल बनाना और समेकित ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। समाज के कमज़ोर वर्गों जिसमें छोटे और सीमांत किसान, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग शामिल हैं, के उत्थान के लिए इसके विभिन्न कार्यक्रम हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को नाबार्ड की उन विभिन्न स्कीमों से लाभ पहुंचा है जिनका उद्देश्य गरीब और सीमांत लोगों का आर्थिक विकास करना है। इन स्कीमों में छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देना; जनजातियों को ऋण प्रदान करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्य योजना; व्यापक जनजातीय विकास कार्यक्रम; स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना; कृषितर क्षेत्र को बढ़ावा देना; बस्ती (कलस्टर) का विकास करना; हथकरघा बनुकरों के लिए कौशल उन्नयन और डिजाइन संबंधी विकास; क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं का विकास; कृषितर विकास कार्य में ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करना; ग्रामीण उद्यम विकास कार्यक्रम; तथा लघु वित्त (माइक्रो-फाइनेंस) कार्यक्रम शामिल हैं।

38.10 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग देश के विभिन्न भागों में गठित और सफलतापूर्वक कार्यरत अनेक स्व-सहायता समूहों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नाबार्ड ने स्व-सहायता समूहों की संकल्पना को पुरःस्थापित करने और इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसमें बैंक के साथ संबद्धता, गरीबों को अपने उधार के प्रबंधन के विषय में नियमित रूप से प्रोत्साहित करना तथा स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को मामूली ब्याज युक्त ऋण देने में संगृहीत धनराशि का इस्तेमाल करना शामिल है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों को सतत तरीके से वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है जिससे उनका सशक्तिकरण होता है। वर्ष 1992-93 में प्रायोगिक आधार पर शुरू हुआ यह कार्यक्रम अपने कार्यकलाप के जरिए विश्व का सबसे बड़ा लघु-वित्त (माइक्रो-फाइनेंस) कार्यक्रम बन गया है। दिनांक 31.5.2005 की स्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम ने औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से लघु-वित्त (माइक्रो-फाइनेंस) प्राप्त कराने में अनुमानित 242.5 लाख गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की। नाबार्ड द्वारा दी गई संचयी पुनर्वित संबंधी सहायता उपयुक्त तारीख तक कुल 3085.91

करोड़ रूपए हो गई। स्व-सहायता समूह गरीबों को मुख्यतया गरीब परिवारों की महिलाओं को इस योग्य बनाते हैं कि वे अपने अल्प संसाधनों को सामूहिक रूप से संगृहित करने मुख्यतः उनका उपयोग सतत विकास हासिल करने के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी (90 प्रतिशत) और यथोचित समय पर ऋण चुकौती (95 प्रतिशत) इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है।

38.11 नाबार्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमों (इन्पुट) और तकनीकी सहायता के जरिए विभिन्न सहभागियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रायोजित करता रहता है तथा स्व-सहायता समूहों के वित्तपोषण के लिए बैंकों को शत प्रतिशत पुनर्वितपोषित करने के अलावा यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ लघु-वित्त (माइक्रो-फाइनेंस) कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करने संबंधी सरकारी प्रयासों को सहायता प्रदान करता है। नाबार्ड ने बैंकों, सरकार, गैर सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों इत्यादि के लिए 24357 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर लघु-वित्त (माइक्रो-फाइनेंस) प्रयासों को समन्वित करता है तथा लघु-वित्त संबंधी क्षेत्र के डाय बेस तैयार करता है उसका मानीटरिंग करता है, उसकी समीक्षा करता है और प्रलेखन करता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

38.12 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना वर्ष 1990 में लघु उद्योग के वित्तपोषण और विकास के लिए एक मुख्य संस्था के रूप में हुई थी। सिडबी ने गरीबों के लिए कार्य (जॉब) सृजन और आय-अर्जन के लिए उदीयमान साधन के रूप में स्व-सहायता समूह गठित किए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों सहित लघु उद्योग क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति विशेषतया संगठन नई लघु इकाई खोलने तथा इसके विस्तार करने, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। सिडबी, लघु ऋण प्रतिष्ठान (सिडबी फाउण्डेशन ऑफ माइक्रो क्रेडिट) की स्थापना वर्ष 1999 में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों की मजबूत, व्यावाहारिक और सतत लघु वित्त (माइक्रो फाइनेंस) संस्थाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से, गरीबों को धन मुहैया करवाने के लिए की गई थी ताकि गरीबों, विशेषकर महिलाओं को लघु वित्त (माइक्रो फाइनेंस) सेवाएं प्रदान की जा सके। दिनांक 31.3.2005 तक सिडबी ने अपने लघु वित्त (माइक्रो क्रेडिट) कार्यक्रम के अंतर्गत 22 लाख लाभार्थियों को 527 करोड़ रूपए की धनराशि के ऋण की स्वीकृति

प्रदान की। सिडबी के प्रभाव के अध्ययन से यह निर्दिष्ट होता है कि यह सहायता उन सुपात्र गरीब महिलाओं को मिली है जो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण-प्राप्त करने में अन्यथा असमर्थ होती।

राष्ट्रीय महिला कोष

38.13 राष्ट्रीय महिला कोष (आर एम के): इसकी स्थापना वर्ष 1993 में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई, राष्ट्रीय महिला कोष वित्तीय और सामाजिक विकासपरक सेवाओं के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए ऋण की व्यवस्था करने संबंधी कार्य-कलापों को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय महिला कोष आय अर्जित करने, परिसंपत्ति सृजन-करने संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है एवं उन्हें सम्पोषित करता है तथा आकस्मिकता, सामाजिक और उपयोग संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह मध्यवर्ती स्तर पर लघु वित्त (माइक्रो फाइनेंस) संगठनों के समूह और निचले स्तर पर देनदारों के स्व-सहायता समूहों के उधार एवं बचत समूहों के माध्यम से कार्य करता है। राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा गरीब महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है चाहे वे किसी भी जाति अथवा धर्म की हों। जनवरी 2006 की समाप्ति तक 5,37,652 सदस्यों के साथ 45,447 स्व-सहायता समूह बनाए गए।

सामाजिक न्याय

39. समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय संबंधी उपायों में ऐसे विधिक उपाय शामिल हैं जो सिविल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं तथा सामाजिक भेदभाव की रोकथाम करते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (पी सी आर) 1955 तथा अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम (पी ओ ए) अधिनियम 1989 ऐसे दो महत्वपूर्ण विधान हैं जो सुविधा वंचित समूहों के प्रति सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता और शोषण तथा अत्याचार संबंधी समस्याओं से संबंधित हैं। तत्काल विचारण और मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए पी ओ ए अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों/चल (मोबाइल) न्यायालयों की व्यवस्था की जाती है। नौ राज्यों ने विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है स्कैड/प्रकोष्ठ बनाए हैं ताकि अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। पी सी आर और पी ओ ए अधिनियमों के कार्यान्वयन संबंधी स्कीम के लिए दसवीं योजना में परिव्यय 170 करोड़ रुपए था। इन विधानों से संबंधित प्रशासनिक, प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण,

शिकायतों के तत्काल निवारण तथा पीड़ित व्यक्ति को उचित समय पर तथा उपयुक्त राहत और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट' के अनुसार अनुसूचित जातियों के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है। वर्ष 2002 में 33507 मामले थे जो कम होकर वर्ष 2003 में 19351 हो गए। अस्पृश्य अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां समझे जाने वाले लोगों के अधिकारों और हितों का संरक्षण करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, पी सी आर तथा पी ओ ए अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

39.1 मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। शुष्क शौचालयों को फलश वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मैला ढोने वालों को अन्य कामों में प्रशिक्षित करके उन्हें पुनःस्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक मिशन दृष्टिकोण अपनाकर इस अमानवीय प्रथा को समयबद्ध आधार पर वर्ष 2007 तक पूर्णतया समाप्त करना है।

39.2 निचले स्तर पर विद्यमान लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण: संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के उपबंधों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण एक ऐसी कार्रवाई है जिससे शासन के विकेन्द्रीकरण के लिए दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे। इन कठिनाइयों के जरिए इन संस्थाओं में निचले स्तर पर योजना बनाने और शासन में महिलाओं सहित सुविधावंचित समूहों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इससे स्थानीय निकायों की शक्तियों में भी बढ़ातरी होती है। इन स्थानीय निकायों में अधिकाधिक भागीदारी से कमजोर वर्गों के हित और संबंधित मुददों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। विकासपरक लक्ष्य अपेक्षाकृत सीमांत समूहों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप परिवर्तित हो रहे हैं और इस प्रकार उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारशिला के रूप में उभरने के लिए सशक्त है। निधियों के अंतरण के साथ-साथ कार्यों और पदाधिकारियों की शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। पंचायतों में तथा नेतृत्व की बागड़ेर में महिलाओं तथा वंचित वर्ग के लिए आरक्षण आज एक वास्तविकता है। इन उपायों के प्रभाव पर दृष्टिपात किया जा सकता है, आज 21 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि पंचायत के इन तीनों स्तरों से ही निर्वाचित होते हैं, जिसमें से 40 प्रतिशत महिलाएं, 16 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के व्यक्ति तथा 11 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति हैं। इस कार्रवाई से न केवल समाज के कमजोर वर्गों, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदाय

के लोग भी शामिल हैं, का सशक्तिकरण हुआ है अपितु इससे निवार्चित पंचायत निकायों को स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति भी मिली है।

39.3 अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु 20-सूत्री कार्यक्रम तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और विकास हेतु 15-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉनीटरन के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसमें निम्न द्वारा जागरूकता पैदा करने संबंधी त्रिफलकीय कार्यनीति का कार्यान्वयन शामिल है:

- (i) कमजोर वर्गों के प्रति सामान्य धारणा और व्यवहार में परिवर्तन लाना,
- (ii) लक्षित समूहों को अधिकार-बोध कराना ताकि उन्हें अपने अधिकारों, विशेषाधिकारों और उनके लिए उपलब्ध सरकारी सहायता के बारे में जानकारी दी जा सके तथा भागीदारी दृष्टिकोण पर जोर देना, एवं
- (iii) सरकारी और गैर सरकारी, दोनों अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय में सुग्राही बनाना ताकि वे अल्पसंख्यक समूहों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सही परिप्रेक्ष्य में कार्य कर सकें।

39.4 इसके साथ-साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और सफाई कर्मचारियों के मौजूदा आयोगों द्वारा इन समूहों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- (i) **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:** संविधान के 89वें (संशोधन) अधिनियम, 2003 के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को विभक्त कर दिया गया है और फरवरी 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का पुनर्गठन किया गया। यह आयोग अनुसूचित जातियों को प्रदत्त रक्षोपायों के मॉनीटरन के लिए एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र संविधानिक निकाय है। अनुसूचित जातियों की संरक्षा, सुरक्षा और उनके हितों की अभिवृद्धि करने हेतु इसके पास व्यापक शक्तियां हैं तथा इसे वाद के विचारण तथा भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को 3 सम्मन करने तथा उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करने तथा उसके शपथपत्र की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- (ii) **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के अलग-अलग हो जाने के परिणामस्वरूप फरवरी, 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। यह भी अनुसूचित जनजातियों

को प्रदत्त रक्षोपाय के मॉनीटरन के लिए एक उच्च स्तरीय संविधानिक निकाय है और अनुसूचित जनजातियों की संरक्षा, सुरक्षा और उनके हितों की अभिवृद्धि करने हेतु इसके पास व्यापक शक्तियां हैं। आयोग की रिपोर्ट और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखनी आवश्यक है।

- (iii) **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग:** राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन सफाई कर्मचारियों के हितों और अधिकारों को प्रोत्साहन देने तथा उनकी सुरक्षा करने हेतु राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के उपबंधों के अंतर्गत हुआ था। इस आयोग को सफाई कर्मचारियों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित विशेष शिकायतों एवं मुद्दों पर जांच करने की शक्ति प्राप्त है। आयोग की रिपोर्ट और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखनी आवश्यक है।
- (iv) **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन सी बी सी):** एन सी बी सी का गठन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में जाति/समुदाय का नाम शामिल करने/हटाने संबंधी अनुरोधों पर विचार करने तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जरूरत से ज्यादा जातियों को शामिल करने तथा कम जातियों को शामिल करने, उनकी जांच करने एवं भारत सरकार को सलाह देने के लिए वर्ष 1993 में किया गया था। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यतः सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।
- (v) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एन सी एम):** की स्थापना 1978 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से हुई थी। जैसाकि गृह मंत्रालय के दिनांक 12.1.1978 के संकल्प में उल्लेख किया गया है: “संविधान और लागू विधि में प्रदत्त रक्षोपाय के बावजूद अल्पसंख्यकों में असमानता और भेदभाव की भावना विद्यमान है। धर्मनिरपेक्ष परंपरा को बनाए रखने तथा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए रक्षोपायों को प्रवर्तन में लाने के लिए सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है और सरकार का यह दृढ़ मत है कि संविधान में, केन्द्रीय और राज्य विधियों में तथा सरकारी नीतियों और समय-समय पर घोषित प्रशासनिक स्कीमों में अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सभी रक्षोपायों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्थाओं की तत्काल आवश्यकता

है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के विकास संबंधी प्रगति का मूल्यांकन करने, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए सिफारिशें करने, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बंचन संबंधी विशेष शिकायतों की जांच करने और ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के सामने उठाने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यक समुदायों की शिकायतों का निपटान करने के लिए अपनी अलग प्रक्रिया तैयार की है। आयोग की रिपोर्ट “की गई कार्रवाई रिपोर्ट” सहित संसद में प्रस्तुत की जाती है।

39.5 सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयासः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने समुदायों के भीतर शांति को प्रभावित करने वाले मुद्दों को रक्षा और पुलिस सेवा कार्मिकों के सामने समय-समय पर उठाया है ताकि उनके प्रति उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके। यह दंगों को रोकने और उनसे निपटने तथा दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने और उनका सम्मान करने की योग्यता से भी संबंधित है। ऐसे संवेदनशील कार्यक्रम राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, वायु युद्धपद्धति (वारफेर) कॉलेज में तथा राज्य स्तरों पर आयोजित किए गए हैं। मुहल्लों में संयुक्त शांति समितियां तथा सामुदायिक नेताओं के साथ बैठकों का आयोजन अति महत्वपूर्ण है तथा जब सांप्रदायिक तनाव/दंगों के कारण माहौल अन्यथा बिगड़ता है तो ऐसी स्थिति सुधारने में इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। अल्पसंख्यक समुदायों में, विशेष रूप से तनावग्रस्त या हिंसा वाले क्षेत्रों में, आत्मविश्वास तथा सुरक्षा की भावना स्थापित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने आवश्यक हैं।

39.6 संक्षेप में, जबकि सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण और विकास के लिए काफी बड़े पैमाने पर उपाय कर रही है, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के माध्यम से उनके सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परंतु, दसवीं योजना में यह दर्शाया गया है कि विकासात्मक कार्यक्रमों और स्कीमों के परिणामस्वरूप गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अनुपात घट रहा है। सभी धर्मों के लिए गरीबी स्तरों पर संगत सूचना उपलब्ध नहीं है अतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) की 61वीं सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित वर्तमान गरीब व्यक्तियों की गणना के प्राक्कलन मुस्लिम समुदाय की कोई अति उत्साहवर्धक तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते।

39.7 नवीनतम प्राक्कलनों में अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी की गणना 2004-05 के 365 दिन की अवधि के आधार पर 22.7

प्रतिशत दर्यायी गई है। पूर्णांक के रूप में, यह संख्या पूरे भारत में 25 करोड़ 10 लाख से अधिक बैठती है। अनु० जाति/अनु० जन० जाति दोनों मिलाकर सर्वाधिक गरीब हैं तथा इनका प्रतिबंध गणता अनुपात (एच सी आर) 35% है और इसके बाद मुसलमानों का स्थान है जिसमें 31% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। शहरी क्षेत्रों में मुसलमानों में गरीबी का विस्तार 38.4% एच सी आर के साथ अधिकतम है। हिंदू (सामान्य) केवल 8.7% एच सी आर के साथ सबसे कम गरीब वर्ग है और अन्य पिछड़ा वर्ग अखिल भारतीय औसत के निकट 21% के एच सी आर के साथ मध्यवर्ती स्तर पर है।

39.8 मुस्लिम (अशरफ) समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध सामान्य स्कीमों से लाभान्वित हुए हैं, गैर अशरफ, अज़लफ और अर्जल दोनों को अन्य पिछड़ा वर्ग के अधीन एक साथ रखा गया है। अजलफ में बढ़ई, दस्तकार, रंगसाज, चरवाहे, चर्मकार, दूध वाले आदि जैसे व्यावसायिक समूह शामिल हैं तथा अर्जल में, जो कि मुसलमानों में निम्नतम स्तर पर है, हलखोर, लालबेगी, अब्दल और बेदिया शामिल हैं।

अंतर और चुनौतियां

40. गरीबी के आंकड़ों से तथा साक्षरता, शिक्षा और रोजगार आंकड़ों से जैसा कि स्पष्ट है, मुस्लिम अल्पसंख्यक कमो-बेश अनु० जाति/अनु० जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों आदि के समतुल्य हैं। आठवें के दशक के उत्तरार्थ में ही मुस्लिम अल्पसंख्यक की शिक्षा में पिछड़ेपन पर विशेष ध्यान दिया जाना प्रारंभ हुआ और परिणामस्वरूप राज्य की ओर से कुछ कार्रवाई प्रारंभ की गई। जनगणना 2001 में पहली धर्म आधारित रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद जनसंख्या के अनेक पहलुओं पर धर्म (शिक्षा, शैक्षिक उपलब्धि, लिंगानुपात कार्य सहभागिता) पर आधारित आंकड़े आम व्यक्ति को उपलब्ध हुए जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक चर्चा और राज्य द्वारा कार्रवाई प्रारंभ हुई। दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों में एस एस ए के अधीन मुसलमानों के बच्चों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है तथा मुस्लिम बहुल वाले क्षेत्रों में मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं को सुधारने के लिए अन्य उपाय किए गए।

विकास का क्षेत्रीय आयामः एक मुख्य चुनौती

40.1 क्षेत्र वार आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि मुसलमान, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक के रूप में माना जाता है, अखण्डित नहीं हैं। उनमें अशरफ और

गैर-अशरफ (अज़लफ और अर्जल) के रूप में आंतरिक विभाजन है और उनकी पूरे क्षेत्र में व्यापक शैक्षिक उपलब्धियाँ हैं। कुछ दक्षिणी राज्यों में उनका साक्षरता स्तर राज्य औसत से अधिक है यद्यपि यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम जैसे अधिकांश उत्तरी राज्यों में यह बहुत ही निम्न है। ये वही राज्य हैं जो सभी विकास संकेतकों पर बहुत ही निम्न स्तर पर हैं और भारत की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग यहाँ निवास करता है और यहीं ग्रामीण-शहरी के बीच सर्वाधिक अंतर है। अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों के पिछड़ेपन का स्तर उस क्षेत्र के, जिसमें वे रह रहे हैं, सामाजिक फोर आर्थिक विकासात्मक स्तर के तात्कालिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि विध्य के उत्तर के अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले अपने संबंधित राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं तथा इनमें सड़क, सम्पर्क-साधनों, बिजली, पानी, सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा की आधारिक संरचना की कमी है तथा रोजगार की संभाव्यता भी कम है और इस प्रकार क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति भी निम्न है। इन जिलों के लिए मात्र अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं अपितु सामान्य रूप से सभी ऐसे ई बी के लिए, बजटीय निवेश और बेहतर शासन के रूप में रूपांतरित अत्यधिक ध्यान और वचनबद्धता आवश्यक है।

40.2 यद्यपि समाज के कमजोर वर्ग, इसमें अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्ग भी शामिल हैं, अपने कल्याण के लिए स्वतंत्रता के बाद से अपनाए गए विकासात्मक उपायों के आधिक्य से लाभान्वित तो हुए हैं, परंतु इसकी पहुँच अपर्याप्त है। अपने संपूर्ण प्रयत्नों में अंतरालों को अभिनिर्धारित करना महत्वपूर्ण हैं ताकि समाज के कमजोर वर्गों का चौतरफा विकास हो सके। अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति की समालोचनात्मक समीक्षा यह दर्शाती है कि अन्य कमजोर वर्गों के मामलों की तरह, अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों में भी शैक्षिक और आर्थिक प्रगति में, मूलभूत आधारिक संरचना तक की पहुँच में और निर्णय लेने में सहभागिता के लिए अधिक लंबा सफर तय करना है।

अल्पसंख्यकों के त्वरित विकास और कल्याण के लिए प्रस्तावित उपाय

41. आयोग के प्रश्नावली के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से यह अनुरोध किया था कि वे इनके विकासात्मक स्तर तथा इन वर्गों के लिए किए गए कल्याणकारी, उपायों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त

सूचना, उनके साथ की गई चर्चाओं में तथा अन्य स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों और विचारों के आधार पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपेक्षित विशेष प्रयास और बल दिया जाना चाहिए, जिसके संबंध में नीचे के पैराओं में संक्षेप में बताया गया है:—

41.1 अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों के लिए विकासात्मक और कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन को त्वरित करने की आवश्यकता है। यह अल्पसंख्यकों में अधिक गरीब की पहुँच को आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षिक प्रगति के लिए अवसरों, सुविधाओं और सेवाओं तक बढ़ाकर तथा सामाजिक न्याय और समदृष्टि सुनिश्चित करने के लिए उपायों को अपना कर ही किया जा सकता है।

41.2 अल्पसंख्यक समुदायों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों को लक्षित करने के लिए, आवश्यकता आधारित क्षेत्र विशेष के कार्यक्रमों और स्कीमों को तैयार करने की दृष्टि से, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की वर्तमान दशा का निर्धारण करने के लिए सूचनाओं और आंकड़ों का संग्रह किया जाना आवश्यक है।

41.3 अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के सापेक्ष पिछड़ेपन को, विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण, उत्पादक क्रेडिट और राजनीतिक सहभागिता के क्षेत्रों में, समाप्त करने के लिए सार्वजनिक प्रयास और सावधानीपूर्वक सुविचारित कार्रवाइयां की जानी आवश्यक हैं।

41.4 पांचों राष्ट्रीय वित्त और विकास निगमों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सफाई कर्मचारी) के कामकाज की समीक्षा करना और उसमें सुधार करना आवश्यक है ताकि वे सुविधावांचित अल्पसंख्यकों में से सबसे कमजोर वर्ग को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए सहायता करने में एक प्रभावकारी उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर सकें। विशेष समूहों के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें अधिक प्रभावकारी वित्तीय साधन बनाने हेतु व्यावसायिक और प्रबंधकीय सुधार आवश्यक हैं। उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से समुचित निधियां प्रदान की जानी आवश्यक हैं। अल्पसंख्यकों की अधिकतम संख्या के लिए निधियों और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक प्रशिक्षण और मंदी एवं वायदा बाजार अनुबंध तथा, उपयुक्त आवश्यकता आधारित व्यावहारिक क्रिया-कलापों का चयन किया जाना आवश्यक है।

41.5 अपर्याप्त निधियों और कड़े नियमों और विनियमों की वजह से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की भूमिका कम हो गई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अल्पसंख्यक बाहुल जिलों में पात्र अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों में से केवल 1.6% व्यक्तियों ने ही वास्तव में वित्तीय सहायता प्राप्त की। अतः, मात्रा और कुल कवरेज, दोनों को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना आवश्यक है। शामिल क्षेत्रों तथा मात्रा में वृद्धि करने के लिए सभी क्रिया-कलाप और व्यवसाय आधारित निगम चैनेलाईजिंग एजेंसियां होने चाहिए और इसमें राज्य गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए, परियोजनाएं गाँव और ब्लाक स्तर पर तैयार की जानी चाहिए। ब्लाक और जिला स्तर की मानीटरन समितियों को प्राप्त आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए और उनकी जाँच, अनुमोदन और मंजूरी प्रदान करनी चाहिए। उन्हें नियमित रूप से यह भी देखना चाहिए कि क्या मंजूर की गई राशि क्रिया-कलाप या व्यापार स्थापित करने के लिए पर्याप्त है, ऋण राशि के अनुमोदन, मंजूरी और संवितरण में कोई अनापेक्षित विलंब नहीं है, उन्हें वसूली की स्थिति की भी समीक्षा करनी चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय प्रवाह की समीक्षा करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन (2001) में यह सिफारिश की गई है कि अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले जिलों के अग्रणी बैंकों को अत्यधिक अग्रलक्षी भूमिका अदा करनी होगी ताकि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से जो गरीब और निरक्षर हैं, की पहुँच उत्पादन क्रिया-कलापों के लिए बैंक क्रेडिट तक सुनिश्चित की जा सके।

41.6 जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया है, अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कल्याण कार्य सामाजिक कल्याण/सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा देखा जा रहा है। यह सुझाव दिया गया था कि उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या के 15% से अधिक है, एक अलग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग गठित किया जाना चाहिए।

41.7 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड और दिल्ली राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग पहले ही गठित किए जा चुके हैं। अल्पसंख्यकों की शिकायतों और उनके सम्मुख आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया गया था कि उन शेष राज्यों में भी, जहाँ

अल्पसंख्यक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या के 15% से अधिक हैं, राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित किया जाना चाहिए।

41.8 आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने यह सुझाव दिया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उनके प्रतिनिधि सभी राज्य स्तरीय आयोगों, समितियों, बोर्ड और निगमों में मौजूद होने चाहिए तथा सहभागिता की भावना लाने की दृष्टि से, उनकी अध्यक्षता विभिन्न धार्मिक समूहों में बारी-बारी से रखी जानी चाहिए।

41.9 स्वतंत्र अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में ही गठित किए गए हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को रियायती दरों पर वित्तीय सहायता के प्रावधान केरल, झारखंड, तमिलनाडु राज्यों और पुडुचेरी में केवल पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगमों द्वारा ही देखा जा रहा है। अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्रेडिट प्रवाह का विस्तार करने हेतु कोई विशेष संस्थागत व्यवस्था नहीं है। अतः यह सुझाव दिया गया था कि उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहाँ अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 15% से अधिक है, अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम गठित करने पर विचार किया जाए।

41.10 झारखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को छोड़कर, मुस्लिम बहुल सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य वक्फ बोर्ड गठित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोग के दौरां के दौरान यह रिपोर्ट दी गई थी कि विकासात्मक स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए वक्फ बोर्डों के पास निधियों की कमी है वे सामान्य रूप से अपनी संपत्तियों पर अधिक्रमणों की समस्या का सामना कर रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने विवादों के समाधान के लिए वक्फ न्यायाधिकरण गठित किया है। यह सुझाव दिया गया था कि राज्य वक्फ बोर्डों को पर्याप्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जानी चाहिए तथा बेहतर प्रबंधन और संपत्तियों को प्रतिकूल कब्जे से मुक्त करवाने के लिए इनकी अध्यक्षता वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। 15% से अधिक की मुस्लिम जनसंख्या वाले सभी राज्यों में वक्फ विकास निगम का कर्नाटक मॉडल अपनाया जाना चाहिए। वक्फ संपत्तियों से प्राप्त राजस्व का पर्याप्त हिस्सा मुस्लिम बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए।

41.11 यह उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को उपयुक्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों से पंजीकरण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के

दौरों के दौरान इस बात पर बल दिया गया था कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता समुचित समयावधि में मंजूर कर दी जानी चाहिए और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ, समविश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य अग्रणी संस्थाओं को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं से संबद्ध करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

41.12 चर्चाओं के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार को मुसलमानों की शिक्षा के लिए विशेष पैकेज प्रदान करना चाहिए; अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं को मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए; बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और पॉलिटेक्निक स्थापित किए जाने चाहिए। आंगनवाड़ियों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए तथा मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्रों के सभी विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन की स्कीम होनी चाहिए। जिला मुख्यालयों पर समुचित संख्या में छात्रावासों और अनुशिक्षण (कोचिंग) केन्द्रों की स्थापना भी की जानी चाहिए।

41.13 धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न ग्रेडों और पैटर्नों के मदरसे लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं। डॉ जेड ए देशाई, पूर्व-निदेशक, पूरालेख विद्या, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ने अपनी “सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग इन इंडिया” नामक पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि मदरसे केन्द्रीय बिन्दुओं पर अवस्थित थे। जबकि पाठ्यचर्चा कुरान, पर केन्द्रित थीं, लेखन अभ्यास, धर्मनिरपेक्ष कविता और व्याकरण जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोग के दौरों के दौरान हमें यह पता चला कि मदरसा शिक्षा का पैटर्न प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है। यद्यपि बिहार, केरल, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में मदरसा शिक्षा बोर्ड गठित किए गए हैं, बोर्ड प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण रखता है, फिर भी शिक्षा की गुणवत्ता या उसका पैटर्न भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों के अनुरूप ही है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य, जहां मदरसों में जाने वाले बच्चे नियमित रूप से विद्यालयों में भी जाते हैं, सामान्यतः इसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं। उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, केरल, उड़ीसा मध्य प्रदेश में सहभागियों ने मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को महत्व दिया है। यह पाया गया था कि बिहार, पश्चिम बंगाल में अधिकांश मदरसों तथा उत्तर

प्रदेश में कुछ मदरसों से विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र दिए जाते हैं जो उन्हें आधुनिक शैक्षिक संस्थाओं में आगे के अध्ययनों के लिए पात्र बनाते हैं। बिहार में 23 मदरसे स्नातक स्तर तक के तथा 13 मदरसे स्नातकोत्तर स्तर तक के हैं। परंतु, सरकारी तथा राज्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं के समतुल्य नियमित गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने वाले मदरसों की संख्या बहुत सीमित है। सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में रोजगार के लिए पात्रता शिक्षा की गुणवत्ता और विषयवस्तु पर आधारित है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि नियमित विद्यालयों को संचालित करने वाले और उनका प्रबंध करने वाले मदरसों को छोड़कर शेष मदरसों को केरल मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि बच्चे नियमित विद्यालयों में उपस्थित हो सकें। मदरसों/मकतबों के आधुनिकीकरण को प्रवर्तित तो करना चाहिए परंतु पिछड़े समुदायों और वर्गों में सबसे कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य विद्यालयों की क्षमता को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राज्य को केवल उन्हीं मरदसों/मकतबों को सहायता देने की आवश्यकता है जो मुख्यधारा में शामिल होने के लिए राज्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्चा को अपना रहे हैं।

41.14 मुस्लिम वक्फ संपत्तियां कुछ सीमा तक पहले ही अपने शैक्षिक विकास के लिए प्रयुक्त की जा रही है। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वक्फ संपत्तियों के उपयोग को सुव्यवस्थित करने और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्हें प्राथमिकता आधार पर छात्रावास, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए, स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

41.15 विभिन्न स्तरों पर मुसलमानों और निम्न शैक्षिक स्तर वाले अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित, पिछड़े वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए, विशेष उपाय किए जाने आवश्यक हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) अल्पसंख्यक बहुल बड़े कस्बों और नगरों में हाई स्कूल स्तर तक के आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं।
- (ii) अल्पसंख्यक बहुल कस्बों और नगरों में नर्सरी/प्री-नर्सरी स्कूल भी खोले जाएं। बिना कोई समय गवाएं एकीकृत बाल विकास योजना (आई सी डी एस) को व्यापक बनाया जाना चाहिए तथा सभी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी स्थापित की जानी चाहिए।
- (iii) प्रत्येक ब्लाक/जिले में बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास निर्मित किए जाने चाहिए, जिनमें

न्यूनतम 50% स्थान पिछड़े/कमजोर वर्गों के लिए इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के बच्चे भी शामिल हैं, आरक्षित किए जाने चाहिए।

- (iv) प्रत्येक जिले में कम से कम दो-तीन नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, जिनमें 50% स्थान अनु० जाति/अनु० जनजाति/धार्मिक अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित होने चाहिए।

41.16 अध्ययनों से यह पता चला है कि मिडिल और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का पैटर्न क्षेत्रीय व्यापार, उद्योग और विभिन्न व्यवसायों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता। व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या को स्थानीय व्यापार और सेवाओं तथा उनकी आवश्यकताओं और जरूरतों से जोड़ा जाना चाहिए।

41.17 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों जैसे आईटी आई और पॉलीटेक्निकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि पाठ्यचर्या, क्षेत्रीय व्यापार और वाणिज्य की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अतः यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न व्यापारों के लिए शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता का नियमित अध्ययन किया जाए और क्षेत्र के भीतर नियोजन आवश्यकताओं और क्षमताओं का पता लगाया जाए। क्षेत्रीय स्तर पर शक्तियां प्रत्यायोजित की जानी चाहिए ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों तथा आईटी आई/पॉलीटेक्निकों और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए पाठ्यचर्या की समीक्षा की जा सके और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या संशोधित की जा सके और प्रशिक्षण आयोजित किया जा सके। प्रत्येक क्षेत्र/डिवीजन में, विशेषज्ञों सहित, सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व वाली एक समिति होनी चाहिए जो नियमित बैठक करेगी, अध्ययनों और मूल्यांकनों को प्रायोजित करेगी और क्षेत्र के युवकों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और शिक्षा का प्रस्ताव करेगी।

41.18 स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न ट्रेडों, जैसे कृषि, बागवानी, एस एस आई/हथकरघा और दस्तकारी आदि और अन्य ट्रेडों में जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों सहित पिछड़ा वर्ग शामिल है, कार्यरत कार्मिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम तथा इसकी पाठ्यचर्या शैक्षिक प्रशिक्षण के साथ जुड़ी और सम्मिलित होनी चाहिए।

41.19 जैसा कि 10 वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में बताया गया है, नई व्यावसायिक शिक्षा योजना में अपार संभावनाएं हैं तथा अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों और अन्य वंचित समूहों के लाभ के लिए इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। (पारंपरिक, क्षेत्र आधारित और शिल्प क्रिया-कलाप आधारित) ट्रेडों में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

41.20 अल्पसंख्यकों वर्ग में आने वाले बहुत सारे लोगों को अभी भी सरकार और एजेंसियों की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि सभी योजनाओं तथा सरकार और एजेंसियों के कार्यक्रमों का अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में समुचित प्रचार किया जाए। प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों को ऋण देने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की योजना (स्कीम) को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित और प्रचारित किए जाने की आवश्यकता है।

41.21 अल्पसंख्यकों, विशेषरूप से मुसलमानों के एक बड़े भाग को आर्थिक रूप से हासिए पर आ जाने का एक कारक मशीनीकरण के परिणामस्वरूप अनेक व्यवसायों और शिल्प कार्यों में कमी आना है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को उन्नत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए और साथ ही इन वर्गों के लिए प्रशिक्षण और विपणन सहायता भी उपलब्ध कराई जाए।

विशिष्ट पॉकेटों में, विशेष रूप से अल्पसंख्यक बहुल उन जिलों में, जिनमें इन वर्गों के कारीगरों और अन्य प्रकार्यात्मक समूहों की संख्या बहुत अधिक है, जहां इनके व्यवसायों की प्रवृत्ति समरूप है, सहकारी समितियां गठित की जानी आवश्यक है, शहरी क्षेत्रों के कारीगरों को भी आद्योगिक सहकारी समितियों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और उनके ऋण क्रेडिट कच्चा माल और विपणन सहायता संबंधी आवश्यकताएं भी ऐसी समितियों द्वारा पूरी की जानी चाहिए।

41.22 वर्तमान में अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों का एक बड़ा समूह जागरूकता की कमी के कारण मौजूदा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। यह सुझाव दिया गया था कि बैंकों में दो स्कीमें चलानी चाहिए-एक गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों के लिए और दूसरी गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवारों के लिए। इससे कमजोर वर्ग मौजूदा योजनाओं (स्कीमों) के अधीन ऋण प्राप्त कर सकेंगे। गरीबों के लिए रोजगारोन्मुख योजनाएं तैयार करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। अल्पसंख्यक बहुल जिलों

में बालकों और बालिकाओं के लिए बड़ी संख्या में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के विकास/कल्याण क्रिया-कलापों का स्थानीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से समुचित प्रचार किया जाना चाहिए।

41.23 खेती के काम में लगे ग्रामीणों और खेतिहार कामगारों और श्रमिकों का प्रतिशत पर्याप्त है। आवश्यकता इस बात की है कि उत्पादकता और आय को बढ़ाने के लिए, कृषि संबंधी व्यापार और पद्धतियों में, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के संदर्भ में, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समुचित सुविधाएं प्रदान की जाएं।

41.24 चूंकि कृषि संबंधी कार्य मौसमी होते हैं इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ कृषि कार्य में संलग्न व्यक्तियों को ऐसे ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जिन्हें वे गैर-मौसम में अपना सकें और अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकें। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्र विशेष के आनुषंगिक व्यवसायों और ट्रेडों की पहचान करने के बाद तैयार किए जा सकते हैं।

41.25 सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले भी शामिल हैं, घरेलू उद्योग में लगे हुए हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है या कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है तथा उनमें कौशल और गुणवत्ता और आगे बढ़ने के लिए ज्ञान भी नहीं है विभिन्न घरेलू उद्योग वर्ग के आधार पर कौशल उन्नयन के लिए एक औद्योगिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। ग्रामीण और शहरी, दोनों, क्षेत्रों में विपणन सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि बिचौलिए घरेलू कामगारों का शोषण न कर सकें। अन्य/वैकल्पिक व्यवसायों में विविध प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि हस्तशिल्प, हथकरघा आदि कार्यों में लगे परिवारों के लिए उच्च आय सुनिश्चित की जा सके।

41.26 अत्यधिक गरीब और हाशिए पर रहे व्यक्ति सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं और वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली सहायता से वंचित रह जाते हैं। सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं को, स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित किया जाना चाहिए और दूसरों पर लागू

नियमों के अनुसार, बड़े पैमाने पर वित्तीय संस्थाओं तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियां या सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश द्वारा वेलुगु (VELUGU) परियोजना के माध्यम से पूरे राज्य में महिलाओं को संगठित करने के लिए की गई पहल का एक अच्छा उदाहरण है इसका व्यापक स्तर पर अनुसरण किया जाना चाहिए।

41.27 घरेलू नौकरियों प्रदूषण आधारित कार्यों में लगे वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य वित्त और विकास निगमों द्वारा उनकी माइक्रोफाइनेंसिंग (लघु वित्त पोषित) स्कीमों या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए दो नीतियां बनाई जानी जरूरी हैं। हाथ से सफाई जैसे प्रदूषण आधारित पेशों को सामूहिक रूप से लक्ष्य बनाना होगा। जोखिम और स्वास्थ्य के खतरों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नतियों को शामिल करने का संयुक्त प्रयास किया जाना चाहिए तथा नगरपालिकाओं, पंचायतों द्वारा मशीनों के माध्यम से सेप्टिक टंकियों आदि की सफाई अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। अन्य प्रदूषण आधारित पेशों को भी निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए।

41.28 क्षेत्र संबंधित के निजी उद्यमियों के सहयोग से एस ई बी वर्गों के उद्यमियों और कारीगरों के लिए परामर्श सह-निर्देशन केंद्र डी आई सी, एस एस आई यूनिटों, डी आर डी ए आदि में स्थापित किए जाने चाहिए। व्यावसायियों/विशेषज्ञों की सहायता की जानी चाहिए। केंद्रों में सेवाएं, ऐसे निजी उद्यमियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो ट्रेड या क्रिया-कलाप का चयन करने, परियोजना तैयार करने और उद्यम स्थापित करने में अभ्यर्थियों की सहायता करने में सक्षम हों। सेवा प्रभारों को ऋण घटक में शामिल किया जा सकता है और यह पहले प्रभारित होना चाहिए। यह अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े वर्गों, अनु० जाति और अनु० जनजाति तथा महिलाओं के लिए भी अनिवार्य है चूंकि उनमें क्षमता और ज्ञान की कमी होती है और वे ठीक विकल्प का चयन करने की पहल करने और उन्हें कार्याचित करने में भी समर्थ नहीं होते।

41.29 पुलिस बल तथा अन्य सेवाओं में विभिन्न स्तरों पर अल्पसंख्यक समुदायों और अन्य कमजोर वर्ग के सदस्यों की भर्ती को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस बल में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, पुलिस कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण, पुलिस की जवाबदेही के

लिए तंत्र की स्थापना तथा शांति बनाए रखने में लोगों की सहभागिता और सम्बद्धता आवश्यक हैं।

41.30 यह सुनिश्चित करने के लिए कि भर्ती और रोजगार के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों और हाशिए पर मौजूद समूहों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है, एक विधिक तंत्र का होना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि स्थानीय प्रशासन निष्कपट, निष्पक्ष और सुदृढ़ है और राजनीतिक दबाव के अधीन कार्य नहीं कर रहा है। सांप्रदायिक शांति और सद्भाव का माहौल बनाए रखने और इसे कायम रखने में राज्य संस्थाओं विशेष रूप से सरकार, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और न्यायपालिका की भूमिका अहम है। इस प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी संगठनों को भी पूरक और अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। सभी सामाजिक-आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए कानूनी संरक्षण के उपाय समान होने चाहिए।

41.31 प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का मॉनीटरन

अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास पर केंद्रित अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। इसमें अल्पसंख्यक समूहों के व्यापक और परिपूर्ण विकास पर विचार किया गया है। अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय को अलग से गठन किए जाने तथा समाज के कमज़ोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए केंद्रीय/केंद्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं के लिए 15% निधियां अलग से चिह्नित किए जाने पर विचार के बाद अब आवश्यकता इस बात की है कि, विकास योजनाओं के अधीन चिह्नित निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से, इस कार्यक्रम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन का समय-समय पर मानीटरन करने के लिए केंद्रीय और राज्य दोनों, स्तरों पर संस्थागत तंत्र सृजित किया जाए ताकि सभी पात्र पण्डारियों (स्टेंकहोल्डर्स) को लाभ प्रदान करने के साथ-साथ कल्याणकारी उपायों को सुलभ बनाया जा सके।

कल्याणकारी उपाय के रूप में आरक्षण

प्रस्तावना

1.1 संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य—एक ऐसे समतावादी समाज का सृजन करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्रधानता दी जाए और सभी को समान अधिकार, समान अवसर दिए जाएं इसके अनुरूप ही समानता की भावना भारतीय संविधान के उपबंधों में व्याप्त है। परंतु कुछ ऐतिहासिक और पारंपरिक कारणों से भारतीय नागरिकों के कुछ वर्ग गंभीर सामाजिक और आर्थिक रूप से अशक्त हैं और वे प्रभावकारी ढंग से हैसियत और अवसर की समानता का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए, संविधान समाज के इन कमज़ोर वर्गों के लिए, अनुच्छेद 15(4) सहित, विभिन्न अनुच्छेदों में संरक्षी विभेद प्रदान करता है। यह खंड, अनुच्छेद 15(1) और 29 (2) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी राज्य को किसी सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर जन वर्गों के लिए या अनु. जातियों और अनु. जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए सशक्त बनाता है।

1.2 आरक्षण, समाज के किन्हीं विशेष घटकों पर भेदभाव के चिरस्थायी या वर्तमान और विगत के जारी प्रभावों को दूर करने के लिए की गई एक सकारात्मक कारवाई है ताकि:

- (i) “समान अवसर मिलने पर रोक” को हटाया जा सके।
- (ii) समाज के नियंत्रण में पूर्ण सहभागिता के अवसर प्रदान किये जा सकें।
- (iii) सामाजिक समूह का सारभूत चिरकारी कम प्रतिनिधित्व दूर किया जा सके, और
- (iv) महत्वपूर्ण संवैधानिक/सरकारी उद्देश्यों को पूरा/प्राप्त किया जा सके।

आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता-पूर्व अवधि के दौरान आरक्षण।

2.1 हाशिए पर रहे जन वर्ग के लिए स्थान आरक्षण संबंधी नीतियां देश में काफी लंबे समय से मौजूद रही हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, “प्रथम स्वतंत्रता संग्राम” के पश्चात् अंग्रेजों ने भारतीय जनसंख्या को विषमांगी समूह के रूप में देखना प्रारंभ किया। उन्होंने पराधीन जनसंख्या के विशिष्ट वर्गों-धार्मिक अल्पसंख्यकों और निम्न जाति वाले लोगों, के लिए अनेक नीतियां प्रारंभ की। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक उन्होंने “दलित वर्गों” की सूची तैयार करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने उनकी बेहतरी के लिए छात्रवृत्तियां, विशेष विद्यालय और अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किये। सरकार और प्रशासन में ब्राह्मण प्रभुत्व के विरुद्ध बढ़ते हुए आंदोलनों की भावनाओं को शांत करने की दृष्टि से भी अंग्रेजों ने कतिपय आरक्षण आरंभ किए। मुंबई में ब्राह्मणों, मारवडियों, बनियों, पारसियों और ईसाईयों को छोड़कर अन्य सबके लिए स्थान आरक्षित थे। 1927 में मद्रास प्रेसीडेंसी में सरकार ने प्रत्येक 12 नौकरियों में 5 स्थान गैर-ब्राह्मण हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणों, ईसाईयों और मुसलमानों में प्रत्येक के लिए 2-2 तथा अन्य के लिए एक स्थान आरक्षित किया। बड़ौदा, ट्रावनकोर और कोल्हापुर जैसे कुछ उदार राज्यों ने भी समान प्रावधान प्रारंभ किए। कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में साहूजी महाराज ने अपने प्रशासन में 50% स्थान गैर-ब्राह्मणों के लिए आरक्षित किये।

2.2 इसके बाद, मुख्य रूप से डॉ बी॰आर॰ अंबेडकर तथा सामान्य रूप से अखिल भारतीय दलित वर्ग के प्रयासों ने अंततः आरक्षणों के दायरे को बढ़ाने में सहायता प्रदान की। अंग्रेजों ने केवल विधायी निकायों में ही पहले स्थान आरक्षित किये थे परंतु 1943 में सेवाओं में भी आरक्षण लागू हो गया। तदनुसार, खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाने वाली सीधी भर्ती में 8.33% पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे। 1943 में जारी किए गए इन अनुदेशों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण क। मूल कहा जा सकता है।

स्वतंत्रतोत्तर की अवधि के दौरान आरक्षण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण

2.3 स्वतंत्रता के समय, 21.9.1947 को खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाने वाली भर्ती में होने वाली रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों के लिए 12.5% आरक्षण प्रदान करने के अनुदेश जारी किए गए थे। परंतु, खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य तरीके से की जाने वाली भर्तीयों के लिए 16.66% का आरक्षण निश्चित किया गया था। संविधान प्रख्यापित किए जाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्रालय ने अपने 13.9.1950 के संकल्प में अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही लागू आरक्षण के अलावा अनुसूचित जनजातियों के लिए 5% आरक्षण का उपबंध किया था। 1961 की जनगणना पर आधारित इन समुदायों के जनसंख्या-अनुपात के अनुसार सरकार ने 25 मार्च, 1970 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को 12.5% और 5% से बढ़ाकर क्रमशः 15% और 7.5% कर दिया था। अनुसूचित जाति का आरक्षण सिखों और बौद्ध धर्म के लिए तथा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण

सभी अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध है क्योंकि यथा अनु० जनजाति की पहचान जाति/धर्म के निरपेक्ष होती है।

2.4 1974 में, समूह-ख के भीतर समूह-ग से समूह-ख में लिए और समूह-ख से समूह-क के निम्नतम पदक्रम के लिए चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण, इस शर्त के साथ शुरू किया गया था कि सीधी भर्ती का घटक 50% से अधिक नहीं होगा। 50% से अनाधिक सीधी भर्ती की यह सीमा 1976 में बढ़कर 66.66% और 1989 में 75% तक कर दी गई थी। इस स्तर पर, उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पदोन्नतियों में आरक्षणों के विरुद्ध विनिर्णय दिया। परंतु, सरकार ने अनुच्छेद 16 (4क) को शामिल करने के लिए संविधान को संशोधित किया और इस संशोधन के बाद सरकार ने 13.8.1997 को अनुदेश जारी किए ताकि, जब तक प्रत्येक काडर में इनमें से प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व विहित प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता, तब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षणों को जारी रखा जा सके। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1943 से सेवाओं में नियत किए गए तारीख-वार आरक्षण प्रतिशत सारणी 8.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 8.1: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियत तारीख-वार आरक्षण प्रतिशत

क्रम सं	विवरण सहित आरक्षण प्रतिशत	आदेशों की तारीख
1.	खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की गई सीधी भर्ती में अनु० जातियों के पक्ष में 8.33%	अक्टू. 1943
2.	खुली प्रतियोगिता द्वारा की गई भर्ती में अनु० जातियों के पक्ष में 12.5%	21.9.47
3.	खुली प्रतियोगिता से अन्यथा की गई भर्ती में अनु० जातियों के पक्ष में 16.66%	21.9.47
4.	अनुसूचित जातियों के पक्ष में सेवाओं में आरक्षण 5%	13.9.50
5.	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित खुली परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती में अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के पक्ष में क्रमशः 15% और 7.5%	25.3.70
6.	उपर्युक्त कॉलम 5 में उल्लिखित से अन्यथा खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के पक्ष में क्रमशः 16.66% और 7.5%	25.3.70
7.	समूह-ख के भीतर समूह-ग से समूह-ख में और समूह-ख से समूह-क के निम्नतम पद क्रम में के लिए चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण, बशर्ते सीधी भर्ती का घटक 50% से अधिक न हो।	1974
8.	पदोन्नति में आरक्षणों को सुविधाजनक बनाने के लिए 50% से अनधिक की सीधी भर्ती की सीमा को 1976 में बढ़ाकर 66.66% और इसके बाद इसे 75% कर दिया गया था।	1989
9.	1992 में अनुच्छेद 16 (4क) को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन के बाद सरकार ने अनुदेश जारी किया ताकि जब तक प्रत्येक काडर में इनमें से प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व विहित प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता तब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को 15.11.1997 के बाद भी जारी रखा जा सके।	15.11.1997

2.5 आरक्षण कोटे को आसानी से भरा जा सके इसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अध्यर्थियों को सीधी भर्ती के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा की छूट भर्ती/चयन के लिए विहित शुल्कों की अदायगी से छूट, शैक्षिक स्तरों में छूट, और अनुभव में छूट आदि के रूप में कुछ रियायतें भी दी गई हैं।

अन्य पिछड़े वर्गों (ओ बी सी) के लिए सेवाओं में आरक्षण

2.6 मैसूर राज्य ने एक प्रणाली स्थापित की जिसमें ब्राह्मणों को छोड़कर सभी समूदायों को 1918 से “पिछड़ा वर्ग” नाम दिया था तथा कॉलेजों और राज्य सेवाओं में उनके लिए स्थान आरक्षित किए गए थे। स्वतंत्र भारत में अनेक राज्यों ने भारत सरकार से बहुत पहले ही पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण लागू कर दिया था। शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए आरक्षण के राज्य-वार ब्यौरा सारणी 8.2 में दिया गया है।

2.7 भारत सरकार ने संविधान लागू होने के तुरंत बाद पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए पहल की और 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे काका कालेकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, गठित किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। यद्यपि आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़पन

के लिए अनेक कारणों को स्वीकार किया था, फिर भी उसने अंततः सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जाति के मानदंड का प्रयोग किया था। आयोग ने 2399 जातियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों के रूप में सूचीबद्ध किया था तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों की भी सिफारिश की थी, इसमें सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण भी शामिल है। चूंकि जाति आधारित आरक्षणों को पश्चगामी कदम माना गया था। इसलिए केंद्रीय सरकार ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था।

2.8 1979 में, संविधान के अनुच्छेद 340 के अधीन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा का अन्वेषण करने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धारित करने और ऐसे पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने की जरूरत पड़ने के कारण या अन्यथा जांच करने के लिए दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, गठित किया गया था, जिसे सामान्यतः मंडल आयोग के रूप में भी जाना जाता है। आयोग ने 31 दिसंबर, 1980 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, 1931 की जनगणना के आंकड़ों तथा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मानदंडों

तालिका 8.2: अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण

राज्य का नाम	शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रतिशत	सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत	वर्ष
1. आंध्र प्रदेश	25	25	1970
2. बिहार	24	20	1978
3. गुजरात	10	10	1976
4. जम्मू-कश्मीर	42	42	1977
5. कर्नाटक	48	50	1975
6. केरल	25	25	1953
7. पंजाब	5	5	1965
8. महाराष्ट्र	34	34	1964
9. उत्तर प्रदेश	15	15	1978
10. तमிலनாடு	31	3.1	1927
11. हरियाणा	2	10	उपलब्ध नहीं
12. हिमाचल प्रदेश	—	5	—
13. मध्य प्रदेश	25	25	—

स्रोत: आरक्षण नीति (संस्करण: 2005) लेखक-डॉ राम समुद्र

के अधीन 11 (ग्यारह) संकेतकों का प्रयोग किया था। इस आयोग का यह अनुमान था कि अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 52% है। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल रिपोर्ट) की सिफारिशें, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 7.8.1990 से सीधी भर्ती के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के अधीन भरे गए सिविल पदों और सेवाओं में रिक्तियों के 27% का आरक्षण प्रदान करते हुए 7 अगस्त, 1990 को भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी। परंतु, पदोन्ति में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। आरक्षण नियम बैंकों, स्वायत्त निकायों, सांविधिक निकायों और अर्ध-सरकारी निकायों तथा सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं के लिए भी लागू है। इंद्रा साहाने और अन्य बनाम भारत संघ मामले में 16 नवंबर, 1992 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने ओबीसी से “क्रीमी लेयर” को बाहर करने के लिए सामाजिक रूप से सम्पन्न व्यक्तियों/वर्गों की पहचान के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतु न्यायमूर्ति आर० पी० प्रसाद के अधीन एक समिति का गठन किया और समिति द्वारा सुझाया गया मानदंड भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

2.9 अनु० जाति/अनु० जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए सेवाओं के आरक्षण के लिए किए गए प्रावधानों में अल्पसंख्यक भी शामिल हैं यद्यपि आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों पर ऐसे आरक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है।

शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण

2.10 शिक्षा, डॉ० बी० आर० अंबेडकर की प्रथम और प्रमुख प्राथमिकता थी और उन्होंने इसे “शेरनी का दूध” कहा। शिक्षा किसी व्यक्ति समूह के अगड़ेपन या पिछड़ेपन को मापने के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानदंड है। अनेक समाज सुधारकों तथा कोल्हापुर, बड़ौदा और मैसूर के उदार राज्यों ने शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया और उन्होंने अछूतों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने में अपना योगदान दिया। महात्मा ज्योति राव फूले भारत में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पुणे में 1848 में अछूतों के लिए विद्यालय चलाया। साहूजी महाराज भौसले ने हर संभव तरीके से गैर-ब्राह्मण वर्गों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने इन समुदायों के विद्यार्थियों के लिए भोजन, आवास और छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान की। सरकारी स्तर पर

यह कदम मद्रास सरकार द्वारा, 1885 में, सहायता अनुदान संहिता तैयार करके उठाया गया था ताकि दलित वर्गों के विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए शिक्षा संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता को विनियमित किया जा सके। ब्रिटिश अधीन भारत में “दलित वर्गों” के लिए शिक्षा से विस्तार का प्रावधान बहुत बाद में किया गया था।

2.11 1944 में, तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना प्रारंभ की थी और इसे बढ़ाकर 1948 में अनुसूचित जातियों के लिए भी लागू किया गया। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद, राज्यों को कमजोर वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक और आर्थिक दशाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश अनुच्छेद-46 में दिए गए थे फिर भी प्रारंभ में संविधान में शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। मद्रास सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीट आरक्षण के नियम बनाए। परंतु, उक्त नियमों की वैधता को मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोइराजन (ए आई आर 1951 एस सी 525; 1951 एस सी आर 525) में चुनौती दी गई थी और उच्चतम न्यायालय ने ऐसे नियम को असंवैधानिक घोषित किया था। न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति से पार पाने के लिए अनुच्छेद 15 में खंड (4) शामिल करते हुए संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 पारित किया गया था। इसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए राज्यों को विशेष प्रावधान करने के लिए अधिकार प्रदान किया।

2.12 तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, वर्तमान के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ने प्रथम बार 1954 में यह सुझाव देते हुए राज्य सरकारों को लिखा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, 5% की छूट के प्रावधान के साथ, 20% स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। बाद में यह अप्रैल, 1964 में, मौजूदा प्रतिशत को अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5% के रूप में विभाजित करते हुए तथा कोटे के अनुसार स्थानों को न भरे जाने की स्थिति में अंतः परस्पर के उपबंध के साथ, आशोधित किया गया था। इस प्रकार की कार्रवाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं वाले विश्वविद्यालयों में तथा सभी

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चिकित्सा और दंत-चिकित्सा कॉलेजों में स्थानों के आरक्षण के संबंध में की गई थी। 1956 में गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ने स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, अपेक्षित छूट और रियायत के साथ, आरक्षण के लिए प्रावधान किया था। आरक्षण का प्रतिशत 1982 में अनुसूचित जातियों के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% के रूप में संशोधित किया गया था। वर्तमान में आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विभिन्न स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर सामान्य, तकनीकी, चिकित्सा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपलब्ध है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक आधार को मजबूत करने की दृष्टि से, प्रवेशों में आरक्षण के लाभ के अलावा शुल्कमुक्ति, छात्रवृत्ति, अनुशिक्षण और छात्रावास सुविधाओं के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

सांविधानिक उपबंध और आरक्षण नीति

3. “दलित वर्गों” के लिए समता सुनिश्चित करने हेतु संविधान में दोहरी रणनीति अपनाइ गई है। एक तरफ इसमें विधि के समक्ष समता का उपबंध किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, समान विधिक संरक्षण प्राप्त करेगा और उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा; और दूसरी ओर इसमें राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपबंध कर सके ताकि अनेक क्षेत्रों में भेदभाव को दूर करने के लिए विरुद्ध विधिक और अन्य रक्षोपाय किए जा सकें। संविधान में प्रतिष्ठापित आरक्षणों से संबंधित विभिन्न उपबंध निम्नानुसार हैं:

I. **अनुच्छेद-14—समता का अधिकार:** यह अपेक्षित है कि, “राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा”। इस प्रकार अनुच्छेद-14 निम्नलिखित दो अभिव्यक्तियों का प्रयोग करता है:

- (i) विधि के समक्ष समता; और
- (ii) विधियों का समान संरक्षण।

इन अभिव्यक्तियों का उद्देश्य संविधान की उद्देशिका में यथा उल्लिखित “प्रतिष्ठा की समता” स्थापित करना है। यह समता

का अधिकार सार्वजनिक संसाधनों जैसे पेय जल, कुंआ, सड़कों आदि के लिए पहुंच प्रदान करता है। इस प्रकार संविधान ने समता का अधिकार प्रदान किया है और इसे मौलिक अधिकारों का केन्द्रीय घटक बनाया है।

II. **अनुच्छेद-15—विभेद के विरुद्ध प्रतिषेध:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद को निषिद्ध करता है।

अनुच्छेद 15 संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा संशोधित किया गया तथा मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोरईराजन (ए आई आर 1951 एस सी 525 : 1951 एस सी आर 525) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जिसके अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए जाति और धर्म के आधार स्थानों के आरक्षण को अविधिमान्य माना गया था, के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए अनुच्छेद 15 के अधीन एक नया खंड (4) अंतःस्थापित किया गया। अनुच्छेद 15 (4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है।

III. **अनुच्छेद-16—लोक नियोजन में अवसर की समता:** लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता के नियम विनिर्धारित करता है। अनुच्छेद 16 के खंड (1), (2) और (3) के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या नियुक्ति के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तथापि, समता का सिद्धांत कुछ अपवादों को अनुमति देता है। अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 16 (4) में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण की अनुमति दी गई है। यह उल्लेख करता है कि, “इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।”

अनुच्छेद 16 (4) एक सामर्थ्यकारी उपबंध था। यह अवसर की समता के सामान्य सिद्धांत (अनुच्छेद 16) के अपवाद के रूप में शामिल किया गया था। यह आदेश नहीं दिया गया था, परंतु निश्चित तौर पर लोक सेवा में नागरिकों के पिछड़े वर्गों

के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए राज्य को अनुमति प्रदान की थी। इस प्रकार अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों की बात की गई न कि जातियों की और इसने यह स्पष्ट नहीं किया था कि किन वर्ग समूहों का पिछड़ा वर्ग बना है। इसके बाद अनुच्छेद 16(4क) और 16(4ख) भी संविधान में, क्रमशः संविधान 81वां संशोधन अधिनियम, 2000 और 85वां संशोधन अधिनियम, 2001, संशोधन करके शामिल किए गए थे। ये खंड इंद्रा सहाने बनाम भारत संघ मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पार करने की दृष्टि से शामिल किए गए थे। जबकि अनुच्छेद 16(4क) राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने के लिए सशक्त करता है, अनुच्छेद 16(4ख) राज्य को भरी न गई आरक्षित रिक्तियों को, जिनका निर्धारण अनुच्छेद 16 के खंड (4) या (4क) के अनुसार किया गया था, विशेष अभियान शुरू करने, भरने के लिए उपबंध करने के लिए सशक्त करता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जा सकने वाले पदों की सीमा—

संविधान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के लिए कोई सीमा या विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित नहीं करता। बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1963) के मामले से शुरू होकर, उच्चतम न्यायालय के उत्तरवर्ती निर्णयों में एक साथ मिलाकर सभी आरक्षणों के लिए 50% कुल मिलाकर अधिकतम सामान्य सीमा निश्चित की गई है। इस प्रश्न पर न्यायिक निर्णयों का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है। बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1963) के मामले में, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि अनुच्छेद 15 के खंड (4) में समाविष्ट सीमा के न होने के मद्देनजर न्यायालय द्वारा आरक्षण की सीमा पर कोई सीमा विहित नहीं की जा सकती और यह माना कि—

“यदि कोई उपबंध, जो किसी अपवाद स्वरूप है, शेष समाज को पूर्णतः अपवर्जित करता है, तो वह स्पष्टतः अनुच्छेद 15(4) के विस्तार से बाहर है। यह मानना पूर्णतः अयथार्थपूर्ण होगा कि अनुच्छेद 15(4) के अधिनियम में संसद यह उपबंध करने के लिए आशयित थी कि जहां

पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों या जनजातियों का विषय था, वहां उन नागरिकों, जिसमें समाज का शेष भाग शामिल था, के मौलिक अधिकारों को पूर्णतः उपेक्षित कर दिया गया था। सामान्य रूप से और मोटे तौर पर, विशेष उपबंध 50% से कम का होना चाहिए, यह 50% से कितना कम हो प्रत्येक मामले में संगत विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर होगा।”

देवदासन बनाम भारत संघ (1985) मामले में, पूर्वोक्त 50% का नियम अनुच्छेद 16(4) के अधीन उत्पन्न मामले में लागू किया गया था और उस आधार पर अग्रनयन नियम (जिसके परिणामस्वरूप किसी भर्ती वर्ष में 50% से अधिक की रिक्तियों में आरक्षण की स्थिति उत्पन्न हुई) हटा दिया गया था। इसके पहले केरल राज्य बनाम एनाप्म० थॉमस (1976) मामले में इस सिद्धांत के औचित्य पर गंभीर प्रश्न उठाया गया था। फजल अली, जे ने यह माना कि:

“अनुच्छेद 16 का खंड (4) आरक्षण करने के लिए सरकार की शक्ति पर कोई सीमा निश्चित नहीं करता। चूंकि खंड (4) संविधान के अनुच्छेद 16 का भाग है, इसलिए यह स्पष्ट है कि राज्य को ऐसे अत्यधिक आरक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे अनुच्छेद 16(1) में समाविष्ट नीति विफल हो जाए। स्वीकार्य सीमाओं के भीतर उपयुक्त आरक्षण क्या होगा यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होगा और इसके लिए न तो कोई कड़ा नियम बनाया जा सकता है और नहीं इसे ऐसे अंकगणितीय सूत्र के रूप में, जिसका प्रत्येक मामले में अनुपालन किया जा सके, परिवर्तित किया जा सकता है। इस न्यायालय के निर्णीत मामलों में निःसंदेह यह विनिश्चित किया गया है कि आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं जाना चाहिए। यथा मैंने प्राधिकारों को पढ़ा है, तथापि यह एक सावधानी का नियम हैं और सभी वर्गों को निःशेष नहीं करता। इस उपबंध का प्रमुख उद्देश्य अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को पर्याप्त करने के लिए कदम उठाना है।”

(IV) अनुच्छेद 29 और 30 – अल्पसंख्यक वर्गों के हित और शिक्षा संस्थाएं:

ये दो अनुच्छेद (धर्म और भाषा पर आधारित) अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जिनका सार नीचे दिया गया है:

- (i) अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है;

- (ii) उनके पास शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है;
- (iii) ऐसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की संपति के अनिवार्य अर्जन के मामले में राज्य को कुछ निश्चित सावधानियां बरतनी होंगी;
- (iv) ऐसी शिक्षा संस्थाओं के लिए सहायता मंजूर करते समय राज्य कोई विभेद नहीं करेगा,
- (v) अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली सभी शिक्षा संस्थाओं पर यह प्रतिबंध लगाता है कि वे किसी नागरिक को धर्म, मूलवंध, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित न कर सकें।

यहां, आधारभूत उद्देश्य कमजोर वर्गों के प्रत्येक सदस्य में हर क्षेत्र में समान स्तर पर अन्य नागरिकों के साथ गर्व से प्रतियोगिता में भाग लेने की काबिलियत भरना है।

- (V) अनुच्छेद 46 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि :

अनुच्छेद 46 संविधान के भाग-4 (राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त) के अधीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद होने के कारण यह अनुबंध करता है कि, “राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।”

वाक्यांश “समाज का दुर्बल वर्ग” संविधान के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम नरायण खिमालाल टोकामें मामले में केंद्रीय सरकार को अभिव्यक्ति “समाज का दुर्बल वर्ग” के संबंध में उपयुक्त दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निदेश दिया। बाद में उच्चतम न्यायालय ने इंद्रा सहाने मामले में अनुच्छेद 16(4) के अधीन उल्लिखित पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग को अनुच्छेद 46 के जनता के दुर्बल वर्ग से अलग किया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार “जनता का दुर्बल वर्ग” अभिव्यक्ति “पिछड़े हुए नागरिकों का वर्ग” या एस ई बी सी या अनु० जाति या अनु० जनजाति से अधिक व्यापक है। यह समाज के उन सभी वर्गों की ओर संकेत

करता है जो निर्धनता और प्राकृतिक और भौतिक रूप से अक्षय होने तथा विभिन्न कारणों से कमजोर हो गए हैं।

- (VI) अनुच्छेद 335 - सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे और प्रशासन की दक्षता बनाए रखना:

जबकि अनुच्छेद 16(4) राज्य को अनु०जातियों, अनु०जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षणों के लिए उपबंध करने में समर्थ बनाता है, वहीं अनुच्छेद 335 राज्य पर प्रशासन की दक्षता बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व अधिरोपित करता है। तदनुसार अनुच्छेद 335 का एक परंतुक संविधान 82वां संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है ताकि एस विनोद कुमार भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद उत्पन्न संकट से पार पाया जा सके। यह राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नतियों में आरक्षण के लिए अंकों में छूट या मानकों को नीचे करने के लिए कोई उपबंध बनाने के लिए सशक्त करता है।

आरक्षण नीति को कार्यान्वित और मानीटर करने के लिए संस्थागत प्रबंध

4.1 केंद्रीय सरकार ने आरक्षण नीति और अन्य कार्यक्रमों के विनियमन, मानीटर और कार्यान्वयन के लिए एक प्रशासनिक तंत्र बनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए नीतियां तैयार करने, इसे अंतिम रूप देने और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए और इनके संपूर्ण विकास को देखने के लिए नोडल व्यवस्था के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, योजना आयोग (पिछड़ी जाति प्रभाग) है। ये मंत्रालय और योजना आयोग, अनु०जातियों, अनु०जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए आशयित विभिन्न शैक्षिक और कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन और मानीटरन का कार्य भी करते हैं।

4.2 इसके अलावा, कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (भारत सरकार) में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी एंड टी) लोक सेवाओं में आरक्षण नीति को विनियमित करने और मानीटरन का कार्य करता है। इसके प्राथमिक उद्देश्य नियमों को

लागू करना और जब कभी भी आवश्यक हो, इनमें परिवर्तन करना और आरक्षित कोटियों को भेरे जाने को मानीटर करना भी है। शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए जहां तक आरक्षण नीति का संबंध है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग) एक नोडल प्राधिकरण है। साथ ही प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में और सरकार से वित्तपोषित संगठन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारियों के साथ एक पृथक प्रशासनिक यूनिट होती है और संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में जारी किए गए अनुदेश का कड़ाई से पालन किया जाता है, कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग मंत्रालयों और संगठनों के प्रशासनिक प्रमुखों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षणों को मानीटर और विनियमित करता है।

4.3 इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर सरकार द्वारा यथा अनुमोदित आरक्षण नीति का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा अनुजातियों, अनुजनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभाव को मानीटर करने के लिए भी निम्नलिखित स्वतंत्र संस्थाएं मौजूद हैं:

- (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग: इसे संविधान के अधीन या फिलहाल लागू किसी विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करने और उन्हें मानीटर करने और रक्षोपायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र सांविधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है।
- (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग: इसे संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन या फिलहाल लागू किसी विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करने और उन्हें मानीटर करने और रक्षोपायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र सांविधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग: उच्चतम न्यायालय के निदेश का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम सं 27) अधिनियमित किया और केंद्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है। अधिनियम की धारा 9(1) यह उपबंध करता है कि यह “सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के निवेदन पत्रों की जांच करेगा और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अधि-समावेश या अल्प-समावेश की शिकायतों को सुनेगा और, केंद्रीय सरकार को यथोचित सलाह देगा”। अधिनियम की धारा 9(2) के अधीन आयोग की सलाह सामान्यतः केंद्रीय सरकार पर बाध्यकारी होगी। धारा-11 केंद्रीय सरकार द्वारा सूची के आवधिक पुनर्विलोकन के लिए उपबंध करती है।

(iv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: इसे अपने सांविधिक प्रकार्यों को निष्पादित करने और पांच धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुसलमानों, सिखों, ईसाईयों, बौद्धों और पारसियों के, जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एन सी एम) अधिनियम, 1992 के अधीन अधिसूचित किया गया है, हितों की रक्षा करने तथा संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास को मानीटर करने और इसका मूल्यांकन करने के लिए भी, साथ ही साथ संविधान में और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबंधित रक्षोपायों की कार्यप्रणाली को मानीटर करने, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के हेतु सिफारिश करने के लिए गठित किया गया है।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण

5.1 पूर्ववर्ती पैरा में जैसा कि उल्लेख किया गया है, रोजगार में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध है। शिक्षा संस्थाओं में समान आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध हैं। तथापि, माइली समिति ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में आरक्षणों की सिफारिश की है जो कि सरकार द्वारा

स्वीकार कर ली गई है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में शामिल किए गए वर्गों के अलावा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कोई अलग आरक्षण उपलब्ध नहीं है।

केंद्रीय सरकार के अधीन रोजगार में आरक्षण

5.2 जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुजातियों और अनुजनजातियों की जनसंख्या के समानुपात में सामान्यतः नियत किया गया है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के समानुपात और उस तथ्य को कि अनुजातियों, अनुजनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखते हुए 27% की अधिकतम सीमा तक नियत किया गया है। समूह “ग” और “घ” पदों पर सीधी भर्ती सामान्यतः उसी इलाके या क्षेत्र के अभ्यर्थियों की ही की जाती है। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभागों, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक, रक्षा, उच्च न्यायपालिका आदि में कुछ पद वर्गों में आरक्षण लागू नहीं है।

5.3 पैरा 2.3 से पैरा 2.9 तक में दिए गए विवरण सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षणों के इतिहास और प्रगति पर प्रकाश डालते हैं तथा पैरा 2.10 से पैरा 2.12 में शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण के विकास का वर्ण किया गया है। अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती में अनुजातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण संक्षेप में सारणी 8.3 में दर्शाए गए हैं।

5.4 केंद्रीय सरकार के अधीन समूह “ग” और “घ” के लिए सीधी भर्ती के मामले में अनुजातियों, अनुजनजातियों और अन्य

पिछड़े वर्गों के लिए नियत आरक्षित रिक्तियों पर सामान्यतः इलाके या क्षेत्र से अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है और यह, कुल 50% की उच्चतम सीमा तक होता है और यह प्रतिशत राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न होती है। राज्यों में नियत आरक्षणों के प्रतिशत के विवरण सारणी 8.4 में दिए गए हैं।

5.5 इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य { 1990 की रिट याचिका (सिविल) सं 930 } मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में भारत सरकार ने भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधाओं से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) को बाहर करने के लिए मानदंडों की सिफारिश करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निम्नानुसार आरक्षण प्रदान किया। देखें - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 8.9.1993 की कांज्ञा सं 36012/22/93 स्था (एससीटी) :

- (i) भारत सरकार के अधीन, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले सिविल पदों और सेवाओं में रिक्तियों का 27% अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा।
- (ii) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित मानकों पर, खुली प्रतियोगिता में योग्यता (मेरिट) आधार पर भर्ती अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को 27% के आरक्षण कोटे पर समायोजित नहीं किया जाएगा।
- (iii) पूर्वोक्त आरक्षण उन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, लागू नहीं होता जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं।
- (iv) पूर्वोक्त आरक्षण के उद्देश्य के लिए अन्य पिछड़े वर्ग में वे जातियां और समुदाय शामिल हैं जो मंडल आयोग की रिपोर्ट और राज्य सरकारों दोनों की सूचियों में समान हैं।

तालिका 8.3 : सीधी भर्ती में केंद्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षण

	खुली प्रतियोगिता द्वारा (संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता के द्वारा)			खुली प्रतियोगिता से भिन्न विधि द्वारा		
वर्ग/श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
	15	7.5	27	16.66	7.5	25.84

तालिका 8.4 : राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्र में आरक्षण

क्रम सं०	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र का नाम	आरक्षण की प्रतिशतता		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	आंध्र प्रदेश	16	7	27
02	अरुणाचल प्रदेश	1	45	0
03	असम	7	12	27
04	बिहार	16	1	27
05	छत्तीसगढ़	12	32	6
06	गोवा	2	0	18
07	गुजरात	7	15	27
08	हरियाणा	19	0	27
09	हिमाचल प्रदेश	25	4	20
10	जम्मू-कश्मीर	8	11	27
11	झारखंड	12	26	12
12	कर्नाटक	16	7	27
13	केरल	10	1	27
14	मध्य प्रदेश	15	20	15
15	महाराष्ट्र	10	9	27
16	मणिपुर	3	34	13
17	मेघालय	1	44	5
18	मिजोरम	0	45	5
19	नागालैंड	0	45	0
20	उड़ीसा	16	22	12
21	पंजाब	29	0	21
22	राजस्थान	17	13	20
23	सिक्किम	5	21	24
24	तमिल नाडु	19	1	27
25	त्रिपुरा	17	31	2
26	उत्तराखण्ड	18	3	13
27	उत्तर प्रदेश	21	1	27
28	पश्चिम बंगाल	23	5	22
29	अण्डमान एवं निकोबार	0	8	27
30	चण्डीगढ़	18	0	27
31	दादर एवं नागर हवेली	2	43	5
32	दमण एवं दीव	3	9	27
33	दिल्ली	15	7.5	27
34	लक्ष्मीप	0	45	0
35	पुडुचेरी	16	0	27

स्रोत : डी०ओ०पी०टी के दिनांक 5 जुलाई 2005 के ओ० एम० न० 36017/1/2004 स्था०

(v) अनु० जातियों, अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किया गया आरक्षण कुल मिलाकर किसी वर्ष की रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होगा।

(vi) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है।

(vii) अन्य पिछड़े वर्गों के चिह्नित कोटे को भरने के उद्देश्य से लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कार के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को अनु० जाति/अनु० जनजाति के अभ्यर्थियों की तरह ही मानकों में छूट दी जाएगी।

(viii) अन्य पिछड़ा वर्ग को गैर-तकनीकी छात्रवृत्ति/पुस्तकों देने के लिए अंकों में छूट; तथा

(ix) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी उपर्युक्त अनुदेश सरकार से अनुदान लेने वाले स्वायत निकायों, सांविधिक एवं अर्ध-सरकारी निकायों एवं स्वैच्छिक एजेंसियों में भी लागू होंगे।

5.6 आरक्षण कोटे को भरने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को भर्ती/चयन के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में और अधिक रियायत, ताकि मानकों में छूट, इसमें अनुभव में छूट शामिल है, दी गई है। सीधी भर्ती के लिए दी जाने वाली अनेक रियायतें/छूट पदोन्नति के मामले में भी दी जाएगी।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की रोजगार की स्थिति

सरकारी संगठनों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की रोजगार की स्थिति

6.1 चयनित वर्षों में केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तालिका 8.5 में दिया गया है।

6.2 जैसा कि तालिका-5 से पता लगता है कि 1994 में आकर सरकार में रोज़गार के अवसर रूक गए हैं तथा इसके बाद इनमें कमी दर्ज की गई है। रोजगार में आई कमी के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

(i) 1960 के सामाजिक दृष्टिकोण की तुलना में सरकारी कार्यकलापों का, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र में, विस्तार न होना, एवं/ या

भाषायी अल्पसंख्यकों की स्थिति

तालिका 8.5 : केंद्रीय सरकार में कुल रोजगार तथा उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछ़ड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

01 जनवरी को स्थिति	केंद्रीय सरकार में अनु० जाति अनु० जनजाति एवं अन्य पिछ़ड़ा वर्ग सहित कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछ़ड़ा वर्ग			
		कर्मचारियों की संख्या	प्रतिनिधित्व की %	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिनिधित्व की %	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिनिधित्व की %
1974	28,95,359	3,95,473	13.66	81,475	2.81	—	—
1984	33,03,342	5,27,573	15.97	1,49,391	4.52	—	—
1994	35,67,112	6,02,670	16.90	1,95,802	5.49	—	—
1999	35,44,740	5,91,740	16.70	2,18,653	6.17	—	—
2004*	30,58,506	5,21,423	17.05	1,99,991	6.54	1,38,680	4.53

टिप्पणी: केंद्रीय सरकार की सेवाओं में कर्मचारियों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के आंकड़ों में सफाई कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

*इसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संबंधी सूचना शामिल नहीं है।

स्रोत: दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07, खंड II एवं डी ओ पी टी नोट सं 42011/24/2006-स्था० (आरईएफ) दिनांक 31.8.2006

(ii) वित्तीय अवरोध, चूंकि वेतन, वृत्ति एवं पेंशन के लिए निधियों की आवश्यकता बढ़ रही है तथा यह बजट का मुख्य भाग है।

परिणामतः: सरकारी संगठनों में रोजगार के अवसरों में काफी कमी आई है तथा इसी वजह से आगे चलकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछ़ड़ा वर्ग का नियोजन को भी प्रभावित हुआ है।

इस स्थिति में भी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है तथा यह कुल जनसंख्या में उनके अनुपात बहुत नजदीक पहुंच गया है।

6.3 यद्यपि केंद्रीय सरकार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण क्रमशः 1947 एवं 1950 से लागू हुआ है, अन्य पिछ़ड़ा वर्ग का आरक्षण 1993 से लागू हुआ। केंद्रीय सरकार की सेवाओं में 1965 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछ़ड़ा वर्ग की प्रतिशत में वर्गवार एवं कुल प्रतिनिधित्व तालिका 8.6 में दिया गया है।

जैसा कि तालिका 8.6 से देखा जा सकता है, पिछले पांच दशकों के दौरान सभी वर्गों अर्थात् क, ख, ग एवं घ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बढ़ा हैं जबकि केंद्रीय सेवा वर्ग 'क' एवं 'ख', जिसके न होने के कारण पदों की अन्य श्रेणियों में अन्य पिछ़ड़ा वर्ग की भर्ती के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति (बौद्ध एवं सिख शामिल हैं) एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछ़ड़ा वर्गों के (सभी धर्मों के अल्पसंख्यक शामिल हैं) के भाग हैं फिर भी धर्मवार आंकड़े

अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में काफी बढ़ातरी हुई है। केंद्रीय सेवाओं में अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े वर्ष 2004 के हैं तथा इससे केंद्रीय सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व की सही तस्वीर उभर कर नहीं आ पाती। सही तस्वीर देखने के लिए वर्ष के दौरान की कुल रिक्तियों में अन्य पिछ़ड़े वर्ग की वार्षिक भर्तियां देखी जाएं जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

6.4 परन्तु भारतीय प्रशासनिक सेवा; भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय विदेश सेवा एवं केंद्रीय सेवा वर्ग 'क' एवं 'ख', जिसके लिए भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा की जाती है, में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व लगभग उनके शेयर के बराबर रहा है जैसा कि तालिका 8.7 में दर्शाया गया है।

जैसा कि तालिका 8.6 एवं 8.7 में देखा जा सकता है कि अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय विदेश सेवा एवं केंद्रीय सेवा वर्ग 'क' एवं 'ख', जिसकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा की जाती है, जैसी अखिल भारतीय सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों को पूरी तरह से भर दिया गया है, आंकड़ों के न होने के कारण पदों की अन्य श्रेणियों में अन्य पिछ़ड़ा वर्ग की भर्ती के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति (बौद्ध एवं सिख शामिल हैं) एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछ़ड़ा वर्गों के (सभी धर्मों के अल्पसंख्यक शामिल हैं) के भाग हैं फिर भी धर्मवार आंकड़े

तालिका 8.6 : केंद्रीय सरकार की सेवाओं में अनु० जाति, अनु० जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (%)

01 जन० की स्थिति	वर्ग 'क'			वर्ग 'ख'			वर्ग 'ग'			वर्ग 'घ'			कुल		
	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.									
1965	1.64	0.27	--	2.82	0.34	--	8.88	1.14	--	17.75	3.39	--	13.17	2.25	--
1970	2.36	0.40	--	3.84	0.37	--	9.27	1.47	--	18.09	3.59	--	13.09	2.4	--
1975	3.43	0.62	--	4.98	0.59	--	10.71	2.27	--	18.64	3.99	--	13.84	2.94	--
1980	4.95	1.06	--	8.54	1.29	--	13.44	3.16	--	19.46	5.38	--	15.67	3.99	--
1985	7.3	1.73	--	10.03	1.57	--	14.87	4.2	--	20.8	5.70	--	16.83	4.66	--
1990	8.64	2.58	--	11.29	2.39	--	15.19	4.83	--	21.48	6.73	--	16.97	5.33	--
1995	10.15	2.89	--	12.67	2.68	--	16.15	5.69	--	21.26	6.48	--	17.43	5.78	--
2001	11.42	3.58	--	12.82	3.70	--	16.25	6.46	--	17.89	6.81	--	16.41	6.36	--
2002	11.09	3.97	--	14.08	4.18	--	16.12	5.93	--	20.07	7.13	--	16.98	6.11	--
2003	11.93	4.18	--	14.32	4.32	--	16.29	6.54	--	17.98	6.96	--	16.52	6.46	--
2004*	12.20	4.10	3.9	14.50	4.60	2.30	16.90	6.70	5.20	18.40	6.70	3.30	17.05	6.54	3.65

स्रोत: डीओपीटी के दिनांक 30 अगस्त, 2006 के अपने नोट सं० 42011/24/2006 (स्था) (आर०)

*एक मंत्रालय की सूचना इसमें शामिल नहीं है।

तालिका 8.7 : सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं में (वर्ग 'क' एवं वर्ग 'ख') अनु० जातिओं, अनु० जनजातियों का प्रतिनिधित्व (%)

वर्ष	अखिल भारतीय प्रशा० सेवा			अखिल भारतीय पुलिस सेवा			अखिल भारतीय बन सेवा			केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क'			केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख'		
	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.
2004	13.1	6.6	28.6	12.5	9.0	23.9	5.0	10.0	25.0	19.0	9.3	27.0	-	89.0	-

स्रोत: कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06

तैयार नहीं किए गए हैं तथा इसी कारण अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व स्पष्ट नहीं है।

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की रोजगार स्थिति

6.5 वर्ग 'क' एवं 'ख' के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 1.1.2005 को दर्शायी गई स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व लगभग 13% एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व लगभग 4-6% था। जो कि कुल जनसंख्या में उनकी संख्या से कम है। इसके विपरित, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व 6 से 8.5% था। श्रेणी 'ग' एवं 'घ' दोनों में अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता उनके शेयर से बहुत अधिक है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व 17 से 22.60% के बीच था।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं बीमा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की रोजगार स्थिति

6.6 जैसा कि तालिका 8.9 से स्पष्ट है कि सभी वर्गों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व, कुल जनसंख्या में उनके हिस्से से अधिक हो गया है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहा है। अधीनस्थ स्टॉफ की श्रेणी में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व उनके हिस्से से काफी

तालिका 8.8 : 01.01.2005 को 211 सार्वजनिक उद्यमों में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ०जा, अ०ज०जा० एवं अपि०व० का प्रतिनिधित्व					
		अ०जा०		अ०ज०जा०		अपि०व०	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
वर्ग क	1,65,405	20,864	12.61	6,607	3.99	10,410	6.29
वर्ग ख	1,54,174	20,335	13.18	9,444	6.12	13,001	8.43
वर्ग ग	6,64,501	1,31,204	19.74	64,957	9.77	1,13,407	17.06
वर्ग घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	2,42,973	53,027	21.82	34,594	14.23	54,845	22.57
कुल	12,27,053	2,25,430	18.37	1,15,602	9.42	1,91,663	15.61

स्रोत: लोक उद्योग विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2005-06

तालिका 8.9 : 31.12.2005 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ०जा, अ०ज०जा० एवं अपि०व० का प्रतिनिधित्व					
		अ०जा०		अ०ज०जा०		अपि०व०	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
अधिकारी	2,58,543	40,076	15.50	14,186	5.49	6,570	2.54
लिपिक	3,44,426	55,776	16.10	17,114	4.97	11,436	3.32
निचला स्याफ	1,48,343	37,550	25.31	9,896	6.67	33,453	22.55
सफाई कर्मचारी	39,784	22,576	56.75	2,496	6.27	3,136	7.88
कुल	7,91,096	1,55,978	19.72	43,690	5.52	54,595	6.90

स्रोत: आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाव नोट .5/10/2006 एसडीटी (बी० दि० 4 दिसंबर, 2006

अधिक रहा है। परन्तु अधिकारियों एवं लिपिकों की श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व आरक्षित 27% कोटे से काफी कम है।

6.7 सामान्य बीमा कंपनी की वर्ग 'क' सेवाओं में अनुसूचित जाति का तथा सभी बीमा कंपनियों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व घट रहा है। वर्ग 'ख' सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति के लिए 15% तथा अनु० जनजाति के लिए 7.5% की निर्धारित सीमा तक भी नहीं पहुंचा है। इसके अतिरिक्त वर्ग 'ग' एवं वर्ग 'घ' की सेवाओं (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) में अनु० जाति को प्रतिनिधित्व निर्धारित सीमा से अधिक हो गया है। ग्रुप 'घ' सेवाओं में (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) अनु० जनजाति का प्रतिनिधित्व अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है परन्तु वर्ग 'ग' सेवाओं (जीवन बीमा निगम को छोड़कर), अन्य कंपनियां पिछड़ रही हैं, जैसाकि तालिका 8.10 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2004.05 के दौरान भारतीय रेलवे में अनुसूचित जाति-एवं अनुसूचित जनजातियों के रोजगार की स्थिति

6.8 जैसा कि तालिका 8.11 में देखा जा सकता है, सभी वर्गों में अनु० जाति का प्रतिनिधित्व कुल जनसंख्या में उनके लिए निर्धारित स्तर अनुपात तक पहुंच चुका है। परन्तु अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कुल जनसंख्या में उनके प्रतिशत तक भी नहीं पहुंचा है।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

6.9 1999-2000 के सर्वेक्षण में एन एस ओ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व उनके लिए आरक्षित 27% शेयर की तुलना में काफी अधिक है। इनके अतिरिक्त, अ०ज०

तालिका 8:10 : 01.01.2002 को बीमा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

कंपनी/ग्रुप	कुल कर्मचारी	अंज़ कर्मचारी	अंज़ कर्मचारियों का प्रतिशतता	अंज़जा० कर्मचारियों की प्रतिशतता	अंज़जा० कर्मचारियों की प्रतिशतता
ग्रुप 'क'					
राष्ट्रीय	3919	602	15.36	108	2.75
न्यू इंडिया	5041	784	15.52	155	3.07
ऑरियंटल	4049	676	16.69	103	2.54
यूनाइटेड इंडिया	4695	880	18.74	155	3.30
जी आई सी*	322	38	11.80	11	3.40
एल आई सी	17023	2692	15.81	896	5.26
कुल	35049	5672	16.18	1428	4.07
ग्रुप 'ख'					
राष्ट्रीय	2670	241	9.02	46	1.72
न्यू इंडिया	3732	365	9.78	105	2.81
ऑरिटल	2814	323	11.36	89	3.13
यूनाइटेड इंडिया	2851	275	9.60	56	1.96
*जी आई सी	0	0	0	0	0
एल आई सी	19079	2662	13.95	891	4.67
कुल	31146	3866	12.41	1187	3.81
ग्रुप 'ग'					
राष्ट्रीय	10018	2007	20.03	529	5.28
न्यू इंडिया	12001	2039	16.89	492	4.07
ऑरियंटल	9667	1824	18.87	588	6.08
यूनाइटेड इंडिया	10908	2356	21.59	617	5.66
जी आई सी	263	68	25.86	13	4.94
एल आई सी	74414	12518	16.82	5628	7.56
कुल	117271	20812	17.74	7867	6.70
राष्ट्रीय	1824	606	33.22	122	6.68
न्यू इंडिया	2599	1007	38.74	231	8.88
ऑरियंटल	1936	609	31.15	160	8.26
यूनाइटेड इंडिया	2423	1009	41.64	188	7.75
जी आई सी	95	26	27.37	13	16.38
एल आई सी	8277	2090	25.25	688	8.31
कुल	17154	5347	31.17	1402	8.17

*जी आई सी ऑफ इंडिया में ग्रुप 'ख' का कोई प्रावधान नहीं है।

स्रोत: अंज़ एवं अंजजा० के राष्ट्रीय आयोग की सातवीं रिपोर्ट-2001-2002

तालिका 8.11 : रेलवे में अ०ज० एवं अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों में ग्रुप का प्रतिशत	कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों में ग्रुप का प्रतिशत
ग्रुप क	8002	1,284	15.93	577	7.16
ग्रुप ख	6686	1,094	16.20	404	5.98
ग्रुप ग	872120	1,30,253	14.89	52,298	5.98
ग्रुप घ	535443	1,02,925	19.22	34,619	6.46
कुल जोड़	14,22,251	2,35,556	16.52	87,898	6.16

स्रोत: रेल मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट: 2004-05

अ०ज०जा० एवं अ०फिक० के शेयर के साथ अन्य समुदायों के शेयर की तुलना करने से यह पता लगता है कि केवल व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय नौकरियों को छोड़कर जहां पर अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण उनके लिए स्वीकृत आरक्षण के निकट है अन्य कार्य श्रेणियों जैसे सेवाएं एवं उत्पादन में अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व हिन्दुओं से अधिक है। वास्तव में तालिका में अधिनिर्धारित लगभग सभी प्रमुख नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग का शेयर पर्याप्त है।

अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग में साक्षरता, शैक्षिक स्थिति

7.1 हमारे संविधान निर्माता यह जानते थे कि सभी के लिए, विशेषकर जनसंख्या के कमजोर वर्ग के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अतः समुदाय के कमजोर वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए धारा 15(4) धारा 29(1) धारा 46 के अधीन संविधान में अनेक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उन्नीकृष्णन (1993) मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सभी नागरिकों को 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है।

तदनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया।

7.2 हाल के राष्ट्रीय स्तर के साक्षरता आकलनों में साक्षरता दर वर्ष 1991 के 52% से बढ़कर वर्ष 2001 के 64.8% की उल्लेखनीय बढ़ौतरी दर्ज की गई है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में यह बढ़ौतरी अधिक हुई है। दसवें दशक के आरंभ में औपचारिक प्राथमिक शिक्षा में किए गए व्यापक विस्तार प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजनाएं जैसे डी पी ई पी (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) की कार्य नीतियों ने इस बढ़ौतरी में काफी बड़ा योगदान दिया है। यद्यपि इस अवधि में महिला साक्षरता में भी बढ़ौतरी दर्ज की गई हैं फिर भी अ०ज०अ०जा० एवं मुस्लिम समुदायों में महिला साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता औसत 53.7% की तुलना में क्रमशः 41.90 % , 34.76% एवं 50.1% रही। अल्पसंख्यकों में न्यूनतम साक्षरता दर मुस्लिम समुदाय की है जो कि 64.8% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 59.1% है। परन्तु मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर अ.जा. एवं अ०ज० जाति की साक्षरता दर से अधिक है। यद्यपि पिछले पांच वर्षों में दलित, जनजातियों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों की सहभागिता

तालिका 8.12 : अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

क्रम सं०	कार्यों की श्रेणी	अ०जा०/अ० जजा०	मुस्लिम	अ०फिक०	हिन्दू
1.	व्यवसाय तथा प्रबंधकीय	14.3	9.7	24.2	51.8
2.	बिक्री	15.5	14.7	28.2	41.5
3.	सेवा	28.6	9.1	36.5	25.8
4.	कृषि	36.3	6.1	35.7	21.9
5.	उत्पादन	28.8	16.6	33.3	21.2
6.	कुल सेवा प्रति०	30.7	9.5	33.7	26.1

स्रोत: जं एन यू द्वारा की गई आरक्षण कार्यशाला पर रिपोर्ट एन एस एस ओ रिपोर्ट 1999-200 पर आधारित

तालिका 8.13 : अ० जाति, अ०ज०जाति एवं धार्मिक समुदायों की राज्य वार साक्षरता दर

राज्य	सभी धर्म	हिन्दू	अ०ज०	अ०ज०जाति	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन
भारत	64.8	65.1	54.69	47.10	59.1	80.3	69.4	72.7	94.1
आंध्र प्रदेश	60.5	59.4	53.52	37.04	68.0	75.3	78.7	54.8	93.2
असम	63.3	70.0	66.78	62.52	48.4	56.4	90.4	69.9	95.3
बिहार	47.0	47.9	28.47	28.17	42.0	71.1	79.8	59.0	93.3
छत्तीसगढ़	64.7	63.9	63.96	52.09	82.5	75.3	89.0	84.9	96.8
गुजरात	69.1	68.3	70.50	47.74	73.5	77.7	85.1	66.9	96.0
हरियाणा	67.9	69.4	55.45	--	40.0	85.3	68.9	67.4	94.2
हिमाचल प्रदेश	76.5	76.8	70.31	65.50	57.5	82.8	83.0	73.7	96.3
जम्मू-कश्मीर	55.5	71.2	59.03	37.46	47.3	74.8	85.4	59.7	86.5
झारखण्ड	53.6	54.6	37.56	40.67	55.6	67.9	87.8	62.5	90.9
केरल	90.9	90.2	82.66	64.35	89.4	94.8	92.4	92.1	95.5
मध्य प्रदेश	63.7	62.8	58.57	41.16	70.3	85.8	82.9	74.4	96.2
महाराष्ट्र	76.9	76.2	71.90	55.21	78.1	91.0	88.9	76.2	95.4
उडीसा	63.1	63.3	55.53	37.37	71.3	54.9	90.5	71.0	93.3
पंजाब	69.7	74.6	56.22	--	51.2	54.6	67.3	72.7	95.9
राजस्थान	60.4	60.2	52.24	44.66	56.6	83.0	64.7	71.4	94.0
तमिल नाडू	73.5	72.0	63.19	41.53	82.9	85.8	83.7	86.3	92.2
उत्तर प्रदेश	56.3	58.0	46.27	35.13	47.8	72.8	71.9	56.2	93.2
पश्चिम बंगाल	68.6	72.4	59.04	43.40	57.5	69.7	87.2	74.7	92.8
दिल्ली	81.7	82.8	70.85	--	66.6	94.0	92.1	83.8	96.8
अरूणाचल प्रदेश	54.3	64.6	67.64	49.62	57.7	47.0	92.4	44.9	85.2
गोवा	82.0	81.9	71.92	55.88	75.4	83.8	95.5	82.8	95.7
कर्नाटक	66.6	65.6	52.87	48.27	70.1	87.4	83.7	54.8	84.3
मणिपुर	70.5	75.3	72.32	65.85	58.6	65.9	88.5	53.3	94.5
मेघालय	62.6	69.3	56.27	61.34	42.7	65.3	74.7	70.8	69.9
मिजोरम	88.8	79.3	89.20	89.34	74.7	93.1	91.8	45.8	61.7
नागालैंड	66.6	74.9	--	65.95	48.2	66.2	82.8	74.6	94.5
सिक्किम	68.8	69.4	63.4	67.14	57.8	72.4	97.2	67.3	90.7
उत्तराखण्ड	71.6	74.1	63.40	63.23	51.1	87.9	73.1	76.3	96.3
अण्डमान एवं निकोबार	81.3	81.7	--	66.79	89.8	77.0	94.1	91.4	100.0
चण्डीगढ़	81.9	80.5	67.66	--	64.1	88.5	92.0	91.7	97.3
दादर एवं नगर हवेली	57.6	56.5	78.25	41.24	80.4	64.6	91.7	63.4	94.4
दमन एवं दीव	78.2	77.7	85.13	63.42	80.3	88.2	93.0	84.4	94.6
लक्ष्मीप	86.7	96.4	--	86.14	86.1	97.4	100.0	100.0	--
त्रिपुरा	73.2	75.3	74.68	56.48	60.9	67.9	98.4	49.2	82.9
पुडुचेरी	81.2	80.3	69.12	47.10	87.8	87.3	90.9	92.8	96.3

स्रोत : भारत सरकार की जनगणना 2001

बढ़ी है, धर्म तंत्रीय सामाजिक क्रम में विभिन्न समुदायों की शैक्षिक स्थिति के सूचकों से असमान विकास का पता चलता है। अज्ञा० एवं अज्ञा० एवं अल्पसंख्यकों की राज्य-वार साक्षरता दर की स्थिति तालिका 8.13 में दर्शाई गयी है।

7.3 साक्षरता दर में सुधार आते ही प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन में भी बढ़ोतरी हुई है। तालिका 8.4 में दिए गए ब्यौरे से यह स्पष्ट है। वर्ष 1980-81 को छोड़कर जब अज्ञा० जाति का नामांकन, जनसंख्या में उनके अनुपात से कम था, अज्ञा० एवं अज्ञा० के विद्यार्थियों का नामांकन, जनसंख्या में उनके अनुपात से काफी अधिक रहा है।

7.4 प्राथमिक स्तर पर साक्षरता दर एवं नामांकन में समग्र सुधार होने के बावजूद धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक स्तर में अभी भी काफी अंतर हैं जैसा कि तालिका 8.15 में दिए गए ब्यौरे से स्पष्ट है।

धार्मिक समुदायों के शैक्षिक स्तर संबंधी सापेक्ष स्थिति, राष्ट्रीय औसत शैक्षिक स्तर की तुलना में बदली रहती है। शिक्षा के प्राथमिक चरण में मुसलमानों की स्थिति अच्छी (65.31%) होती है परन्तु माध्यमिक (4.53%) एवं स्नातक (3.60%) स्तर पर उनका अनुपात कम होता जाता है। इसके विपरीत, ईसाइयों में शिक्षा का प्राथमिक स्तर राष्ट्रीय औसत शिक्षा स्तर से कम है,

तालिका 8.14 : अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की तुलनात्मक नामांकन स्थिति

(आंकड़े हजारों में)

वर्ष	कुल नामांकन	अज्ञा०-नामांकन का %	अज्ञा० नामांकन का %	अज्ञा० नामांकन	अज्ञा० नामांकन का %
1980-81	72688	10981	15.11	4660	6.41
1985-86	86465	13921	16.10	6580	7.61
1990-91	99119	15794	15.93	7869	7.94
1995-96	109734	18536	16.89	9224	8.40
1999-2000	113612	20435	17.98	10650	9.37
2000-2001	113800	21195	18.62	10995	9.66
2001-2002	113883	21504	18.88	11731	10.30
2002-2003	122397	21669	17.70	11830	9.67
2003-2004	128266	23129	18.04	12517	9.75

*स्रोत: मानव संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2003-04 की चयनित शैक्षिक सांख्यिकी

तालिका 8.15 : विभिन्न स्तरों पर धार्मिक समुदायों की तुलनात्मक शैक्षिक स्थिति

(प्रतिशत में)

धर्म/समुदाय	प्राथमिक स्तर तक*	मध्य	माध्यमिक	उच्चतर	डिप्लोमा	स्नातक	अवर्गोकृत
सभी धर्म	55.57	16.09	14.13	6.74	0.72	6.72	0.02
हिन्दू	54.91	16.18	14.25	6.92	0.71	7.01	0.01
मुस्लिम	65.31	15.14	10.96	4.53	0.41	3.6	0.05
ईसाई	45.79	17.13	17.48	8.7	2.19	8.71	0.01
सिख	46.70	16.93	20.94	7.57	0.90	6.94	0.02
बौद्ध	54.69	17.52	14.09	7.65	0.35	5.7	0.01
जैन	29.51	12.27	21.87	13.84	1.03	21.47	0.01
अन्य धर्म	62.12	17.48	11.24	4.55	0.26	4.35	0.01

इसमें प्राथमिक स्तर एवं प्राथमिक स्तर से नीचे के अशिक्षित साक्षर शामिल हैं।

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001

उनकी प्रतिशतता वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (8.70%) तथा स्नातक स्तर (8.71%) पर अधिक है। अन्य धर्म कुल मिलाकर राष्ट्रीय औसत स्तर का अनुसरण करते हैं।

7.5 विभिन्न समुदायों के शैक्षिक स्तर में बहुत अधिक अन्तर होने के कारण: निम्न नामांकन; एवं/या निम्न महिला साक्षरता दर एवं/या प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ना हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्कूल के शेष विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थी स्कूलों में आधारभूत संरचनाओं की कमी एवं/या उपलब्ध शिक्षा की निम्न गुणवत्ता, विशेषकर ग्रामीण एवं पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में; के कारण वे संभावित शैक्षणिक मानक पूरा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में अपने समुदायों के अन्दर उपयुक्त शैक्षणिक मानक प्राप्त करने वालों की तुलना में सामाजिक एवं अर्थिक दृष्टि से गरीब परिवार सर्वाधिक प्रभावित होते हैं तथा लाभप्रद स्थिति में बने रहते हैं।

7.6 जैसा कि तालिका 8.16 से देखा जा सकता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अंज० एवं अ० ज० जाति का प्रतिनिधित्व कुल जनसंख्या में उनकी संख्या के अनुपात में नहीं है।

लोक सेवा में अंज० एवं अ०ज०ज० की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि सरकारी पदों एवं लोक सेवाओं में दिए गए आरक्षण ने इन समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने योग्य बनाया है, इसका यह अर्थ भी है कि उनमें से अध्यर्थियों का बहुत छोटा पूल है जिनमें से ये पद भरे गए हैं। दूसरे शब्दों में 10 प्रतिशत अंज० स्नातकों के

मुकाबले में समूह के और ख के लगभग 14 प्रतिशत अधिकारी इस समूह से आए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की भी ऐसी स्थिति हो सकती है। इससे पता लगता है कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के पूल में वृद्धि करने की अति आवश्यकता है तथा इसके बाद जाति या धर्म पर ध्यान दिए बिना सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के विकल्प का चयन करना एवं उनके लिए अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

रोजगार एवं शिक्षा में आरक्षण नीति का प्रभाव

8.1 जैसा कि पिछले पैराग्राफों के ब्यौरे से स्पष्ट है कि आरक्षण नीति का सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार एवं शिक्षा संस्थाओं में अनु० जाति, अनु० जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेश का हितकारी-प्रभाव पड़ा है। परन्तु रोजगार एवं शिक्षा संस्थाओं में क्रमशः सेवाओं एवं उच्च शिक्षा की कुछेक श्रेणियों में मौजूदा उनका प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। ग्रुप 'ग' एवं 'घ' के मामले में लक्ष्य अनुसूचित जाति के 15% तथा अनुसूचित जनजाति के 7.5% के जनसंख्या मार्क के निकट है परन्तु ग्रुप 'क' एवं 'ख' के मामले में यह लक्ष्य से दूर है। केंद्रीय सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व संबंधी वास्तविक स्थिति के बारें में जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु जैसा कि 6.4 पैरा में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं एवं केन्द्रीय सेवाओं, जिनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व उनके शेयर लिए निर्धारित संख्या के निकट है। लोक

तालिका 8.16 : शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी

शिक्षा का स्तर	कुल	सामान्य		अंज०		अ०ज०ज०	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
पी एच डी	65525	60282	92.0	3859	5.9	1384	2.1
एमए०	427234	354675	83.0	58017	13.6	14542	3.4
एमएससी०	237439	207470	87.4	29484	10.5	4985	2.1
एम्काम	141954	124378	87.6	14119	10.0	3457	2.4
बी० ए०/बी० ए० आनर्स	3824833	3107202	81.3	513771	13.4	203860	5.3
बी०एस०सी०/ बी०एमसी० आनर्स	1614067	1399426	86.7	178829	11.1	35812	2.2
बी०काम० आनर्स	1613374	1432000	88.8	150616	9.3	30758	1.9
बी०ई०/ बी०एस०सी० इंजी/बी० आर्क०	772923	708782	91.7	48783	6.3	15358	2.0
मैडिकल/डैंटल/नर्सिंग/फॉमसी/आयुर्वेद	223235	184194	82.5	28935	13.0	10106	4.5
बी०एड/बी० टी	114681	90298	78.7	18023	15.7	6360	5.6
अन्य	973873	738435	75.8	153094	15.7	82344	8.5

स्रोत : मानव संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2003-04 की चयनित शैक्षणिक संख्यकी

सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अनुपात में वृद्धि होने से इन दो अलाभकारी ग्रुपों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक गुणात्मक प्रभाव पड़ा है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़ों से यह पता लगता है कि हाल ही के वर्षों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित विकास को केन्द्र की विशिष्ट सेवाओं में भी पूरी तरह से भरा गया है।

8.2 आरक्षण नीति के कारण प्रशासन की दक्षता एवं गुणवत्ता के खरखाच पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अलग-अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि न्यूनीकृत शैक्षिक मानकों आदि वाले व्यक्तियों को आरक्षण के आधार पर नियुक्त किए जाने से उनमें हीन भावना आने की संभावना है, जो कि गुणवत्ता एवं दक्षता को अवश्य प्रभावित करेगी। चूंकि सरकारी सेवाओं में जॉब आरक्षण एवं लोक सेवा में नियुक्ति लोक सेवा हित के लिए है, उपयुक्त निष्पादन के लिए गुणवत्ता एवं दक्षता सर्वोपरि विषय हैं। इस नियुक्ति जलहित में है अत लोक सेवा के विपरीत, वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध अध्ययन के न होने से यह निष्कर्ष निकालना कठिन होगा कि आरक्षण का प्रशासन की दक्षता एवं गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है या पड़ रहा है। यहां तक कि यदि इसे बहस के लिए मान लिया जाए कि आरक्षण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो यह प्रभाव न्यूनतम होगा तथा प्रशिक्षण आदि जैसे विशेष योगदान से इनको दूर किया जा सकता है। आरक्षण के उद्देश्य के किसी भी मामले में यह स्वीकार्य नीति है।

8.3 आरक्षण प्रत्येक वर्ग/समुदाय के सभी लाभार्थियों को समान अवसर प्रदान नहीं करता। परिणामतः एक वर्ग/समुदाय की विभिन्न जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण नीति से लाभ नहीं मिला है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों या अल्पसंख्यकों के लाभार्थियों की लगभग सभी श्रेणियों में लाभ वंचन की भावना बढ़ रही है जिससे आंतरिक मनमुटाव पैदा हो रहा है। उदाहरण के लिए पंजाब में बाल्मीकि समाज इस आधार पर आरक्षण का अलग कोटे की मांग कर रहा है कि रामदासियों एवं

मजहवियों ने लाभों को समेट लिया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में चमारों एवं महाराष्ट्र के महरों को इन क्षेत्रों की अनुसूची में अधिनिर्धारित अन्य जातियों की तुलना में आरक्षण का अधिक लाभ मिला है। अन्य अनुसूचित जनजातियों द्वारा इसी प्रकार के आरोप मीणा समुदाय पर भी लगाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में इस प्रकार की समस्याएं बहुविध हैं चूंकि प्रत्येक राज्य में आमतौर आर्थिक एवं राजनैतिक रूतबे (बसवदज) वाले प्रमुख वर्ग होते हैं जो आरक्षणों का लाभ उठा लेते हैं। केरल में इज्जावास, तमिलनाडू में नादरस एवं थेवरस कर्नाटक में वोकाल्लिंगंस एवं लिंगांपतस, मध्य भारत में लोध एवं कोइरिस ऐसे ही वर्ग हैं। बिहार एवं उत्तरप्रदेश के यादव एवं कुर्�मा तथा राजस्थान के जाट जिनकी स्थिति प्रबल होने के बावजूद उन्हें पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल कर दिया गया है, जो कि आरक्षण के अन्तर्गत लाभ के पात्र हैं। इन्हीं कारणों से आरक्षण आज एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है और इसमें इजाफा तब होता है जब इसे अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू किया जाता है।

जे एन यू नर्ह दिल्ली द्वारा “आरक्षण नीति के प्रभाव का मूल्यांकन” विषय पर आयोजित कार्यशाला पर एक रिपोर्ट।

8.4 केरल एवं कर्नाटक की राज्य सरकारों द्वारा तालिका 8.17 में दिए गए व्यौरे के अनुसार अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है।

आंध्रप्रदेश सरकार ने भी मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने के लिए अधिनियम पारित किया है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की विशेष संस्तुतियों के मिलने तक इसे वापिस कर दिया है।

आरक्षण नीति को लागू करने में आई समस्याएं

9. फर्जी/नकली जाति/समुदाय प्रमाणपत्रों की समस्या एक गंभीर समस्या है तथा यह बढ़ती जा रही है। परिणामतः वास्तव में पात्र व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। अनुसूचित

तालिका 8.17: राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण

क्रम सं०	राज्य	श्रेणी	दिया गया आरक्षण	
			शिक्षा/संस्थाओं में	रोजगार में
1	केरल	मुसलमान ईसाई/ एलसी/एग्लो इंडियन	10% 2%	12% 4%
2	कर्नाटक	मुसलमान	4%	4%

जाति या अनुसूचित जनजाति के लाभ/विशेषाधिकार लेने के लिए व्यक्ति को यह दिखाना होता है कि वह अनुजाति या अनुजनजाति से संबंधित है इसके लिए उसे नामित प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र लेना होता है। पर सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में आरक्षित पदों पर नियुक्त के लिए यह प्रमाणपत्र आवश्यक होता है। डी ओ पी एण्ड टी ने इन प्राधिकारियों को ब्यौरे सहित अनुदेश जारी किए हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति स्थिति के सत्यापन की प्रक्रिया के साथ-साथ उक्त प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। इसी प्रकार, उन व्यक्तियों, जो अफिव० से संबंधित नहीं हैं, द्वारा द्यूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के कारण वास्तविक एवं पात्र अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण के लाभों से वंचित रहना पड़ सकता है। सीटों/नौकरियों की अत्यधिक कभी अभ्यर्थियों को फर्जी/नकली प्रमाणपत्र, जो धन या बाहुबल से प्राप्त किए जाते हैं, लेने के लिए आकर्षित करती है। सर्वोच्च न्यायालय अपात्र लोगों द्वारा आरक्षण लाभ लेने की प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया है। अतः यह काफी गंभीर मुद्दा है तथा इस संबंध में सरल एवं सुस्पष्ट प्रणाली बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि कुछ राज्यों (जैसे केरल एवं तमिल नाडू), जहां पर कुल जनसंख्या में उनका अनुपात केवल 2% है, में उन्हें रोस्टर प्लाइंट पर आने के लिए कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया ने आदिम जनजाति समूह (पीटीजी) पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, संख्या इन राज्यों में जिनकी क्रमशः 5 या 6 है। देश में पीटीजी की कुल संख्या 75 है। अतः इस संबंध में नीति की समीक्षा करना विवेकपूर्ण है ताकि आदिम जनजाति समूह कम से कम भारत सरकार में तो रोजगार को पा ही सके जहां पर उनका आरक्षण राज्य के 2% की तुलना में 7.5% है।

तालिका 8.18 : संगठित निजी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का वर्ष-वार ब्यौरा

(आंकड़े लाखों में)

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	वर्ष				
	1981	1990	1995	2000	2002
(i) विनिर्माण	45.45	44.57	47.06	50.85	48.67
(ii) निर्माण कार्य	0.72	0.68	0.53	0.57	0.56
(iii) थोक, खुदरा, व्यापार	2.77	2.91	3.08	3.3	3.35
(iv) परिवहन, भण्डारण	0.6	0.52	0.58	0.7	0.76
(v) वित्त एवं बीमा	1.96	2.39	2.93	3.58	3.91
(vi) समुदाय एवं सामाजिक सेवा	12.22	14.6	16.03	17.23	17.42
कुल (अन्य सहित)	73.95	75.82	80.58	86.49	84.32

स्रोत: रिज़र्वेशन एण्ड प्राइवेट सेक्टर आरक्षण एवं निजी क्षेत्र (संस्करण: 2005) लेखक – सुखदेव थोरट, अध्यक्ष यू जी सी

तालिका 8.19 : उद्यमों में अ०ज०, अ०ज०जा० एवं अ०पि०च० का स्वामित्व (%)

	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
अनुसूचित जाति	9.0	5.8	7.7
अनुसूचित जनजाति	5.2	2.3	4.0
अन्य पिछ़ड़ा वर्ग	36.0	29.1	33.1
कुल	50.2	37.2	44.8

स्रोत: रिजर्वेशन एण्ड प्राइवेट सेक्टर (संस्करण: 2005) लेखक सुखदेव थोरट

10.3 जैसा कि पहले कहा गया है कि विगत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में बहुत कम वृद्धि हुई है या कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। वास्तव में नए पदों के सृजन पर लगी रोक ने सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को क्षीण कर दिया है। इसके साथ-साथ संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं सीमित हो गई हैं चूंकि इस क्षेत्र में नौकरियों की संख्या, जो तकरीबन 350 मिलियन के कुल कार्यबल के तीन प्रतिशत से भी कम है। अतः निजी क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की संभावनाओं पर सरकार विचार कर रही है तथा प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है ताकि उद्योग द्वारा क्रमिक ढंग से सकारात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए आचार-संहिता तैयार की जा सके। परंतु उद्योग ने सरकार को सूचित किया है कि वे निम्नलिखित कारणों से इस मुद्दे के बारे में विधिक बाध्यता की बजाए स्वैच्छिक कार्रवाई पसंद करेंगे:

- (i) आज भारत में सृजित प्रत्येक 10 नौकरियों (जॉब्स) में से 9 नौकरियां अनौपचारिक क्षेत्र से हैं, जबकि शेष नौकरियां सरकारी एवं संगठित निजी क्षेत्र द्वारा सृजित की जाती हैं। इस प्रकार, अधिकांश अतिरिक्त जॉब अनौपचारिक क्षेत्र में हैं न कि संगठित निजी क्षेत्र में; तथा
- (ii) जाति/समुदाय/धर्म के आधार पर नौकरी के आबंटन से कार्य संविदाएं, जो भारतीय आई टी एवं आई टी की कंपनियों ने यूरोपियन एवं यू एस ग्राहकों के साथ की थीं, भंग हो सकती हैं। पश्चिमी सरकारें जाति कोटों का आई टी उद्योग के विरुद्ध ट्रेड रहित बैरियर के रूप में प्रयोग कर सकती हैं चूंकि उनके पास कार्पेट उद्योग है।

10.4 उपर्युक्त को देखते हुए, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने मानव पूंजी निर्माण एवं उद्यमशीलता का प्रोन्नयन करके, जहां

अधोलिखित लक्ष्य एवं मील-पथर, स्वयं कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, के वंचित वर्गों को शक्ति प्रदान करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के लिए स्वैच्छिक आचार-संहिता का प्रस्ताव रखा है।

क.- सी आई आई सदस्य उद्योग की भूमिका

- (i) स्कूल के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना तथा उनकी स्कूली शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरी करने में सहायता करना।
- (ii) कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को अपने नजदीकी सरकारी स्कूल से जोड़ना ताकि उनके समग्र शिक्षा स्तर को बढ़ाया जा सके।
- (iii) आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को बड़ी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण में शामिल किया जा सकता है।
- (iv) विशिष्ट औद्योगिक समूहों में सी आई आई सदस्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए मिलकर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करेंगे।
- (v) मिडडे मील (दोपहर का भोजन) की व्यवस्था करने एवं वितरित करने का उत्तरदायित्व सरकार का ही बना रहे, स्वास्थ्य देखभाल एवं भोजन पैक करने वाली कंपनियां, बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के पोषण मानक एवं स्वास्थ्य गुणवत्ता को सुधारने में मदद करेंगी।
- (vi) सदस्य कंपनियां निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सक्रिय रूप में जुड़ेंगी:
 - तत्काल पाठ्यक्रम तैयार करना
 - सुविधाओं के स्तर बढ़ाना
 - संकाय सदस्यों के लिए उद्योग संबंधी सभी जानकारी की व्यवस्था करना
 - अपने प्रचालन क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए तकनीकी, प्रशिक्षण एवं वित्तीय उपलब्धियों की व्यवस्था करना।
- (vii) बड़ी एवं मध्य कंपनियां जिला उद्योग केन्द्र के साथ कार्य करेंगी तथा लाभ वंचित वर्गों के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमों को प्रयोजित करेंगी।

(viii) सदस्य कंपनियां, सहायक विकास के माध्यम से आजीविका का सृजन करेगी व उसे बढ़ाएगी और अन्य कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए बैंचमार्कों का पालन करेगी।

ख - भारतीय उद्योग परिसंघ की भूमिका

- (i) सी आई आई युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे देश में अपने कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करेंगे। सभी महत्वपूर्ण व्यवसायों में व्यावसायिक कौशल प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि नियोजन-योग्यता सुनिश्चित की जा सके तथा लोगों को स्वरोजगार के लिए अधिक दक्ष बनाया जा सके;
- (ii) प्रथम चरण में सरकार द्वारा निर्धारित 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करना जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिल सके तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जा सके;
- (iii) सी आई आई गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं-सहायता समूहों के साथ कार्य करेंगे ताकि इन समूहों के सफल सदस्यों को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके; तथा
- (iv) उद्यम के उन्नयन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ संपर्क स्थापित करके लाभ वंचित समूहों को रियायती व्याज दर पर ऋण देकर वित्तीय प्रणाली को पुनः तैयार करना।

आरक्षण मुद्रे पर राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों का दृष्टिकोण

11. राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र में आयोग के दौरे के समय आयोग ने सरकारी बैठकों के अलावा कुछेक राज्यों के मुख्य मंत्रियों एवं राज्यपालों के साथ विचार-विमर्श किया था तथा इन दौरों के दौरान आरक्षण के मुद्रे पर प्रकट किए गए विचार निम्नानुसार हैं:

- (i) सेवाओं में आरक्षण की समस्या का एकमात्र समाधान शिक्षा है तथा जो व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब है उनको छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी शिक्षा आदि जारी रख सकें;
- (ii) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार स्कूल स्तर से ही आरंभ हो जाना चाहिए;
- (iii) अनुसूचित सूचियों से समुदायों को बाहर करना एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए तथा इन सूचियों की समीक्षा करने के लिए हर दस वर्ष में एक बार सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि आरक्षण नीति के दुरूपयोग को रोका जा सके;

(iv) समुदाय के लाभ वंचित वर्गों को केवल एक पीड़ी के लिए ही आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए;

(v) अन्य पिछड़े वर्ग की तर्ज पर अ० जाति एवं अ०ज० जाति में क्रीमी लेयर की संकल्पना शुरू की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें से अत्यधिक पिछड़े व्यक्ति भी चिह्नित आरक्षणों का लाभ ले सकें;

(vi) समुदाय के सबसे गरीब व्यक्ति को आरक्षण दिया जाना चाहिए चाहे वह किसी भी धर्म का हो;

(vii) मदरसों में उर्दू एवं धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त आधुनिक विषयों की पढ़ाई भी कराई जानी चाहिए; एवं

(viii) निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की आवश्यकता है।

12. “‘आरक्षण एवं इसके प्रभाव’” विषय पर 31 जुलाई, 2006 को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला की संस्तुतियां रिपोर्ट के खण्ड II में संलग्न हैं:

13. आजादी के बाद “‘आरक्षण एक नीति’” चर्चा का विषय रहा है। आरक्षण को उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के औजार के रूप में लोगों की ऐसे विशिष्ट जन/वर्गों के अल्पकालीन उपाय के तौर पर आर्थिक उन्नयन के लिए अपनाया गया था, जो विभिन्न कारणों से पक्षपात के शिकार एवं लाभ से वंचित रहे। इस संदर्भ में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिनांक 27.6.1961 को अपने संदेश में मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया तथा निम्नलिखित टिप्पणी की:

मैंने पहले दक्षता हासिल करने के बारे में तथा अपने पारंपरिक ढर्फे से बाहर निकलने का जिक्र किया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इस जाति या वर्ग को दिए जा रहे आरक्षणों और विशेष सुविधाओं की पुरानी आदतों से पीछा छुड़ाएं। यह सच है कि हम अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सहायता करने संबंधी कुछेक नियमों एवं परंपराओं से बंधे हुए हैं। उनकी सहायता की जानी चाहिए परंतु फिर भी मुझे किसी भी प्रकार के आरक्षण, विशेषकर सेवाओं में, आरक्षण पसंद नहीं है। मैं अदक्षता एवं दोयम दर्जे के मापदण्ड वाली कार्यकुशलता का सख्त विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा देश हर क्षेत्र में अब्लू हो। दोयम दर्जे की कार्यकुशलता को बढ़ावा देकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।”

उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि, “यदि हम संप्रदाय एवं जाति आधारित आरक्षणों की पैरवी करते हैं तो मेधावी एवं योग्य व्यक्तियों को हाशिए पर डाल कर दोयम या तृतीय दर्जे वाले आरक्षणार्थियों को वही पर बना रहने की व्यवस्था करते हैं। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि आरक्षण का मुद्दा किस हद तक सांप्रदायिक हो गया है। मुझे यह जानकर और भी आशचर्य हुआ है कि कभी-कभी पदोन्नति का आधार संप्रदाय या जाति भी होता है। यह केवल मूर्खता ही नहीं बल्कि विनाश का परिचायक है। आओ हम सब मिलकर हर प्रकार से पिछड़े वर्गों की सहायता करें, परंतु किसी भी सूरत में ऐसी सहायता करने में कार्यकुशलता से समझौता न किया जाए।

14. पूर्ववर्ती पैरा के संदर्भ में आयोग ने निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर विचार-विमर्श किया है:

14.1 आरक्षण का मूल मापदण्ड सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए जिसमें वास्तविक लोगों को ही प्रमाणपत्र जारी करने की सुस्पष्ट व्यवस्था हो।

वास्तव में आरक्षण का आधार धर्म या जाति नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्गों, जो कि नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी श्रेणी है, को आरक्षण का लाभ देने के लिए धारा 16(4) को आधार बनाया जाना चाहिए।

14.2 आरक्षण की नीति आरक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि वह इसका संवैधानिक उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद और अधिक समय तक जारी नहीं रखी जा सके तथा उसमें अभिप्रेत हित को विकसित करे तथा जारी रखे। एक समता का लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद आरक्षण या प्राथमिकता देने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वास्तव में इसकी संकल्पना अस्थायी अवधि सीमित, अनुप्रयोग प्रतिबंधित तथा इसका उद्देश्य विशिष्ट होना चाहिए। आरक्षण को हमेशा बनाए रखने तथा समानता के संवैधानिक अधिदेश का दुरुपयोग करने के लिए किया गया प्रयास संविधान में स्थापित आजादी एवं बन्धुत्व एवं सभी मूल भावनाओं के लिए घातक होता है। अतः प्रतियोगी मूल्यों एवं प्रतिस्पर्धा दावों तथा हितों में संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए ताकि सभी को समानता एवं स्वतंत्रता प्राप्त हो सके।

14.3 आरक्षण की संकल्पना एक अपवाद है तथा इसका लक्ष्य स्व-विकास की प्राप्ति होना चाहिए, अर्थात्, पिछड़ेपन को समाप्त करके आर्थिक रूप से एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को ऊपर उठाना। जैसे ही आरक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी वैसे ही देश कुल मिलाकर अच्छी स्थिति में होगा। हम जितनी जल्दी सभी प्रकार के लोगों को ऊपर उठा पाएँगे तथा सदियों से चले आ रहे भेदभाव को दूर कर देंगे तथा पिछड़ेपन के घिसे-पिटे, कलंकित एवं घृणित रीति से जन वर्ग का निर्धारित करना बंद करेंगे; तब हम मजबूत, स्वस्थ एवं संगठित राष्ट्र के रूप में उभर कर आएँगे जिसकी नींव भले ही अलग-अलग रीति-रिवाजों, प्रथाओं, धर्मों एवं भाषाओं पर रखी गई हो परंतु अनेक लड़ियों को एक ही उसका ताना-बाना समान संस्कृति एवं एक ही परंपरा के सूत्र में पिरोया गया होगा।

14.4 रोजगार में अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण को शुरू किया गया था। अतः कमज़ोर तबकों को अपेक्षित अवसर दिए जाने के लिए, अवसरों का लाभ उठाने वाले सीमित वर्गों के दुष्क्रियों को भेदना होगा। अब रोजगार में क्रीमी लेयर की संकल्पना केवल अन्य पिछड़े वर्ग पर लागू होती है न कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर। अतः अ.जाति/अ.ज.जाति संबंधी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद आरक्षण का लाभ उठाता रहता है, अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल अल्पसंख्यकों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता। अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनजाति समेत सभी मामलों में आरक्षण की सीमा से क्रीमी लेयर को अलग करके इस संदर्भ में एकसमान दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति रोजगार के मामले में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुका है तो यह ध्यान रखा जाए कि उसकी अगली पीढ़ी को केवल शैक्षिक आरक्षण का लाभ ही मिलें। आजादी के 60 वर्ष तथा 10 पंचवर्षीय योजनाओं, जिनमें नीति के आधार पर विशेष प्रोत्साहनों एवं कार्यक्रमों पर फोकस किया है, अब यह आवश्यक है कि जाति, वर्ग, धर्म पर आधारित विभिन्न प्रकार की भेदभाव को दूर करते हुए आगे बढ़े तथा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से गरीब लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए एकसमान रणनीति अपनाएं। आरक्षण केवल उन्हीं तक सीमित रखें।

14.5 इसी प्रकार पदोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को ही मिलता है न कि अन्य पिछड़े वर्ग को। चूंकि अल्पसंख्यक वर्ग को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित

जनजातियों की सूचियों में एक ओर शामिल किया गया है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को दूसरी ओर, इससे कुछ विसंगतियाँ पैदा हो गई हैं। यह आवश्यक है कि स्थिति की समीक्षा की जाए तथा आरक्षण का एकसमान दृष्टिकोण केवल भर्ती तक सीमित किया जाना चाहिए न कि पदोन्नतियों में।

14.6 चूंकि अ.जाति, अ.ज.जाति अ.पि.वर्ग की मौजूदा सूचियाँ उपयुक्त सर्वेक्षण करके वैज्ञानिक तरीके से तैयार नहीं की गई हैं अतः जाति या वर्ग विशेष की सामाजिक आर्थिक स्थिति संबंधी आंकड़ों की तथा अ. जाति, अ.ज. जाति अ.पि. वर्ग के आरक्षण के संपूर्ण तंत्र की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि बी पी एल सूचियां सामाजिक/शैक्षिक एवं आर्थिक मानदण्ड के आधार पर तैयार की जा रही हैं, अतः ये अधिक प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित हैं। इसमें समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा चूंकि इन्हें नियमित सर्वेक्षण के बाद तैयार किया गया है अ. जाति, अ.ज.जाति, अ.पि. वर्ग की श्रेणियों में ऐसा नहीं किया जाता। पिछड़े वर्गों के आरक्षण लाभ/मापदण्ड संबंधी सिफारिश करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

14.7 भारत में जहां पर अब भी प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा होती है तथा शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी दूर की कोड़ी है, अतः उपलब्ध सीमित संसाधनों एवं सूचिधाओं को वितरण निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के “अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास के लिए उपाय” अध्याय में की गई चर्चा के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर (कोचिंग कक्षाओं समेत) पर गुणवत्ता शिक्षा के ज्यादा अवसर दिए जाने, सार्वजनिक रोजगार में भर्ती के लिए अन्य वर्गों के साथ मेरिट के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लए कमज़ारे तबकों को साधान मुहैया किए जाने की आवश्यकता हैं सामान्य प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) एवं सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) इस कार्य को संभव कर सकते हैं।

14.8 वर्चंन एवं असमानता के अनेक कारण हैं। लाभ वंचित वर्ग बुनियादी मूल शिक्षा के खराब वितरण से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में, समुदाय में असमानता के अनेक कारणों से यह सुनिश्चित करते हुए निपटना कि समुदाय के अत्यंत सीमांत सदस्यों को लाभ पहुंचे, एक महत्वपूर्ण मुददा है। अलग-अलग राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों को मूल शिक्षा प्रदान करने के लिए कई मॉडलों को आज़मा कर देखना, स्कीमों का मॉनीटरन एवं क्रियान्वयन करना, पड़ सकता है जिसमें स्थानीय समुदाय शामिल हों, ताकि

यह सुनिश्चित हो सके कि स्कीम केवल कागज पर ही न रह जाएं। इस पृष्ठभूमि पर विचार करने के बाद आज अनेक विद्वानों का यह मानना है कि कुछ वर्गों के लिए कोटा सुनिश्चित करने या सीट आरक्षित करने की बजाए प्राथमिक प्रणाली को अपनाया जाए। तर्क यह है कि आरक्षण समुदाय के अंदर टकराव पैदा होता है तथा व्यक्ति विशेष का वर्चस्व बढ़ जाता है तथा सभी को उपलब्ध समान अवसरों के आधार पर सीटें भरे जाने के मापदण्ड से दूर करता है। किसी अन्य विकल्प का तथा सभी को समान रूप से उपलब्ध कराए गए अवसरों के आधार पर सीट भरे जाने का भी समर्थन करते हैं। दूसरी ओर, खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत के अनुरूप है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रतियोगिता सदैव निष्पक्ष नहीं होती प्रतियोगिता को निष्पक्ष बनाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक सीमांत समूहों को अधिक प्राथमिकता देते हुए कुछ विशेष महत्व दिया जाए।

14.9 29–30 अगस्त, 2006 को दिल्ली स्कूल ऑफ इकानोमिक्स (दिल्ली विश्वविद्यालय) में आयोजित कार्यशाला के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ यह भी महसूस किया गया कि कोटे की बजाए प्रतियोगिता दृष्टिकोण, जिसमें अलग-अलग व्यक्ति या परिवार के लक्षणों को, वर्ग के गुण-धर्म के बिना, महत्व मिलना चाहिए, प्रासंगिक हो सकता हैं यह मॉडल साक्ष्य-आधारित होना चाहिए। तथा यह वर्ग के चार मुख्य आयामों जाति/समुदाय, लिंग, धर्म या आवास क्षेत्र, (अर्थात् ग्रामीण या शहरी) का उल्लेख होगा। स्कूल के स्थान, जहां से 10वीं की परीक्षा दी गई है, के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण अभ्यर्थियों का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ कार्यशाला के दौरान यह भी माना गया कि पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर को भी बाहर कर देना चाहिए ऐसा न होने पर आरक्षण नीति द्वारा दी गई रियायत केवल क्रीमी लेयर द्वारा हड्डप ली जाएगी तथा समुदाय के वास्तविक गरीब तबकों तक नहीं पहुंच पाएगी जैसा कि अब तक होता रहा है।

14.10 जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक विलक्षण प्रवेश नीति इजाड़ की है जिसमें संवैधानिक अधिदेशाधीन आरक्षण को अन्य सीमांतक समुदायों की प्राथमिक प्रणाली के साथ जोड़ दिया गया है। विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे समुदाय के अल्पसुविधा प्राप्त एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की यथेष्ट संख्या को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाना तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों से, विद्यार्थियों को लेकर विश्वविद्यालय का अखिल

भारतीय स्वरूप को बनाए रखना है। इस प्रकार की प्राथमिकता प्रणाली समाज के सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए अधिक उपयुक्त प्रणाली हो सकती है।

14.11 “अधिकार एवं नीति” विषय पर चर्चा करते समय प्रो॰ आंद्रे बैटली, अध्यक्ष आई सी एस एस आर ने कहा है कि निजी क्षेत्र सकारात्मक कार्रवाई में अधिक सक्रिय ढंग से शामिल हो सकते हैं। परन्तु ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक सकारात्मक कार्रवाई का समीकरण गहन नौकरशाही की देखरेख में संचालित अंकीय कोटे के साथ होता रहेगा। निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के लिए एक ऐसी रोजगार नीति बनानी होगी जो कि जाति एवं समुदाय पर आधारित अनिवार्य कोटे की नीति से सर्वथा भिन्न हो। अतः निजी कंपनियों में अनिवार्यतः कोटा लागू करने से, प्रतियोगिता की स्थितियों में असमानताओं को दूर नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सरकार कंपनियों आदि को कर में रियायत देकर सकारात्मक कार्रवाई के अपने कार्यक्रम तैयार करने के लिए

निजी (प्राइवेट) कंपनियों का प्रोत्साहित करे जो कि उनकी कंपनियों में समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों से आए कर्मचारी होंगे। तथा कंपनियां शिक्षा एवं प्रशिक्षण, में निवेश करेंगी। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों में मौजूदा अप्रयुक्त प्रतिभा, के व्यापक भण्डार का पता लगाने, उत्प्रेरित करने एवं विकसित करने के लिए सक्रिय उपाय अपनाना कंपनियों के दीर्घकालीन हित में होगा न कि केवल जनहित में।

14.12 भारत में रोजगार एवं शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की नीति का लंबा एवं जटिल इतिहास रहा है। आरक्षण नीतियों की एक व्यापक रेंज है। हालांकि आरक्षण की एक केंद्रीय नीति हैं परन्तु भारत में अनेक राज्यों ने अपनी अलग नीतियां तैयार कर ली हैं तथा इनमें से अनेक नीतियां केन्द्रीय नीति से काफी भिन्न हैं। आरक्षण प्रणाली के उपयुक्त क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्चाधिकार आयोग के रूप में अलग निकाय के गठन की सिफारिश की गई है।

(अनुसूचित जातियां) आदेश 1950, संविधान में संशोधन की मांग

संविधानिक उपबंध

1. भारत का संविधान अनुसूचित जाति-वर्ग को किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं करता। “अनुसूचित जातियां” शब्द को अनुच्छेद 366(24) में परिभाषित किया गया है जिसे अनुच्छेद 341(1) के साथ निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

“अनुसूचित जातियों” से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियां, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है।

(क) राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में तथा जहां राज्य का मामला है वहां उसके राज्यपाल से सलाह करने के बाद सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों या ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा, का उल्लेख करेगा।

(ख) संसद खण्ड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के अंदर की किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उनमें के यूथ को इसमें जोड़ सकता है या निकाल सकता है; परन्तु उत्तरवर्ती अधिसूचना द्वारा उक्त खण्ड के अधीन जारी अधिसूचना में जैसा उपयुक्त के सिवाय कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

2. इन उपबंधों के अधीन 1950 में एक संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के पैरा 3 में

कहा गया है कि किसी भी गैर-हिंदू को अनुसूचित जाति नहीं समझा जाएगा। अतः अनुसूचित जातियों में सिखों को शामिल करने के लिए 1956 में तथा बौद्धों को शामिल करने के लिए 1990 में इस आदेश में संशोधन किया गया; इस पैरा में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो हिन्दू, सिख या बौद्ध नहीं है, अनुसूचित जाति का नहीं हो सकता आदेश का सार नीचे दिया गया है।

संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950

राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्यों के राज्यपालों एवं राज्य प्रमुखों से विचार-विमर्श करने के बाद निम्नलिखित आदेश जारी करने का निर्णय लिया है:

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 कहा जाएगा।
2. इस आदेश के उपबंधों के अनुसार, इस आदेश की अनुसूची के (XXII के भाग) में उल्लिखित जातियां, मूलवंश या जनजाति या जातियों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ को, उन राज्यों के संबंध में, जिनसे ये भाग क्रमशः संबंधित हैं, अनुसूचित जातियां समझा जाएगा जहां तक उसके सदस्य उस अनुसूची के उन भागों में उनके संबंध में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के निवासी हो।
3. पैराग्राफ 2 में दी गई किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, जो हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग किसी धर्म का है, को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।
4. इस आदेश में राज्य या जिले या उसके अन्य क्षेत्रीय प्रभाग किसी के संदर्भ को 01 मई 1976 को गठित राज्य, जिले या अन्य क्षेत्रीय प्रभाग का संदर्भ माना जाएगा।

विधान द्वारा परिवर्तन की कार्रवाई

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में विधान द्वारा संशोधन लाने के लिए विगत में प्रयास किए गए हैं ताकि यह आदेश धर्म-निरपेक्ष बन सके। संसद में अनेक “निजी सदस्य” बिल लाए जा चुके हैं, परन्तु कोई भी पारित नहीं हुआ है। अंत में एक सरकारी बिल, जिसे संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल कहा जाता है, 1996 में तैयार किया गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा बिल के संबंध में दिए गए अभिमत अलग-अलग थे। सरकार ने 1983 गोपाल सिंह पेनल एवं केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि इसके विरुद्ध था, कि संस्तुतियों का संज्ञान लिया, जिनमें कि 1950 के सर्वोच्च न्यायालय आदेश के पैरा 3 को हटाने के पूर्जोर समर्थन किया गया था। इन सभी भिन्न-भिन्न मतों को देखते हुए बिल को संसद में पेश नहीं किया गया।

हाल ही के निर्णयाधीन न्यायालिक मामले

1. भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित तीन अलग-अलग याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के पैराग्राफ 3 पर आपत्ति की है जिसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो हिन्दू, सिख या बौद्ध नहीं है उसे अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने निम्नलिखित मुद्दों को आधार बताया है:

- (क) धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की मूल विशेषता है। अनुसूचित जाति मूल से ईसाई धर्म में परिवर्तित व्यक्तियों को समान अधिकार देने से मना करना भारत के संविधान तथा अनुच्छेद 25 में उल्लिखित मूल विशेषता दोनों का उल्लंघन है।
- (ख) संविधान ने सभी व्यक्तियों जो एक ही तरह की स्थिति में हैं, के लिए अवसर की समता उपलब्ध कराई है। ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति मूल के व्यक्ति हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले अपने प्रतिपक्षों की तुलना में एक समान है।
- (ग) धर्म परिवर्तन के बाद भी जाति का लेबल लगा रहता है तथा भारतीय समाज में किसी व्यक्ति का जाति प्रणाली की दोष गर्त से बाहर निकलना कठिन होता जाता है।

- (घ) जाति धार्मिक वर्ग के बजाय सामाजिक जुड़ाव अधिक होता है तथा भले ही ईसाई धर्म के सिद्धांत जाति को नहीं मानते, वास्तव में यह एक यथार्थता है।
- (ङ) इस मुद्दे पर केवल एक निर्णय उपलब्ध है, नामतः सूसई बनाम यू औ आई 1985 (अनु०) एस सी सी 590 में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैराग्राफ 3 की संवर्धानिकता। निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी जाति का तगमा लगा रहता है। परन्तु इसने यह दर्शने के लिए अधिक विवरण मांगा है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की मुश्किलें ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी बनी रहती हैं। उक्त मामले में, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विवरण से न्यायालय सन्तुष्ट नहीं था।
- (च) ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति मूल के व्यक्तियों की स्थिति पहले जैसी बनी रहती है। उन्हें अत्यन्त अप्रतिष्ठित व्यवसायों में लगाना जारी रहता है। चर्च में तथा उनके ईसाई धर्म अनुयायियों, में उनकी स्थिति उनसे अच्छी नहीं होती जो अन्य धार्मिक वर्गों में उनके प्रतिपक्षियों की होती है। वे गरीब होने के साथ साथ सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भी पिछड़े रहते हैं। उनमें तथा उच्च जाति के ईसाइयों में अंतर-विवाह बहुत कम ही होता है। चर्च में उन्हे उच्च जाति के ईसाइयों से अलग किया जाता है। यहां तक कि मृत्यु के बाद भी उन्हें अलग शमशान भूमि में दबाया जाता है।
- (छ) दलितों पर होने वाले अत्याचार एक जैसे ही हैं चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों। यहां तक कि ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति मूल के व्यक्तियों को केवल धर्म के आधार पर विशेष संरक्षी प्रावधानों से वंचित रखा जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने राहत के लिए गुहार लगाई है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के पैराग्राफ 3 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 का अतिक्रामक होने के कारण इसे असंवैधानिक मानते हुए हटा देना चाहिए। तथा सरकार को यह निदेश दिया जाए कि वह अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन उपलब्ध संरक्षण अनुसूचित जाति मूल के सभी व्यक्तियों को भी दें चाहे वे किसी भी धर्म के हों।

2. इसी मांग पर आधारित सात याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं जो मुख्यतः निम्नलिखित अभिवचनों पर आधारित हैं:

(क) राष्ट्रपति का आदेश, 1950 भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन जारी किया गया था। सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई शक्ति एक प्रत्यायोजित शक्ति है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 (2) के विपरीत लागू नहीं की जा सकती जिसमें यह कहा गया है कि: “राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खड़ के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।” – अनुच्छेद 13(3) के अधीन जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो “विधि” के अन्तर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। अतः 1950 का राष्ट्रपति आदेश असंवैधानिक है तथा कार्यपालिका द्वारा संविधान की परिधि से बाहर लिखा गया पिछले दरवाजे से जारी काला पत्र है। अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 15(2), 16(2), 29(2) के विपरीत अनुसूचित जाति आदेश के पैरा 3 की उद्घोषणा करने के लिए कोई प्राधिकार नहीं है तथा यह संविधान की मूल संरचना के भी विरुद्ध है जैसा कि केशवनन्दा भारती बनाम केरल राज्य के मामले में निर्णय लिया गया था तथा राष्ट्रपति आदेश [एआइआर 1971 एम्सी 530 (1971) आईएस सी सी 85] के पैरा 3 को महाराजधिराज जीवाजी राजा सिंधिया बहादुर माघव राव बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभिखंडित किया जा सकता है जो कि एक अभिशाप है और भारत के संविधान की गरिमा को विकृत करता है।

(ख) यहां तक कि अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति को यह उद्घोषणा करने का अधिकार भी नहीं दिया गया वह किसी नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को अपनाने से रोक सके। परन्तु राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 के अधीन अप्रत्यक्ष रूप से आदेश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेषकर (अनुसूचित जाति) हिन्दू या सिख धर्म से अलग किसी धर्म को न अपनाएं। दूसरे शब्दों में

अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अधीन लाभ लेने के लिए नागरिक को हिन्दू या सिख धर्म को अपनाना चाहिएं यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भी विरुद्ध है जिसमें इसके नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, एवं पूजा करने की आजादी को सुनिश्चित किया जाता है। अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति को दी गई शक्ति, जाति का विनिर्दिष्ट करने के लिए है न कि धर्म का विनिर्दिष्ट करने के लिए या धर्म के प्रतीक के रूप में जाति का अभिनिधारण करने के लिए तथा यह राष्ट्रपति आदेश के वेश में अस्पष्ट कानून है।

(ग) अनुच्छेद 25 के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण को अनुच्छेद 25(2) के अधीन स्वीयविधि की अनुप्रयोज्यता के प्रयोजन को छोड़कर सिखों, जैनों, बौद्धों एवं हिन्दुओं को एकल श्रेणी या वर्ग को अपवाद के रूप में नहीं माना जा सकता तथा राष्ट्रपति आदेश जो राष्ट्रपति के आदेश के पैरा 2 के तहत आने वाली जाति के सदस्यों का विवेचन करता है, ने ईसाईयों एवं मुसलमानों जैसे अन्य धर्मों के साथ भेद-भाव करने के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण 2 का गलत अर्थ लिया है। 1950 का अनुसूचित जाति आदेश का पैरा 3 ठीक नहीं है चूंकि यह केवल धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेद-भाव करता है, जबकि अनुसूचित जनजाति आदेश 1951 में पैरा 3 को सैद्धान्तिक रूप से हटा दिया गया है। तथा इसमें पिछड़े वर्ग एवं सर्वण वर्ग के नागरिकों के साथ प्रतिष्ठा की समता तथा समान अवसर प्रदान करना केवल धर्म के आधार पर भेद-भाव नहीं किया जाता तथा 1950 के राष्ट्रपति आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के मामले में इस अवसर को महत्वहीन किया जाता है तथा यह आदेश अपने नागरिकों, चाहे वे किसी धर्म, जाति एवं वशं के हों, में बन्धुत्व को बढ़ावा नहीं देता।

(घ) इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ अनु॰ (3) उच्चतम न्यायालय मामला 217, में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को देखते हुए प्रतिवादित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 को समाप्त किया जाना चाहिए। बीपी० जीवन रैडी (कनिया सी०ज० वैकेंटचैलय्या, अहमदी एवं स्वयं के लिए) द्वारा दिए गए उक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय में अधिकाशं का यह मानना था कि जाति की संकल्पना केवल हिन्दू धर्म तक सीमित नहीं है बल्कि यह धार्मिक बंधनों को न मानते हुए हर धर्म के लिए है।

(ङ) कि सरकार की कार्रवाई इस आधार पर मनमानी एवं पक्षपाती है कि एक तरफ तो मुसलमानों को अनुसूचित जाति के प्रयोजन के लिए बाहर कर दिया गया है परन्तु दूसरी और मुसलमानों को पिछड़ों की सूची में शामिल कर दिया गया है, इसका अर्थ यह है कि उस जाति, जिसे अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है, को केवल इस आधार पर अनुसूचित जाति से बाहर रखा जाएगा कि वह मुसलमान है। परन्तु इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो परन्तु उसकी जाति पिछड़े वर्ग में शामिल की गई हो, तो उस व्यक्ति को पिछड़े वर्ग में ही शामिल माना जाएगा। इस दृष्टि से सरकार की कार्रवाई अनुसूचित जाति वाले मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है।

इन याचिकाकर्ताओं ने भी वही राहत मांगी है जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं में मांगी गई है।

विविध दृष्टिकोण

आयोग के समक्ष इस विषय पर अभिव्यक्त अभिमतों/विचारों में काफी भिन्नता है। मुददे के पक्ष एवं विपक्ष में निम्नलिखित अभिमत हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं:—

क. पक्ष में विचार

- (i) यद्यपि ईसाई धर्म एवं इस्लाम धर्म जाति प्रथा एवं अस्पृश्यता को नहीं मानते परन्तु भारत की सतही वास्तविकता कुछ अलग है। ईसाई धर्म को अपनाने वाले अनुसूचित जाति मूल के व्यक्ति पीड़ित होते रहेंगे, इसमें जाति एवं व्यवसाय से जुड़ी अस्पृश्यता शामिल है, चूंकि वे भारतीय समाज के अभिन्न अंग बने रहेंगे।
- (ii) ईसाई धर्म/इस्लाम धर्म में परिवर्तित लोगों (ऐसे परवर्तकों के साथ उनके अपने धर्म के अन्य सदस्यों या अन्य धर्मों के उन्हीं के समान सदस्यों, द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता) के साथ केवल समाज ही भेदभाव नहीं करता बल्कि उनकी अपनी धर्मिक संस्थाएं जैसे चर्च या मस्जिद भी उनका उत्पीड़न करती हैं; भेदभाव प्रकट करने के उदाहरण हैं—उसी चर्च/मस्जिद में उनके लिए अलग प्रार्थना स्थल या प्रार्थना समय या अलग चर्च/मस्जिद तथा उनके मृत व्यक्तियों को दफनाने के लिए स्थान को अलग से चिह्नित करना।

- (iii) उनके साथ छुआछूत का व्यवहार या उनके विरुद्ध किए गए अत्याचारों के बावजूद उनको अनुसूचित जाति का दर्जा देने से इंकार करना उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 के संरक्षण से वंचित करना है।
- (iv) परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन न आने के बावजूद परवर्तकों को हिन्दू सिख या बौद्ध धर्म में उनके प्रतिपक्षियों के लिए तैयार की गई आरक्षण, सहायता एवं विकास स्कीमों के लाभों से वंचित रखा गया है इसे धर्म के आधार पर राज्य द्वारा किया गया भेदभाव माना जाएगा।
- (v) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की क्षेत्र सीमा से ईसाई धर्म एवं इस्लाम को हटाना पक्षपात पूर्ण तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 25 के अन्तर्गत प्रत्याभूत मूल अधिकारों के उपबंधों का अतिक्रमण होने के कारण असंवैधानिक है। धर्म परिवर्तन पूर्णतः निजी मामला है, अतः उक्त परिवर्तन के कारण अनुसूचित जाति मूल के लोगों को अन्य धर्मों में उन्हीं के जैसे लोगों के दिए गए संरक्षण एवं लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
- (vi) यद्यपि सिखधर्म एवं बौद्ध धर्म में भी ईसाई धर्म एवं इस्लाम धर्म की तरह जाति प्रथा नहीं है तथा सिखों एवं बौद्धों, दोनों को संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 को संशोधित करके अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। इसका कोई कारण नजर नहीं आता कि उसी स्थिति वाले उन लोगों, ईसाई धर्म या इस्लाम को मानने वाले लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता। ऐसा न करना ही धर्म के आधार पर भेदभाव है जोकि संविधान के अनुसार निषिद्ध है।
- (vii) ईसाई धर्म/इस्लाम धर्म को अपनाने वाले अनुसूचित जाति मूल के समूहों या व्यक्तियों की श्रेणियां, जिन्हें अपिंवर्ग की सूची में जोड़ा गया है, को सूची से बाहर निकाल कर उन्हें अनुसूचित जातियों का दर्जा दिया जाए।

ख. विपक्ष में विचार

- (i) अनुसूचित जाति के रूप में कतिपय जन वर्ग के निर्धारण का मूल आधार जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक

पिछङ्गापन है। हिंदू धर्म की कट्टर जातिवाद से प्रवाहित चिर कालिक अस्पृश्यता प्रथा की उपज है।

- (ii) ईसाई मत या इस्लाम धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रतापूर्व भारत में अंग्रेजों द्वारा या स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा दलित वर्ग/अनुसूचित जाति के रूप में नहीं माना जाता था। दलित वर्ग/अनुसूचित जाति का नाम ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत में हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग था।
- (iii) अनुसूचित जाति मूल वाले उन व्यक्तियों को, जिन्होंने ईसाई/इस्लाम धर्म अपना लिया है और जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है और वे सेवाओं/शिक्षा संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण और अन्य योजनाओं से तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तेयार की गई संस्थागत सहायता प्रणालियों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- (iv) ईसाईयों और मुसलमानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में उपलब्ध सुविधाओं के अलावा, वे अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के रूप में सांविधानिक, विधिक और संस्थागत संरक्षण/व्यवस्थाओं से भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- (v) वर्तमान में अनु० जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए उपलब्ध आरक्षण क्रमशः 15% और 7.5% है, यद्यपि 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में उनकी प्रतिशतता बहुत अधिक है। अतः ईसाई/इस्लाम धर्म अपना चुके व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना सेवाओं/पदों तथा शिक्षा संस्थाओं और

संबंधित मामलों में आरक्षण विषय पर अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

निष्कर्ष

1. भारत सरकार के पुराने (अनुसूचित जाति) आदेश, 1936 में जातियों का शामिल किया जाना ही सामान्य विचार पर आधारित था और न कि देश में जाति स्थिति के किसी वास्तविक सर्वेक्षण पर आधारित था। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, जो कि पुराने अनु०जातिं आदेश, 1936 पर आधारित था, के बारे में भी यही कहा जा सकता है। मौजूदा आदेश, 1950 के अधीन सूचियों में समय-समय पर अतिरिक्त जातियों को शामिल किया जाना भी देश में वास्तविक जाति स्थिति के किसी वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है।

2. सभी उपलब्ध साक्ष्यों से हमें यह पता चलता है कि जाति प्रथा भारत को सर्वत्र व्याप्त एक सामाजिक अवधारणा है और यह सभी भारतीय समुदायों में अपनाई जा रही है चाहे वे किसी भी धर्म के हों।

3. विभिन्न संदर्भों में और विशेष रूप से आरक्षणों के विषय के संबंध में भारत में यह दावा किया जाता है और समाज के लगभग सभी वर्गों की इस पर सहमति है कि किसी समुदाय या समूह को धर्म के आधार पर कोई विशेष लाभ नहीं दिया जा सकता। परंतु साथ ही साथ सामान्यतः इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि अनुसूचित जातियों का वर्ग अनिवार्य रूप से धर्म आधारित बना रहना चाहिए। यह सर्वथा तर्कहीन और अनुचित लगता है।

4. इस विषय पर इन निष्कर्षों के अनुसार की गई हमारी सिफारिशों अध्याय-X में दी गई है।

5. आयोग के सदस्य सचिव इन निष्कर्षों से सहमत नहीं थे और उन्होंने अपनी असहमति की टिप्पणी दी है।

सिफारिशें और उनको कार्यान्वित करने की रीति

1. पूर्ववर्ती अध्यायों में हमने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के सामाजिक-आर्थिक स्तर, उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए विधिक और सांविधानिक उपबंधों, तथा उनकी उन्नति और विकास पर अत्यधिक बल देने के लिए अपनाए गए कल्याणकारी और प्रगतिशील उपाय और उन्हें मुख्यधारा में लाने की दृष्टि से उनके विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। हमने उन मानदंडों की भी समीक्षा की है जो देश भर में विभिन्न वर्गों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, जिसमें धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग भी शामिल हैं, की पहचान के लिए पहले से ही मौजूद हैं। अल्पसंख्यक वर्गों सहित विभिन्न वर्गों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्तर की समीक्षा करते हुए आयोग, सांविधानिक उपबंधों तथा उन लक्ष्यों, जिन्हें संविधान ने देश के लिए निर्धारित किए हैं, द्वारा दिशा-निर्देश लेता रहा है। संविधान द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार अंतिम लक्ष्य धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के देश का है जो जाति, पंथ, लिंग या धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए समता, सामाजिक न्याय और निष्पक्षता पर आधारित है। मौजूदा असमानताओं पर ध्यान देते हुए, ऐसे समाज की रचना को साकार बनाने के लिए आज्ञापक और सामर्थ्यकारी दोनों उपबंध बनाता है जहां जाति, वर्ग धर्म, का कोई प्रभाव नहीं होगा या नगण्य प्रभाव होगा। सांविधानिक निदेशों के अनुरूप इन लोगों के स्तर को उठाने के लिए द्वि-शाखीय कार्यनीति तैयार की गई है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग बिना किसी भेदभाव के सरकार की सभी नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं क्योंकि वे सबके लिए हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमज़ोर वर्गों और अल्पसंख्यकों की श्रेणियों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, ताकि मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं के माध्यम से उन्हें सामान्य वर्ग के लोगों के समकक्ष लाने के लिए उनके तीव्र गति से विकास के लिए अत्यधिक बल देना और ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित किया जा सके। आयोग इस बात से अवगत है

कि इन अनेक कार्यक्रमों और मध्यस्थताओं से पिछड़े वर्गों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उनके पक्ष में सकारात्मक विभेद करना संभव हुआ है जिसका उनकी स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। ये कार्यक्रम पिछले कई दशकों से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

2. आयोग ने देश की स्वतंत्रता से अब तक के समाज के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे के बदलते स्वरूप को भी ध्यान में रखा है। यह देखा गया था कि विभिन्न विभागीय और अन्य नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभाव, औद्योगिकीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाने (प्रवास) के कारण, वर्षों पुराने सामाजिक ढाँचे की कठोरता में परिवर्तन हुआ है, जिससे समाज में मौजूदा-विभाजन पर्याप्त रूप से कम हुए हैं। सरकार की कम होती भूमिका ने भी सरकारी रोजगार की संभावना को कम किया है। प्रौद्योगिकीय विकास, औद्योगिकीकरण और संचार-प्रणाली के विस्तार से अर्थव्यवस्था तेज गति से विकसित हो रही है। इससे रोजगार के नए रास्ते खुले हैं जिससे कुल मिलाकार सरकार के बाहर भी रोजगार की संभावना बढ़ी है।

3. सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए, सरकार द्वारा आरक्षण, विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मक विभेद और सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों के जरिए पहल करने के बावजूद, यह देखा गया था कि कार्यक्रमों के निर्माताओं और कार्यान्वयकों के साथ-साथ लक्ष्य-समूहों दोनों द्वारा व्यापक रूप से फैली अवधारणा है कि उनको दिया जाने वाला लाभ समान रूप से नहीं मिला है और उनमें से अधिकांश बंचित रहे हैं। नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करते समय, आयोग ने असमान व्यवहार के संबंध में ऐसी व्यापक धारणा के कारणों का पता लगाने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आयोग का मत है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रति समान दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है जो जाति, वर्ग या धर्म पर आधारित नहीं होना

चाहिए, जिससे कि सभी को सामाजिक न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। अतएव, मानदंड समरूप होने चाहिए जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सूचियों के आधार पर सब के लिए समान रूप से लागू हों। शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कुल मिलाकर सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं।

4. आदर्शतः, जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों की एकल सूची होनी चाहिए। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की नई सूची के बाद, जाति या वर्ग के पिछड़ेपन के आधार पर तैयार वर्तमान सूचियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की नई सूची अनिवार्यतः परिवार/कुटुम्ब पर आधारित होनी चाहिए। यह सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित हो और सबको मिलाकर बनाई जाए।

5. उपर्युक्त के आधार पर, अयोग यह अनुभव करता है कि चूंकि सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के विकास और उन्नति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान न केवल सभी के लिए शिक्षा-सुविधाएं बढ़ाने पर केंद्रित करना चाहिए, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करना चाहिए। जानकारी हासिल करने के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने से क्षमता व समर्थता बढ़ती है तथा इससे विश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक भावना आती है। इससे आत्मनिर्भरता प्रोत्साहित और सुदृढ़ होती है तथा व्यक्ति रोजगार के बेहतर अवसर पाने में समर्थ होता है। अतएव, शैक्षिक कार्यक्रम व्यक्तियों को उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए समर्थ बनाते हैं। अतः सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे समाज और इसकी अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए।

6. जैसा कि हमने कल्याणकारी उपायों के बारे में इस अध्याय में चर्चा की है, विकास का मूल शिक्षा है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक स्तर को उन्नत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों में साक्षरता और शैक्षिक स्तर एक समुदाय से दूसरे समुदाय और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफी हद तक परिवर्तित होता रहता है। जबकि जैनियों, ईसाइयों और पारसियों का शैक्षिक स्तर उच्च है, मुसलमानों और बौद्धों का कम है और उसके बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की बारी आती है।

धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के स्तर के बारे में जनगणना आंकड़े यह बताते हैं कि मुसलमानों का शैक्षिक स्तर अपेक्षाकृत निम्न है। हालांकि असंकलित आंकड़े सभी राज्यों में मुसलमानों और बौद्धों के शैक्षिक स्तर में असमानता की स्थिति प्रस्तुत करते हैं। बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य, जिनमें देश भर में मुसलमानों की कुल जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत है, सामान्य जनसंख्या के लिए भी विकास के सामाजिक सूचक के संबंध में निराशाजनक स्थिति प्रस्तुत करते हैं। अल्प विकसित या पिछड़े राज्यों में, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर के संबंध में, प्रत्येक समुदाय, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, के गरीब और सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग भी उतने ही पीड़ित तथा अशक्त और मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। अतः समेकित रूप में, सभी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पर व्यापक दृष्टि डालने की तात्कालिक आवश्यकता है न कि विखंडित रूप में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के मुद्दों पर कार्रवाई करने की। सभी पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए शिक्षा के दायरे को बढ़ाने, गुणवत् शिक्षा देने, बालिका-शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

7. इस समय देश भर में, समाज के सभी वर्गों के लिए सर्वशिक्षा अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यमान हैं, इसलिए धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सभी बच्चों द्वारा कार्यक्रमों में भागीदारी को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि सुविधाएं समान रूप में बंट सके और स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चों (ड्रॉप-आउट) की दर को नियंत्रित किया जा सके। क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को स्थानीय पर लक्षित किया जा सके।

8. पूर्ववर्ती अध्यायों में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति पर चर्चा की गई है। हमने यह पाया है कि प्राथमिक स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की भर्ती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों से बेहतर है। तथापि, मुसलमानों में, माध्यमिक स्तर पर स्कूल को बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों की दर अधिक है। सामाजिक और आर्थिक संपन्नता का व्यक्ति की शिक्षा और प्रशिक्षण स्तर से गहरा संबंध है। जानकारी हासिल करना और प्रतिस्पर्धात्मक भावना समाज व अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं व

अवसरों का लाभ लेने के लिए आवश्यक है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों को जानकारी हासिल करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक भावना जागृत करने के महत्व के बारे में समझाने की आवश्यकता है जिससे कि मेरिट (गुणावगुण) को उचित रूप में पुरस्कृत किया जा सके और आरक्षण का प्रयोग पहल व प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए न किया जाए। धार्मिक अल्पसंख्यकों में बुद्धिजीवी वर्ग को शैक्षिक कार्यक्रम/स्कीमों में सक्रिय भागीदारी और अगुवाई करने तथा उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को संपोषित करने के लिए समुदाय को समझाना होगा।

9. जैसाकि शिक्षा के मामले में हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों का आर्थिक स्तर एक समूह से दूसरे समूह और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न है। जबकि शिक्षा और प्रतिष्ठा का सीधा संबंध व्यक्ति के रोजगार और आर्थिक रूप से संपन्न होने से है, आर्थिक सक्षमता भी अन्य अनेक कारकों पर निर्भर करती है। महिला और पुरुषों, दोनों के मामलों में, कार्य-सहभागिता परंपरागत और सांस्कृतिक प्रभाव, विशेष रूप से महिला-सहभागिता के संबंध में कार्य के प्रकार और स्वरूप आदि भी व्यक्ति, परिवार और कई बार समुदाय के आर्थिक स्तर को प्रभावित करते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामले में, बौद्धों, हिंदुओं और ईसाइयों की कार्य-सहभागिता दर लगभग सभी धार्मिक जनसंख्या, जो 39.1 प्रतिशत है, के बराबर ही है। सिखों की कार्य-सहभागिता दर राष्ट्रीय औसत से थोड़ी-सी कम है। लेकिन, जैनियों और मुसलमानों दोनों के मामले में, हालांकि यह कम है लेकिन शायद अलग-अलग कारणों से। मुसलमान सबसे कम 31.3 प्रतिशत है। श्रमिकों की श्रेणियों के संदर्भ में, मुसलमानों की अपेक्षा अधिक हिंदु, सिख और ईसाइ किसान हैं। खेतिहर मजदूरों के संबंध में, ईसाइयों और सिखों की संख्या सबसे कम है जबकि घरेलु उद्योग क्षेत्र में मुस्लिम श्रमिकों की प्रतिशतता सबसे अधिक है। “अन्य-व्यवसायों” के संबंध में, इस श्रेणी में ईसाइयों की संख्या अनुपाततः सबसे अधिक 52.8 प्रतिशत है। इस श्रेणी में मुसलमानों की संख्या 49.1 प्रतिशत है, जबकि हिंदुओं की संख्या सबसे कम 35.5 प्रतिशत है। गरीबी-स्तर व्यक्ति के आर्थिक स्तर को निर्धारित करता है। गरीबी-संबंधी आंकड़ों के संबंध में, गरीबी-रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले लोगों की प्रतिशतता, मुसलमानों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुओं के लगभग बराबर है, और शहरी क्षेत्रों में गरीबी-रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने

वाले मुस्लिम लोगों की प्रतिशतता अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करते हैं, अन्य धर्मों के हैं।

10. उपर्युक्त आंकड़ों से, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में रहता है। जबकि अधिकतर ईसाइ वेतन भोगी हैं, अधिकांश मुसलमान घरेलु उद्योगों में नियोजित हैं और सामान्यतः स्व-नियोजित हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद, यह स्पष्ट है कि धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों की जनसंख्या अधिकांश समुदायों के समान फैली हुई है। अतः यह आवश्यक है कि गरीबों को सर्वांग रूप में, आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, इसके लिए पर्याप्त आधारभूत अवसरंचना सृजित की जानी होगी तथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उनकी विभिन्न आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य और समुदायों की मध्यस्थता के माध्यम से उन तक पहुंच रखी जानी होगी। जैन और पारसी समुदाय आर्थिक रूप से बहुत बेहतर स्थिति में हैं और उनमें से बहुत कम ही, यदि किंचित भी हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले या पिछड़े वर्गों के होंगे।

11. समाज में महिलाओं की स्थिति प्रमुखतः समाज और देश की सामाजिक और आर्थिक संपन्नता से निर्धारित होती है। घर और बाहर बराबरी में आर्थिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी तथा सभी स्तरों पर उनके निरन्तर सक्रिय रहने में सहायता करने के लिए सपोर्ट-सिस्टम को उपलब्ध कराने में समुदाय की प्रतिक्रिया, समाज के सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। अतएव, उनको न केवल समान अधिकार की गारंटी दी जाए बल्कि सभी क्षेत्रों में उन्हें सुनिश्चित किया जाए तथा महिलाओं की भागीदारी के लिए सहायक, सुरक्षित, सुनिश्चित बातावरण दिया जाए।

12. प्रत्येक संगठन में सरकारी या गैर-सरकारी, योजना और कार्यान्वयन दोनों प्रशासन के बराबर के महत्वपूर्ण पहलू हैं। निर्धारित किए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश और उसकी जनता के विकास के लिए योजना बनाना, नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना सतत् विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सुशासन न केवल उचित नीतियों, जो आवश्यकता पर आधारित हों, लक्ष्य क्षेत्रों और समूहों या परिवारों के अभिनिधारण पर निर्भर है बल्कि उपयुक्त प्रशासनिक ढाँचे और तंत्र पर भी निर्भर है जो न्यायोचित और यथोचित रीति से सेवाओं और सुविधाओं के

वितरण करने को सुनिश्चित करता है। कार्यक्रमों के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अवसंरचना-संस्थागत और प्रशासनिक सही जगह पर हो। तंत्रों को यथा स्थान पर रहने की आवश्यकता है जिससे कि वे अपने औचित्य और व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और तंत्रों की नियमित रूप से समीक्षा कर सकें, साथ ही लक्ष्य-समूहों और लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और सुविधाओं के निरन्तर रूप से मौनीटरन को सुनिश्चित किया जा सके। धीमी गति से कार्यान्वयन होने के अंतर्में और कारणों का पता लगाने और लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बीच में किए गए सुधारात्मक उपायों के लिए साथ-साथ मूल्यांकन करना आवश्यक है।

13. पूर्ववर्ती अध्यायों में, हमने मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों में पाई गई कमियों और अंतरों तथा विसंगतियों पर ध्यान दिया है जो इसके कार्यान्वयन के समय ध्यान में आई है। इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि चूंकि इसका लाभ पिछड़े वर्गों के समूहों के समृद्ध वर्ग को ही मिला है अतः इन सबकी वजह से सभी वर्गों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इन सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। पिछड़े वर्गों में से योग्य लोगों का पता लगाने के लिए मौजूदा मानदंडों में परिवर्तन करना आवश्यक है। प्रजातंत्र में, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों और प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण करना आवश्यक है। हमारे जैसे विशाल देश में ऐसा करना जरूरी है जिसमें भू-भाग, जनसंख्या वितरण, संस्कृति, परम्परा, राज्यों के विकास और आवश्यकताओं के क्षेत्र तथा जनसंख्या-वार जैसे विभेद हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग स्कीमों और कार्यक्रमों से लाभ लेने के योग्य हैं, शक्तियां ऐसे स्तर में निहित होनी चाहिए जहां सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति/परिवार की पहुंच संभव हो। प्रशासन की क्षमता को स्थापित करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए समान व्यवहार के सांविधानिक उपबंध, चाहे कोई भी जाति, पंथ हो, का पूरी निष्ठा से पालन किया जाए जिससे कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के परिवारों को लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके।

14. सकारात्मक कार्रवाई के उपाय के रूप में, आरक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा अध्याय 8 में की गई है। आयोग ने राज्यों के दौरों के दौरान तथा सरकारी प्राधिकरणों, गैर-सरकारी

संगठनों, समाज-विज्ञानी आदि के साथ हुई बातचीत के दौरान विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया है। आयोग का यह मत था कि आदर्शतः आरक्षण का मानदंड सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए न कि धर्म या जाति। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16(4) अल्पसंख्यक समूहों, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, को आरक्षण का लाभ देने के लिए आधार होना चाहिए। शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए केवल अल्पावधि और समयबद्ध उपाय के रूप में ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। यद्यपि हमने पहले उल्लेख किया है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की सूचियों को वैज्ञानिक रूप में तैयार नहीं किया गया है वह विशेष जाति या वर्ग के सामाजिक-आर्थिक स्तर के बारे में उचित सर्वेक्षण या विश्वसनीय डाटा के आधार के बिना पर किया गया है। अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग सहित आरक्षण की संपूर्ण प्रणाली की पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता है। मौजूदा आरक्षण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बिना शर्त उपलब्ध है क्योंकि यह सभी वर्गों, चाहे उनकी आय शैक्षिक और आर्थिक स्तर कुछ भी हो, के लिए है। अन्य पिछड़े वर्ग, रोजगार में 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं यद्यपि उसमें से क्रीमी लेयर को अलग कर दिया गया है। जैसा अध्याय VIII में बताया गया है अपनाये गये मानदंड व कार्यप्रणाली में काफी असंगतियां हैं जिनका बड़े स्तर पर अनुचित लाभ उठाया जा सकता है। इस कारण से, समूहों में समृद्ध वर्ग सामान्य और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और वंचितों की कीमत पर आरक्षण का लाभ ले लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तक ही सीमित रखा जाए। चूंकि बी.पी.एल. सूचियां सामाजिक/शैक्षिक और आर्थिक मानदंडों के आधार पर तैयार की जाती हैं, इसलिए वे अधिक वैज्ञानिक हैं। उन्हें आवधिक रूप से संशोधित भी किया जाता है। अतः बी.पी.एल. सूचियां जाति, वर्ग, समूह या धार्मिक आधार पर बिना किसी भेदभाव के आरक्षण देने के योग्य बनाई जानी चाहिए।

15. आयोग का यह मत है कि सभी स्तरों पर सभी वर्गों की जनसंख्या के लिए शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सर्वोपरि है ताकि उच्चतर/व्यावसायिक शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए मैरिट पर स्पर्धा के लिए कमजोर वर्गों को तैयार किया जा सके। आरक्षण के बारे में बताए गए अध्याय में निर्दिष्ट 'दिल्ली

स्कूल ऑफ इकनोमिक्स' द्वारा आयोजित कार्यशाला में चर्चा किए गए अनुसार चार प्रमुख अलाभान्वित पक्ष निवासी (ग्रामीण या शहरी) की जाति/समुदाय, लिंग प्रदेश और क्षेत्र है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर (समृद्ध वर्ग) को अलग रखा जाए अन्यथा आरक्षण नीति से मिलने वाली रियायतों को क्रीमी लेयर छीन लेगी और उसका लाभ गरीब वर्ग में सबसे गरीब तबके तक नहीं पहुंच पाएगा।

16. अब हम ठोस सिफारिशों को सूचीबद्ध करते हैं, हम आयोग के प्रत्येक विचारार्थ विषय-तीन मूल और चौथा संलग्न पत्र का जवाब देना चाहेंगे।

विचारार्थ विषय सं-१

धार्मिक और भाषायी अल्पसंखक वर्गों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड।

16.1.1 हमारी सुविचारित राय में, अंतिम लक्ष्य पिछड़े वर्गों की पहचान के मानदंड के समरूप पैटर्न को विकसित करना होना चाहिए, जो सिर्फ लोगों के शैक्षिक और आर्थिक स्तर पर ही आधारित होना चाहिए न कि उनकी जाति या धर्म पर, तथा यह सभी नागरिकों चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो, के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। और, हम यह, सुझाव देते हैं कि हमारा सभी प्रयास राष्ट्र को धीरे-धीरे उस लक्ष्य की ओर ले जाने वाला होना चाहिए।

16.1.2 लेकिन, हम यह समझते हैं कि उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी समय लगेगा और क्योंकि स्पष्टतः इसके लिए जनमत तैयार करने तथा इसके पक्ष में राष्ट्र की सम्मति भी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी साथ ही इसे ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता होगी। अतः अब हम अपनाए जाने वाले कुछ अन्य उपायों की सिफारिश करते हैं, वे संभावित उपलब्धियां, अभी प्राप्त करनी हैं जो हमारा अंतिम लक्ष्य है।

16.1.3 हमारी राय में हमारे द्वारा संस्तुत कार्रवाइयां एक तरफ तो भविष्य में पूर्वोक्त अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त करेंगी, जबकि दूसरी और संविधान की प्रस्तावना द्वारा उद्घोषित और मूल अधिकारों पर इसके उपबंधों में विवरणित अनुसार सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा पद और अवसर की समानता के माध्यम से वर्तमान में इनके निष्ठापूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा।

धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग

16.1.4 प्रारंभ में, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम यहाँ जो भी सामान्य स्वरूप की सिफारिशें कर रहे हैं, वे न केवल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के राष्ट्रीय आयोग के अधीन अधिशासी कार्यवाही द्वारा "अल्पसंख्यक" के रूप में अधिसूचित समुदायों के लिए ही नहीं है बल्कि संघ राज्य क्षेत्र लक्ष्यद्वीप और जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और पंजाब राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों बड़े या छोटे हिंदु सहित सभी के लिए भी है।

16.1.5 हम यह सिफारिश करते हैं कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड विषय में, कोई भी भेदभाव जो कुछ भी बड़े समुदाय और अल्पसंख्यक वर्गों के बीच हो, नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुसंख्यक समुदाय के लिए इस प्रयोजन के प्रयुक्त मानदंड-वे मानदंड चाहे जो कुछ भी हों अब सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बहुत सावधानीपूर्वक लागू किए जाएं।

16.1.6 पूर्वोक्त सिफारिशों के परिणामस्वरूप, हम यह सिफारिश करते हैं कि अल्पसंख्यकों में उन सभी वर्गों और समूहों को पिछड़े वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए, बहुसंख्यक समुदाय में जिसके समकक्षों को वर्तमान योजना के अधीन पिछड़ा माना जाता है।

16.1.7 हम आगे यह भी सिफारिश करते हैं कि विभिन्न अल्पसंख्यकों में उन सभी वर्गों और समूहों को सामान्यतः इन समुदायों के सामाजिक स्तर और सामाजिक ढांचे में "निम्न" समझा जाता है-चाहे "जात" हो या किसी अन्य समानार्थी अभिव्यक्ति से जाना जाता हो, उन्हें पिछड़े वर्ग के रूप में समझा जाएगा।

16.1.8 और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यह सिफारिश करते हैं कि अल्पसंख्यकों में उन सभी सामाजिक और व्यावसायिक समूहों, यदि उनकी धार्मिक पहचान आड़े नहीं आती, अनुसूचित जाति के वर्तमान नेट (परिधि) में शामिल किए जाते, को निश्चित तौर पर सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाना चाहिए, चाहे उन अन्य समुदायों का धर्म जातिगत व्यवस्था को मान्यता देता हो या न देता हो।

16.1.9 हम यह भी सिफारिश करते हैं कि अल्पसंख्यकों में उन समूहों जिनके समकक्ष बहुसंख्यक समुदाय में इस समय

अनुसूचित जनजाति के नेट में शामिल किए गए हैं, को भी उन नेट में शामिल किया जाना चाहिए; और विशेष रूप से स्वतंत्रता-पूर्व के समय से किसी जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उनकी जातीय विशिष्टताओं पर ध्यान दिए बिना भी शामिल किया जाना चाहिए।

भाषायी अल्पसंख्यक

16.1.10 हमारी राय में, पिछड़ेपन की संकल्पना को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उनके अनुप्रयोग में सीमित किया जाए, क्योंकि भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। भाषाई अल्पसंख्यक को कुछ अन्य समस्याएं जैसे व्यवहार्यतः सांविधानिक अधिकारों में भेदभाव और वंचन का सामना करना पड़ सकता है लेकिन किसी भी भाषायी समूह को अपने आप में पिछड़ा नहीं माना जा सकता। अतः हम भाषायी अल्पसंख्यकों में “सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों” की पहचान के लिए किसी मानदंड की सिफारिश नहीं करेंगे।

16.1.11 निसंदेह हमें इस तथ्य की जानकारी है कि अधिकांश वे भाषायी अल्पसंख्यक समूह जो अपनी शिक्षा सिर्फ अपनी भाषा तक सीमित रखते हैं, प्रायः शैक्षिक विकास और आर्थिक उन्नति के संबंध में दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए, हम कुछ विशेष कल्याणकारी उपायों की सिफारिश करते हैं, लेकिन इससे लोगों में पिछड़े वर्गों की पहचान से संबंधित मानदंडों में भाषा आधार नहीं होगा।

विचारार्थ विषय सं-II

अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण सहित कल्याणकारी उपाय

16.2.1 चूंकि प्रजातंत्र बहुमत का खेल है, अतः किसी भी समाज में नागरिक वर्ग के संख्यात्मक रूप से कमजोर वर्ग बहुसंख्यक वर्ग द्वारा प्रायः हाशिए में रख दिए जाते हैं। यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों का बड़ा सच है जहां समाज बहुत अधिक धार्मिक है और धर्म के प्रति जागरूक रहता है तथा धार्मिक अल्पसंख्यक प्रमुख धार्मिक समुदाय के साथ रहते हैं जो कि राष्ट्रीय जनसंख्या का 80% से अधिक है। ऐसी स्थिति में बहुसंख्यक समाज के आधिपत्य और प्रबलता से विधिक संरक्षण लेना पिछड़े वर्गों की ही नहीं बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की भी बाध्यकारी आवश्यकता बन गई है। विधि द्वारा ऐसी आवश्यकता संरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्व, अनुच्छेद 46 है जिसमें लोगों के कमजोर

वर्गों के बारे में विशेषरूप से पिछड़ेपन की शर्त का उल्लेख किए बिना चर्चा की गई है। इसमें राज्य को ऐसे वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है, यह ध्यान में रखा गया है कि धार्मिक समुदायों के लिए उसी रूप में निश्चित सिफारिशें कर रहे हैं यद्यपि हम अल्पसंख्यकों में से आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष उपायों की भी सिफारिश कर रहे हैं।

16.2.2 हमारी यह निश्चित राय है कि पिछड़ापन-सामाजिक और आर्थिक-दोनों ही वास्तव में शैक्षिक पिछड़ेपन से उद्भूत होते हैं। अतः धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों-विशेषकर मुसलमानों और नव-बौद्धों की शैक्षिक उन्नति के लिए निश्चित उपाय कर रहे हैं जिनकी पहचान राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के अधीन की गई थी, कि ये देश के सभी धार्मिक समुदायों में से ये शैक्षिक रूप से सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं। इसी समय धार्मिक अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों की आर्थिक खुशहाली के लिए भी कुछ उपायों की सिफारिश कर रहे हैं।

16.2.3. भाषायी अल्पसंख्यकों के संबंध में, वे संविधान के कुछ विशेष उपबंधों के अधीन कुछ निश्चित छूट पाने के हकदार हैं, और यह उन उपबंधों के अनुसार है जिसकी सिफारिश हम उनके लिए कुछ कल्याणकारी उपायों द्वारा कर रहे हैं।

सामान्य कल्याणकारी उपाय

शैक्षिक उपाय

16.2.4. हम आगे यह स्पष्ट करते हैं कि नीचे प्रयुक्त अनुसार “शिक्षा” शब्द और उसके व्युत्पन्न शब्दों का अर्थ प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर न केवल सामान्य शिक्षा है, बल्कि इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधकीय और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा वृत्तिक अध्ययनों जैसे आयुर्विज्ञान, विधि और लेखाशास्त्र में अनुदेश और प्रशिक्षण भी शामिल है। ये सभी विषय और शिक्षण-और इनके लिए अपेक्षित साज-सामान-जैसे पुस्तकालय, पठन-कक्ष, प्रयोगशालाएं, होस्टल, शयनागार आदि-भी अल्पसंख्यकों में शिक्षा की प्रगति के लिए हमारी सिफारिशों में शामिल हैं।

16.2.5. चूंकि संविधान के अनुच्छेद 30 के अर्थ और परिधि उनके उपांतरित और कई बार विरोधात्मक न्यायिक निर्वचनों के कारण काफी अनिश्चित, जटिल और प्रभावहीन हो गई है, अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि इसके मूल आदेश को

उसकी मूल भावना में प्रवर्तित करने की दृष्टि से उपबंधों के अधीन अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के सभी पहलुओं को विवरणित करने के लिए अविलंब व्यापक कानून अधिनियमित किया जाए।

16.2.6. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग की सांविधि को उसके संघटन, प्राधिकारों और प्रकार्यों तथा उत्तरदायित्वों में व्यापक रूप में आधारित बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए तथा संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के सभी पहलुओं के सावधानीपूर्वक प्रवर्तन के लिए निगरानी रखने के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए।

16.2.7. चूंकि न्यायिक निर्णयों के कारण अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों की भर्ती राष्ट्रीय अखंडता के हित में लगभग 50 प्रतिशत तक सीमित रखी गई है, इसलिए शेष 50 प्रतिशत को वास्तव में निर्धारित करते हुए या इसलिए बहुसंख्यक समुदाय के लिए—हम यह जोरदार सिफारिश करते हैं कि उसी सादृश्यता से और उसी प्रयोजन के लिए सभी गैर-अल्पसंख्यक शिक्षण-संस्थाओं में कम-से-कम 15 प्रतिशत सीटें निम्नलिखितानुसार अल्पसंख्यकों के लिए विधि द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

(क) सिफारिशों में दिए गए विवरण में संस्थाओं में निर्धारित 15 प्रतिशत सीटों में से मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत सीटें होंगी (जो राष्ट्रीय स्तर पर कुल अल्पसंख्यक आबादी में उनके पहले के 73 प्रतिशत हिस्से के अनुरूप होंगे) तथा शेष 5 प्रतिशत सीटें अन्य अल्पसंख्यकों के लिए होंगी।

(ख) निर्धारित 15 प्रतिशत सीटों में आपस में छोटे-मोटे समायोजन किए जा सकते हैं। निर्धारित 10 प्रतिशत सीटों को भरने के लिए मुस्लिम उम्मीदार अनुपलब्ध होने की स्थिति में शेष रिक्तियां अन्य अल्पसंख्यकों को दी जा सकती हैं बशर्ते उनके सदस्य 5 प्रतिशत के अपने हिस्से से अधिक के लिए उपलब्ध हों किंतु किसी भी स्थिति में संस्तुत 15 प्रतिशत में से कोई भी सीट बहुसंख्यक समुदाय को नहीं दी जाएगी।

(ग) जैसा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मामला है, अल्पसंख्यक समुदाय के वे उम्मीदवार जो अन्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं

और अपनी ही मैरिट के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, वे 15 प्रतिशत की निर्धारित सीटों में शामिल नहीं किए जाएँगे।

16.2.8. सभी अल्पसंख्यक वर्गों में से पिछड़े वर्गों के संबंध में, हम यह सिफारिश करते हैं कि प्रवेश के लिए निम्न पात्रता मानदंड की शर्तों में और शुल्क की निम्न दर की सुविधाएं जो अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध हैं, वे अल्पसंख्यकों के ऐसे वर्गों के लिए भी लागू की जानी चाहिए। चूंकि कुछ अल्पसंख्यक वर्गों-विशेषकर मुसलमानों और बौद्धों की महिलाओं में—जो सामान्यतः शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम उन्हीं उपायों की सिफारिश करते हैं और यह भी सुझाव देते हैं कि उनकी शैक्षिक प्रगति के लिए अन्य संभव उपाय भी शुरू किए जाएं।

16.2.9. मुसलमानों के संबंध में—जो देशभर में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक समुदायों में शैक्षिक रूप से सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं हम कठिपय विशिष्ट उपायों की सिफारिश करते हैं जो इस प्रकार हैं:-

- (i) देश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी चुनी हुए संस्थाओं को विधिक रूप से विशेष जिम्मेदारी दी जाए कि वे इस प्रयोजन के लिए सभी संभव कदम उठाते हुए मुसलमान छात्रों की सभी स्तरों पर शैक्षिक उन्नति करें। उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जिनमें मुस्लिम आबादी काफी संख्या में हैं, में इस प्रयोजन के लिए कम-से-कम एक ऐसी संस्था चुनी जानी चाहिए।
- (ii) मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे सभी स्कूलों और कॉलेजों को बढ़ी हुई सहायता और अन्य लॉजिस्टिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे सभी संभव साधनों द्वारा उनका स्तर बढ़ाया और उसे बनाया रखा जा सके।
- (iii) सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना उचित रूप से संशोधित, और सुदृढ़ बनाई जाए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाए जिससे कि यह— (क) उन मदरसों, जो इस समय स्वयं केवल धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, में 10 वर्ष कक्षा के स्तर तक आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए या, वैकल्पिक रूप से, (ख) ऐसे मदरसों के छात्रों को उनके आसपास के सामान्य स्कूलों

- में साथ-साथ ऐसी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देने में समर्थ बनाया जाए। इन सभी प्रयोजनों के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना को केंद्रीय वक्फ परिषद या प्रस्तावित केंद्रीय मदरसा शिक्षा बोर्ड जैसी किसी केंद्रीय ऐंजेंसी के माध्यम से चलाया जाए।
- (iv) केंद्रीय वक्फ परिषद के नियम एवं प्रक्रियाएं इस प्रकार से संशोधित की जाएं कि इसकी प्रमुख जिम्मेदारी मुसलमानों के शैक्षिक विकास के लिए हों। इस प्रयोजन के लिए उक्त परिषद् को सभी वक्फ से विशेष 5 प्रतिशत शैक्षिक शुल्क एकत्र करने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत किया जाए, और शैक्षिक संस्था पॉलिटेक्निक पुस्तकालय और छात्रावास स्थापित करने के लिए वक्फ भूमि का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जाए।
- (v) मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन द्वारा संवितरित की जाने वाली निधि में पर्याप्त भाग मुसलमानों के लिए अनुपातिक आधार पर निर्धारित किया जाए जो अल्पसंख्यक आबादी में उनके अनुपात के अनुसार हो। इस हिस्से में से धन न केवल मौजूदा मुस्लिम संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाए बल्कि भारत में कहीं भी नरसरी से लेकर उच्चतम स्तर तक की नई संस्थाओं और तकनीकी और या व्यावसायिक शिक्षण की संस्थाओं को खोलने के लिए भी उपलब्ध कराया जाए।
- (vi) उनकी संबंधित योजनाओं के अधीन विशेषकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आंगनवाड़ी, नवोदय विद्यालय और इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं खोली जानी चाहिए और मुस्लिम परिवारों को अपने बच्चे ऐसे संस्थाओं में भेजने के लिए उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- 16.2.10. जहां तक भाषायी अल्पसंख्यकों का मामला है इसके बारे में हम निम्नलिखित सिफारिशें करते हैं:—
- (क) भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त से संबंधित कानून संशोधित किया जाना चाहिए जिससे कि इस कार्यालय को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसे अल्पसंख्यकों के हित के लिए सभी सुसंगत सांविधिक उपबंधों को पूरी तरह से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके।
- (ख) त्रिभाषा सूत्र को देश में सभी जगह कार्यान्वित किया जाना चाहिए और इसे प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य बनाया जाए जिससे कि वे इसे प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा विशेष रूप से उर्दू और पंजाबी में शामिल करें और शिक्षा के लिए वित्तीय एंव लॉजिस्टिक सभी आवश्यक सुविधाएं, राज्य-सरकार द्वारा इस व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं।
- (ग) जिन भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के लिए उनकी मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं सीमित हैं और जिन्हें उस क्षेत्र की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, उन्हें छात्रवृत्ति, शुल्क में रियायत और प्रवेश के लिए निम्नतम योग्यता मानदंड के रूप में विशेष सुविधाएं दी जाएं ताकि वे क्षेत्रीय रूप से बोली जाने वाली प्रमुख भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर सकें।
- (घ) उर्दू माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों को विशेष सहायता दी जाए और उनकी दक्षता, स्तर और परिणामों को बढ़ाने के लिए वित्तीय एंव अन्य प्रकार की सहायता दी जाए।

आर्थिक उपाय

16.2.11. चूंकि कई अल्पसंख्यक समूहों को कतिपय घरेलू और लघु उद्योगों में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसलिए हम यह सिफारिश करते हैं कि ऐसे सभी उद्योगों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए एक कारगर पद्धति अपनाई जानी चाहिए और इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों-विशेषकर-मुसलमानों में, जिनमें ऐसे उद्योगों, करीगरों कामगारों को उचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है और जिन्हें विकासात्मक सहायता की अत्यावश्यकता है।

16.2.12. चूंकि देश में मुसलमान जो अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा वर्ग है, तथा कुछ अन्य अल्पसंख्यक वर्ग, कृषि क्षेत्र में बहुत ही कम संख्या में हैं, उनके बारे में हम यह सिफारिश करते हैं कि उनके लिए कृषि, स्प्यविज्ञान और कृषि व्यापार की उन्नति और विकास के लिए विशेष योजना बनाई जानी चाहिए।

16.2.13. हम यह भी सिफारिश करते हैं कि उक्त अल्पसंख्यकों के लिए सभी स्व-रोजगार और आय उत्पन्न करने वाली स्कीमों को लोकप्रिय बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी तरीके अपनाए जाएं। उन्हें ऐसी स्कीमों से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

16.2.14. हम यह भी सिफारिश करते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम समीक्षा-समिति द्वारा हाल ही में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं की प्राथमिकता के आधार पूरी तरह जांच की जाए। इस संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के साथ परामर्श किया जाए ताकि उसे अल्पसंख्यकों में अधिक सक्षम प्रभावी और व्यापक बनाया जा सके।

16.2.15 हम यह भी सिफारिश करते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया जाए—जिसमें मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत (राष्ट्रीय स्तर पर कुल अल्पसंख्यक आबादी में उनके 73 प्रतिशत हिस्से के अनुरूप)—और ग्रामीण रोजगार उन्मुख कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना आदि जैसी सभी सरकारी स्कीमों में अन्य अल्पसंख्यकों के लिए 5 प्रतिशत हिस्सा हो।

आरक्षण

16.2.16 चूंकि अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमान सरकारी रोजगार में बहुत ही कम हैं और कभी-कभी बिल्कुल ही नहीं हैं इसलिए हम यह सिफारिश करते हैं कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 16(4) —विशेषरूप से सामाजिक एवं शैक्षिक शब्दों के साथ “पिछड़ा” शब्द की शर्त का उल्लेख किए बिना— में यथा प्रयुक्त शब्द के अर्थ के अंतर्गत इस बारे में पिछड़ा माना जाना चाहिए और केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन सभी संवर्गों और ग्रेडों में पदों का 15 प्रतिशत उनके लिए निम्न रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए:—

(क) सिफारिशों में दिए गए विवरण में 10 प्रतिशत सीटें मुसलमानों के लिए होंगी (जो राष्ट्रीय स्तर पर कुल अल्पसंख्यक आबादी में उनके पहले के 73 प्रतिशत हिस्से के अनुरूप होंगी) तथा शेष 5 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यकों के लिए होंगी।

(ख) 15 प्रतिशत निर्धारित सीटों में आपस में छोटे-मोटे समायोजन किए जा सकते हैं। निर्धारित 10 प्रतिशत सीटों को भरने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार अनुपलब्ध होने की स्थिति में शेष रिक्तियां अन्य अल्पसंख्यकों को दी जा सकती हैं बशर्ते उनके सदस्य 5 प्रतिशत के अपने हिस्से से अधिक के लिए उपलब्ध हों किंतु किसी भी स्थिति में

संस्तुत 15 प्रतिशत में से कोई भी सीट बहुसंख्यक समुदाय को नहीं दी जाएगी।

16.2.17 हम आश्वस्त हैं कि हमने ऊपर जो सिफारिशों की हैं वह संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पूरी तरह अनुमत हैं। फिर भी इस सिफारिश को कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयां हो सकती हैं, वैकल्पिक रूप में हमने सिफारिश की है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी का 8.4 प्रतिशत है। इस 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के कोटे में 8.4 प्रतिशत उप-कोटा अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए 6 प्रतिशत (राष्ट्रीय स्तर पर कुल अल्पसंख्यक आबादी में उनके 73 प्रतिशत हिस्से के अनुरूप) और 2.4 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यकों के लिए इसे विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न अल्पसंख्यकों की आबादी के अनुसार परस्पर छोटे-मोटे समायोजन के साथ किया जाए।

16.2.18. हम यह भी सिफारिश करते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए अब लागू किया गया आरक्षण, जो धर्म-अनाधारित श्रेणी है, की इसमें अल्पसंख्यकता की सीमा का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और इसमें असंतुलन, यदि कोई हो, को ठीक करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्ष्मीपुर, जो अल्पसंख्यक प्रभुत्व और जनजातीय आधिपत्य वाले क्षेत्र हैं, असम और अन्य सभी राज्यों में भी ऐसे ही जनजातीय क्षेत्र/जिले हैं, में इस बारे में स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।

16.2.19 हम यह सिफारिश करते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समेत आरक्षण का लाभ उठाने वाले विभिन्न वर्गों में क्रीमी लेयर को लगातार शामिल करने के बारे में न्यायिक शंकायें सामने आई हैं, सरकारी नीति के रूप में स्वीकार करने के लिए इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त विचारार्थ विषय

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 का पैरा 3

16.3.1 भारतीय नागरिक-वर्ग के विभिन्न वर्गों में जातिगत-व्यवस्था के प्रचलन की सावधानीपूर्वक जांच करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जाति सभी भारतीय समुदायों में

अपनी धार्मिक धारणाओं के होते हुए भी वास्तव में एक सामाजिक तथ्य है। कई विशेष जातियां, विभिन्न धार्मिक समुदायों में एक साथ पाई जाती हैं जो अपने सह-धर्मियों और अन्यों—दोनों द्वारा सामाजिक अपमान और दुर्व्यवहार की समस्याओं का समान रूप से सामना कर रही हैं।

16.3.2 हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि भारत के संविधान में जाति के आधार पर नागरिकों के बीच किसी भी भेदभाव करने का निषेध है और फिर भी यह अनुसूचित जातियों के लिए विशेष सकारात्मक उपायों की अनुमति देता है। साथ ही, धर्म के आधार पर किसी भेदभाव का निषेध करता है। इन सभी सांविधानिक उपबंधों को एक साथ पढ़ने पर हम आश्वस्त हैं कि सकारात्मक कार्रवाई के लिए विशेष जातियों को चुनने में किसी भी प्रकार का धर्म आधारित भेदभाव सांविधानिक उपबंधों की मूल भावना के विरुद्ध होगा। तदनुसार इस विचारार्थ विषय के संबंध में हम निम्नलिखित सिफारिशें कर रहे हैं जो हमारे काम शुरू करने के कई महीने बाद सरकार द्वारा हमारे मूल विचारार्थ विषयों में जोड़े गए हैं।

16.3.3 हम सिफारिश करते हैं कि जातिगत-व्यवस्था को समग्र भारतीय समाज की सामान्य सामाजिक विशिष्टताओं के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और इस संबंध में यह प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए कि किसी धर्म विशेष के दर्शन और शिक्षा इसे मान्यता देते हैं या नहीं—क्योंकि कतिपय ईसाई व इस्लाम की धार्मिक परंपराओं की भारतीय किस्में उन धर्मों के कई अतिनैतिक सिद्धांतों को कभी भी आत्मसात नहीं करती, केवल जातिगत-व्यवस्था के बारे में इस प्रश्न को उठाते हैं और भेदभाव पूर्ण व्यवहार के लिए संकेत देते हैं जो अनुचित और अवास्तविक है।

16.3.4 हम इस तथ्य को यथाविधि मान्यता देना चाहेंगे कि भारत के मुसलमानों में जात (जाति) और अरजाल (निम्न जातियां) की संकल्पना व्यावहारिक रूप में विद्यमान हैं; यहां तक कि विवाह के संबंध में मुस्लिम लों भी कुफ्व-सामाजिक स्तर और वंश के बारे में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में पक्षों के बीच विवाह में समानता के सिद्धांत को मान्यता देता है जिसका अर्थ इस देश में और कुछ नहीं सिर्फ जाति है।

16.3.5 ऊपर जो कुछ कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए हम सिफारिश करते हैं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 का पैरा—3 जो अनुसूचित जाति का वर्ग मूल रूप से

हिंदुओं तक सीमित रखा गया था और बाद में यह सिखों और बौद्धों के लिए भी खोल दिया गया, जो अभी भी मुसलमानों, ईसाइयों, जैनियों, पारसियों आदि की सीमा से अलग है—उचित कार्रवाई द्वारा पूर्ण रूप से हटा दिया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति स्तर को धर्म से पूरी तरह असंबद्ध कर दिया जाए और अनुसूचित जातियों के वर्ग को धार्मिक-अनाधारित बनाया जाए जैसे अनुसूचित जनजातियां हैं।

16.3.6 हम यह भी सिफारिश करते हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों आदि में उन सभी समूहों और वर्गों—जिनके सहभागी केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अनुसूचित जातियों की सूची में हिन्दुओं, सिखों और बौद्धों में सम्मिलित हैं—को भी अनुसूचित जाति की परिधि में शामिल किया जाना चाहिए। यदि मुसलमानों और ईसाइयों आदि में किसी ऐसे वर्ग को अब किसी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया जाता है तो उसे अनुसूचित जातियों में अंतरित करते समय उस सूची में से हटा दिया जाना चाहिए—उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति की सूची में रखा जाना चाहिए अगर वे हिंदू, सिख या बौद्ध हैं लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं बशर्ते वे कोई अन्य धर्म का अनुसरण करते हों—जैसा कई राज्यों के मामले में हैं—हमारे विचार से यह स्पष्ट रूप से धर्म आधारित भेदभाव है।

16.3.7 हम यह भी सिफारिश करते हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विवेक की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की प्रत्याभूति है, जब एक बार कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति सूची में शामिल कर लिया जाता है तो उसकी ओर से धर्म के इच्छानुसार परिवर्तन का उसके अनुसूचित जाति स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए—क्योंकि हमारे विचार से धर्म के आधार पर और पुराने एवं दीर्घकाल से परीक्षित जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850 के अनुसार भी वह समानता, न्याय और भेदभाव से संबंधित मूल सांविधिक उपबंधों के प्रतिकूल होंगा।

विचारार्थ विषय सं० III

हमारी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए रीति

16.4.1 हमें यह भी कहा गया है कि हम अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित “आवश्यक सांविधिक, विधिक और प्रशासनिक रीतियां सुझाएं”। इस संबंध में हमें जो कुछ कहना है वह निम्नवत है।

16.4.2 हम संविधान में कोई संशोधन करने का सुझाव नहीं दे रहे हैं—क्योंकि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी सिफारिशों में से किसी भी सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए संविधान में कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है और इनमें से प्रत्येक वैधानिक या/और प्रशासनिक कार्रवाई के द्वारा पूरी तरह से कार्यान्वित हो सकती है।

16.4.3 हम सिफारिश करते हैं कि हमारी सिफारिशों, को कार्यान्वित करने के लिए सभी केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिनियमों, सांविधिक नियमों और विनियमों को उचित रूप से संशोधित किया जाए जिनमें विधि और न्याय मंत्रालय या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण की राय में संशोधन की आवश्यकता हो।

16.4.4 हम अधिक विशिष्ट रूप से निम्नलिखित वैधानिक कार्रवाई की सिफारिश करते हैं जो हमारी राय में हमारी उपर्युक्त सिफारिशों में से कुछ को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हैं या अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अन्यथा अपेक्षित हैं;

- (क) संविधान के अनुच्छेद 30 के आदेशों को लागू करने के लिए विस्तृत कानून का अधिनियमन;
- (ख) राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का संशोधन;
- (ग) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुजाति, जनजातियां) आदेश, 1951 के साथ-साथ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित केन्द्रीय और राज्य सरकार की सूचियों का संशोधन;
- (घ) केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर अन्य पिछ़ड़ावर्ग के चयन और अधिसूचना से संबंधित विधि और नियम प्रक्रिया और कार्यविधि की समीक्षा;
- (ङ) 2006 में यथासंशोधित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूचीय कार्यक्रम 1983 को सांविधानिक स्तर और न्यायिक प्रवर्तनीयता के साथ कार्यरूप देने के लिए विधि का अधिनियमन;
- (च) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 और राष्ट्रीय शिक्षा संस्था आयोग अधिनियम, 2004 का संशोधन जिससे कि इसे किसी सर्च-समिति के माध्यम

से इन निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के लिए सरकार के लिए इसे आवश्यक बनाया जाए जैसा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मामले में—जो अल्पसंख्यकों के संबंध में केवल संवैधानिक, विधिक, शैक्षिक और आर्थिक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हों।

- (छ) वक्फ अधिनियम, 1993 और इसके उपबंधों के अधीन बनाए गए सभी नियमों में आवश्यक संशोधन।
- (ज) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन से संबंधित विधियों, नियमों, विनियमों, कार्यविधियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और आवश्यक जांच।

16.4.5 हम निम्नलिखित प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करते हैं जो हमारी राय में हमारी कुछ सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित हैं या अल्पसंख्यकों के कल्याण के हित में अन्यथा अपेक्षित हैं;

- (क) अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक नीतिगत मामलों को ध्यान में रखते हुए उनके मामलों में विचार करने और निर्णय लेने के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना;
- (ख) राष्ट्रीय समिति की स्थापना करना जिसमें अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक विकास को मॉनीटर करने के लिए नामित विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, एन्सीएमआई, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, सीएलएम, केन्द्रीय वक्फ परिषद् और मौलाना आजाद फाउंडेशन के अध्यक्ष हों;
- (ग) इस प्रयोजन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के निकायों का गठन जिसमें अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों को देखने वाले उच्च स्तरीय अधिकारी और स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले विशेषज्ञ शामिल हों।
- (घ) राष्ट्रीय स्तर की एक समन्वय समिति का गठन जिसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के

- प्रतिनिधि हों जो अल्पसंख्यकों से संबंधित क्रेडिट फ्लो के मॉनीटरन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन कार्य करें;
- (ङ) उन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों की स्थापना करना जहां वे इस समय नहीं हैं;
- (च) सभी अल्पसंख्यक संबंधी स्कीमों, कार्यक्रमों और योजनाओं का विकेन्द्रीकरण जिससे कि उनके दैनिक कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर उचित तंत्र सृजित किया जा सके।
- (छ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची का संशोधन जैसा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा 1990 में सुझाव दिया गया था और स्थानीय प्रशासनों के माध्यम से वहां विशेष शैक्षिक, आर्थिक और सामान्य कल्याणकारी उपाय शुरू किए जा सकें।
- (ज) अल्पसंख्यक कल्याण समिति की नियुक्ति जिसमें देश के सभी जिलों के कर्मचारी और स्थानीय विशेषज्ञ हों जो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोगों और अन्य सभी केन्द्रीय और राज्य स्तरीय निकायों की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करें।

धर्मांतरण करके ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के विषय में विसम्मति टिप्पणी ।

श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

1. रिपोर्ट का अध्याय IX विचारार्थ विषयों से संबंधित है। इन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने विचार के लिए 24.8.2005 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था। इनमें मंत्रालय ने आयोग से अनुरोध किया था कि वह विचारार्थ विषयों की व्यापकता को देखते हुए शिक्षा व सरकारी नौकरी में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण किए जाने के बारे में और उनके अन्य प्रकार के कल्याण के लिए उपाय सुझाए तथा दलित ईसाइयों (या अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाया है) एवं दलित मुसलमानों (या अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने धर्मांतरण करके इस्लाम धर्म अपनाया है) को आरक्षण दिए जाने के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किए जाने के औचित्य पर विचार करें। यदि राय सकारात्मक हुई तो धर्मांतरण करके ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची और उन राज्यों की सूची से निकालना होगा जिन्होंने उन्हें उसमें शामिल किया हुआ है। आयोग से यह भी अनुरोध किया गया कि वह “इस मुद्दे पर विचार करे कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश के पैरा 3 में उल्लिखित ‘धर्म’ की शर्त हटाई जानी है या नहीं या संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 में ईसाई व इस्लाम धर्म शामिल किया जाना है या नहीं”। आयोग से अपनी रिपोर्ट में इन मुद्दों पर निर्दिष्ट सिफारिश करने के लिए कहा गया। तत्पश्चात्, तारीख 28.9.2005 की अधिसूचना सं° 14/6/2005-एम सी के तहत आयोग के विचारार्थ विषयों में औपचारिक संशोधन किया गया और आयोग से अनुरोध किया गया कि “वह आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा के संदर्भ में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 के संबंध में उच्चतम न्यायालय और भारत के कतिपय उच्च न्यायालयों में दाखिल की गई रिट याचिका सं° 180/04 व 94/05 में उठाए गए मुद्दों तथा अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की रीति के विषय में सिफारिश करे”।

2. ईसाइयों ने उच्चतम न्यायालय में तीन रिट याचिकाएं दाखिल की हुई हैं यथा—रिट याचिका सं° 180/04, 94/05 और 625/05। इसी प्रकार संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 के संदर्भ में मुसलमानों ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में सात रिट याचिकाएं दाखिल की हुई हैं। इस सभी रिट याचिकाओं में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 को चुनौती दी गई है और यह कहा गया है कि वह भेदभाव मूलक है तथा उससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4) व 16(4) में प्रदत्त मूल अधिकारों का हनन होता है।

3. आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषयों और उपर-उल्लिखित विचाराधीन रिट याचिकाओं से जांच के लिए निम्नलिखित मुद्दे सामने आए हैं:—

- (i) धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों और धर्मांतरण करके इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आरक्षण के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने का औचित्य।
 - (ii) क्या संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश के पैरा 3 से “धर्म” की शर्त हटाई जानी है या संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश के पैरा 3 में ईसाई व इस्लाम धर्म शामिल किया जाना है।
 - (iii) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 की सांविधानिक विधिमान्यता; और
 - (iv) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 के विषय में की गई सिफारिश।
- (क) आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा पर प्रभाव;
 - (ख) अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की रीति।

4. उपर्युक्त पैरा 3 में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए उन सांविधानिक उपबंधों को समझना आवश्यक है जिनके आधार पर अनुसूचित जातियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ उन कारणों और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी जानना आवश्यक है जिनकी वजह से ये उपबंध बनाए गए। इस संबंध में आयोग ने सांविधानिक उपबंधों पर विचार किया और रिट याचिकाओं व पहले उठाए गए इसी प्रकार के मुद्दों पर सरकार एवं विनिर्दिष्ट मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया पर भी मनन किया। इसके अतिरिक्त प्रेस विज्ञापन जारी करके आम जनता की भी राय मांगी गई; मुख्यालय में राज्य प्राधिकारियों, समुदाय के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के साथ बैठकें व परिचर्चाएं आयोजित की गईं। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया गया और उसके दौरान भी इन सभी की राय जानी गई। हमने आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययनों और प्रमुख संस्थाओं के जरिए आयोजित करवाई गई विषय आधारित कार्यशालाओं की रिपोर्टें पर भी विचार किया।

5. विचारार्थ विषय के संदर्भ में विभिन्न उपबंधों की सांविधानिकता पर विचार करने से पहले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं के आधारों पर मनन करना बेहतर होगा। इन पर “संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने की मांग” विषयक अध्याय IX के भाग III में विचार किया गया है और इसलिए इन्हें यहां दोहराया नहीं जा रहा है।

6. ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के पक्ष और विरोध में उपरिडल्लिखित दौरों, बैठकों व रिपोर्टें इत्यादि में प्रकट किए गए तर्क एवं औचित्य इस प्रकार थे:—

अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के पक्ष में प्रकट किए गए विचार

(i) यद्यपि ईसाई और इस्लाम धर्म में जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता को मान्यता नहीं दी गई है लेकिन भारत में वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। धर्मांतरण करके ईसाई व इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोग उपेक्षा सहन करते ही रहते हैं और उन्हें जाति व व्यवसाय से जुड़ी अस्पृश्यता भी भुगतनी पड़ती है क्योंकि वे भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा तो बने ही रहते हैं।

- (ii) उनके प्रति न केवल समाज भेदभाव करता है (यहां तक कि धर्मांतरित व्यक्तियों को उनके अपने धर्म के ही लोग या अन्य धर्मों के लोग अपने बराबर का नहीं मानते) बल्कि उनकी स्वयं की धार्मिक संस्थाएं जैसे चर्च या मस्जिद भी उनके प्रति भेदभाव बरतती हैं; यह भेदभाव इस रूप में प्रकट होता है कि उनके लिए अलग चर्च/मस्जिद होती हैं या उसी चर्च/मस्जिद में अलग प्रार्थना गृह या प्रार्थना समय नियत होता है, यहां तक कि उनके मृतकों के दफनाने के लिए भी अलग स्थान नियत किए गए होते हैं।
- (iii) उनके प्रति अस्पृश्यता बरते जाने या उन पर अत्याचार होने के बावजूद यदि उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा न दिया जाए तो इसका अर्थ उन्हें, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मिलने वाले संरक्षण से वंचित करना होगा।
- (iv) धर्मांतरण के बावजूद उनकी सामाजिक या आर्थिक हैसियत में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर न होने के बावजूद उन्हें आरक्षण के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं और साथ ही साथ वे सहायता व विकास की उन योजनाओं के फायदों से भी वंचित हो गए हैं जो हिंदू-सिख एवं बौद्ध धर्म के इसी वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई हैं। यह सरकार द्वारा धर्म के आधार पर भेदभाव करने जैसा है।
- (v) ईसाई और इस्लाम धर्म को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के दायरे से बाहर रखना भेदभावकारक एवं असांविधानिक है क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 व 25 में प्रदत्त मूल अधिकारों के उपबंधों का उल्लंघन होता है। धर्म परिवर्तन करना अत्यंत निजी मामला है और इसके आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उस संरक्षण व उन लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो अन्य धर्मों के इसी वर्ग के लोगों को प्राप्त हो रहे हैं।
- (vi) यद्यपि सिख और बौद्ध धर्म में ईसाई तथा इस्लाम धर्म की भाँति ही जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं दी गई है लेकिन संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में संशोधन करके सिखों तथा बौद्धों दोनों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया गया है। अतः ईसाई या इस्लामी

धर्मावलंबियों को यह दर्जा न दिए जाने का कोई कारण नहीं बनता। यह दर्जा न दिए जाने का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव करना है जो संविधान में वर्जित है।

- (vii) अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने धर्मांतरण करके ईसाई/इस्लाम धर्म अपनाया है और यदि वे अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल हैं तो उन्हें उस सूची से निकाल दिया जाए और उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया जाए।

अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के विरोध में प्रकट किए गए विचार

- (i) हिंदू धर्म की कठोर जाति व्यवस्था से उपजी अस्पृश्यता की सदियों पुरानी प्रथा से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक पिछड़ापन ही जनसंख्या के कतिपय वर्ग को अनुसूचित जाति के रूप में अभिनिर्धारित किए जाने का मुख्य आधार है।
- (ii) स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश हक्कमत या स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार, ईसाई या इस्लामी धर्मावलंबियों को उत्पीड़ित वर्ग/अनुसूचित जाति का नहीं मानती थी। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्र भारत में यही माना जाता रहा था कि उत्पीड़ित वर्ग/अनुसूचित जातियां तो हिंदू धर्म में ही होती हैं। सिख या बौद्ध धर्मावलंबियों को इसलिए अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया क्योंकि ये मूलतः हिंदू धर्म के ही पंथ हैं न कि ईसाई या इस्लाम धर्मों की तरह स्वतंत्र धर्म।
- (iii) अनुसूचित जाति के सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े जिन लोगों ने धर्मांतरण करके ईसाई/इस्लाम धर्म अपनाया है उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है और वे सेवा/शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के बहीं लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो अन्य पिछड़े वर्गों को मिलते हैं। साथ ही साथ वे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तैयार की गई अन्य योजनाओं व संस्थागत सहायता व्यवस्था का भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- (iv) ईसाईयों और मुसलमानों में जो लोग सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं वे अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाले लाभ तो प्राप्त कर ही रहे हैं लेकिन इसके अतिरिक्त वे उन सांविधानिक, कानूनी व संस्थागत संरक्षणों/व्यवस्थाओं

का भी लाभ ले रहे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने के नाते उन्हें हासिल हैं।

- (v) इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत व 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, यद्यपि 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उनकी आबादी इससे काफी अधिक है। अतः यदि धर्मांतरण करके ईसाई/इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है तो इससे सेवाओं/पदों व शैक्षणिक संस्थाओं में और अन्य मामलों में अनुसूचित जातियों को आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अनुसूचित जातियों के लिए पृथक व्यवस्था किए जाने के कारणों को समझने के लिए तत्संबंधी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांविधानिक व कानूनी स्थिति पर विचार करना आवश्यक है।

अनुसूचित जातियां: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सांविधानिक व कानूनी स्थिति

7. “अनुसूचित जाति” शब्द की उत्पत्ति पर विचार करके यह समझा जा सकता है कि इसमें कौन सी जातियां आती हैं। अनुसूचित जाति शब्द पहली बार भारत शासन अधिनियम, 1935 में प्रयुक्त किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार अनुसूचित जाति आदेश, 1936 जारी किया गया। तीस अप्रैल 1936 को जारी किए गए इस आदेश के पैरा 3 में यह उल्लेख किया गया है कि “किसी भी भारतीय ईसाई को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाए।” तथापि, हिंदुओं की कुछ चुनिंदा जातियों के बारे में काफी पहले से अर्थात् 1880 से विचार किया जाने लगा था। उस समय ब्रिटिश भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त सर डेनजिल इबटसन ने भिन्न-भिन्न पेशों में लगे सुविधा वंचित कतिपय जाति समूहों को 17 समूहों में वर्गीकृत किया। लेकिन जब उनकी हिंदू पृष्ठभूमि के बारे में आशंकाएं प्रकट की गई तो शत-प्रतिशत रूप से हिंदू होने की पहचान करने के लिए अधिक कड़े मानदंड अपनाए गए। उनकी पहचान का मानदंड इन जातियों का ब्राह्मणों के साथ उनके संबंधों, ईश्वर की उपासना के लिए उनके प्राधिकार, वेदों को मानने की बात, मंदिरों में उनके प्रवेश करने के अधिकार के साथ-साथ इस पहलू पर भी आधारित था कि उनके स्पर्श करने या नजदीक आने से क्या अपवित्रता उत्पन्न होती है या नहीं। अतः स्पष्ट है कि काफी समय पहले अर्थात् 1880 में भी

उत्पीड़ित वर्गों की पहचान हिंदू धार्मिक समुदाय में से ही की गई। जनगणना आयुक्त जे एस हैटन ने 1931 की जनगणना रिपोर्ट में अस्पृश्य समूहों की पहचान के लिए मानदंड निर्धारित करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने हिंदुओं में व्याप्त अस्पृश्यता से उत्पन्न प्रतिकूल स्थितियों के आधार पर कई मानदंड सुझाए इनमें ये शामिल थे:—

- (i) क्या विचाराधीन जाति या वर्ग को पवित्र माने जाने वाले ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त होती है।
- (ii) क्या विचाराधीन जाति या वर्ग को नाइयों, पनहरियों, दर्जियों आदि की सेवा प्राप्त होती है जो ऊंची जाति के हिंदुओं की सेवा करते हैं।
- (iii) क्या विचाराधीन जाति का स्पर्श करने या उसके नजदीक आने से ऊंची जाति का हिंदू अपवित्र हो जाता है।
- (iv) क्या विचाराधीन जाति या वर्ग ऐसा है कि जिससे ऊंची जाति का हिंदू जल ग्रहण कर सकता है।
- (v) क्या विचाराधीन जाति या वर्ग के लिए सार्वजनिक सुविधाओं जैसे सड़कों फेरियों, कुओं का प्रयोग करना वर्जित है या उनके विद्यालयों में प्रवेश पाने पर पाबंदी लगाई हुई है।
- (vi) क्या विचाराधीन जाति या वर्ग के लिए हिंदू मंदिरों में जाना वर्जित है।
- (vii) क्या सामान्य प्रकार के सामाजिक समारोह आदि में विचाराधीन जाति या वर्ग के सुशिक्षित व्यक्ति को उसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता वाले ऊंची जाति के लोग बराबरी का दर्जा देते हैं।
- (viii) क्या विचाराधीन जाति या वर्ग अपनी ही अज्ञानता, अशिक्षा या गरीबी के कारण उपेक्षित हैं और यदि ऐसा नहीं होता तो क्या उन्हें सामाजिक उपेक्षा सहन नहीं करनी पड़ती।
- (ix) क्या वे अपनाए गए पेशे के कारण उपेक्षित हैं और यदि उन्होंने वह पेशा नहीं अपनाया होता तो क्या उन्हें सामाजिक उपेक्षा सहन नहीं करनी पड़ती।

यदि दूसरे शब्दों में कहें तो उपर्युक्त मानदंड अस्पृश्यता की घृणित प्रथा के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर आधारित है और इसे अनुसूचित जातियों* को अभिनिर्धारित किए जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जा सकता है। अतः अस्पृश्यता की पुरानी प्रथा से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक पिछ़ापन ही इसकी परख रखी गई थी।**

* अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट, भारत सरकार, 28वीं रिपोर्ट, 1986-87 मुद्रित पृष्ठ 549-550।

** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी हैडबुक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय, 1968, पृष्ठ 27।

अस्पृश्यता, अनुसूचित जातियों के आर्थिक व शैक्षिक विकास विषयक समिति रिपोर्ट और तत्संबंधी दस्तावेज, 1969, पृ० 1।

8. भारत सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश, 1936 की अनुसूची और बाद में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की अनुसूची (जो कि पूर्ववर्ती आदेश पर आधारित थी) में कतिपय जातियों को शामिल किए जाने का मूल आधार तो हिंदू समाज में सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता की प्रथा थी जिसके कारण उक्त जातियां सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से पिछ़ा गई। उत्पीड़ित वर्गों की पहचान (जिन्हें बाद में अनुसूचित जातियां कहा जाने लगा) के लिए ब्रिटिश प्राधिकारियों द्वारा अपनाया गया मानदंड, मुख्यतः अस्पृश्यता से उपजी प्रथाओं और पूर्वाग्रहों से संबंधित था। हमारे देश में अस्पृश्यता मूलतः धार्मिक और राजनीतिक कारणों से उत्पन्न हुई है। अस्पृश्यता, हिंदू धार्मिक व्यवस्था का भाग है। # इस प्रकार वर्ष 1936 और 1950 में अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों को शामिल करने का आधार धर्म ही था।

9. वर्ष 1956 में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में संशोधन किया गया और अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करने के संबंध में हिंदू व सिख धर्मों को एक ही पैमाने पर रखा गया। वर्ष 1990 में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में एक अन्य संशोधन किया गया और बौद्ध धर्म को भी अनुसूचित जातियों के दायरे में लाया गया। उपर्युक्त संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण II के आधार पर किए गए, जो इस प्रकार है:—

“उपर्युक्त (ख) में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश हैं और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

यह उल्लेख किया जाता है कि 1950 के आदेश के बाद बड़ी संख्या में धर्मांतरण करके बौद्ध धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोग पहले से ही अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट थे। उन्होंने अस्पृश्यता की अनुचित प्रथा का विरोध करने के लिए स्वेच्छा से धर्मांतरण किया। अधिसूचना इसी पहलू के आधार पर जारी की जाती रहीं ताकि उन्हें वह विशेष संरक्षण/सुविधा मिलती रहे जो उन्हें पहले से मिल रही थी।

* अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट, भारत सरकार, 28वीं रिपोर्ट, 1986-87 मुद्रित पृष्ठ 549-550।

** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी हैडबुक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय, 1968, पृष्ठ 27।

अस्पृश्यता, अनुसूचित जातियों के आर्थिक व शैक्षिक विकास विषयक समिति रिपोर्ट और तत्संबंधी दस्तावेज, 1969, पृ० 1।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की सांविधानिक विधिमान्यता।

10. यह कहा गया है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 भेदभाव कारक हैं और उससे अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4), 15(2), 16(2), 25 व 341 का उल्लंघन होता है।

अनुच्छेद 14 के जरिए भारत के राज्यक्षेत्र में विधि के समक्ष समता या समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने पर रोक है। अनुच्छेद 16 में सरकारी पदों के विषय में अवसर और नियोजन में समता बरते जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है। इन सभी अनुच्छेदों में विधि के समक्ष समता का अधिकार देने, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव रोकने और/यह नियोजन के लिए अवसर की समता का अधिकार दिए जाने के साथ-साथ सामाजिक व शैक्षिक पिछ़ड़ेपन के आधार पर कतिपय वर्गों और अनुच्छेद 15 (4), 16(4) व 16(4क) के तहत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से व्यवस्था करने की भी बात कही गई है।

11. विभिन्न सामाजिक स्तरों और अलग-अलग समूहों की असमान स्थिति को देखते हुए संविधान में पिछ़ड़े वर्गों के लोगों के ऐसे कई समूहों के लिए व्यवस्था की गई जिन्हें अपनी स्थिति उन्नत करने व समाज में स्थान बनाने के लिए विशेष संरक्षण व सुधारक उपायों की आवश्यकता थी। इस संबंध में उनुच्छेद 15 (4), 16(4)-46 व 341 प्रासंगिक हैं, इनमें अनुसूचित जातियां शामिल की गई थीं और केवल वही ऐसा वर्ग था जिसे संविधान ने धार्मिक और हिंदू धर्म में व्याप्त भेदभाव की विद्यमान प्रथा के आधार पर ऐसा विनिर्दिष्ट किया था। “अस्पृश्यता” संबंधी मानदंड के आधार पर अभिनिर्धारित की गई हिंदू धर्म की जातियां पहले से ही 1936 के आदेश के तहत अनुसूचीबद्ध थीं। भौगोलिक अलगाव के आधार पर अनुसूचित जनजातियों को भी विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 15 (4), 16(4) व 46 में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछ़ड़े वर्गों और कमजोर वर्गों की पहचान करने तथा उनकी उन्नति के लिए उपाय करने की व्यवस्था की गई है। अतः संविधान में उन्हीं के लिए व्यवस्था की गई है जिनके प्रति धर्म के अंदर ही भेदभाव किया जाता है या दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण भेदभाव किया जाता है या शैक्षिक व सामाजिक

पिछ़ड़ेपन की वजह से ऐसा किया जाता है या जो कमजोर वर्ग के हैं। ये उन अनुच्छेदों के अपवाद हैं जो समता व भेदभाव न बरते जाने की गारंटी देते हैं।

12. उच्चतम न्यायालय ने सोसाई बनाम भारत संघ व अन्य (एआईआर 1986 उच्चतम न्यायालय 733) के मामले (रिट याचिका सं 9596/83) में उक्त आदेश की विधिमान्यता पर विचार किया। अपने निर्णय के पैरा 7 में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि “अब यह बात खारिज नहीं की जा सकती कि जाति व्यवस्था, हिंदू सामाजिक व्यवस्था की एक विशिष्टता है। यह हिंदू समाज का एक खास सामाजिक आयाम है। उच्चतम न्यायालय ने आगे अपने उक्त निर्णय के पैरा 8 में कहा कि “स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ने ऐसी संपूर्ण सामग्री पर विचार किया जिससे यह ज्ञात होता था कि हिंदू व सिख समुदायों के उत्पीड़ित वर्गों को इतनी आर्थिक व सामाजिक उपेक्षा सहन करनी पड़ी तथा इतने सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक पिछ़ड़ेपन से गुजरना पड़ा कि उन्हें अनुसूचित जातियों से संबंधित सांविधानिक उपबंधों के तहत संरक्षण प्रदान करना पड़ा। स्पष्ट है कि उनकी स्थिति सुधारने व उनकी उन्नति के लिए सरकार द्वारा विधायी व कार्यकारी शक्तियों के माध्यम से उपाय करना आवश्यक हो गया था। यह ध्यान में रखा जाए कि उन्हें अनुसूचित जाति का माने जाने के विषय में पैरा 3 में सम्मिलित की गई घोषणा संविधान के अनुसार ही थी। यह संविधान के अनुच्छेद 341 पर आधारित थी। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा 8 में यह टिप्पणी की कि “अतः यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 का पैरा 3 बनाते समय अपने विवेक का मनमाने ढंग से प्रयोग किया”।

13. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश में उन समुदायों को सूचीबद्ध किया गया है जो अनुसूचित जाति के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। समुदायों के अभिनिर्धारण के लिए अनुच्छेद 341 के तहत यह मानदंड अपनाया गया कि समुदाय अस्पृश्यता की सदियों पुरानी प्रथा के कारण सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछ़ड़ा हो। अनुच्छेद 15(4) में यह व्यवस्था की गई है कि “इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछ़ड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी”। अतः संविधान ने सरकार को पिछ़ड़े वर्गों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार दिया हुआ है। इस

संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 341 को अनुच्छेद 15(4) के साथ ही पड़ा जाना अपेक्षित है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 341 के तहत अभिनिर्धारित समुदाय, हिंदू धर्म के लोगों का एक पृथक वर्ग हैं जिन्हें सदियों से भेदभाव सहन करने के कारण सरकार ने विशेष सरक्षण दिया है।

14. इस बात की पुष्टि संविधान सभा में हुई चर्चा से भी होती है, यथा “अनुसूचित जातियां समाज का पिछड़ा वर्ग हैं जो अस्पृश्यता की प्रथा के कारण उपेक्षित हुई हैं और “अस्पृश्यता की यह कुप्रथा हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में नहीं है। स्पष्ट है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 हिंदू धर्म की जातियों से संबंधित है। इस आदेश में भारत के सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों की सूची नहीं है और उसमें ऐसा होने का दावा भी नहीं किया गया है। वह केवल उन जातियों से संबंधित है जिनके प्रति हिंदू धार्मिक व्यवस्था में भेदभाव किया गया है। अतः यह संविधान (अ.ज.) 1950 आदेश भेदभाव कारक नहीं है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 व 25 का उल्लंघन नहीं होता और न ही यह संविधान के दायरे से बाहर है क्योंकि उसमें विशेष वर्ग अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था की गई है जिन्हें संविधान के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है।

15. संविधान के अनुच्छेद 341 का आशय यह नहीं है कि उसमें सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सभी वर्ग शामिल कर दिए जाएं और न ही संविधान में यह कहा गया है कि आरक्षण जैसे उपाय अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों तक ही सीमित रहेंगे। अनुच्छेद 16(4) के दायरे में सभी पिछड़े वर्ग आते हैं और उसका दायरा अनुच्छेद 341 की तुलना में व्यापक है। अनुसूचित जातियों में सम्मिलित वर्गों को कतिपय ऐतिहासिक कारणों से इसमें शामिल किया गया है और ये कारण उसी वर्ग विशेष पर लागू होते हैं।

16. आगे यह कहा जाता है कि यदि धर्म पर विचार किए बिना ही सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों को 1950 के उक्त आदेश के पैरा 3 में शामिल कर दिया जाता है तो इसका अर्थ उस सदियों पुराने भेदभाव की अनदेखी करना होगा जो अनुसूचित जातियों में शामिल उक्त वर्गों को सहन करना पड़ा था। यदि सभी पिछड़े वर्गों को 1950 के आदेश की परिधि में लाया जाता है तो यह अनुसूचित जातियों के प्रति भेदभाव होगा क्योंकि इसका अर्थ यह मानना होगा कि भारत में अनुसूचित जातियों को सदियों तक जो भेदभाव सहन करना पड़ा था, पिछड़े

वर्गों के सभी समूहों को भी उसी प्रकार के दौर से गुजरना पड़ा था।

अतः संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 न ही असांविधानिक है और न ही वह संविधान के अधिकारक्षेत्र से बाहर है, साथ ही साथ इससे संविधान द्वारा प्रदत्त किसी मूल अधिकार का भी हनन नहीं होता।

धर्मातरण करके ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना।

17. जो समूह धर्मातरण करके ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है, रिट याचिका तथा आयोग के समक्ष प्रस्तुत दलील के अनुसार इस बारे में उसने दो मुख्य तर्क पेश किए हैं। पहला तर्क यह है कि उन्होंने चाहे स्वेच्छा या किसी भी अन्य कारण से ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया हो लेकिन इसके बावजूद उनके प्रति भेदभाव बरता जा रहा है, उनकी उपेक्षा व उत्पीड़न किया जा रहा है और वे अभी भी हिंदुओं की तरह सामाजिक शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। यद्यपि वे मानते हैं कि ईसाई या इस्लाम मत में जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता समेत किसी अन्य प्रकार के भेदभाव को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है लेकिन वास्तविक स्थिति पूर्णतः भिन्न है क्योंकि धर्मातरण के बाद भी वे भारतीय समाज का तो अभिन्न भाग बने ही रहते हैं जो मुख्यतः जाति आधारित है। इन धर्मातंरित व्यक्तियों के प्रति न केवल उंची जाति के हिंदुओं और ईसाई व इस्लाम समुदाय के संपन्न व्यक्ति भेदभाव करते हैं बल्कि ईसाई या मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं जैसे चर्च मस्जिद, कब्रिस्तान व उनके पुरोहित वर्ग भी भेदभाव करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क यह है कि धर्मातरण करके ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोग धर्मातरण के बावजूद जाति आधारित उपेक्षा व भेदभाव सहन कर रहे हैं और इसे देखते हुए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में हिंदू सिख या बौद्ध धर्म अनुयायियों और ईसाई एवं इस्लाम धर्म के अनुयायियों के बीच जो विभेद किया गया है वह भेदभाव कारक है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 व 25 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

18. इस पृष्ठभूमि के आधार पर अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने के लिए ईसाइयों व मुस्लिमों की पात्रता पर निम्नलिखित प्रकार से विचार किया गया है:—

- (i) यदि यह मान भी ले कि धर्मांतरण करके इस्लाम/ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को अपने ही समुदाय में भेदभाव सहन करना पड़ता है तो इस प्रश्न का भी उत्तर तलाशना होगा कि वे जो यह भेदभाव उपेक्षा सहन कर रहे हैं क्या वह वैसा ही है जो हिंदू धर्म के उत्पीड़ित वर्ग सहन करते हैं। उनके लिए चर्चों में अलग प्रार्थनागृह या अलग कब्रिस्तान होना या उनके अपने ही समुदाय के कतिपय बर्गों द्वारा उनके साथ सामाजिक संपर्क न रखना यद्यपि निंदनीय है लेकिन फिर भी यह उस अत्याचार व उससे उपजी उपेक्षा के मुकाबले कम है जिससे हिंदू धर्म उत्पीड़ित या अस्पृश्य लोगों को गुज़रना पड़ता है। इस बात पर कोई उपयुक्त शोध नहीं किया गया है और न ही इसकी कोई प्रमाणित सूचना उपलब्ध है कि अनुसूचित जाति के लोगों को अपने मूल धर्म (हिंदू) में जो उपेक्षा व उत्पीड़न सहन करना पड़ा था वह उतनी ही प्रबलता से ईसाई/इस्लाम धर्म में उनके प्रति विद्यमान है। भारत में अपने 25 वर्ष के प्रवास के दौरान केरल व तमिलनाडु (अर्थात् त्रावणकोर कोचीन व मद्रास प्रेसिडेंसी के तत्कालीन राजसी राज्य) में कार्यरत ब्रिटिश मिशनरी श्रद्धेय सैमयुल मेटीर ने इस बारे में अध्ययन करके “लैंड ऑफ चैरिटी” और “नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर” नामक दो पुस्तकें क्रमशः वर्ष 1870 व 1883 में प्रकाशित की। इनमें यह प्रकट किया गया था कि इन राज्यों में धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाने वाली “दास जाति” (अर्थात् मौजूदा अनुसूचित जातियां) ने हिंदू धर्म में रह गई अपनी बिरादरी की तुलना में सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में थे।
- (ii) संयोगवश, ईसाइयों से संबंधित उपलब्ध सामाजिक सूचकों (धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बारे में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है) से पता चलता है कि साक्षरता व शिक्षा के स्तर पर और कार्य में भागीदारी की दर इत्यादि की दृष्टि से ईसाई, अन्य प्रमुख धार्मिक समूहों (जैनियों को छोड़कर) जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख या बौद्धों से काफी आगे हैं। उदाहरण के लिए 2001 की जनगणना के अनुसार ईसाइयों की साक्षरता दर 80.3 प्रतिशत, हिंदुओं की 65.1 प्रतिशत, मुसलमानों की 59.1 प्रतिशत, सिखों की 69.4 प्रतिशत बौद्धों की 72.7 प्रतिशत और सभी धर्मों की 64.8 प्रतिशत है। यह तथ्य महिलाओं और पुरुषों दोनों पर ही लागू होता है। अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर

54.60 प्रतिशत है और कार्य में भागीदारी की दर 42.9 प्रतिशत है। ईसाइयों की कार्य में भागीदारी की दर 39.7 प्रतिशत है जो बौद्धों (40.6%) व हिंदुओं (40.4%) के बाद धार्मिक समुदायों में सबसे अधिक है। तथापि, ईसाई समुदाय में महिलाओं की कार्य में भागीदारी की दर (28.7%) है जो बौद्ध धर्म की महिलाओं (31.7%) के बाद सबसे अधिक है अर्थात् इस मामले में ये दूसरे स्थान पर हैं। यह दर हिंदुओं (27.5%), मुस्लिमों (14.1%) और सिखों (20.2%) से अधिक है। मुस्लिमों की साक्षरता दर 59.1 प्रतिशत है जो अखिल भारतीय औसत (64.8%) से तो कम है लेकिन अनुसूचित जातियों से अधिक है। परंतु प्राथमिक शिक्षा स्तर पर मुस्लिमों का प्रतिशत सबसे अधिक है जबकि हिंदुओं का 54.91, ईसाइयों का 45.79, सिखों का 46.70, बौद्धों का 54.69 और जैनियों का 29.51 प्रतिशत है उपर्युक्त सूचकों से यह तथ्य प्रकट होता है कि साक्षरता व कार्य में भागीदारी जैसे क्षेत्रों में ईसाइयों की स्थिति अन्य धर्मावलंबियों की तुलना में अच्छी है और मुस्लिमों की भी स्थिति कुल मिलाकर उनके बराबर मानी जा सकती है।

- (iii) इस्लाम और ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है जबकि यह हिंदू धर्म की एक विशिष्टता है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि जिस धार्मिक समुदाय में जाति/अस्पृश्यता को मान्यता नहीं दी गई है व उसे सही नहीं माना जाता उसमें यदि उक्त आधार पर भेदभाव किया जाता है तो इस बारे में उस धर्म के भीतर ही आंतरिक और समुदाय आधारित सुधार किया जाना अपेक्षित है। इस बारे में सरकारी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि उन्हें उसी प्रकार की जाति व्यवस्था में लाया जा रहा है जिसे छोड़कर वे समतावादी धर्म में आए थे।
- (iv) उक्त धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का अर्थ, इस्लाम/ईसाई धर्म में औपचारिक रूप से जाति व्यवस्था कायम करना और उन धर्मों के मूल सिद्धांतों को बदलना होगा, जो कि संसद तथा न्यायपालिका दोनों के ही अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है।

- (v) सोसाई आदि बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने याचिका गुणागुण की बजाय तकनीकी आधार पर निपटाई थी। न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति को यदि धर्मांतरण के बावजूद अस्पृश्यता सहन करनी पड़ती है तो क्या वह उस लाभ/संरक्षण को प्राप्त करने के लिए पात्र है जो अनुसूचित जातियों को संविधान के तहत मिल रहा है। याचिका इसलिए खारिज की गई क्योंकि धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों की स्थिति के बारे में कोई प्राधिकृत या विस्तृत अध्ययन पेश नहीं किया गया था।
- (vi) यद्यपि ईसाई या इस्लाम धर्मावलंबियों को ब्रिटिश भारत या स्वतंत्र भारत में कभी भी अनुसूचित जाति का नहीं माना गया लेकिन ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के लिए समय-समय पर मांग की जाती रही है। गैर सरकारी विधेयक एक से भी अधिक बार प्रस्तुत किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसदीय फोरम के राष्ट्रीय सम्मेलन में 1992 में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा दी जाए। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन विधेयक) भी 1996 में तैयार किया गया था लेकिन इसे प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों की राय प्राप्त की गई थी। उन्होंने संविधान सभा में हुई चर्चा की ओर ध्यान आकर्षित किया और उन व्यक्तियों की सही-सही संख्या निर्धारित किए जाने पर बल दिया जो इसके दायरे में आएंगे। यह भी प्रकट किया गया कि इससे जिन लोगों को लाभ होगा उनके निर्धारण के लिए कोई विभेदक तिथि (कट ऑफ डेट) नहीं सुझाई गई है। साथ ही साथ कई राज्यों और आयोगों ने यह उल्लेख किया है कि धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रमाणिक रिकार्ड न होने से मूल जाति का अभिनिर्धारण करना बहुत कठिन होगा। इसके अतिरिक्त सेवा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व था और उन्हें अन्य
- (vii) पिछड़े वर्गों के रूप में आरक्षण आदि के लाभ पहले से ही मिल रहे थे।
- (viii) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, धार्मिक रूप से तटस्थ अधिनियम है। यह समूचे भारत के सभीधर्मों और धार्मिक संप्रदायों पर लागू होता है। अतः याचिकाकर्ताओं का यह तर्क तथ्यपरक सूचना पर आधारित नहीं है कि उक्त अधिनियम के तहत ईसाईयों व मुस्लिमों को लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। तथापि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बाल इन्हीं दो वर्गों पर लागू होता है।
- (ix) इस्लाम और ईसाई दोनों ही धर्मों का उदय भारत से बाहर हुआ था। कई सौ वर्षों के दौरान ये धर्म व्यापारियों, हमलावरों व प्रचारकों/मिशनरियों के साथ विदेश से भारत में आए और ज्यों-ज्यों भारत के मूल निवासी इन धर्मों में धर्मांतरित होते गए त्यों-त्यों इन्होंने यहां अपनी जड़े जमा लीं। इन दोनों ही धर्मों में जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं दी गई है। विदेश से यहां आए उक्त व्यापारियों/हमलावरों/प्रचारकों/अधिवासियों के वंशजों और मुस्लिम/ईसाई धर्म अपनाने वाली अनुसूचित जातियों की संख्या का आकलन करना बहुत दुष्कर है। लेकिन जो बात निश्चित रूप से कही जा सकती है वह यह है कि आज भारत की मुस्लिम और ईसाई आबादी में से बहुसंख्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने धर्मांतरण करके इन धर्मों को अपनाया है और वे ऐसे ही लोगों के वंशज हैं। यदि यह परिकल्पना स्वीकार की जाती है तो ऐसे मुस्लिमों/ईसाईयों की पहचान में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होंगी क्योंकि जो मूलतः अनुसूचित जाति के थे उनका कोई प्रामाणिक रिकार्ड नहीं रखा गया है।
- (x) यदि विभेदक तिथि तय कर दी जाती है तो भी धर्मांतरण करके ईसाई व इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पहचान के लिए अपनाई जाने वाली किसी भी प्रक्रिया से अनेक समस्याएं निश्चित रूप से उत्पन्न होंगी। इसका परिणाम यह होगा कि जो लोग इसके लिए सही मायनों में पात्र हैं उनकी पहचान के लिए सटीक आधार तय नहीं किए जा सकेंगे और उपयुक्त निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। इस बात की प्रबल आशंका है कि इसका दुरुपयोग

किया जाएगा और जो व्यक्ति पात्र नहीं होंगे वे ही इसका भरपूर लाभ उठाएंगे तथा जिनको इसका वास्तव में फायदा मिलना चाहिए वे वंचित रह जाएंगे। यहां तक कि जो जातियां सूचीबद्ध हैं उनके बारे में भी फर्जी प्रमाणपत्र प्राप्त किए जा रहे हैं और इस बात के पर्याप्त सबूत भी हैं। वास्तव में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हिंदू धर्म से या किसी अन्य धर्म से धर्मातिरित होने वाले ऐसे व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार हो जो सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ही रहे हुए हैं ताकि उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें संरक्षण मिल सके और सेवाएं उपलब्ध हो सकें। अस्पृश्यता से निपटने के लिए पहले से ही समान कानून बना हुआ है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम सब पर लागू होता है।

- (x) हिंदू समाज की ही अत्यंत कठोर जाति व्यवस्था से उत्पन्न अस्पृश्यता से उपजी उपेक्षा के आधार पर ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्र भारत में उत्पीड़ित वर्गों/अनुसूचित जातियों की पहचान के लिए जो आधार अपनाया गया था उसे त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है 1936 का अनुसूचित जाति आदेश “जाति” पर आधारित था और वह हिंदू धर्म पर किस प्रकार से लागू होता था, यह उसके पैरा 3 से स्पष्ट होता है यह 30 अप्रैल 1936 को जारी किया गया था जिसमें साफ-साफ यह उल्लेख किया गया है कि “किसी भी भारतीय ईसाई को अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा।” संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, वर्ष 1936 के आदेश पर ही आधारित था और जातियों की पहचान के लिए उसमें भी वहीं मानदंड अपनाए गए थे—जैसे हिंदू समाज में सदियों से व्याप्त अस्पृश्यता से उपजी प्रथाएं और पूर्वाग्रह जिसके कारण सूचीबद्ध जातियां सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गईं। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में 1956 व 1990 में जो संशोधन किए गए उन्हें इस आधार पर न्यायसंगत ठहराया गया है कि वे हिंदू धर्म में ही सृजित किए गए पंथ हैं और वे ईसाई व इस्लाम धर्मों की तरह स्वतंत्र अर्थात् अलग धर्म नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस बात की पुष्टि संविधान के अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण II से भी होती है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि

“अनुच्छेद 25 के खंड (2) के उपखंड (ख) में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है।

- (xi) अस्पृश्यता से उपजे सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर हिंदू धर्म की कतिपय जातियों के लिए सकारात्मक विभेद की व्यवस्था की गई ताकि संविधान ने समानता की जो गारंटी दी हुई है उसे हासिल किया जा सके और इसीलिए अनुच्छेद 15(4) बनाया गया था। अनुसूचित जातियों को विशेष दर्जा दिए जाने के अनुसरण में पहले उपाय के रूप में संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई और किसी भी रूप में उसके प्रचलन पर रोक लगा दी गई। अस्पृश्यता के आधार पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के उत्पीड़न/उपेक्षा को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन दंडनीय अपग्राध बना दिया गया। पचास वर्षों से अस्पृश्यता को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तथा अब यदि अस्पृश्यों में और अन्य जातियां शामिल की जाती हैं तो सदियों पुराने सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए अब तक जो प्रयास किए गए हैं, वे सब बेकार हो जाएंगे। वास्तव में यह स्थिति को बिगड़ने के समान होगा और भेदभाव न करने की सांविधानिक प्रतिबद्धता के विरुद्ध होगा।
- (xii) हिंदू जाति व्यवस्था का अभिन्न भाग रहीं पारंपरिक जाति प्रथा की कठोरता और उससे उत्पन्न होने वाला भेदभाव काफी हद तक कम हो गया है। जातिगत भेद समाप्त हो गया है और अनुसूचित जातियों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार काफी बदल गया है। शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों में जातिगत भेद अधिकांशतः वर्ग भेद में बदल गया है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक अध्ययनों से इसकी पुष्टि की जा सकती है। ईसाईयों और मुसलमानों में जिस भेदभाव की बात कही गई है वह समुदाय के भीतर ही है। “दलित” या ‘पृथक कब्रिस्तान’ के मुद्रे ऐसे हैं जिनका समाधान धार्मिक नेताओं द्वारा व्यवस्था के भीतर सुधार करके और कल्याणकारी एवं कानूनी उपायों के जरिए किया जाना अपेक्षित है न कि उन धर्मों में जाति व्यवस्था कायम

करके जिनमें उसे मान्यता नहीं दी गई है। पिछले 60 वर्षों में, हिंदू धर्म में व्याप्त “अस्पृश्यता” की प्रथा, जातिगत भेद और भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। अतः ईसाई व इस्लाम धर्मों में जाति व्यवस्था की मान्यता न होने के बावजूद और राज्य अर्थात् कार्यपालिका, संसद और यहां तक कि न्यायपालिका को भी समतापूर्ण व्यवस्था वाले इन धर्मों में जाति प्रथा कायम करने का अधिकार न होते हुए भी उनमें इस घृणित व भेदभावकारक प्रथा को लाने का कोई औचित्य नहीं है।

(xiii) इस बात के काफी साक्ष्य हैं कि अस्पृश्यता कम हो रही है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2003 की जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमशः 25.11.05 तथा 28.11.05 को रखी थी उसके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 से संबंधित अध्याय से ज्ञात होता है कि वर्ष 2003 के दौरान देश के 12 राज्यों में केवल 651 मामले दर्ज किए गए थे, इनमें से 495 (76.04 प्रतिशत) मामले अकेले आंश्र प्रदेश में दर्ज किए गए। कर्नाटक में 69, महाराष्ट्र में 39 और मध्य प्रदेश में 17 व पुडुचेरीमें भी 17 मामले दर्ज किए गए थे। झारखण्ड (4), चंडीगढ़ (1), गुजरात (1) व हिमाचल प्रदेश (1) में एक या पांच से कम मामले दर्ज किए गए। उक्त अधिनियम के तहत अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव, लक्ष्मीप तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। यदि इस संख्या की तुलना 1980 के दशक के पूर्वार्द्ध में दर्ज मामलों की औसत वार्षिक संख्या से करें तो तब यह संख्या 4000 के करीब थी जो घटकर 1991-92 में 2493, 1992-93 में 1581, 1993-94 में 1387 और 1994-95 में 982 हो गई। यह बात स्वीकार की जाती है कि जैसे अन्य कई कानूनों (जिनमें भारतीय दंड संहिता भी शामिल है) के दायरे में आने वाले अपराधों के संबंध में होता

है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के दायरे में आने वाले अपराधों की सूचना/जानकारी नहीं दी जाती या दी भी जाती है तो उन्हें दर्ज नहीं किया जाता। फिर भी यह कहना होगा कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के संबंध में दर्ज किए गए मामले इस तथ्य का सूचक हैं कि गैर कानूनी व दंडनीय घोषित की जा चुकी अस्पृश्यता की घटनाएं अब आमतौर से नहीं होती बल्कि यदा-कदा ही होती हैं। सरकार व समाज ने 57 वर्षों तक अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जो कार्य किया है, उससे और शैक्षिक स्तर बढ़ने, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा फैलाई गई जागरूकता तथा अनुसूचित जातियों द्वारा अपनी स्थिति एवं अधिकारों के प्रति सजग रहने से अस्पृश्यता के प्रति लोगों की सोच व व्यवहार पर निश्चित ही प्रभाव पड़ा है। सामाजिक बदलाव ने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है और परिणामस्वरूप इस व्यवस्था व प्रथा की कठोरता कम हो गई है। व्यापक सर्वेक्षण करके अनुसूचित जातियों की सूची को छोटा किए जाने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जातियों के लिए की जाने वाली सकारात्मक कार्रवाई का लाभ उन लोगों को मिल सके जिनके लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता है और इसका लाभ अनुसूचित जातियों के केवल संपन्न लोग ही न लेते रहें।

(xiv) देश में और हिंदू जाति में व्याप्त अस्पृश्यता की स्थिति में पिछले 60 वर्षों के दौरान काफी बदलाव आया है। जाति और धर्म का भेद किए बिना ही देश में सभी को सेवाएं व सुविधाएं हासिल हैं और जहां-कहां भेदभाव किया जाता है वहां उसे निपटने व सुधारक कार्रवाई करने की भी व्यवस्था कायम की गई है। हाल ही में ऐसे प्रसंग हुए हैं जिनमें ऊंची जाति या तथाकथित ऊंची जातियों ने सभी अनुसूचित जातियों को मंदिरों में अबाध रूप से प्रवेश करने दिया है जबकि पहले उन्हें वहां प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि गंदगी आधारित कार्यों जैसे सिर पर मैला ढोना और अन्य प्रकार के गंदगीयुक्त कार्य करने वाले लोगों की जाति व धर्म चाहे कुछ भी हो उनको एक समान सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

- (xv) राज्य सरकारों, मुख्य मंत्रियों, अन्य राजनीतिक नेताओं, संस्थाओं के प्रधानों और गैर सरकारी संगठनों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनका इस मुद्दे के संबंध में काफी महत्व है कि धर्मांतरण करके ईसाई व इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए या नहीं। पैतीस राज्यों में से केवल सात ने प्रस्ताव पर सहमति दी है, पांच ने इसका विरोध किया है और दस ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अन्य राज्यों ने अभी अपना दृष्टिकोण तय नहीं किया है। अनुसूचित जाति के बहुत से संगठनों ने धर्मांतरण करके ईसाई व इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को इस आधार पर अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का विरोध किया है कि उक्त लोगों ने अस्पृश्यता जनित भेदभाव के कारण ही हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म अपनाए हैं। इसी प्रकार कई राज्यों के बौद्ध संगठनों ने यह कहा है कि बौद्धों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल न किया जाए क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कठोर जाति व्यवस्था और अपने प्रति किए गए भेदभाव के कारण ही बौद्ध धर्म अपनाया है। कई राज्यों में मुस्लिम संगठनों ने जोरदार विरोध करते हुए कहा है कि मुस्लिमों को “अनुसूचित जाति” का नहीं माना जा सकता और उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करके लाभ दिए जाएं।
- (xvi) पूर्वोक्त स्थिति को देखते हुए अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग करना ही अनुचित है। तथापि, जिन कारणों से मांग की गई है उन पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनके प्रति व्यवसाय जनित अस्पृश्यता के आधार पर अत्याचार या भेदभाव किया जा रहा हो तो उनके लिए विशेष सुविधाएं व व्यवस्था कायम करने के लिए अवश्य ही कार्रवाई की जाए। यह पुनः उल्लेख किया जाता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम धर्म आधारित नहीं है और यह सभी धर्मों के अनुयायियों पर लागू होता है। जहां आवश्यकता हो बेहतर शिक्षा, रोजगार आदि के अवसर निश्चित रूप से प्रदान किए जाएं और भेदभावकारक प्रथा को प्रशासनिक, कानूनी, कल्याण व विकासपरक उपायों के जरिए दूर किया जाए। उक्त प्रथा का निराकरण उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में इस तर्क के आधार पर शामिल करके नहीं किया

- जाना चाहिए कि धर्मांतरण के बाद भी जाति तो बनी रहती है क्योंकि उन्होंने जो धर्म अपनाया है उसमें जाति को मान्यता नहीं दी गई है।
- (xvii) आयोग द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सहयोग से “मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति: समस्याएं और नीतिगत विकल्प” विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान मुस्लिम विद्वानों ने यह राय प्रकट की कि विश्व में सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के तीन मानदंड हैं, प्रथा, बाल मृत्युदर, शहरीकरण की दशा और जन्म होने पर औसत आयु संभाविता। जहां तक मुस्लिम समुदाय का प्रश्न है इस संबंध में वे बहुसंख्यक समुदाय से आगे हैं। उनका कहना था कि परिस्थितियों को देखते हुए मुस्लिमों को धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए बार-बार प्रयास करना सांविधानिक या नैतिक दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। उनका यह भी मानना था कि छोटे परिवार की संकल्पना को स्वीकार न करना और कार्य में महिलाओं की अत्यंत कम भागीदारी ही मुस्लिम समुदाय में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम होने का कारण बने हैं। इन दोनों पर ही समुदाय के सशक्त पुरोहित वर्ग का नियंत्रण है। चाहे कितना भी आरक्षण कर दिया जाए, यह स्थिति सुधारी नहीं जा सकती। अतः उन अल्पसंख्यकों के लिए सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की योजनाएं बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और विधायी निकायों व सिविल सेवाओं में जिनका प्रतिनिधित्व कम है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समान सिविल संहिता बनाई जाए।
- (xviii) अनुसूचित जातियों के संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि यदि उनके अनुरोध के बावजूद, धर्मांतरण करके ईसाई व इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया जाता है तो उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात् उनके लिए आरक्षण का जो कोटा है और उन्हें जो रियायत/लाभ मिल रहा है वह प्रभावित नहीं होना चाहिए।
- (xix) अनुसूचित जाति की सूची में और जातियां शामिल करना समाधान नहीं है। वास्तव में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सूची की नए सिरे से समीक्षा करना बहुत आवश्यक है ताकि उन व्यक्तियों की पहचान की जा सके जो अभी

स्तर से काफी नीचे हैं। लगभग 60 वर्षों के संगठित प्रयास के बाद हमें, संविधान में किए गए उल्लेख के अनुसार धर्म, जाति, पंथ, वर्ग आदि पर आधारित भेद समाप्त करने और सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की पहचान करने के लिए समान कार्यप्रणाली बनाने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए ताकि वंचितों और/या सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े के प्रति कोई भेदभाव किए बिना सेवाओं, कार्यक्रमों, नीतियों के लाभ तथा अत्याचार व शोषण के प्रति कानूनी एवं अन्य संरक्षण समान आधार पर प्रदान किए जा सकें।

(xx) इस संदर्भ में यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि भारत सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश, 1936 में जातियां प्रामाणिक आकड़ों अर्थात् जानकारी के आधार पर शामिल नहीं की गई थीं। अस्पृश्यता जनित प्रथा के प्रचलन के बारे में कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसके विपरीत वह मुख्यतः धारणापरक आकलन पर आधारित था, यद्यपि वह काफी परिश्रमपूर्वक किया गया था। यही बात संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के बारे में भी कही जा सकती है जो 1936 के आदेश पर आधारित था। आदेश की अनुसूची में समय-समय पर जातियां शामिल करने का कार्य भी किसी सर्वेक्षण के आधार पर नहीं किया गया। इससे इस बात की ही अधिक संभावना प्रतीत होती है कि अनुसूचित जातियों के अभिनिर्धारण में व्यक्तिपरकता का और/या राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया गया जबकि राज्य विनिर्दिष्ट अनुसूची के संशोधन/आशोधन के विषय में कार्यपालिका द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद संसद द्वारा तत्संबंध में विधान बनाया जाना अपेक्षित है। तथापि, यह सच्चाई है कि किसी वर्ग को अनुसूचित जाति के रूप में अभिनिर्धारित करने का एकमात्र आधार अस्पृश्यता थी जिसे संविधान ने समाप्त कर दिया है और संविधान द्वारा पारित कानून ने उसे गैर कानूनी घोषित किया हुआ है तथा शिक्षा का स्तर बढ़ने व जागरूकता फैलने के कारण स्वतंत्र भारत के समाज के दृष्टिकोण व सोच में बहुत बदलाव आया है जिसके कारण अनुसूचित जातियों की सूची में और जातियां शामिल नहीं की जानी चाहिए। शामिल करने के बजाए सूची में सभी जातियां निकालने और सामाजिक एवं आर्थिक दशा के आधार पर सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े की व्यापक सूची बनाए जाने

पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले 60 वर्षों में अनुसूचित जातियों के बहुत से लोगों ने अस्पृश्यता के घृणित बंधन और उससे उपजी उपेक्षाओं से स्वयं को मुक्त कर दिया है। ऐसा वे उनके लिए किए गए सकारात्मक भेद और आर्थिक विकास एवं भूमंडलीकरण से हुए सामाजिक परिवर्तन के कारण कर सके हैं।

(xxi) किसी जाति या समुदाय को पिछड़ी या अनुसूचित जाति के रूप में अभिनिर्धारित करने की संकल्पना अब अप्रचलित हो चुकी है और उसकी वजह से पिछड़ेपन में स्वार्थ निहित हो गया है। लगभग 60 वर्षों के सुनियोजित विकास व पिछड़ों एवं अनुसूचित जातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई किए जाने के बाद संभवतः अब कोई एक भी ऐसी जाति या वर्ग नहीं है जिसका कोई भी एक घटक पिछड़ा हो। ठीक है कि सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त करने में समय लगता है लेकिन अक्षम व प्रायः गलत साबित होने वाली व्यवस्था के कारण इसमें और भी वक्त लगेगा। बावजूद इसके प्रत्येक जाति में से काफी अधिक लोग विकास योजनाओं व सकारात्मक कार्रवाई का लाभ उठा चुके हैं। उन्हें अब ऐसे लोगों को इनका लाभ लेने देना चाहिए जो अधिक जरूरतमंद हैं क्योंकि संसाधन भी तो सीमित ही हैं। अतः नीतियों और कार्यक्रमों में ऐसा मौलिक बदलाव लाया जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक मानदंड के आधार पर सकारात्मक भेद का लाभ मिल सके चाहे उसका धर्म जाति, पंथ आदि कुछ भी हो। नई व्यवस्था में जाति, वर्ग व धर्म की बजाय परिवार/घरबार को ही सकारात्मक भेद के लिए आधार बनाया जाए और जैसे ही परिवार सामाजिक-शैक्षिक व आर्थिक स्थिति का अपेक्षित स्तर प्राप्त कर ले उसे उक्त दायरे से निकाल दिया जाए। एकमात्र विकल्प यही है कि सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ों तथा निर्धनों की पहचान व्यक्तिशः रूप से और घरबार के आधार पर की जाए। हमे स्वीकार करना होगा कि लघुतम अल्पसंख्यक ही ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर व उपेक्षित है और प्रत्येक पिछड़े हुए व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक उन्नति ही राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता और सामाजिक समानता तथा न्याय की कुंजी है। सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों की सूची व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की जाए और “गंदगी आधारित”

कार्य माने जाने वाले पेशों में लगे व्यक्तियों की भी सूची बनाई जाए तथा वैकल्पिक कार्यों में उनका पुनर्वास करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। पारंपरिक व्यवसायों में प्रौद्योगिकी के जरिए सुधार लाकर उनके कार्यों स्वरूप को भी बदलकर उनका पुनर्वास किया जाए। जब तक इस प्रकार की व्यवस्था कायम नहीं की जाती/प्रणाली नहीं बनाई जाती तब तक अंतरिम उपाय के रूप में यह किया जाए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उनके दायरे से नवोन्नत वर्ग को उसी प्रकार बाहर कर दिया जाए जैसा कि सरकार के अधीन रोजगार के प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्गों के मामले में किया गया है ताकि जो लोग इस व्यवस्था व प्रणाली से लाभ ले चुके हैं उनकी वजह से अन्य पात्र लोग उक्त लाभ लेने से वंचित न रहें।

19. दो अन्य के बारे में भी संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के संदर्भ में आयोग की राय मांगी गई है। ये 50 प्रतिशत आरक्षण और सम्मिलित की जाने की रीतियों से संबंधित हैं। आरक्षण में 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी व अन्य बनाम भारत संघ के मामले में यह ठहराया है कि आरक्षण में 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा बनी रहेगी। चूंकि धर्मातरण करके ईसाई व इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों की

सूची में शामिल नहीं किया जाना है अतः इस अवस्था में उच्चतम सीमा में परिवर्तन के विषय में विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार रीतियों में बदलाव किया जाना अपेक्षित नहीं है।

20. पूर्वोक्त चर्चा के आधार पर टिप्पणी के पैरा 3 में उल्लिखित मुद्दों के विषय में मेरी राय इस प्रकार है:—

- (i) धर्मातरण करके ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है।
- (ii) संविधान के अनुच्छेद 15(4) के साथ पठित अनुच्छेद 341 के तहत जारी किया गया संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 धर्म आधारित है। अतः आदेश के पैरा 3 से “धर्म” की शर्त नहीं हटाई जानी चाहिए।
- (iii) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार आरक्षण में 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा बनाई रखी जाए।
- (iv) चूंकि धर्मातरण करके ईसाई/इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति, अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं अतः उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में ही बने रहने दिया जाए और जब तक सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों की व्यापक सूची तैयार नहीं कर दी जाती तब तक उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाली सुविधाएं व आरक्षण लेने दिया जाए।

(आशा दास)
सदस्य सचिव।

सदस्य-सचिव के असहमति नोट पर एक टिप्पणी

**राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य डा० ताहिर महमूद द्वारा लिखित और अध्यक्ष न्यायमूर्ति
आर० एन० मिश्र एवं सदस्य डा० अनिल विल्सन एवं डा० मोहिंदर सिंह द्वारा पूर्णतः अनुमोदित**

सदस्य सचिव के असहमति नोट पर हम अंतिम क्षणों में दृष्टिपात कर सकते। हमें नहीं मालूम कि आयोग के शेष सदस्यों की सर्वसम्मति से की गई सिफारिशों के खिलाफ यह विमति नोट लिखने का क्या औचित्य रहा है। (सामान्यतः आयोगों के सदस्य सचिव स्वतंत्र रूप में आयोगों के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन अपने प्रशासनिक पद के कारण वे पदेन सदस्य होते हैं) लेकिन फिर भी हमने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। तथापि हम इस संदर्भ में निम्न स्पष्टीकरण देना चाहेंगे।

- (क) हमारे अतिरिक्त विचारार्थ विषय के अंतर्गत हमने जो सिफारिशों की हैं, उनके संदर्भ में इससे संबंधित शब्दावली एवं इससे संबंधित न्यायालय में लंबित मामलों को ध्यान में रखा गया है। इस संबंध में आयोग के नोडल मंत्रालय के किसी अधिकारी ने सदस्य सचिव को क्या लिखा है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है।
- (ख) अनुसूचित जातियों को किसी धर्म विशेष अथवा धर्मों की सीमा-रेखा में बांधा जाना चाहिए, इस आशय का संकेत हमे न तो संविधान के अनुच्छेद 341 में मिला है और न ही अन्यत्र। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति (केंद्र सरकार पढ़े) को अनुसूचित जातियों की प्रारंभिक सूची जारी करने तथा संसद को ऐसी सूची को बाद में संशोधित करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों के विषय में यह दूर-दूर तक किसी जाति-धर्म का संबंध पैदा नहीं करता है। इस प्रकार के संबंधों का जन्म, हमारे विचार से संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जारी करते समय कार्यपालिका कार्रवाई द्वारा अकारण ही हुआ और हमने इस संबंध को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विधायी कार्रवाई करने की सिफारिश की है।
- (ग) संविधान के अनुच्छेद 25 के संबंध में कुछ लोगों का यह मानना कि सिख, बौद्ध और जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखाएँ हैं, इस दावे का हम जोरदार खंडन करते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि यह विचार स्पष्ट रूप से उक्त

अनुच्छेद की गलत व्याख्या पर आधारित है और संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है। तदनुसार हम अनुसूचित जाति आदेश, 1950 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों में सिख और बौद्धों को शामिल करने जैसे आन्तरिक “समर्थन” करने वालों के दावों का खंडन करते हैं।

- (घ) हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि संविधान के किसी निर्देश के अनुसार यदि सिख, बौद्ध और जैन धर्म हिंदू धर्म के समान थे तो फिर संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के प्रारंभ में यह क्यों घोषित किया गया कि कोई भी गैर-हिंदू अनुसूचित जाति का नहीं हो सकता है और इस प्रकार सिखों, बौद्धों और जैनियों को भी इस में शामिल नहीं किया गया। अनुसूचित जाति के दायरे में आने में सिखों को छः वर्ष और बौद्धों को इसके बाद और चौदह वर्ष (1950 से 20 वर्ष) का समय क्यों लगा? और जैन अब तक क्यों इससे बाहर हैं? ऐसा लगता है कि कुछ अधिसंवैधानिक कारणों से प्रारंभ में अनुसूचित जाति का दायरा केवल हिंदुओं तक सीमित था और संविधान की सहायता लेकर सिखों और बौद्धों को इसमें शामिल करने का अनुबोध बाद में आया जोकि संविधान की मूलभावना के प्रतिकूल है।
- (ङ) असहमति नोट में प्रकट यह विचार कि “सिख और बौद्ध धर्म प्रारंभ में हिंदू धर्म के भीतर उत्पन्न धर्म थे न कि स्वतंत्र धर्म” खेदजनक है और यह भारत के उन सिख एवं बौद्ध नागरिकों की धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो हमेशा अपनी आस्था को एक “स्वतंत्र धर्म” मानते हैं।
- (च) असहमति नोट में इसी प्रकार के खेदजनक आसार प्रहार करते हुए “ऐसा धर्म जिसका उद्गम स्थल भारत के बाहर हो” कहा गया है अर्थात् जिसका संबंध भारत में जन्मे लोगों से भिन्न है। भारत में विद्यमान धर्मों की दो स्वनिर्मित श्रेणियों के बीच विभेद पूर्णतः असंवैधानिक है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

(छ) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 में कहीं भी ईसाई या मुस्लिम धर्म को अपनाने वाली अनुसूचित जातियों की चर्चा नहीं की गई है। किसी दूसरे धर्म को अपनाने वाले हिंदू, सिख या बौद्ध अनुसूचित जाति अनिवार्यतः अपनी अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा और यह उक्त पैरा-3 का केवल गौण प्रभाव है। इसका मुख्य और गंभीर प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो जन्म से अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हैं और उन्हें इसके दायरे से केवल इसलिए हवा दिया जाता है कि वे हिंदू, सिख या बौद्ध नहीं हैं। हमारे विचार से पैरा-3 का यह प्रभाव, पद और अवसर की समानता और धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की गारंटी प्रदान करने वाले संविधान के प्रतिकूल है। अतः हम इसके निरसन की सिफारिश करते हैं।

(ज) संविधान में प्रतिष्ठापित (इनश्राइन) नागरिकों के मूलभूत अधिकार सर्वोच्च हैं और संविधान के अधिभावी अंग

हैं—और यह अंग धार्मिक या किसी अन्य आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों की पूर्ण समानता पर बल देता है। किसी धर्म विशेष में जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति काफी पहले हुई थी, कुछ अन्य संप्रदायों की समतामूलक व्यवस्था अपने मूल रूप में विद्यमान है, ऐसी ही दूसरी चीजें, जिसकी चर्चा विमति-नोट में की गई है, को कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे नागरिकों को बिना शर्त प्रदत्त समानता और विभिन्न धर्मों को मानने वाले भारत के नागरिकों के बीच भेदभाव न करने की संविधान की विशेषता पर हावी होने की अनुमति देने के समान माना जाएगा।

उपर्युक्त कारणों से हम असहमति नोट में उठे विवादों को निरस्त करते हैं और इस विचारार्थ विषय के अधीन की गई सिफारिशों के प्रत्येक शब्द पर अटल हैं।

परिशिष्ट

सरकार के संकल्प और अधिसूचनाओं का पाठ

परिशिष्ट: 1.1

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अल्पसंख्यक प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2004

सं 1-11/2004-एमसी (डी).—जबकि भारत सरकार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों की कल्याण संबंधी जरूरतों के प्रति वचनबद्ध हैं;

2. और जबकि धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान के लिए मानदंड निर्धारित करने एवं उनके कल्याण के लिए सुझाव देने के लिए एक विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता होगी;

3. अतः अब भारत सरकार ने अध्यक्ष की नियुक्ति की तिथि से छः महीने की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का संकल्प किया है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अपनी अनुशंसाएं देगा।

4. प्रस्तावित आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:

(क) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंडों का सुझाव देना;

(ख) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उपायों की सिफारिश करना जिसमें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण शामिल है;

(ग) इनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए यथा अपेक्षित आवश्यक संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक तौर-तरीकों का सुझाव देना और इनके विचार-विमर्श और सिफारिशों की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना;

5. आयोग में अध्यक्ष, तीन सदस्य एवं एक सदस्य-सचिव होंगे। अध्यक्ष एवं सदस्यगण को धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की भली भांति जानकारी होनी चाहिए। सदस्यों में से एक को विधिक एवं संवैधानिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। सदस्य-सचिव को प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए।

6. आयोग किसी प्राधिकारी, संगठन या व्यक्ति से ऐसी सूचनाएं प्राप्त करेगा जो वह विषय के लिए आवश्यक समझे या विषय से संबंधित हो।

7. आयोग अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली अपना सकता है और भारत के किसी भी भाग में आवश्यकता होने पर जा सकता है।
8. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
9. आयोग अपनी रिपोर्ट छः महीने की अवधि के अंदर प्रस्तुत करेगा।

सपना राय, संयुक्त सचिव।

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-1, खंड-I में प्रकाशन के लिए)

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 15 मार्च, 2005

अधिसूचना

फाइल नं° 1/11/2004-एम सी (डी)-भारत सरकार ने तारीख 29 अक्टूबर, 2004 के अपने समसंख्यक संकल्प के द्वारा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने हेतु अधिसूचना जारी की है। आयोग धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण सहित उनकी पहचान के लिए मानदंड और कल्याण के उपायों के संबंध में सुझाव देगा। उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित एवं आवश्यक संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक रीतियों के संबंध में भी अपना सुझाव देगा और अपने विचार-विमर्श एवं सिफारिशों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अतः भारत सरकार एतद्वारा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन हेतु अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:

- | | |
|---|---------|
| (1) न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र | अध्यक्ष |
| पूर्व मुख्य न्यायाधीश, | |
| उच्चतम न्यायालय, | |
| एवं भूतपूर्व सांसद (राज्य सभा), | |
| तुलसीपुर, कटक-753008 | |
|
 | |
| (2) प्रोफेसर (डॉ) ताहिर महमूद | सदस्य |
| पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, | |
| बी-113, त्रिवेणी अपार्टमेंट्स, | |
| शेखसराय-I, नई दिल्ली-110017 | |
|
 | |
| (3) डॉ अनिल विल्सन, | सदस्य |
| प्राचार्य, | |
| सेंट स्टीफेंस कॉलेज, | |
| दिल्ली-110 007 | |
|
 | |
| (4) डॉ मोहिन्दर सिंह, | सदस्य |
| निदेशक, नेशनल-इन्सिटियूट ऑफ पंजाब स्टडीज, | |
| भाई वीर सिंह साहित्य सदन, | |
| भाई वीर सिंह मार्ग, | |
| गोल मार्केट, नई दिल्ली-110 001 | |

2. उनका कार्यकाल, अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छः माह के लिए होगा।

ह०/-

(डॉ जी० प्रसन्न कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि, उपर्युक्त संदर्भित संकल्प की प्रतिलिपि सहित, प्रेषितः

1. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश, उच्चतम न्यायालय, भारत एवं भूतपूर्व सांसद (राज्य सभा), तुलसीपुर, कटक, 753 008.
2. प्रोफेसर (डॉ) ताहिर महमूद, भूतपूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, बी-113, त्रिवेणी अपार्टमेंट्स, शेखसराय- I, नई दिल्ली-110 017
3. डा० अनिल विल्सन, प्राचार्य, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली-110 007
4. डा० मोहिन्दर सिंह, निदेशक, नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पंजाब स्टडीज, भाई वीर सिंह साहित्य सदन, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110 001
5. प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री पुलक चटर्जी, संयुक्त सचिव) साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्रीमती वंदना जेना, संयुक्त सचिव), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
7. मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के निजी सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) सचिव के वैयक्तिक निजी सचिव/अपर सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के वैयक्तिक निजी सचिव/सभी संयुक्त सचिवों के निजी सचिव।
8. भारत सरकार के अन्य सभी मंत्रालय/विभाग।
9. वेतन एवं लेखा कार्यालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
10. बी एवं सी/सामान्य/स्थापना/सहायता केंद्र/सूचना अधिकारी, प्रेस आसूचना ब्यूरो।

ह०/-

(यू० एस० कुमावत)
उप सचिव, भारत सरकार।

परिशिष्ट: 1.3

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-1 खंड-I में प्रकाशन के लिए)

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 10 मई, 2005

अधिसूचना

फाइल सं° 1/11/2004-एम सी (डी) —भारत सरकार ने तारीख 29 अक्टूबर, 2004 के अपने समसंख्यक संकल्प के द्वारा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने हेतु अधिसूचना जारी की है। आयोग, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण सहित उनकी पहचान के लिए मानदंड और कल्याण के उपायों के संबंध में सुझाव देगा। यह अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित एवं आवश्यक संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक रीतियों के संबंध में भी अपना सुझाव देगा और अपने विचार-विमर्शों एवं सिफारिशों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

2. भारत सरकार एतद्वारा, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य सचिव के रूप में तत्काल प्रभाव से श्रीमती आशा दास, पूर्व सचिव, भारत सरकार, डी-297 सर्वोदय इन्क्लेव, नई दिल्ली-110 017 को नियुक्त करती है।

3. नियुक्ति की अवधि तारीख 20.9.2005 तक होगी।

हृ०/-

(यू० एस० कुमावत)
उप सचिव, भारत सरकार।

प्रतिलिपि:—

1. श्रीमती आशा दास, डी-297, सर्वोदय इन्क्लेव, नई दिल्ली-110 017
2. अध्यक्ष, राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गेट नं° 30, नई दिल्ली।
3. सभी सदस्य, राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गेट नं° 30, नई दिल्ली।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री पुलक चटर्जी, संयुक्त सचिव) साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्रीमती वंदना जेना, संयुक्त सचिव), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
6. मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के निजी सचिव/सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के वैयक्तिक निजी सचिव/अपर सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के वैयक्तिक निजी सचिव/सभी संयुक्त सचिवों के निजी सचिव।
7. वेतन एवं लेखा कार्यालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. बी एवं सी/सामान्य/स्थापना/सहायता केंद्र/सूचना अधिकारी, प्रेस आसूचना ब्यूरो।

हृ०/-

(यू० एस० कुमावत)
उप सचिव, भारत सरकार।
फोन: 23765013

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

संख्या 14/6/2005-एम. सी.

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 2005

अधिसूचना

भारत सरकार राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के विचारार्थ विषय का विस्तार अपने संकल्प सं 1-11/2004-एम. सी. (डी.) दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 को किया है और विचारार्थ विषय में यह खण्ड जोड़ दिया है।

(घ) 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा के महेनजर, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय और कतिपय उच्च न्यायालयों में दायर की गई रिट याचिका 180/04 और 94/05 में उठाए गए मुद्दों व साथ ही अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए कार्यनीतियों पर अपनी सिफारिशें देना।

हृ/-

(डॉ जी० प्रसन्ना कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।
दूरभाष: 23765005

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
नई दिल्ली

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

(अल्पसंख्यक-कार्य मंत्रालय)

1. भारत सरकार ने तारीख 29 अक्टूबर, 2004 के संकल्प के द्वारा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु उपायों के संबंध में सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। आयोग के मूल विचारार्थ विषय में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण सहित उनकी पहचान के लिए मानदंड और कल्याण के उपायों के संबंध में सिफारिश करना और उनकी सिफारिशों पर कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित आवश्यक संवैधानिक कानूनी और प्रशासनिक रीतियों के संबंध में सुझाव देना शामिल है।

2. आयोग ने तारीख 21 मार्च, 2005 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, सदस्य के रूप में प्रोफेसर (डॉ.) ताहिर महमूद, डॉ. अनिल विलसन और डॉ. मोहिन्दर सिंह और सदस्य सचिव के रूप में श्रीमती आशा द्वारा पूर्व सचिव, भारत सरकार शामिल थे। बाद में इसाई धर्म में संपरिवर्तित अनुसूचित जाति के साथ-साथ इस्लाम धर्म की 'अनुसूचित जातियों' को विनिर्दिष्ट करने की विभिन्न प्रदेशों की मांगों पर विचार करते हुए और संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के खंड-3 को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करने के लिए विभिन्न उच्च-न्यायालयों में दायर सात रिट याचिकाओं और उच्चतम न्यायालय में भी दायर सिविल याचिका संख्या 2004 का 180 एवं 2005 का 94 को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 24 अगस्त, 2005 को मामला आयोग को उसके बृहत विचारार्थ विषय के अंग के रूप में सौंप दिया।

3. मामले की जांच करते समय आयोग ने पहले ही राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके इस संबंध में विचार प्राप्त करने के लिए लिखा। आयोग इस मामले पर विभिन्न प्राइवेट और गैर-सरकारी विशेषज्ञों एवं एजेन्सियों से भी चर्चा कर रहा है।

4. गैर-सरकारी संगठनों और आम लोगों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने विचारों से आयोग को निम्नलिखित पते पर इसके जारी होने के तीन सप्ताह के भीतर सूचित करें:

संयुक्त सचिव,
राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग,
गेट नं. 30, द्वितीय तल, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड-110003
फैक्स नं.-24367794
ई-मेल- ncrlm2005@rediffmail.com

आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यशालाओं की सूची

क्रम सं	कार्यशाला का विषय	संस्था/संगठन का नाम
1.	पारसियों के अहित से जुड़े मामले	याया इन्स्टियूट ऑफ सोशल साइंसेस, मुंबई।
2.	सिखों के अहित से जुड़े मामले	इंडियन सोशल इन्स्टियूट, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3.	बौद्धों के अहित से जुड़े मामले	यशवंतराव चौहान एकेडमी ऑफ डिवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (वाय ए एस एच डी ए) पुणे।
4.	भाषायी अल्पसंख्यक	केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मैसूर।
5.	आरक्षण नीति: प्रभाव का निर्धारण	स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, जे एन यू, नई दिल्ली।
6.	ईसाइयों के अहित से जुड़े मामले	सेंटर फॉर रिसर्च, प्लानिंग एंड एक्शन (सी ई आर पी ए), नई दिल्ली।
7.	धर्म-परिवर्तन के द्वारा ईसाई और इस्लाम धर्म स्वीकारने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करना	याया इन्स्टियूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई।
8.	पिछड़ेपन का अराजनीतिकरण वैकल्पिक दृष्टिकोण	दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।
9.	मुस्लिमों के अहित से जुड़े मामले	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई आई पी ए), नई दिल्ली।

आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययनों की सूची

क्रम सं	अध्ययन का विषय	संस्था/संगठन का नाम
1.	अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन उनके पिछड़ेपन का कारण	सेंटर फॉर रिसर्च, प्लानिंग एंड एक्शन (सी ई आर पी ए), नई दिल्ली
2.	अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति और उनके पिछड़ेपन का कारण तथा पिछड़ेपन के लिए सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की पहचान	ए रे ऑफ होप-फाउंडेशन (ए आर ओ एच) फाउंडेशन, नई दिल्ली
3.	मुस्लिमों को शैक्षिक सिस्टम की मुख्यधारा में लाने के लिए मदरसा शिक्षा की भूमिका	डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
4.	देश में अल्पसंख्यकों के उन्नयन में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका का त्वरित निर्धारण	कृषि वित्त निगम, नई दिल्ली।
5.	धार्मिक अल्पसंख्यकों के बच्चों की आकांक्षाएं और जीवन-वृत्त योजनाएं	सेंटर फॉर रिसर्च, प्लानिंग एंड एक्शन (सी ई आर पी ए), नई दिल्ली।
6.	समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास में धार्मिक शिक्षा संस्थाओं की भूमिका	हिमालय रिजन स्टडी एंड रिसर्च इन्स्टियूट, दिल्ली।
7.	धार्मिक अल्पसंख्यकों के चयन का मानदंड और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन की पहचान	बाबा साहेब अंबेडकर नेशनल इन्स्टियूट ऑफ सोशल साइंसेज, महू, म० प्र०।
8.	भारत में धार्मिक और भाषावी अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति	टाटा इन्स्टियूट ऑफ सोशल साइंसेस, मुंबई।
9.	भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक परिस्थितिजन्य समीक्षा	इंटरनेशनल इन्स्टियूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, मुंबई।

आयोग द्वारा दौरा किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दौरा करने की तारीख
1.	आंध्र प्रदेश	21-22 अक्टूबर, 2005
2.	बिहार	13-14 फरवरी, 2006
3.	छत्तीसगढ़	18-19 फरवरी, 2006
4.	गोवा	29 मई, 2006
5.	गुजरात	24-25 मई, 2006
6.	हरियाणा	24-25 फरवरी, 2006
7.	हिमाचल प्रदेश	8-9 जून, 2006
8.	जम्मू-कश्मीर	3—11 सितंबर, 2005
9.	झारखण्ड	14—16 फरवरी, 2006
10.	कर्नाटक	19-20 अक्टूबर, 2005
11.	केरल	16—19 नवंबर, 2005
12.	मध्य प्रदेश	3-4 मार्च, 2006
13.	महाराष्ट्र	10—13 जनवरी, 2006
14.	मणिपुर	10 अप्रैल, 2006
15.	मेघालय	21 अप्रैल, 2006
16.	मिजोरम	22—24 जनवरी, 2006
17.	नागालैंड	29-30 नवंबर, 2006
18.	उडीसा	7-8 नवंबर, 2005
19.	राजस्थान	10-11 फरवरी, 2006
20.	सिक्किम	29 अप्रैल-1 मई, 2006
21.	तमिलनाडु	21-22 नवंबर, 2005
22.	त्रिपुरा	24-25 जनवरी, 2006
23.	उत्तर प्रदेश	15-16 जून, 2006
24.	उत्तराखण्ड	18 जनवरी, 2006
25.	पश्चिम बंगाल	9—11 नवंबर, 2005
26.	अंडमान-निकोबर द्वीप समूह	12-13 अप्रैल, 2006
27.	दिल्ली	5 मई, 2006
28.	पुडुचेरी	3-4 फरवरी, 2006

खंड-II की विषय-वस्तु

1. प्रेषित प्रश्नावली संलग्नक : 1
(संलग्नक 1.1-1.5)
2. तारीख 13 जुलाई, 2005 को आयोजित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अल्पसंख्यक कल्याण/अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिवों की बैठक की कार्यवाही। संलग्नक : 2
3. समुदाय के नेता धार्मिक नेता, जिसके साथ आयोग ने बातचीत की संलग्नक : 3
4. आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययनों के निष्कर्ष और सिफारिश संलग्नक : 4
(संलग्नक 4.1-4.9)
5. आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यशालाओं के निष्कर्ष और सिफारिश संलग्नक : 5
(संलग्नक 5.1-5.9)
6. ईसाई/मुस्लिम धर्म को अपनाने वाली अनुसूचित जाति के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दृष्टिकोण जानने के लिए उनके साथ पत्र व्यवहार संलग्नक : 6
7. ईसाई/मुस्लिम धर्म को अपनाने की अनुसूचित जाति के संबंध में प्रेस-विज्ञप्ति संलग्नक : 7
8. आयोग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए दौरे पर सार-रिपोर्ट संलग्नक : 8
संलग्नक 8.1-8.28

जनसंख्या का लिंग अनुपात: 1991 और 2001

एवं 0-6 वर्षः 2001

क्रम संख्या/ राज्य/ राज्य क्षेत्र	सभी धार्मिक		हिंदू		मुस्लिम		ईसाई		सिख		बौद्ध		जैन		अन्य											
	समुदाय		समग्र लिंग0-6		समग्र लिंग 0-6																					
	सं.	संघ	अनुपात वर्ष	अनुपात वर्ष	अनुपात वर्ष	अनुपात वर्ष	अनुपात वर्ष	अनुपात वर्ष	अनुपात वर्ष	अनुपात वर्ष	अनुपात वर्ष	अनुपात वर्ष	अनुपात वर्ष	अनुपात वर्ष	अनुपात वर्ष											
1991	2001	2001	1991	2001	2001	1991	2001	2001	1991	2001	2001	1991	2001	2001	1991	2001										
भारत (राज्य)	927	933	927	942	931	925	930	936	950	994	1009	964	888	893	786	963	953	942	946	940	874	982	992	976		
1. आंध्र प्रदेश	972	978	961	972	979	961	958	961	959	1003	1037	977	813	796	864	955	960	956	883	936	912	992	946	932		
2. अस्सीचल प्रदेश	859	893	964	708	749	941	531	625	972	925	1003	960	491	264	808	952	970	959	524	662	545	997	1001	993		
3. असम	923	935	965	915	932	961	937	938	971	951	962	964	778	668	818	924	939	971	793	866	922	989	950	958		
4. बिहार	911	919	942	903	915	939	938	943	958	1005	974	918	834	879	919	809	841	919	912	904	853	984	935	944		
5. छत्तीसगढ़	NA	989	975	NA	990	975	NA	943	954	NA	1021	972	NA	889	845	NA	1012	945	NA	922	922	NA	1014	1005		
6. गोवा	966	961	938	923	918	934	866	867	947	1091	1107	945	632	644	1021	714	818	950	925	885	567	760	868	909		
7. गुजरात	934	920	883	932	918	880	946	937	913	940	988	927	810	824	782	875	889	886	1010	969	832	963	986	999		
8. हरियाणा	865	861	819	863	858	816	872	870	895	981	918	921	896	893	742	739	783	833	923	911	798	231	790	885		
9. हिमाचल प्रदेश	975	968	896	979	973	895	840	806	938	947	822	898	880	898	827	969	942	924	884	877	533	518	1005	1154		
10. जम्मू-कश्मीर	NA	892	941	NA	824	855	NA	927	980	NA	594	834	NA	809	773	NA	941	961	NA	856	877	NA	902	1500		
11. झारखण्ड	NA	941	965	NA	928	962	NA	939	971	NA	1018	975	NA	838	879	NA	885	812	NA	928	852	NA	990	976		
12. कर्नाटक	959	965	946	960	966	945	952	957	950	1004	1030	961	648	739	882	848	907	953	931	925	892	742	966	949		
13. केरल	1036	1058	960	1040	1058	961	1040	1082	959	1012	1031	960	375	714	865	581	875	962	982	996	845	81	957	1118		
14. मध्य प्रदेश	931	919	932	931	918	931	924	929	941	1003	996	976	852	882	849	965	949	929	921	925	906	994	1029	1010		
15. महाराष्ट्र	963	922	913	935	933	907	903	889	940	964	993	958	814	829	849	961	961	941	933	942	862	1005	988	940		
16. मणिपुर	958	978	957	961	974	951	958	973	972	953	977	959	426	515	932	856	879	919	894	842	771	987	1009	958		
17. मेघालय	955	972	973	759	827	960	869	891	978	998	1004	973	748	718	896	888	871	867	752	106	926	990	996	983		
18. मिजोरम	921	935	964	373	341	872	100	271	990	980	986	969	115	299	2200	916	929	942	738	1000	916	986	1048			
19. नागालैंड	886	900	964	552	582	909	605	614	948	941	941	968	408	488	1000	831	782	841	742	852	768	949	939	936		
20. उड़ीसा	971	972	953	970	971	951	938	938	965	1019	1026	981	814	851	860	874	904	938	893	933	895	1001	1009	973		
21. पंजाब	882	876	798	867	846	821	823	793	879	877	893	870	891	894	780	849	871	820	947	914	758	715	846	798		
22. राजस्थान	910	921	909	908	920	909	920	929	925	974	986	956	887	892	828	727	802	840	981	960	878	776	815	759		
23. सिक्किम	878	875	963	874	852	961	407	439	906	936	960	929	856	108	1556	905	944	969	538	664	615	781	983	1039		
24. तमिलनाडु	974	987	942	970	983	939	998	1020	957	1005	1031	968	719	731	854	743	868	887	918	933	889	799	882	940		
25. त्रिपुरा	944	948	966	944	949	965	949	945	964	920	941	975	163	101	710	959	956	988	663	916	1036	1000	759	770		
26. उत्तराखण्ड	NA	962	908	NA	978	908	NA	875	915	NA	960	989	NA	898	844	NA	778	802	NA	930	833	NA	762	852		
27. उत्तर प्रदेश	879	898	916	875	894	911	897	918	935	961	961	936	868	877	831	856	895	928	916	911	846	162	871	968		
28. पश्चिम बंगाल	917	934	960	914	932	956	923	933	968	983	1002	973	781	807	852	956	981	965	875	929	920	982	985	965		
संघ राज्य क्षेत्र	29.	अंडमान-	181	846	957	797	828	947	843	860	979	873	904	990	907	818	858	197	358	786	NA	917	500	718	859	1250
	30.	चंडीगढ़	790	777	845	769	756	847	670	650	947	967	932	939	881	910	781	649	858	746	904	940	940	600	890	1083
	31.	दादर एवं नगर हवेली	952	812	979	957	814	982	832	692	920	871	902	1009	1500	281	750	818	638	932	981	895	831	875	500	
	32.	दमन एवं दीव	969	710	926	963	698	925	1022	799	947	1019	944	918	712	578	600	550	370	700	843	1000	1071	864	807	1250
	33.	दिल्ली	827	821	868	823	817	860	798	782	925	988	1076	965	921	925	996	831	829	890	927	935	849	727	871	1009
	34.	लक्ष्मीपुर	942	948	959	435	251	1000	988	1002	960	300	206	333
	35.	युडुचेरी	979	1001	967	963	987	969	1092	1097	945	1089	1101	962	611	543	2000	560	780	1000	754	900	692	.	904	900

स्रोत: भारत की जनगणना 1991 और 2001.

(परिशिष्ट: 6 (अध्याय-6 में देखें)

गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वालों (बीपीएल) की जनगणना, 2002 के लिए निर्धारित सामाजिक-आर्थिक अंकीय पैरामीटर सूचक अनुसूची

क्रम सं० अभिलक्षण	अंक				
	0	1	2	3	4
1. जोत-भूमि का आकार समूह	शून्य	1 हेक्टर से कम असिंचित भूमि (सिंचित भूमि)	1-2 हेक्टर असिंचित (या 0.5-1.0 सिंचित भूमि)	2-5 हेक्टर असिंचित भूमि (या 1.0-2.5 हेक्टे॒ सिंचित भूमि)	5 हेक्टर से अधिक असिंचित भूमि (या 2.5 हेक्टर सिंचित भूमि)
2. घर का प्रकार	बेघर	कच्चा	अर्द्ध पक्का	पक्का	शहरी प्रकार के
3. पहनने के लिए आवश्यक कपड़ों की औसत उपलब्धता (प्रति व्यक्ति, संछात्मक दृष्टि से)	2 से कम	2 या अधिक लेकिन 4 से कम	4 या अधिक, लेकिन 6 से कम	6 या अधिक लेकिन 10 से कम	10 या अधिक
4. भोजन सुरक्षा	वर्ष के अधिकांश दिनों में, प्रतिदिन एक बार पेट भर से भी कम भोजन	सामान्यतः प्रतिदिन एक बार पेटभर भोजन, लेकिन कभी-कभी एक पेटभर भोजन से भी कम	पूरे वर्ष, प्रतिदिन एक बार पेटभर भोजन	प्रतिदिन दो बार पेटभर भोजन कभी-कभी इससे कम बार	पूरे वर्ष पर्याप्त भोजन
5. स्वच्छता	प्रकट अभाव	अनियमित जलापूर्ति वाला समूह शौचालय	नियमित जलापूर्ति युक्त समूह	नियमित जलापूर्ति और महतर युक्त स्वच्छ समूह शौचालय	निजी शौचालय
6. स्वयं का घरेले सामान	() का निशान लगाएं - टींवी० - बिजली पंखा - प्रेशर कुकर जैसे रसोई का सामान - रेडियो	शून्य	कोई एक	केवल दो सामान सामान	कोई तीन या सभी सामान निम्नलिखित में से किसी - एक स्वामित्वः - कंप्यूटर - टेलीफोन - रेफ्रिजरेटर - रंगीन टीवी - विद्युत रसोई उपकरण - महंगे फर्नीचर - हल्के मोटर वाहन/एससीवी - ट्रैक्टर - यांत्रिक दो पहिया/तीन पहिया वाहन - पॉवर जोत मशीन - संयुक्त थ्रेशर/हार्वेस्टर - 4 पहिया यांत्रिक वाहन

क्रम सं.	अभिलक्षण	अंक				
		निरक्षर	प्राथमिक स्तर तक (वर्ग V)	माध्यमिक सफल वर्ग X उत्तीर्ण)	स्नातक/व्यावसायिक डिप्लोमा	स्नातकोत्तर/व्यवसायिक स्नातक
7.	सर्वाधिक शिक्षित वयस्कों की साक्षरता स्थिति					
8.	घरेलू श्रम शक्ति की स्थिति	बंधुआ मजदूर	स्त्री और बाल मजदूर	केवल व्यस्क स्त्री और कोई बाल श्रमिक नहीं	केवल व्यस्क पुरुष	अन्य
9.	आजीविका के साधन	नैमित्तिक मजदूर	जीवन निर्वाह के लिए खेती	शिल्पकार	वेतन	अन्य
10.	बच्चों की स्थिति (5-14 वर्ष) [कोई भी बच्चा]	स्कूल न जाकर काम करना	स्कूल जाने के साथ-साथ काम करना	निर्दिष्ट नहीं	निर्दिष्ट नहीं	स्कूल जाता है लेकिन काम नहीं करता है।
11.	ऋणग्रस्तता के प्रकार	अनियमित स्रोतों से दैनिक उपभोग के प्रयोजन हेतु	अनियमित स्रोतों से उत्पादन के प्रयोजन हेतु	अनियमित स्रोतों से दूसरे प्रयोजन के लिए	केवल संस्थागत एजेंसियों से उधार लेना	कोई ऋणग्रस्तता नहीं और संपत्ति का स्वामी
12.	घर से प्रवास का कारण	नैमित्तिक मजदूरी	मौसमी (सीजनल) रोजगार	जीवन यापन के अन्य रूप	अ-प्रवास	अन्य प्रयोजन
13.	सहायता प्राथमिकता	वेतन रोजगार टीपीडीएस (लक्षित जनवितरण प्रणाली)	स्वरोजगार	प्रशिक्षण एवं दक्षता उन्नयन	हाइसिंग	एक लाख से अधिक अनुदान या किसी सहायता की आवश्यकता नहीं

आंध्र प्रदेश की वेलुगू परियोजना में प्रयुक्त पैरामीटर

परिवारों को वर्गीकृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित संसूचक अभिनिर्धारित किए गए हैं:—

सर्वाधिक गरीब	गरीब
- काम मिलने पर वे खाना खा सकते हैं अन्यथा वे	- भूमि हीन
बिना भोजन के रहते हैं।	- दैनिक मजदूरी पर जीवन यापन
- कोई घर नहीं	- स्कूल जाने वाले बच्चों को
- आवश्यक वस्त्र का अभाव	काम पर भी भेजा जाता है
- बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ	- ऋण चुकाने में असमर्थ
- ऋण प्राप्त नहीं कर सकते	- घर की उचित व्यवस्था नहीं
	- समाज में सम्मान नहीं

गैर-गरीब (मध्यम वर्ग)	गैर-गरीब (संपन्न वर्ग)
- एक एकड़ से अधिक भूमि का स्वामी	- 5 एकड़ से अधिक भूमि का स्वामित्व
- घर की उचित व्यवस्था	- किराए पर श्रमिकों को रखने की क्षमता
- बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं	- रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या नहीं
- ऋण ग्रहण करने की क्षमता	- बच्चों की शिक्षा निजी स्कूलों में दिलवाने की क्षमता
- सरकारी या निजी अस्पतालों से स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति	- निजी अस्पतालों में जाने की क्षमता
- समाज में पहचान	- ऋण लेने की क्षमता
	- समाज में पहचान

केरल के कुदुंबाश्री मिशन में प्रयुक्त पैरामीटर

शहरी क्षेत्रों में प्रयुक्त जोखिम संसूचकों के नौ प्लाइंट हैं:—

- (1) कोई भूमि नहीं/5 सेंट से कम भूमि
- (2) कोई घर नहीं/जीर्ण–शीर्ण घर
- (3) सफाई सुविधा युक्त शौचालय नहीं
- (4) 150 मीटर के दायरे में सुरक्षित पीने का पानी सुलभ नहीं
- (5) महिला प्रधान परिवार/विधवा, तलाकशुदा/परित्यक्त महिला/अविवाहित माँ की उपस्थिति
- (6) परिवार में नियमित रोजगार पाने वाला कोई व्यक्ति नहीं
- (7) समाज–वंचित समूह (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)
- (8) परिवार में मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति/गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का होना
- (9) ऐसा परिवार जिसके पास रंगीन टीवी नहीं है।

यदि परिवार में उपर्युक्त में से कोई चार या अधिक जोखिम के कारक पॉजीटिव हैं तो ऐसे परिवार को “जोखिम” वाला परिवार माना जाता है।